



38TH

वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
2020-21

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

National Handloom Development Corporation Limited
(A Government of India Undertaking)

निदेशक मंडल

Board of Directors

(As on the date of AGM)



श्री संजय रस्तोगी
Shri Sanjay Rastogi

अध्यक्ष
Chairman
विकास आयुक्त (हथकरघा)
Development Commissioner
(Handlooms)



सुश्री मुदिता मिश्रा
Ms. Mudita Mishra

प्रबन्ध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) /
अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)
Managing Director (Addl. Charge)/
Additional Development Commissioner
(Handicrafts)



श्री रवीन्द्रनाथ मोहंती
Shri Rabindranath Mohanty
सरकारी निदेशक
Government Director
उपसचिव (सामेकित्त वित्त प्रभाग)
Dy. Secretary (IFW)



श्री अनिल कुमार सूद
Shri Anil Kumar Sood
अशासकीय स्वतन्त्र निदेशक
Non-Official Independent
Director



श्रीमती योगिता सिंह
Smt. Yogita Singh
अशासकीय स्वतन्त्र निदेशक
Non-Official Independent
Director

38th वार्षिक प्रतिवेदन 2020-2021
38th Annual Report 2020-2021



रा ह वि नि
NHDC

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

National Handloom Development Corporation Limited

(A Government of India Undertaking)

विषय सूची

| | |
|--|-----|
| लक्ष्य एवं नैगमिक उद्देश्य | 4 |
| कॉपोरेट सूचना | 6 |
| अड़तीसवीं (38वीं) वार्षिक साधारण सभा की सूचना | 8 |
| अध्यक्ष का भाषण | 12 |
| निदेशकों की रिपोर्ट | 14 |
| निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक | 30 |
| नैगमिक अभिशासन का प्रमाण-पत्र | 44 |
| सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट | 64 |
| लेखा परीक्षक की रिपोर्ट | 76 |
| कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां | 106 |
| प्रमुख आयोजनों की झलक | 108 |
| वार्षिक लेखे | |
| महत्वपूर्ण लेखा नीतियां | 116 |
| तुलन-पत्र | 120 |
| लाभ एवं हानि का विवरण | 122 |
| लेखों पर टिप्पणियाँ | 124 |
| नकदी प्रवाह विवरण | 168 |
| इक्विटी परिवर्तन पर टिप्पणियाँ | 170 |
| अनुदान संबंधी विवरण | 172 |

CONTENTS

| | |
|---|-----|
| Mission & Corporate Objectives | 5 |
| Corporate Information | 7 |
| Notice for Thirty Eighth Annual General Meeting | 9 |
| Chairman's Speech | 13 |
| Director's Report | 15 |
| Annexure to Director's Report | 31 |
| Corporate Governance Certificate | 45 |
| Secretarial Auditor's Report | 65 |
| Statutory Auditor's Report | 77 |
| Comment of The Comptroller & Auditor General of India under section 143(6) of the Companies Act, 2013 | 107 |
| Glimpses of Major Events | 108 |
| Annual Accounts | |
| Significant Accounting Policies | 117 |
| Balance Sheet | 121 |
| Statement of Profit & Loss | 123 |
| Notes on Accounts | 125 |
| Cash Flow Statement | 169 |
| Statement of Change in Equity | 171 |
| Grants Related Information | 173 |

लक्ष्य व नैगमिक उद्देश्य

लक्ष्य

हथकरघा की उन्नति एवम् विकास के लिये राष्ट्रीय संस्था के रूप में अपनी सेवायें उपलब्ध कराना।

नैगमिक उद्देश्य

1. आपूर्ति श्रृंखला की बेहतर प्रबन्धन (सप्लाई चेन मैनेजमेंट) प्रणाली द्वारा अच्छी गुणवत्ता का कच्चा माल जैसे कि सूत, रंग व रसायन आदि उपलब्ध कराकर अपनी प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना।
2. उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग द्वारा अपने कार्य संचालन को औचित्यपूर्ण बनाए रखना।
3. विकास कार्यक्रमों का संचालन इस प्रकार करना कि योजनाओं/उत्पादों तथा विपणन माध्यमों आदि विषय में बुनकरों की जानकारी बढ़ाने में सहायता मिले।
4. हथकरघा क्षेत्र के विकास हेतु कार्यक्रमों के त्वरित क्रियान्वयन के लिये केन्द्र सरकार की निधियां, ऋण तथा अनुदान आदि का हथकरघा संस्थाओं तक पहुँचाने का माध्यम बने रहना।
5. प्रशिक्षण तथा परामर्श के माध्यम से कार्मिकों के योगदान में वृद्धि करना तथा उनकी जीविकावृत्ति में प्रगति के सुअवसरों को सुनिश्चित करना।

Mission & Corporate Objectives

MISSION

To serve as a National Agency for the promotion and development of the Handloom sector.

CORPORATE OBJECTIVE

1. To enhance its competitive edge in providing quality raw material i.e. yarn, dyes & chemicals through improved supply chain management.
2. To maintain viability of operations through effective utilization of available resources.
3. To take up the development programmes so as to contribute to increasing the awareness of schemes/products and marketing avenues etc.
4. To continue to act as a channel for routing Central Government funds, loans & grants to handloom agencies to aid in speedy implementation of programmes for development of the sector.
5. To ensure increasing contribution from personnel through training/counselling and to ensure career progression opportunities.

कॉर्पोरेट सूचना (वार्षिक आम बैठक की तिथि के अनुसार)

श्री संजय रस्तोगी

विकास आयुक्त (हथकरघा)
वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

(अध्यक्ष)

सुश्री मुदिता मिश्रा

अतिरिक्त विकास आयुक्त (हस्तशिल्प),
वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

(प्रबंध निदेशक – अतिरिक्त प्रभार)

श्री रवीन्द्रनाथ मोहंती

उप. सचिव, आईएफडब्लू
वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

(निदेशक)

श्री अनिल कुमार सूद

श्रीमती योगिता सिंह

श्री जितेंद्र पुरोहित

श्रीमती अंजलि यादव

(अशासकीय स्वतंत्र निदेशक)

(अशासकीय स्वतंत्र निदेशक)

(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

(कंपनी सचिव)

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसेर्स एम.ए.एन.वी. एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसेर्स नवनीत के. अरोड़ा एंड कंपनी एलएलपी
प्रेक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, नई दिल्ली

शाखा लेखा परीक्षक

मेसेर्स उदय शंकर एंड कंपनी, बंगलुरु
मेसेर्स ओपी हरलालका एंड कंपनी, कोलकाता
मेसेर्स एस.एन. सिंह एंड कंपनी, वाराणसी
मेसेर्स राकेश नीरज एंड कंपनी, पानीपत
मेसेर्स पावलुरी एंड कंपनी, हैदराबाद
मेसेर्स पीएमएम एसोसिएट्स, कोयंबटूर
मेसेर्स खेतान अग्रवाल एंड कंपनी, गुवाहाटी

प्रमुख बैंकर्स

इंडियन बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
एक्सिस बैंक
पंजाब नेशनल बैंक

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
इंडियन ओवरसीज बैंक
एच.डी.एफ.सी. बैंक
केनरा बैंक

पंजीकृत कार्यालय

4वीं मंजिल, वेगमेन्स बिजनेस पार्क, टावर-1,
प्लॉट नंबर-3, सेक्टर नॉलेज पार्क-III,
सूरजपुर-कासना मेन रोड, ग्रेटर नोएडा,
गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201 306

Corporate Information (As on the date of AGM)

| | |
|--|--|
| <p>Shri Sanjay Rastogi Development Commissioner (Handlooms) Ministry of Textiles, Govt. of India</p> | <p>(Chairman)</p> |
| <p>Ms. Mudita Mishra Additional Development Commissioner (Handicrafts), Ministry of Textiles, Govt. of India</p> | <p>(Managing Director- Additional Charge)</p> |
| <p>Shri Rabindranath Mohanty Deputy Secretary, IFW Ministry of Textiles, Govt. of India</p> | <p>(Government Director)</p> |
| <p>Shri Anil Kumar Sood</p> | <p>(Non-Official Independent Director)</p> |
| <p>Smt. Yogita Singh</p> | <p>(Non-Official Independent Director)</p> |
| <p>Shri Jitendra Purohit</p> | <p>(Chief Financial Officer)</p> |
| <p>Smt. Anjali Yadav</p> | <p>(Company Secretary)</p> |
| <p>Statutory Auditors M/s. MANV & Associates Chartered Accountants</p> | |
| <p>Secretarial Auditors M/s. Navneet K Arora & Co. LLP, Practising Company Secretary, New Delhi</p> | |
| <p>Branch Statutory Auditors M/s. Udaya Shankar & Co., Bengaluru M/s. OP Harlalka & Co., Kolkata M/s. S N Singh & Co., Varanasi M/s. Rakesh Neeraj & Co., Panipat M/s. Pavuluri & Co., Hyderabad M/s. PMM Associates, Coimbatore M/s. Khaitan Agarwal & Co., Guwahati</p> | |
| <p>Principal Bankers</p> | |
| <p>Indian Bank Union Bank of India Axis Bank Punjab National Bank</p> | <p>United Bank of India Indian Overseas Bank HDFC Bank Canara Bank</p> |
| <p>Registered Office 4th Floor, Wegmans Business Park, Tower - 1, Plot No. 03, Sector Knowledge Park - III, Surajpur - Kasna Main Road, Greater Noida Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh -201306</p> | |

38^{वीं} वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना (अल्प सूचना) दी जाती है कि राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की 38^{वीं} वार्षिक आम बैठक बृहस्पतिवार, 30 दिसंबर, 2021 को अपराह्न 4.45 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निम्नलिखित कार्य निष्पादित करने के लिए आयोजित की जाएगी:

वर्ष 2020-21 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्टों, सीएण्डएजी की टिप्पणियों, सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और स्वीकार करना।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

ह./—

(अंजलि यादव)

कंपनी सचिव

दिनांक: 30 दिसंबर, 2021

स्थान: ग्रेटर नोएडा

टिप्पणी:-

क) कोविड -19 महामारी के कारण, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के आयोजन की अनुमति दी और बैठक में मौजूद सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति की आवश्यकता से छूट प्रदान की है। इस संबंध में, एमसीए ने परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020, परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, सामान्य परिपत्र संख्या 19/2021 दिनांक 08 दिसंबर, 2021 और फाइल संख्या नीति 17/57/2021-सीएल-एमसीए, दिनांक 14 दिसंबर, 2021 (सामूहिक रूप से "एमसीए सर्कुलर" के रूप में संदर्भित) जारी किए हैं जिसमें वीसी या ओएवीएम के माध्यम किसी एक स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना एजीएम बुलाने की अनुमति दी गई है।

ख) एजीएम के लिए निर्धारित स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। वीसी के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए नीचे दिए गए गूगल मीट लिंक पर क्लिक करके बैठक में शामिल हो सकते हैं। चूंकि एजीएम वीसी मोड के माध्यम से है, इसलिए कोई रूट मैप नहीं दिया गया है।

<https://meet.google.com/tdf-qsdv-zft>

ग) बैठक में शामिल होने की सुविधा एजीएम के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले खोली जाएगी और एजीएम की पूरी कार्यवाही के दौरान खुली रखी जाएगी। सदस्य उपरोक्त गूगल मीट लिंक के माध्यम से एजीएम में भाग लेने में सक्षम होंगे और इसे उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी साझा किया जा रहा है।

घ) सामान्यतया, बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य स्वयं के बजाय मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रोक्सी नियुक्त करने का हकदार होता है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। चूंकि यह एजीएम वीसी मोड के माध्यम से आयोजित की जा रही है, एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में, सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रोक्सी की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रोक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इसके साथ संलग्न नहीं है।

ङ) वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी।

NOTICE For 38th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice (Shorter Notice) is hereby given that the 38th Annual General Meeting of the National Handloom Development Corporation Limited will be held on Thursday, 30th December, 2021, at 04.45 pm through Video Conferencing mode to transact the following ordinary business: -

To Receive, consider and adopt the Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2021 together with the Report of the Directors, C&AG comments, Statutory Auditor's Report and Secretarial Auditor's Report for the year ended 2020-21.

By order of the Board of Directors

Sd/-
(Anjali Yadav)
Company Secretary

Place : Greater Noida

Date : 30th December, 2021

Notes:-

- a) Due to Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) allowed conduction of Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM) and dispensed with the requirement of physical presence of the members at the meeting. In this regard, MCA issued Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, General Circular no 19/2021 dated 08th December, 2021 and File no. Policy 17/57/2021-CL-MCA dated 14th December, 2021 (collectively referred to as "MCA Circulars") permitting convening the AGM through VC or OAVM, without the physical presence of the members at a common venue.
- b) The deemed venue for the AGM shall be the Registered Office of the Company. The participation in the meeting through VC can be done through clicking on the below Google meet link and joining the meeting. Since the AGM is through VC mode, no route map is given.

<https://meet.google.com/tdf-qsdv-zft>
- c) The Facility to join the meeting shall be opened 15 minutes before the scheduled time of the AGM and shall be kept open throughout the proceedings of the AGM. Members will be able to attend the AGM through the aforementioned Google meet link and the same is also being shared on their registered email ids.
- d) Generally, a member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself and the proxy need not be a member of the Company. Since this AGM is being held through VC mode, pursuant to the MCA Circulars, physical attendance of members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the members will not be available for the AGM and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed hereto.
- e) The attendance of the Members attending the AGM through VC mode, will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

- च) वित्तीय वर्ष 2020–21 में घाटे के कारण, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए निदेशक मंडल द्वारा कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।
- छ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसरण में, एक सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा नियुक्त/पुनर्नियुक्त किया जाता है। सदस्यों ने दिनांक 10.04.2002 को आयोजित आम सभा की अपनी बैठक में निदेशक मंडल को भविष्य में सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत किया है।
- ज) एनएचडीसी के (AOA) के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 196 (4), (5) प्रावधान – कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के कुछ प्रावधानों से सरकारी कंपनियों से छूट के तहत निगम के निदेशकों की नियुक्ति भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- झ) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और उनकी शेयरधारिता के रजिस्टर का रखरखाव कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए अनुबंधों एवं व्यवस्थाओं जिसमें निदेशकों की रुचि है, के रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है और सूचना में उल्लिखित अन्य सभी दस्तावेज सभी कार्य दिवसों में, व्यावसायिक कार्य समय के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में और बैठक के स्थान पर कंपनी की एजीएम के समय सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

- f) Due to losses in FY 2020-21, no dividend has been declared by the Board of Directors for FY 2020-21
- g) Pursuant to Section 139(5) of the Companies Act, 2013, the Auditors of a Government Company are appointed by the Comptroller and Auditor General (C&AG) of India. Members in their general body meeting held on 10.04.2002, authorized the Board of Directors to approve the remuneration of Statutory Auditors in future.
- h) As per the AOA of NHDC, provisions of Companies Act, 2013- exemption u/s 196 (4) & (5) and exemption to Government Cos. from certain provisions of schedule IV of the Companies Act, 2013, appointment of the Directors of the Corporation is done by Hon'ble President of India.
- i) The Register of Directors and Key Managerial Personnel (KMP) and their Shareholding maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013, Register of contracts and arrangements in which Directors are interested maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 and all other documents referred to in the Notice, will be available for inspection by the Members at the Registered Office of the Company on all working days during business hours and at the time of AGM of the Company at the venue of the Meeting.

अध्यक्ष का भाषण

प्रिय शेयरधारकों,

निगम की स्थगित 38वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करते हुए और लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के साथ वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लेखापरीक्षक और निदेशक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपकी अनुमति से, मैं उन्हें पढ़ा हुआ मान लेना चाहूंगा। कोविड-19 महामारी के कारण बीते दो साल पूरी दुनिया के लिए मुश्किल भरे रहे हैं। कोविड -19 महामारी ने अर्थव्यवस्था, हमारे समाज और मानव जीवन के सभी पहलुओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

पिछले वर्ष की समीक्षा

निगम ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 572.04 करोड़ रुपए का कारोबार किया। कोविड-19 के बावजूद, इस वर्ष के लिए निवल घाटे (पिछले वर्ष 11.19 करोड़ रुपए) में कमी आई है, जो 9.63 करोड़ रुपये का रहा है। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) के कार्यान्वयन के लिए निगम नोडल एजेंसी है। निगम अपने संसाधनों को संशोधित कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना के अनुरूप व्यवस्थित कर रहा है और अपने घाटे को कम करने की प्रक्रिया में है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 में, निगम ने विशेष रूप से पूर्वोत्तर में दूर-दराज के क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ाई है। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, निगम लगभग 5.10 लाख हथकरघा बुनकरों तक पहुँच बनाने में सक्षम रहा है।

निगम ऋण मुक्त है और इसका कोषागार कार्यचालन में है और संपूर्ण कार्यशील पूंजी को इसके आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाता है और निगम पर ब्याज लागत का कोई बोझ नहीं है।

भावी परिदृश्य

वस्त्र मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत निगम एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है। मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, निगम हथकरघा उत्पादों की बिक्री में अपने व्यवसाय और उद्यम में विविधता लाने पर विचार कर रहा है ताकि बुनकर समुदाय हेतु अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सके। इस संबंध में हम आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं।

निगम से संबंधित शासन प्रणाली (कॉर्पोरेट गवर्नेंस)

निगम का मानना है कि दीर्घावधि में अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं से सभी हितधारकों के लिए धन-संपत्ति का सृजन होता है। निगम द्वारा अनुपालन की जा रही कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं संबंधी एक रिपोर्ट, तथा प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट आपके समक्ष निदेशक की रिपोर्ट के अनुबंध के रूप में प्रस्तुत की गई है।

अभिस्वीकृति

किसी भी उपलब्धि के लिए मानवीय योगदान की आवश्यकता होती है और एनएचडीसी के विकास की कोई अलग कहानी नहीं है। मैं, अपनी ओर से और बोर्ड की ओर से हमारे समर्पित और सक्षम कार्मिकों की कड़ी मेहनत की प्रशंसा करता हूँ, जिनकी निष्ठा और निरंतर प्रयासों से यह सब हासिल हुआ है। मैं बोर्ड के सदस्यों, शेयरधारकों, वस्त्र मंत्रालय, अन्य सरकारी विभागों, सीएजी और लेखा परीक्षकों के निरंतर मार्गदर्शन और सहायता के लिए आभारी हूँ। मैं विभिन्न बैंकरों, उपयोगकर्ता एजेंसियों, कताई मिलों, रंगों और रसायनों के निर्माताओं और व्यावसायिक सहयोगियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमारे निगम में विश्वास व्यक्त किया है।

मैं भविष्य में निगम के विकास के लिए आपके निरंतर सहयोग की आशा करता हूँ।

हस्ता./-
(संजय रस्तोगी)
अध्यक्ष
डीआईएन: 07722405

CHAIRMAN'S SPEECH

Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure to welcome you to the 38th Annual General Meeting of your Corporation and to present the Auditor's & Director's Report for the Financial year 2020-21 along with the Audited Annual Accounts. With your kind permission, I would like to take them as read. The past two years has been difficult for the entire world because of the Covid-19 pandemic. Covid-19 pandemic has adversely impacted the economy, our society and human life in all aspects.

Past year Review

Your Corporation achieved a turnover of Rs. 572.04 Crore during FY 2020-21. Despite the Covid 19, the net loss for the year has reduced to Rs. 9.63 Crore (previous year 11.19 crore). Corporation is the nodal agency for implementation of the Raw Material Supply Scheme (RMSS) of the of the Ministry of Textiles, Govt of India. The Corporation is channelizing its resources to align with the Revised Material Supply Scheme (RMSS) and is in the process of reducing its losses.

Further, in the FY 2020-21, the Corporation has enhanced its reach to the far-flung areas especially in North-east. As on 31st March, 2021, the Corporation has been able to reach out to approx. 5.10 Lacs handloom weavers.

Your corporation is debt free and the treasury functions and the entire working capital is met out from its internal resources and there is no burden of interest cost on the Corporation.

Future Scenario

The Corporation is a wholly owned Government Company under the ambit of Ministry of Textiles. As per the directions of the Ministry, the Corporation is looking to diversify its business and venture in sale of handloom products so as to ensure maximum benefits to the weaving community. We look forward to your co-operation in this regard.

Corporate Governance

Your Corporation believes that good Corporate Governance practices in the long term leads to creation of Wealth to all the stakeholders. A report on Corporate Governance Practices, being followed by the Corporation and Management Discussion and Analysis Report are placed before you as Annexure to the Director's Report.

Acknowledgement

Any accomplishment requires human contribution and the growth of NHDC has no different story. I, on my behalf and on behalf of the Board of Director place on record appreciation for hard work of our committed and competent employees, whose sincere and continuous efforts have yielded results. I am grateful to the members of the Board, shareholders, Ministry of Textiles, other government departments, C&AG and the Auditors for their continuous guidance and support. I also express sincere gratitude to various bankers, user agencies, spinning mills, manufacturers of dyes & chemicals and business associates, who have reposed confidence in your corporation.

I look forward to your continued support for corporation's growth in the future.

Sd/-
(Sanjay Rastogi)
Chairman
DIN: 07722405

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य,

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लेखा परीक्षित लेखाओं के साथ निगम के कामकाज संबंधी 38वीं (अड़तीसवीं) वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है।

1. वित्तीय परिणाम:

(करोड़ रुपए में)

| | 2020-21 | 2019-20 |
|---|--------------|--------------|
| बिक्री कारोबार | 572.04 | 748.67 |
| कर-पश्चात लाभ | (-) 9.63 | (-)11.19 |
| विनियोजन: | | |
| • प्रस्तावित लाभांश* | - | - |
| • लाभांश पर कॉर्पोरेट कर | - | - |
| • विकासात्मक गतिविधियों के लिए आरक्षित | - | - |
| • सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा निधि संग्रह (कॉर्पस) में अंतरण | - | - |
| • कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुपयोगी परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास | - | - |
| निःशुल्क आरक्षित और अधिशेष* | 58.78 | 68.41 |
| कुल आरक्षित | 59.59 | 69.42 |

*वित्तीय वर्ष 2020-21 में घाटे के कारण, कंपनी के निदेशक मंडल ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए किसी भी राशि को आरक्षित (रिजर्व) में अंतरण नहीं करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, निदेशक मंडल द्वारा किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं की गई है।

1. कंपनी का कार्यनिष्पादन और भावी परिदृश्य:

समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय निष्पादन और प्रचालन संबंधी एक विस्तृत विश्लेषण एवं अंतर्दृष्टि और भावी परिदृश्य प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में दिया गया है, जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

2. निगम के कार्यनिष्पादन की समीक्षा तथा कार्य स्थिति:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निगम का कारोबार वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 748.67 करोड़ रुपए की तुलना में 572.04 करोड़ रुपए रहा और यह कोविड-19 महामारी द्वारा प्रभावित हुआ है। असाधारण मंदों तथा कर-पूर्व घाटा कम हुआ है जो वित्त वर्ष 2019-20 में 11.13 करोड़ रुपये से घटकर वित्तीय वर्ष 2020-21 में 9.81 करोड़ रुपए रहा है और कर-पश्चात निवल घाटा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 11.19 करोड़ रुपए से घटकर वित्तीय वर्ष 2020-21 में 9.63 करोड़ रुपए रहा है। निगम की निवल संपत्ति 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार 88.42 करोड़ रुपए से घटकर 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार 78.59 करोड़ रुपए रही है।

निगम ऋण मुक्त है और अपने आंतरिक संसाधनों से अपनी संपूर्ण कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का प्रबंधन करने में सक्षम है।

DIRECTORS' REPORT

To,
The Members,

Your Directors have pleasure in presenting the 38th (Thirty Eighth) Annual Report on the working of the Corporation together with the audited accounts for the financial year 2020-21.

1. FINANCIAL RESULTS:

(Rs. in Crore)

| | 2020-21 | 2019-20 |
|---|----------|----------|
| Sales Turnover | 572.04 | 748.67 |
| Profit after tax | (-) 9.63 | (-)11.19 |
| Appropriations: | | |
| · Proposed dividend* | – | – |
| · Corporate tax on dividend | – | – |
| · Reserve for Developmental Activities | – | – |
| · Transfer to Post-Retirement Medical Corpus | – | – |
| · Depreciation on asset not having remaining useful life as per provisions of Companies Act, 2013 | – | – |
| Free reserve & surplus* | 58.78 | 68.41 |
| Total reserve | 59.59 | 69.42 |

**Due to losses in FY 2020-21, the Board of Directors of your company, have decided not to transfer any amount to the Reserves for the year under review. Further, no dividend has been recommended by the Board of Directors.*

1. COMPANY PERFORMANCE AND FUTURE OUTLOOK:

A detailed analysis and insight into the financial performance and operations of your Company for the year under review and future outlook, is appearing in Management Discussion and Analysis, which forms part of the Annual Report.

2. PERFORMANCE REVIEW AND STATE OF AFFAIRS OF THE CORPORATION:

The turnover of the corporation during the FY 2020-21 is Rs. 572.04 crore as compared to Rs. 748.67 crore during FY 2019-20 and has been affected by the Covid 19 pandemic. Despite the above, the loss before extraordinary items and tax has decreased from Rs. 11.13 crore in the FY 2019-20 to loss of Rs. 9.81 crore in the FY 2020-21 and net loss after tax has decreased from Rs. 11.19 crore in the FY 2019-20 to a loss of Rs. 9.63 crore in the FY 2020-21. The net worth of the corporation has decreased from Rs. 88.42 crore as on 31st March, 2020 to Rs. 78.59 crore as on 31st March, 2021.

The corporation is a debt free and is able to manage its entire working capital requirement from its internal resources.

भारत सरकार, हमारे निगम के माध्यम से 'कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना'(आरएमएसएस) का कार्यान्वयन कर रही है, जिससे उचित मूल्य पर सूत की निर्बाध और आसान उपलब्धता की सुविधा उपलब्ध हो सके ताकि बुनकर समुदाय की आर्थिक व्यवहार्यता को बनाए रखा जा सके। कॉटन हैंक यार्न, हैंडलूम क्षेत्र में प्रमुख रूप से खपत होने वाली किस्म है। सूत की अन्य किस्मों का उपयोग हथकरघा बुनकरों द्वारा बाजार की प्रतिक्रिया के माध्यम से प्राप्त मांग और वरीयताओं के आधार पर भी किया गया है।

आसान और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, हथकरघा एजेंसियों के माध्यम से डिपो भी स्थापित किए गए हैं। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, परिचालन डिपो की संख्या 511 है। (31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार 630)।

हथकरघा क्षेत्र की लागत की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 से आरएमएसएस के तहत हथकरघा क्षेत्र में संवितरित किए जाने वाले कॉटन हैंक, घरेलू रेशम, ऊनी, लिनन तथा प्राकृतिक फाइबरों के मिश्रित यार्न पर 15% मूल्य सब्सिडी की अनुमति दी है। यह सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रतिपूर्ति आधार पर उपलब्ध होगी। निगम, योजना के 15% मूल्य सब्सिडी घटक के तहत हथकरघा बुनकरों को सूत की आपूर्ति कर रहा है।

वर्ष 2020-21 के दौरान सूत की आपूर्ति 52668.01 लाख रुपए मूल्य के साथ 218.09 लाख किलोग्राम थी। जिसमें 70653.27 लाख रुपए मूल्य के साथ 407.93 किलोग्राम आपूर्ति की तुलना में यार्न आपूर्ति योजना के तहत 52143.15 लाख रुपए मूल्य के साथ 215.10 लाख किलोग्राम यार्न शामिल है। इसमें पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 70061.02 लाख रुपए मूल्य के साथ 406.17 लाख किलोग्राम यार्न शामिल है। वर्ष 2020-21 के दौरान यार्न आपूर्ति योजना के 10% मूल्य सब्सिडी घटक के तहत यार्न की आपूर्ति (उपर्युक्त उल्लिखित यार्न की आपूर्ति में शामिल) पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 36566.69 लाख रुपए मूल्य के साथ 93.26 लाख किलोग्राम की तुलना में 30944.56 लाख रुपए मूल्य के साथ 78.56 लाख किलोग्राम थी।

निगम, हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए गुणवत्ता वाले रंगों की व्यवस्था कर रहा है और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान यह आपूर्ति 4535.62 लाख रुपए मूल्य के साथ 35.16 लाख किलोग्राम थी। इसकी तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान यह 4213.47 लाख रुपए मूल्य के साथ 33.07 लाख किलोग्राम थी।

निगम, प्रतिस्पर्धी/निम्नतम दरों पर हथकरघा बुनकरों को सूत मुहैया कराने के उद्देश्य से थोक (बल्क) मात्रा में छूट प्राप्त करने के लिए थोक मात्रा में खरीद हेतु आपूर्तिकर्ताओं के साथ सूत दरों पर मोल-भाव कर रहा है। बुनकर एजेंसियों की सुविधा के लिए दरों को मासिक आधार पर निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है, जिससे बेहतर पारदर्शिता आती है।

इसके अलावा, निगम हैंडलूम स्टोर्स सहित अपने कारोबार में विविधता लाने के लिए अन्य लोगों के बीच भी कारोबार की कोशिश कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2020 की अंतिम तिमाही में नए कोरोना वायरस के प्रकोप ने बिक्री के साथ-साथ कारोबार के विविधीकरण को प्रभावित किया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार देनदारों से बकाया के % के रूप में (31 मार्च, 2020 तक बकाया में से) देनदारों से 99.6% (पिछले वर्ष - 10.72%) वसूल किया गया।

लखनऊ मामले की नवीनतम स्थिति

वित्तीय वर्ष 2018-19 में यह रिपोर्ट दी गई है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में वाईएसएस से संबंधित 190.82 करोड़ रुपए की खरीद/बिक्री चालान की राशि लखनऊ कार्यालय में रद्द कर दी गई थी और निगम ने इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)/मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) को भेज दिया था। इस संबंध में, सीबीआई ने एक विज्ञप्ति जारी की, जिसमें लिखा था, 'प्रथम दृष्टया, यह प्रतीत होता है कि आपूर्तिकर्ता मिलों द्वारा रद्द की गई बिक्री पर जीएसटी के भुगतान को छोड़कर, प्रश्नांकित बिक्री को रद्द करने के कारण एनएचडीसी को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है। उपरोक्त के मद्देनजर, संबंधित अधिकारियों की दोषीता का पता लगाने के लिए मामले में पूरी तरह से सतर्कता जांच करने की सलाह दी जाती है, साथ ही यदि सरकारी खजाने को किसी गैर-कानूनी नुकसान की मात्रा का पता लगाने के लिए आवश्यक हो, तो फॉरेंसिक ऑडिट कराने और तदनुसार, मामले का निपटान करने की सलाह दी जाती है।' तथापि, अधिकारियों की दोषीता का पता लगने और घाटा साबित होने पर एनएचडीसी मामले को वापिस सीबीआई को भेज सकता है।

The Government of India is implementing the 'Raw Material Supply Scheme (RMSS) w.e.f. 25th October, 2021, through our Corporation, facilitating the uninterrupted and easy availability of yarn at reasonable prices so as to maintain the economic viability of the weaving community. Cotton hank yarn is the major consumed variety in the handloom sector. Other varieties of yarn have also been provided based on the demand and preferences received through market feedback by the handloom weavers.

Depots are also set up through handloom agencies for ensuring easy and uninterrupted supplies. Uptill 31st March, 2021, the number of operational depots is 511 nos. (630 nos. as on 31st March, 2020).

To mitigate the cost disadvantage of Handloom sector, the Government of India has allowed 15% price subsidy on Cotton hank, domestic silk, woolen, linen, blended yarn of natural fibres to be distributed in the handloom sector under RMSS w.e.f. 25th Oct, 2021. The subsidy shall be available on reimbursement basis through Direct Benefit Transfer (DBT) mode. Corporation is supplying the yarn to the handloom weavers under the 15% Price Subsidy component of the scheme.

The yarn supplies during the year 2020-21 were 218.09 Lakh kg. valuing Rs. 52668.01 Lakh which include 215.10 Lakh kg. valuing Rs. 52143.15 Lakh under Yarn Supply Scheme (YSS) as compared to supplies of 407.93 Lakh kg. valuing Rs. 70653.27 Lakh which include 406.17 Lakh kg. valuing Rs. 70061.02 Lakh during the last financial year 2019-20. The yarn supplies under the 10% Price Subsidy Component of Yarn Supply Scheme (included in the yarn supplies mentioned above) during the year 2020-21 were 78.56 Lakh kg. valuing Rs. 30944.56 Lakh as compared to 93.26 Lakh kg. valuing Rs. 36566.69 Lakh during the last financial year 2019-20.

Corporation is arranging quality dyes for the benefit of handloom weavers and the supplies during the financial year 2020-21 were 35.16 Lakh kg. valuing Rs.4535.62 Lakh as compared to supplies of 33.07 Lakh kg. valuing Rs.4213.47 Lakh during the last financial year 2019-20.

Corporation is negotiating the yarn rates with the suppliers for purchase of bulk quantities to obtain bulk quantity discounts with a view to provide the yarn to Handloom weavers at competitive/ lowest rates. Rates are placed on corporation's website as well, on monthly basis for access by the weaver agencies, resulting in better transparency.

Further, the Corporation is also looking to diversify its business including Handloom stores among others. The coronavirus outbreak has affected the sales as well as diversification of business.

The debtors recovered (out of outstanding as on 31st March, 2020) during the FY 2020-21 as % age of debtors outstanding as on 31st March, 2020 is 9.96% (Previous year – 10.72% %).

Update on Lucknow matter

It had been reported in FY 2018-19, that purchase/sales invoices amounting to Rs.190.82 Crore pertaining to YSS were cancelled in Lucknow Office in FY 2018-19 and the Corporation had referred the matter to Central Bureau of Investigation (CBI) / Chief Vigilance Commission (CVC). In this regard, CBI issued a communication as per which, '*prima facie, it appears that there is no financial loss to NHDC incurred on account of cancellation of the questioned sale, except the payment of GST on the cancelled sale done by the supplier mills. In view of the above, it is advised to conduct a thorough vigilance probe in the matter to ascertain the culpability of the concerned officials as well as to conduct the forensic audit, if required in order to ascertain the quantum of unlawful loss caused, if any to the Government Exchequer and dispose of the matter accordingly. However, NHDC may revert back to CBI once culpability of officials is ascertained and the loss is established.*'

सीबीआई विज्ञप्ति के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फोरेंसिक ऑडिट और सतर्कता जांच की गई थी। मामले पर फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट क्रमशः फोरेंसिक ऑडिटर और सीवीओ टीम द्वारा निदेशक मंडल के समक्ष 05.10.2021 को प्रस्तुत की गई थी। निदेशक मंडल के निर्देशानुसार तथा उपर्युक्त सीबीआई के पत्र के अनुसार इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए सीबीआई को फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट प्रदान की गई है।

विकासात्मक कार्यकलाप और विपणन सहायता:

निगम ने विशेष प्रदर्शनियों के आयोजन के माध्यम से हथकरघा बुनकरों को विपणन सहायता प्रदान की है, जिसमें वे अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेहतर कीमत पर बेच सकते हैं। इस संबंध में वर्ष के दौरान देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जम्मू, लखनऊ, पटना, रायपुर, सूरत में 08 'सिल्कफैब' प्रदर्शनी आयोजित की गई और अहमदाबाद में 01 'राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो' आयोजित किया गया। वर्ष के दौरान प्रदर्शनियों में कुल बिक्री 12.85 करोड़ रुपए रही थी।

3. कम्प्यूटरीकरण:

डिजिटल इंडिया अभियान समावेश के तहत, निगम ने विभिन्न डिजिटल पहल शुरू की है जैसे कि ऑनलाइन ईआरपी, ई-धागा मोबाइल ऐप, सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बुनकरों के लिए ऑनलाइन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण आदि का कार्यान्वयन। डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग के जरिए, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल (आभासी) बैठकें, आभासी प्रदर्शनियां और मोबाइल एप्लिकेशन शामिल हैं, बुनकर समुदाय को एनएचडीसी तक आसान पहुंच उपलब्ध हो गई है। डिजिटलीकरण का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं द्वारा अपेक्षित किसी भी सेवा/सूचना के लिए समय को कम करना है।

इसके अलावा, एनएचडीसी उन्नत ऑनलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से और संपूर्ण एनएचडीसी कार्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाकर आईटी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है।

4. नैगमिक अभिशासन

निगम, अपने संचालन के सभी पहलुओं में नैतिक व्यावसायिक आचरण, पारदर्शिता, जवाबदेही और इक्विटी में दृढ़ता से विश्वास करता है और उसे सबसे अधिक महत्व देता है, जिससे इसके हितधारकों के लिए धन सृजन में वृद्धि होती है। निगम द्वारा पालन की जा रही 'निगम शासन प्रणाली' ('कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेज') संबंधी रिपोर्ट और 'प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट' ('मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट') क्रमशः **अनुबंध क और ख** के रूप में संलग्न हैं।

वर्ष 2019-20 के लिए लोक उद्यम सर्वेक्षण के आंकड़े 17 दिसंबर, 2020 (अंतिम आंकड़े) को सार्वजनिक उद्यम विभाग को प्रस्तुत किए गए थे और वर्ष 2019-20 के लिए निगम के वार्षिक लेखों को दिनांक 24 जून, 2020 को निगम की वेबसाइट पर रखा गया था। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 के दौरान सभी तिमाहियों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट लोक उद्यम विभाग को प्रस्तुत की गई है।

वर्ष 2020-21 के लिए लोक उद्यम विभाग को प्रस्तुत की गई कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में वार्षिक स्कोर (त्रैमासिक रिपोर्टों के औसत के आधार पर) 94.62% यानी 'उत्कृष्ट' रहा है।

5. व्यक्तिगत विकास और औद्योगिक संबंध:

एनएचडीसी, मानव संसाधन के विकास पर बहुत जोर दे रहा है और इस संदर्भ में, यह इन-हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम के आयोजन के माध्यम से कौशल के उन्नयन के लिए सहायता प्रदान कर रहा है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, निगम ने सभी नियमित कार्मिकों, जिन्होंने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है, के लिए 31.12.2019 - 29.01.2020 की अवधि के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) खोली। अगस्त, 2020 में कुल 21 कार्मिकों को वीआरएस दी गई थी।

As per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the CVO. The Forensic Audit Report and the Vigilance Probe report on the matter were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors on 05.10.2021. As per the directions of the Board of Directors and the above mentioned CBI letter, the Forensic Audit Report and the Vigilance Probe Report has been provided to CBI for further necessary action in this regard.

DEVELOPMENTAL ACTIVITIES AND MARKETING SUPPORT:

Corporation has provided marketing support to the handloom weavers through organization of exclusive exhibitions, wherein, they can sell their products directly to the consumers at better price. In this regard 08 nos. 'SILKFAB' exhibitions were organized at Dehradun, Guwahati, Hyderabad, Jammu, Lucknow, Patna, Raipur, Surat and 01 no. 'National Handloom Expo at Ahmedabad were organized during the year. The total sale in the Exhibitions during the year was Rs. 12.85 Crore.

3. COMPUTERISATION:

Under the umbrella of Digital India Campaign, the Corporation has taken various digital initiatives viz. implementation of online ERP, eDhaga Mobile App, Online Direct Benefit Transfer for weavers as per Government guidelines. Using digital technologies, which includes Cloud computing, Virtual meetings, Virtual exhibitions and Mobile applications, NHDC is easily reachable to weaver community. The objective of digitization is to minimize time for reaching of any services/information required by users.

Further, NHDC is continuously working to improve IT services through improved online infrastructure and by increasing internet connectivity throughout NHDC offices

4. CORPORATE GOVERNANCE:

Your corporation firmly believes and accords highest importance to ethical business conduct, transparency, accountability and equity in all facets of its operations, which leads to creation of wealth for its stakeholders. Report on 'Corporate Governance Practices' being followed by the corporation and 'Management Discussion and Analysis Report' are annexed herewith as **Annexure A & B** respectively.

The Public Enterprises Survey data for the year 2019-20 was submitted to the department of Public Enterprises on 17th December, 2020 (provisional figures) and the annual report of the Corporation for the year 2019-20 are placed on the website of the Corporation. Further, the quarterly progress reports on Corporate Governance for all the quarters during the year 2020-21 have been submitted to Department of Public Enterprises.

The annual score (Based on the average of quarterly reports) in the annual evaluation report on Corporate Governance submitted to the Department of Public Enterprises for the year 2020-21 comes to 94.62 % i.e. **'Excellent'**.

5. PERSONNEL DEVELOPMENT & INDUSTRIAL RELATIONS:

NHDC has been laying a lot of emphasis on development of Human Resource and in this context, it has been extending support for up-gradation of the skill through Training Programmes.

During the Year 2019-20, Corporation opened Voluntary Retirement Scheme (VRS) for the period 31.12.2019 – 29.01.2020 for all regular employees who have completed 10 Years' service. Total 21 employees were granted VRS in August, 2020.

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, निगम के कार्मिकों की कुल संख्या 130 (पिछले वर्ष 167) है, जिसमें 15 (11.5%) अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के कार्मिक, 07 (5.3%) अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित कार्मिक, 23 (17.6%) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी से संबंधित और 03 (2.30%) दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी से संबंधित कार्मिक शामिल हैं।

प्रति कार्मिक कारोबार 4.40 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 4.49 करोड़ रुपए) है और प्रति कार्मिक कर-पश्चात लाभ (पीएटी) 7.41 लाख रुपए (पिछले वर्ष – 6.70 लाख रुपए) है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण रहे हैं।

6. हिंदी का प्रायोगिक उपयोग:

निगम अपने दिन-प्रतिदिन के कामकाज में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिकों के बीच हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नियमित हिंदी कार्यशालाओं के साथ-साथ हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया।

7. निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

निदेशक

निदेशक मंडल की बेहतर संरचना की गई है। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल में 4 सदस्य शामिल हैं, जिनमें से दो भारत सरकार के नामिती (अध्यक्ष सहित), 01 एक प्रबंध निदेशक (अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का अतिरिक्त प्रभार) और एक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक है। इसके अलावा, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने, दिनांक 9 नवंबर, 2021 के जीओ संख्या 11/26/82-डीसीएच/एनएचडीसी/(खंड प्ट) के तहत, श्रीमती योगिता सिंह को, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में, तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया था। बोर्ड के निदेशकों को संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 94 के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित के लिए अनुमोदन दिया गया:

- सुश्री मुदिता मिश्रा (अपर विकास आयुक्त- हस्तशिल्प) ने विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय के दिनांक 6 मार्च, 2020 के आदेश सं.40/4(3)/2018-डीसीएच/एनएचडीसी के अनुसरण में दिनांक 9, मार्च, 2020 को निगम के एमडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। सुश्री मुदिता मिश्रा ने श्री संजीव दुआ के निलंबन के बाद निगम के एमडी का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया।
- श्री संजीव दुआ को विकास आयुक्त (हथकरघा) के दिनांक 3 मार्च, 2020 के आदेश सं. 40/4(3)/2018-डीसीएच/एनएचडीसी के द्वारा निलंबित किया गया था। इसके अलावा, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के आदेश सं. 40/08/2019-20/डीसीएच/एनएचडीसी के द्वारा श्री संजीव दुआ के कार्यकाल को समय से पूर्व अर्थात् 6 अगस्त, 2020 को समाप्त कर दिया गया था।

निगम के गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक ने पुष्टि की कि वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा बनाए गए स्वतंत्र निदेशकों के डेटा बैंक में उनके पंजीकरण के संबंध में कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियमावली, 2014 के नियम (6) और 6 (2) के अनुपालन की घोषणा के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। स्वतंत्र निदेशक ने यह भी पुष्टि की कि वे कंपनी की 'आचार संहिता' का पालन करते हैं।

चालू वित्त वर्ष में केएमपी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा, श्री कृष्ण चंद्र शाकद्वीप, महाप्रबंधक ने दिनांक 24.09.2021 को निगम में कार्य ग्रहण किया।

Total number of employees of the Corporation as on 31st March, 2021 stands at 130 (Previous year 167) which include 15 (11.5%) employees belonging to Scheduled Castes (SC) category, 07 (5.3%) employees belonging to Scheduled Tribes (ST) category, 23 (17.6%) employees belonging to Other Backward Classes (OBC) category and 03 (2.30%) employees belonging to Persons with Disabilities (PWD) category.

The turnover per employees is Rs.4.40 Crore (Previous year 4.49 crore) and the Profit after Tax (PAT) per employee is Rs. – 7.41 Lakhs (previous year -6.70 Lakhs).

The Industrial relations have been observed cordial and peaceful during the year under review.

6. PROGRESSIVE USE OF HINDI:

Corporation is committed to the progressive use of Hindi in its day to day working. Hindi Diwas & Hindi Pakhwada along with regular Hindi Karyashala was organized to promote the use of Hindi amongst the employees.

7. DIRECTORS & KEY MANAGERIAL PERSONNEL:

Directors

The Board of Directors of the corporation is well structured. As on March, 31, 2021 the Board of Directors consisted of 4 members, of whom, two are the nominee of the government of India (including Chairman), one is the Managing Director [Additional Charge given to ADC (Handicrafts)] and 01 is Non-Official Independent Director. Further, vide order no. 11/26/82/-DCH/NHDC/Vo. IV dated 9th November, 2021 (Order) the Hon'ble President of India has appointed Smt. Yogita Singh as the Non-Official Independent Director of the Corporation with effect from the date of issue of the order for a period three year or till further orders, whichever is earlier. The Directors on the Board are appointed by the Government of India in terms of Article 94 of the Articles of Association of the Corporation.

During the year under review, Government of India, Ministry of Textiles accorded its approval to the following:

- Ms. Mudita Mishra (ADC-handicrafts) assumed the Additional Charge of MD of the Corporation w.e.f. 9th, March, 2020 in pursuance to Office of DC(Handlooms) Order no. 40/4(3)/2018-DCH/NHDC dated 6th March, 2020. Ms. Mudita Mishra assumed the additional charge of MD of the Corporation after the suspension of Shri Sanjeev Dua.
- Shri Sanjeev Dua was suspended vide DC(Handlooms) order no. 40/4(3)/2018-DCH/NHDC dated 3rd March, 2020. Further vide Office of DC(Handlooms) order no 40/08/2019-20/DCH/NHDC tenure of Shri Sanjeev Dua from the post of MD -NHDC was pre-maturely terminated on 6th August, 2020.

The Non-Official Independent Director of the Corporation confirmed that he meets the criteria of independence as prescribed under the Companies Act, 2013 along with declaration of compliance of Rules 6(1) and 6(2) of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 with respect to his registration on the data bank of Independent Directors maintained by Indian Institute of Corporate Affairs. The Independent Director has also confirmed that he has complied with the 'Code of Conduct' of the Company.

There is no change in the KMP position in the current financial year. Further, Shri Krishna Chandra Shakdwipee, General Manager has joined the Corporation on 24.09.2021.

उपरोक्त निदेशकों की अन्य कंपनियों में उनकी कंपनी में हिस्सेदारी के साथ धारित निदेशक पद का ब्यौरा संक्षिप्त विवरण, विशेषज्ञता की प्रकृति, जैसा कि सचिवीय मानक -2 के तहत निर्धारित किया गया है, वार्षिक रिपोर्ट के कॉर्पोरेट प्रशासन खंड की रिपोर्ट में दिया गया है।

निगम के बोर्ड ने वर्ष 2020-21 (05 जून, 2020, 19 नवंबर, 2020, 24 फरवरी, 2021 और 31 मार्च, 2021) के दौरान 04 बार बैठक की और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित सभी जानकारी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की।

8. लेखा परीक्षा समिति:

कंपनी अधिनियम 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार निगम के बोर्ड की एक कार्यात्मक लेखा परीक्षा समिति है। समिति की संरचना, संदर्भ शर्तें, वर्ष के दौरान बैठकों के विवरण वार्षिक रिपोर्ट के कॉर्पोरेट प्रशासन खंड की रिपोर्ट में उपलब्ध कराए जाते हैं।

9. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी उपयोगिता:

निगम के पास आंतरिक नियंत्रण की एक व्यवस्था है, जो लगातार विकसित हो रही है। आंतरिक नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, व्यापक आंतरिक लेखा परीक्षा मैनुअल के अलावा, समय-समय पर आवश्यकता के आधार पर आंतरिक लेखा परीक्षकों को नए चेक पॉइंट की भी सलाह दी जाती है। बोर्ड की मंजूरी के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, निगम की आंतरिक लेखा परीक्षा बाहरी स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा की गई थी। आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा व्यवस्था की लेखा परीक्षा समिति द्वारा सावधिक समीक्षा की जाती है और निरंतर सुधार के लिए, जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

10. सतर्कता:

उक्त अवधि में एनएचडीसी के सतर्कता विभाग का संचालन डा. एस एच खान, मुख्य सतर्कता अधिकारी (अतिरिक्त प्रभार) द्वारा किया गया है। विभाग, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन करता है। निगम निवारक सतर्कता को अपना रहा है।

अपने दैनिक कार्यों में सुरक्षित व्यवसाय प्रथाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए हर साल सतर्कता सप्ताह मनाया जाता है। वर्ष के दौरान, 27 अक्टूबर, 2020 से 2 नवंबर, 2020 तक "सतर्क भारत, समृद्ध भारत" विषय के साथ 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाया गया था। निगम के सतर्कता अधिकारी के संचालन में कार्मिकों द्वारा शपथ के साथ सप्ताह की शुरुआत की गई थी। सप्ताह के दौरान, सतर्कता से संबंधित विषयों पर निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न कार्मिकों ने भाग लिया। पंजीकृत कार्यालय और साथ ही निगम के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सतर्कता सप्ताह मनाया गया।

उक्त अवधि के दौरान, जैसा कि सीवीसी द्वारा वांछित था, लोकपाल संदर्भ संख्या सी-12016/73/2020-लोकपाल/जांच/1517 दिनांक 02/12/2020 विषय के संबंध में जांच रिपोर्ट पत्र संख्या एनएचडीसी/सतर्कता/23/2020-21/1090 दिनांक 11.01.2021 के माध्यम से सीवीसी को प्रस्तुत की गई थी।

11. सांविधिक लेखा परीक्षक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के उत्तर:

सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को वार्षिक प्रतिवेदन में रखा गया है। सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट की टिप्पणियों का उत्तर इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक 'ग' के रूप में रखा गया है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया है।

Brief resume, nature of expertise, details of directorship held in other companies of the above Directors along with their shareholding in the Company as stipulated under Secretarial Standard-2 is provided in the Report on Corporate Governance section of the Annual Report.

The Board of the corporation met 04 times during the year 2020-21 (5th June, 2020, 19th Nov, 2020, 24th Feb, 2021 and 31st Mar, 2021) and all the information required in accordance with DPE guidelines was placed before the Board.

8. AUDIT COMMITTEE:

The Corporation has a functional Audit Committee of the Board in accordance with the provisions of the Companies Act 2013 and DPE guidelines. Details regarding the composition of the Committee, terms of reference, meetings during the year are provided in the Report of Corporate Governance section of the Annual Report.

9. INTERNAL CONTROL SYSTEM AND THEIR ADEQUACY:

The corporation has a system of internal control, which is continuously evolving. In order to make the internal control more effective, besides comprehensive Internal Audit Manual, the new check points are also advised to the internal auditors from time to time on need basis. As per the approval of the Board, for FY 2020-21, the Internal Audit of the corporation was conducted by outside independent Chartered Accountants. The internal control and audit systems are being reviewed periodically by the Audit Committee and corrective measures are taken, wherever necessary, for continuous improvement.

10. VIGILANCE:

The Vigilance Department of the NHDC is headed by Dr. S. H. Khan, Chief Vigilance Officer (Additional Charge) in the said period. The Vigilance Department follows the guidelines issued by the Central Vigilance Commission from time to time. Corporation is adopting preventive vigilance.

Vigilance week is observed every year to educate the employees about safe business practices in their day to day working. During the year, 'Vigilance Awareness Week' with the theme "सतर्क भारत, समृद्ध भारत- Satark Bharat, Samridh Bharat (vigilant India, prosperous India)" was observed from 27th October, 2020 to 2nd November, 2020. The week was started with taking the pledge (vigilance) by the employees, administered by the Vigilance Officer of the Corporation. During the week, essay writing competition on topics relating to the vigilance were conducted, wherein, various employees participated. Vigilance week was observed at Registered Office as well as at all Regional Offices of the Corporation.

During the said period, as desired by CVC the investigation report on subject LOKPAL Reference No.C-12016/73/2020- Lokpal /Inq/1517 dated 02/12/2020 was submitted to CVC vide Letter No.NHDC/Vig/23/2020-21/1090 dated 11.01.2021.

11. REPLY TO STATUTORY AUDITOR'S & C&AG'S COMMENTS:

The report of the Statutory Auditor's is placed in the Annual Report. The reply to the comments of the Statutory Auditor Report is placed as **Annexure C** to this Report. Further, for FY 2020-21, the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) have decided not to conduct the Supplementary Audit of the Financial Statements of National Handloom Development Corporation for the year ended 31st March, 2021 under section 143 (6) of the Companies Act, 2013.

12. सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों के जवाब:

कंपनी, अधिनियम, 2013 की धारा 201(1) के तहत सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की टिप्पणियों के जवाब को इस रिपोर्ट के अनुबंध घ के रूप में रखा जाएगा।

13. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश:

निगम, कोई विनिर्माण गतिविधि नहीं कर रहा है। तदनुसार, प्रौद्योगिकी समावेश से संबंधित मामला निगम पर लागू नहीं होता है।

14. विदेशी मुद्रा आय और खर्च:

निगम, विदेशी मुद्रा में कार्य नहीं करता है, क्योंकि यह कोई भी आयात/निर्यात गतिविधि पर नहीं चल रहा है।

15. जोखिम प्रबंधन नीति:

निगम, विदेशी मुद्रा में कार्य नहीं करता है। इसके अलावा, अधिशेष निधियां, यदि कोई हो, तो उसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में अल्पावधि जमा में निवेश किया जाता है। इस प्रकार, कोई वित्तीय जोखिम नहीं है।

16. महिलाओं को कार्यस्थल के यौन उत्पीड़न के अंतर्गत सूचना (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013:

पिछले वित्तीय वर्ष में कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न का कोई मामला सामने नहीं आया था। कंपनी की एक आंतरिक शिकायत समिति है, जहां महिला कर्मचारी यौन उत्पीड़न के खिलाफ अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं।

17. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

कंपनी सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसरण में जारी सरकारी निर्देशों का पालन करती है और इस अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी को नामित किया गया है। सभी संबंधित जानकारी को कंपनी की वेबसाइट पर भी डाला जाता है।

18. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में, कंपनी हथकरघा बुनकरों के समुदाय पर प्रमुख ध्यान देने के साथ समुदाय के कल्याण और सतत विकास के लिए सामाजिक रूप से उपयोगी कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के संदर्भ में निदेशकों की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति की व्यवस्था की है। सीएसआर समिति की संरचना और संदर्भ शर्तें कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी रिपोर्ट में प्रदान की जाती हैं, जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा होती हैं। निदेशक मंडल ने नोट किया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, निगम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (1) के मानदंडों के अंतर्गत नहीं आता है, जो कंपनियों के लिए एक विशेष वित्तीय वर्ष में सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए थ्रेसहोल्ड सीमा को अनिवार्य करता है। निगम को वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी हानि हुई है।

19. धारा 92(3) और धारा 134(3)(ए) के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिटर्न निगम की वेबसाइट यानी www.nhdc-org.in पर उपलब्ध कराया जाएगा।

12. REPLY TO SECRETARIAL AUDITOR'S COMMENTS:

The report of the Secretarial Auditor's u/s 201(1) of the Companies Act, 2013 is placed in the Annual Report. The reply to the comments of the Secretarial Auditor's report is placed as **Annexure D** to this Report.

13. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION:

Corporation is not carrying on any manufacturing activity. Accordingly, the issue pertaining to Technology absorption does not apply to corporation.

14. FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO:

Corporation is not dealing in foreign exchange, as it is not carrying on any import/ export activity.

15. RISK MANAGEMENT POLICY:

Corporation is not dealing in foreign exchange. Further, the surplus funds, if any, are invested in short term deposits with the schedule commercial banks. Thus, there is no financial risk.

16. INFORMATION UNDER SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION & REDRESSAL) ACT, 2013.

No case of Sexual Harassment at work place was reported in the last financial year. The company has an Internal Complaint Committee where women employees can register their complaints against sexual harassment.

17. RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

The Company follows Government instruction issued in pursuance of Right to Information Act, 2005, and has designated Public Information Officer and Appellate Authority under the Act. All relevant information has been hosted on the Company's website also.

18. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR):

As a responsible corporate citizen, your Company is committed to undertake socially useful programmes for welfare and sustainable development of the community with its major focus on the community of handloom weavers. The Company has in place the Corporate Social Responsibility (CSR) Committee of Directors in terms of Section 135 of the Companies Act, 2013 and revised DPE guidelines. The composition and terms of reference of the CSR Committee are provided in the Report on Corporate Governance, which forms part of the Annual Report. Board of Directors noted that for Financial Year 2020-21, the Corporation doesn't fall under the criteria of Section 135 (1) of the Companies Act, 2013, which mandates thresholds limits for Companies to do CSR activities in a particular financial year. The Corporation has also incurred losses in FY 2020-21.

19. In accordance with the provisions of Section 92(3) & Section 134(3)(a), the annual return for FY 2020-21 shall be available on the website of the Corporation i.e. www.nhdc.org.in.

20. निदेशक की जिम्मेदारी संबंधी वक्तव्य:

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के मद्देनजर, निदेशकों ने कहा है कि:—

- (i) वित्त वर्ष 2020–21 के वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में, सामग्री निर्गम से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ-साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था;
- (ii) ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया जो कि उचित और विवेकपूर्ण हैं और उन्हें सतत रूप से लागू किया है तथा उसके अनुसार निर्णय लिए गए हैं एवं अनुमान लगाए गए हैं, ताकि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;
- (iii) कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी का पता लगाने तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त देखभाल की गई है;
- (iv) वार्षिक खाते चालू कारोबार के आधार पर तैयार किए गए हैं; और
- (v) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था तैयार की गई है और यह व्यवस्था पर्याप्त और प्रभावी ढंग से संचालित हो रही है।

21. प्रकटीकरण

निदेशकों का कहना है कि निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी प्रकार का खुलासा आवश्यक नहीं है, क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस संबंध में कोई लेनदेन/आयोजन नहीं हुए:

- (i) जमा से संबंधित विवरण को कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के तहत कवर किया गया है।
- (ii) डिविडेंड, वोटिंग या अन्य रूप में विशेषक अधिकारों (डिफरेंशियल राइट) के साथ इक्विटी शेयर जारी करना।
- (iii) कंपनी की किसी भी योजना के तहत कंपनी के कार्मिकों को शेयर जारी करना (स्वेट इक्विटी शेयर सहित)।
- (iv) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
- (v) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने सामान्य आरक्षित (रिजर्व) की कोई राशि हस्तांतरित नहीं की है।
- (vi) निगम ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से एमओयू की छूट मांगी है।
- (vii) वित्तीय वर्ष 2020–21 की समाप्ति के बाद और इस रिपोर्ट की तारीख तक कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव/प्रतिबद्धता नहीं की गई है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगी (इस वार्षिक रिपोर्ट में यथासूचित को छोड़कर)।
- (viii) नियामक या न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण या आवश्यक आदेश पारित नहीं किए गए जो भविष्य में 'चालू कारोबार' और कंपनी के भावी प्रचालन को प्रभावित करते हैं।
- (ix) कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था है। वर्ष के दौरान इसके प्रभावी क्रियान्वयन में विशेष सावधानी बरती जा रही है।
- (x) चूंकि निगम की कोई होल्डिंग या सहायक कंपनी नहीं है, इसलिए होल्डिंग/सहायक कंपनी से प्रबंध निदेशक का पारिश्रमिक लागू नहीं है।
- (xi) चूंकि निगम की कोई होल्डिंग/सहायक कंपनी नहीं है, इसलिए लेखाओं के समेकन के बारे में प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- (xii) वित्त वर्ष 2018–19 में वाईएसएस के कार्यान्वयन में अनियमितताओं को छोड़कर, लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट में किसी प्रकार की धोखाधड़ी की रिपोर्ट नहीं की गई थी, जिसकी स्थिति ऊपर उल्लिखित कार्य स्थिति में दी गई है।

20. DIRECTOR'S RESPONSIBILITY STATEMENT:

In view of provisions of the Companies Act, 2013, your Directors state that: -

- (i) in the preparation of the annual accounts of FY 2020-21, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- (ii) such accounting policies have been selected and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year ended 31st March, 2021 and of the profit and loss of the company for that period;
- (iii) proper and sufficient care has been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (iv) the annual accounts have been prepared on a going concern basis and
- (v) proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

21. DISCLOSURES

Your Directors state that no disclosure is required in respect of the following matters, as there were no transactions/ events in relation thereto, during the year under review:

- (i) Details relating to deposits covered under Chapter V of the Companies Act, 2013.
- (ii) Issue of equity shares with differential rights as to dividend, voting or otherwise.
- (iii) Issue of shares (including sweat equity shares) to employees of the Company under any scheme of the Company.
- (iv) There was no change in the share capital of the Company during the year under review.
- (v) The Company has not transferred any amount to the General Reserve during the year under review.
- (vi) The Corporation has sought MOU exemption from the Administrative Ministry for FY 2020-21.
- (vii) No material changes/commitments have occurred (except as reported in this annual report) after the end of the financial year 2020-21 and till the date of this report which would affect the financial position of your Company.
- (viii) No significant or material orders were passed by the Regulators or Courts or Tribunals which impact the 'going concern status' and Company's operations in future.
- (ix) Your Company has in place, adequate internal financial controls with reference to the financial statements. During the year, special care is being taken in its effective implementation.
- (x) Corporation has no Holding or Subsidiary Company hence remuneration to Managing Director from Holding/Subsidiary Company is not applicable.
- (xi) Corporation has no Holding/subsidiary Company hence provisions regarding consolidation of accounts are not applicable.
- (xii) No frauds were reported by the Auditors in their report, except for the irregularities in implementation of YSS in FY 2018-19, status of which has been provided in the state of affairs mentioned above.

- (xiii) निगम को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड के अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं है।
- (xiv) निगम ने कोई ऋण या गारंटी नहीं दी है।
- (xv) निगम ने कोई संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं किया है।
- (xvi) वित्तीय विवरणों और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं है।
- (xvii) निगम के चालू कारोबार की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
- (xviii) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना एफ.सं.1/2/2014-सीएल.ट के जरिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ई) तथा (पी) के तहत सूचना के प्रकटीकरण से सरकारी कंपनियों को छूट दी है।

22. अभिस्वीकृति:

बोर्ड, निगम की गतिविधियों और कार्यों को पूरा करने के लिए वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, भारत सरकार और केंद्र तथा राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों और विभागों द्वारा उनकी सहायता और मार्गदर्शन के लिए आभारी है।

निदेशक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षा और सीएसआर समितियों के सदस्यों, बोर्ड, सांविधिक और शाखा लेखा परीक्षकों और बैंकर्स की मदद, सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं। बोर्ड विभिन्न उपयोगकर्ता एजेंसियों/अन्य संबंधित एजेंसियों को उनके समर्थन और संगठन में रखें गए विश्वास के लिए आभार व्यक्त करता है और भविष्य में पारस्परिक संबंधों के लिए तत्पर है।

निदेशक, सभी कताई मिलों और रंगों तथा रसायनों के विनिर्माताओं से प्राप्त निरंतर सहयोग और साथ ही उनकी संगठित व्यवस्था की सराहना करते हैं। बोर्ड, एनएचडीसी परिवार के सभी सदस्यों को उनके उत्साह, समर्पित कार्य और सहयोग के लिए बहुत आभार प्रकट करता है और उनकी निरंतर भागीदारी की आशा रखता है।

निदेशक मंडल की ओर से

ह/-

(संजय रस्तोगी)

अध्यक्ष

DIN : 07722405

दिनांक : 30 दिसंबर 2021

स्थान : नई दिल्ली

- (xiii) Corporation is not required to maintain cost records as specified by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013, ,
- (xiv) Corporation has not given any loans or Guarantee.
- (xv) Corporation has not undertaken any Related party Transaction
- (xvi) No material changes and commitments between the date of financial statements and the date of this report.
- (xvii) There is no change in going concern status of the corporation.
- (xviii) Vide notification F.No.1/2/2014-CL.V dated 05th June, 2015, Ministry of Corporate Affairs, Government of India, has exempted Government companies from disclosure of information under section 134(3) (e) and (p) of the Companies Act, 2013.

22. ACKNOWLEDGMENT:

Your Board is thankful to the Ministry of Textiles, Office of Development Commissioner for Handlooms, Government of India and other Ministries and departments in Central and State governments for their support and guidance given to the corporation in carrying out its activities and operations.

Your Directors are grateful to the Comptroller & Auditor General of India, Members of Audit & CSR Committees, Board, Auditors and Bankers for their help, cooperation and guidance. Your Board expresses sincere gratitude to the various user agencies/ other concerned agencies for their support and confidence reposed in the organization and looks forward to mutually rewarding relationship in future.

Your Directors wish to place on record their appreciation for the continued co-operation received from all the Spinning Mills and Manufacturers of dyes & chemicals and fabrics directly as also through their organized set-ups. Your Board also wishes to record its deep gratitude to all the members of NHDC family for their enthusiasm, dedicated work and cooperation and look for their continuous involvement.

For and on behalf of Board of Directors

**Sd/-
(Sanjay Rastogi)
Chairman
DIN : 07722405**

**Date : 30th December 2021
Place : New Delhi**

निदेशकों की रिपोर्ट का संबंधी अनुलग्नक-क

निगम शासन प्रणाली संबंधी रिपोर्ट

(क) कारपोरेट शासन प्रणाली के संबंध में कंपनी का सिद्धांत:

कारपोरेट शासन प्रणाली के संबंध में एनएचडीसी के सिद्धांत में, नैतिक व्यापार आचरण और संचालन के सभी पहलुओं और शेयरधारकों, कर्मचारियों, बैंकरों, लेखा परीक्षकों एवं सरकार सहित इसके सभी हितधारकों के साथ बातचीत में पारदर्शिता, जवाबदेही और इकिवटी के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। यह निगम निरंतर रूप से कारपोरेट गवर्नेंस के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के प्रयास करता है ताकि लॉन्ग टर्म स्टैकहोल्डर्स मूल्य को बढ़ाया जा सके और कारपोरेट गवर्नेंस के अच्छे मानकों को बनाए रखा जा सके। निगम में व्यावसायिकता और जवाबदेही का प्रावधान करने के लिए सुव्यवस्थित, पारदर्शी तथा निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था है।

(ख) निदेशक मंडल:

दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल में 4 सदस्य शामिल हैं, जिनमें से दो भारत सरकार के नामिती (अध्यक्ष सहित), 01 एक प्रबंध निदेशक (अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) को दिया गया अतिरिक्त प्रभार) और 01 गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक हैं। इसके अलावा, भारत के राष्ट्रपति ने, दिनांक 9 नवंबर, 2021 के आदेश सं. 11/26/82/-डीसीएच/एनएचडीसी/वो. IV (आदेश) के माध्यम से श्रीमती योगिता सिंह को, आदेश जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निगम के गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में को नियुक्त किया है। बोर्ड के निदेशकों को संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 94 के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना तथा संबंधित सूचना इस प्रकार है:

| निदेशक का नाम एवं श्रेणी | उपस्थिति सहित बोर्ड बैठकों की संख्या | पिछली एजीएम में उपस्थिति | 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार बाहरी निदेशकों की संख्या |
|---|--------------------------------------|--------------------------|---|
| सरकारी निदेशक: | | | |
| क) श्री संजय रस्तोगी, अध्यक्ष-एनएचडीसी / विकास आयुक्त (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय डीआईएन नं. 07722405 (दिनांक 4 दिसंबर, 2017 से) | 4/4 | Yes | NIL |
| ख) श्री दीपांकर दत्ता, उप सचिव एकीकृत वित्त विंग, वस्त्र मंत्रालय डीआईएन नं. 08423642 (दिनांक 28 मार्च, 2019 से) | 3/4 | No | 1 (one) |
| प्रबंध निदेशक: | | | |
| ग) सुश्री मुदिता मिश्रा, प्रबंध निदेशक / (अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) को अतिरिक्त प्रभार) डीआईएन नं. 07302824 (दिनांक 9 मार्च, 2020 से) | 4/4 | Yes | NIL |

ANNEXURE A TO DIRECTORS' REPORT

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(a) COMPANY'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE:

NHDC's philosophy on Corporate Governance envisages ethical business conduct and attainment of highest level of transparency, accountability and equity in all facets of operations and all its interactions with its stakeholders including shareholders, employees, bankers, auditors and the Government. The corporation constantly endeavors to achieve the highest levels of standards of corporate governance in order to enhance the long-term stakeholders' value and maintain good standards of Corporate Governance. Corporation has well established, transparent and fair administrative set up to provide for professionalism and accountability.

(b) BOARD OF DIRECTORS:

As on March, 31, 2021 the Board of Directors consisted of 4 members, of whom, two are the nominee of the government of India (including Chairman), one is the Managing Director [Additional Charge given to ADC (Handicrafts)] and 01 is Non-Official Independent Director. Further, vide order no. 11/26/82/-DCH/NHDC/Vo. IV dated 9th November, 2021, (Order) the President of India has appointed Smt. Yogita Singh as the Non-Official Independent Director of the Corporation with effect from the date of issue of the order for a period three year or till further orders, whichever is earlier. The Directors on the Board are appointed by the Government of India in terms of Article 94 of the Articles of Association of the corporation.

Constitution of Board of Directors and the related information as on March 31, 2021, is as follows:

| Name & category of the Director | No. of Board meetings with attendance | Attendance in last AGM | No. of outside Directorships as on 31.03.2021 |
|--|---------------------------------------|------------------------|---|
| Government Director(s): | | | |
| a) Shri Sanjay Rastogi, Chairman-NHDC / DC(Handlooms), Ministry of Textiles DIN No. 07722405 (From 4 th December, 2017 onwards) | 4/4 | Yes | NIL |
| b) Shri Dipankar Dutta, Dy. Secretary Integrated Finance Wing, Ministry of Textiles DIN No. 08423642 (From 28 th March, 2019 onwards) | 3/4 | No | 1 (one) |
| Managing Director: | | | |
| c) Ms. Mudita Mishra, Managing Director [Additional Charge entrusted to ADC -Handicrafts], Ministry of Textiles DIN No. 07302824 (From 9 th March, 2020 onwards) | 4/4 | Yes | NIL |

| निदेशक का नाम एवं श्रेणी | उपस्थिति सहित बोर्ड बैठकों की संख्या | पिछली एजीएम में उपस्थिति | 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार बाहरी निदेशकों की संख्या |
|--|--------------------------------------|--------------------------|---|
| घ) श्री संजीव दुआ, प्रबंध निदेशक@ डीआईएन नं. 08447827 (1 मई, 2019 से 6 अगस्त, 2020) | N.A. | N.A. | N.A. |
| गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक: | | | |
| ड) श्री अनिल कुमार सूद गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक, डीआईएन नं. 01376251 (दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 से) | 4/4 | Yes | NIL |

@श्री संजीव दुआ को विकास आयुक्त (हथकरघा) के दिनांक 3 मार्च, 2020 के आदेश सं. 40/4(3)/2018-डीसीएच/एनएचडीसी के द्वारा निलंबित किया गया था, श्री संजीव दुआ के कार्यकाल को समय से पूर्व अर्थात् 6 अगस्त, 2020 को समाप्त कर दिया गया था।

निगम के बोर्ड ने वर्ष 2020-21 (5 जून, 2020, 19 नवंबर, 2020, 24 फरवरी, 2021 तथा 31 मार्च 2021) के दौरान 04 बार बैठकों की और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित सभी जानकारी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की।

बोर्ड के निदेशकों का संक्षिप्त विवरण (31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार):

- श्री संजय रस्तोगी:** (54 वर्ष) ओडिशा कैडर के 1991 बैच के आईएएस हैं। वे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आईआईटी - दिल्ली से एम.टेक हैं। उन्होंने सीएमडी, ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम, प्रधान सचिव - वाणिज्य और परिवहन, सीएमडी, उडीसा मिल्क फेडरेशन (ओएमएफईडी), सीवीओ - प्रोजेक्ट्स इक्विपमेंट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीईसी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, जोनल संयुक्त महानिदेशक, डीजीएफटी और अन्य के साथ-साथ निर्यात आयुक्त, वाणिज्य मंत्रालय के रूप में कार्य किया। इन्होंने दिनांक 04 दिसंबर, 2017 को वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार में विकास आयुक्त (हथकरघा) और राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड में पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
- सुश्री मुदिता मिश्रा** (49 वर्ष) रक्षा उत्पादन सेवा (आईओएफएस) से संबंधित 2001 बैच की सिविल सेवक हैं। वे एक्सएलआरआई से मानव संसाधन में प्रमाण-पत्र के साथ वित्त प्रबंधन की डिग्री और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री (बी.ई.) रखती हैं। इन्हें भारत सरकार के रक्षा, वित्त और अन्य विशिष्ट डोमेन में दो दशकों का प्रशासनिक अनुभव है। वह वर्तमान में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार में अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के रूप में कार्यरत हैं। वह इंडियन बैंक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओआईसीएल), भारतीय महिला बैंक (एसबीआई में विलय), नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी के बोर्डों में रही हैं। उन्होंने दिनांक 9 मार्च, 2020 को निगम के एमडी का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया।
- श्री दीपांकर दत्ता** (57 वर्ष) भारत सरकार में उप सचिव हैं, जो दिनांक 28 मार्च, 2019 से एनएचडीसी लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी निदेशक हैं। वे 1989 में केंद्रीय सचिवालय सेवा में शामिल हुए। उनके पास अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री है। उन्हें सरकारी विषयों जैसे नीति निर्माण, सार्वजनिक खरीद, प्रशासन और वित्तीय मुद्दों के क्षेत्र में अनुभव है। वस्त्र मंत्रालय में पदभार ग्रहण करने से पहले, उन्होंने यूपीएससी, डाक विभाग, एनएचआरसी, संस्कृति मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में काम किया है। उन्हें वर्तमान में वस्त्र मंत्रालय के एकीकृत वित्त विंग का प्रभार सौंपा गया है।

| Name & category of the Director | No. of Board meetings with attendance | Attendance in last AGM | No. of outside Directorships as on 31.03.2021 |
|--|---------------------------------------|------------------------|---|
| d) Shri Sanjeev Dua, Managing Director@ DIN No. 08447827 (From 1 st May,2019 -06 th Aug, 2020) | N.A. | N.A. | N.A. |
| Non-Official Independent Director: | | | |
| e) Shri Anil Kumar Sood Non-official Independent Director, DIN No. 01376251 (From 18 th October, 2019 onwards) | 4/4 | Yes | NIL |

@ Shri Sanjeev Dua was suspended vide DC(Handlooms) order no. 40/4(3)/2018-DCH/NHDC dated 3rd March, 2020. Further vide Office of DC(Handlooms) order no 40/08/2019-20/DCH/NHDC, tenure of Shri Sanjeev Dua from the post of MD -NHDC was pre-maturely terminated w.e.f. 6th August, 2020.

The Board of the corporation met 04 times during the year 2020-21 (5th June, 2020, 19th Nov, 2020, 24th Feb, 2021 and 31st Mar, 2021) and all the information required in accordance with DPE guidelines was placed before the Board.

Brief resume of Directors on the Board (as on March, 31, 2021):

- i.) **Shri Sanjay Rastogi:** (54 Years) is an IAS of 1991 batch of Odisha cadre. He is B.Tech in Electrical Engineering and M Tech in Electronics & Communication, IIT – Delhi. He had served as CMD, Odisha State Road Transport Corporation, Principal Secretary – Commerce & Transport, CMD, Orissa Milk Federation (OMFED), CVO – Projects Equipments Corporation Limited (PEC), Ministry of Commerce & Industry, Zonal Jt. DG, DGFT & Export Commissioner, Ministry of Commerce amongst others. He had joined as Development Commissioner for Handlooms in Ministry of Textiles, Government of India and as ex-officio Chairman in National Handloom Development Corporation Ltd., w.e.f. 04th Dec., 2017.
- ii.) **Ms. Mudita Mishra** (49 years) is a civil servant of 2001 batch, belonging to Defence Production Services (IOFS). She holds management degree in Finance along with certifications in Human resource from XLRI, and Bachelor's degree (B.E.) in Electronics engineering. She has approx. two decades of administrative experience in Defence, Finance and other specialized domains of Government of India. She is presently Additional Development Commissioner, O/o DC Handicrafts, Ministry of Textiles, Government of India. She has been on the boards of Indian Bank, Oriental Insurance Company Ltd. (OICL), Bhartiya Mahila Bank (merged with SBI), National Insurance Academy. She assumed additional charge of MD of the Corporation w.e.f. 9th March, 2020.
- iii.) **Shri Dipankar Dutta** (57 years) is a Deputy Secretary to the Government of India, is the Government Director on the Board of NHDC Ltd. w.e.f. 28th March, 2019. He joined the Central Secretariat Service in 1989. He has a postgraduate degree in Economics. He has experience in the areas of policy making, public procurements, administration and financial issues concerning the Government. Before joining the Ministry of Textiles, he has worked in the UPSC, Department of Posts, NHRC, Ministry of Culture and the Ministry of Defence. He has presently been assigned with the charge of the Integrated Finance Wing of the Ministry of Textiles.

- iv) **श्री अनिल कुमार सूद:** (57 वर्ष) को दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के एक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह एक चार्टर्ड एकाउंटेंट है तथा एक स्वर्ण पदक विजेता वाणिज्य स्नातक हैं। श्री सूद ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से विभिन्न डिप्लोमा/ पाठ्यक्रम किए हैं जैसे सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा, बैंकों की समवर्ती लेखा परीक्षा इत्यादि। वे वर्ष 2005-06 में आईसीएआई की उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद की हिमाचल प्रदेश शाखा के अध्यक्ष थे। श्री अनिल कुमार सूद को लेखा परीक्षा, बैंकिंग और कराधान मामलों में काफी अनुभव है।

ग. लेखा परीक्षा समिति:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसरण में, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गईं। सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों में प्रस्तावित अनुसार लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तों को लेखापरीक्षा समिति द्वारा उसकी 08 दिसंबर, 2010 को आयोजित 23वीं बैठक में नोट किया गया। इसके अलावा, बोर्ड ने दिनांक 26 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी 156वीं बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तों को संशोधित किया।

लेखापरीक्षा समिति की संरचना और संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:

| नाम/श्रेणी | लेखापरीक्षा समिति में स्थिति | वर्ष के दौरान उपस्थिति सहित बैठकों की संख्या |
|--|------------------------------|--|
| श्री अनिल कुमार सूद गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक | अध्यक्ष | 3/3 |
| सुश्री मुदिता मिश्रा प्रबंध निदेशक (एडीसी-हस्तशिल्प को अतिरिक्त प्रभार दिया गया) | प्रबंध निदेशक | 3/3 |
| श्री दीपांकर दत्ता | सदस्य | 2/3 |

वर्ष 2020-21 (19 नवंबर, 2020, 24 फरवरी, 2021 और 31 मार्च 2021) के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की 03 बार बैठकें हुईं, ऊपर दिए गए पैरा में उल्लेख किए अनुसार, बैठक में सभी सदस्य उपस्थित थे।

घ. पारिश्रमिक समिति:

कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना सं. 1/2/2014-सीएल.V के तहत, वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित मामले को छोड़कर, पारिश्रमिक समिति से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के उप-धाराओं (2), (3) और (4) के प्रावधानों से सरकारी कंपनियों को छूट दी है।

निगम, सामाजिक उद्देश्यों वाला एक ऐसा संगठन है, जिसके लाभ मार्जिन प्रायः बहुत कम होते हैं जो उनके ऊपरी खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए यह अपने कार्मिकों को कार्य प्रदर्शन संबंधी भुगतान (पीआरपी) का भुगतान करने में असमर्थ है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, निगम को घाटा हुआ है। साथ ही, निगम में कार्मिकों की संख्या भी कम है (अर्थात् 31मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार 130)।

उपरोक्त के मद्देनजर, किसी अलग पारिश्रमिक समिति की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है और पारिश्रमिक से संबंधित अन्य मामलों, यदि कोई हो, को सीधे निदेशक मंडल में रखा गया है।

iv.) **Shri Anil Kumar Sood** : (57 years), has been appointed as a Non- Official Independent Director of National Handloom Development Corporation Limited w.e.f. 18th October, 2019 He is a Chartered Accountant and a gold medalist commerce graduate. Shri Sood has undertaken various diplomas/ courses from the Institute of Chartered Accountants of India viz. Information system Audit, concurrent audit of banks etc.He was the Chairman of Himachal Pradesh branch of Northern India Regional Council of ICAI in the year 2005-06. Shri Anil Kumar Sood has vast experience in audit, banking and taxation matters.

c. AUDIT COMMITTEE:

In accordance with the provisions of section 177 of the Companies Act 2013, the meetings of Audit Committee were held during the year under review. The terms of reference of the Audit Committee, as proposed in the DPE guidelines on Corporate Governance for CPSEs were noted by the Audit Committee in its 23rd meeting held on 08th Dec., 2010. Further the Board in its 156th meeting held on 26th March, 2019 revised the terms of reference of the Audit Committee in line with the provisions of the Companies Act, 2013 and DPE guidelines.

The composition of Audit Committee and the related information is placed herein below:

| Name/ category | Position in Audit Committee | No. of meetings with attendance during the year |
|---|-----------------------------|---|
| Shri Anil Kumar Sood Non official Independent Director | Chairman | 3/3 |
| Ms. Mudita Mishra Managing Director (Additional Charge given to ADC -Handicrafts) | MD | 3/3 |
| Shri Dipankar Dutta Government Director | Member | 2/3 |

The Audit Committee met 3 times during the year 2020-21 (19th Nov, 2020, 24th Feb, 2021 and 31st March, 2021), all the members were present except as explained in the para above.

d. REMUNERATION COMMITTEE:

Vide notification no.1/2/2014-CL.V dated 05th June, 2015, Ministry of Corporate Affairs, Government of India, has exempted Government Companies from provisions of sub-sections (2), (3) and (4) of Section 178 of the Companies Act, 2013 pertaining to Remuneration Committee, except with regard to appointment of senior management and other employees.

The corporation is an organization with social objectives having very thin profit margin usually just sufficient to meet its overheads, hence it is unable to pay the Performance Related Payment (PRP) to its employees. Further for the financial year 2020-21, the Corporation has suffered losses. Also, the number of employees in the corporation is also small (i.e., 130 as on 31st March, 2021).

In view of above, no need has been felt to have a separate remuneration committee and the other matters relating to remuneration, if any, are placed directly to the Board of Directors.

ड. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति:

निदेशक मंडल की सीएसआर समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और डीपीई दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है। सीएसआर समिति के संदर्भ शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत कवर की गई है, को दर्शाते हुए सीएसआर नीति तैयार करना; बोर्ड को अनुशंसा, सीएसआर नीति और सीएसआर गतिविधियों पर व्यय की राशि; और समय-समय पर कंपनी की सीएसआर नीति की निगरानी करना शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, निगम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (1) के मानदंडों के तहत नहीं आता है, जो कंपनियों के लिए एक विशेष वित्तीय वर्ष में सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए थ्रेसोल्ड सीमा को अनिवार्य बनाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोई सीएसआर गतिविधि आयोजित नहीं की गई थी। सीएसआर समिति की संरचना और उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार थी:

| नाम / श्रेणी | सीएसआर समिति में स्थिति |
|---|-------------------------|
| सुश्री मुदिता मिश्रा प्रबंध निदेशक (एडीसी-हस्तशिल्प को अतिरिक्त प्रभार दिया गया) | अध्यक्ष |
| श्री दीपांकर दत्ता सरकारी निदेशक | सदस्य |
| श्री अनिल कुमार सूद गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक | सदस्य |

च. आम सभा की बैठक:

अंतिम 03 वार्षिक आम सभा की बैठकें (एजीएम) निम्नानुसार आयोजित की गईं:

| वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एजीएम | एजीएम की तारीख तथा समय | एजीएम का स्थान |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 2019-20 | 30 जून, 2021, दोपहर 3.30 बजे | वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से |
| 2019-20 | 31 दिसंबर, 2020-11.30 बजे (वित्तीय वर्ष 2020-21 के वार्षिक खातों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर सीएजी की टिप्पणी प्राप्त न होने के कारण शेयरधारकों द्वारा स्थगित) | वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से |
| 2018-19 | दिनांक 24 जनवरी, 2020 / 3.00 बजे | रैडिसन ब्लू होटल, ग्रेटर नोएडा |
| 2017-18 | दिनांक 25 सितंबर, 2018 / 3.00 बजे अपराह्न | पंजीकृत कार्यालय, ग्रेटर नोएडा |

छ. प्रकटीकरण:

- कार्यकारी निदेशक को दिए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है:
 - सुश्री मुदिता मिश्रा (9 मार्च, 2020 से प्रबंध निदेशक) को निगम के एमडी का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने के कारण किसी वेतन का भुगतान नहीं किया गया।
 - श्री संजीव दुआ को डीसीएच (हथकरघा) के दिनांक 3 मार्च, 2020 के आदेश संख्या 40/4 (3)/2018-डीसीएच/एनएचडीसी के तहत निलंबित कर दिया गया था और 6 अगस्त 2020 से प्रभावी, कार्यकाल की समयपूर्व समाप्ति तक उन्हें एनएचडीसी, सीडीए के नियमों के अनुसार निलंबन भत्ता का भुगतान किया गया था।
- वर्ष के दौरान श्री अनिल कुमार सूद को बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए क्रमशः 55,000/- रुपए बैठक शुल्क का भुगतान किया गया था।

e. Corporate Social Responsibility (CSR) Committee:

CSR Committee of the Board of Directors has been constituted in accordance with the requirements of Section 135 of Companies Act, 2013 and the DPE guidelines. The terms of reference of the CSR Committee, inter-alia, include formulation of CSR Policy indicating the activities to be undertaken by the Company covered under Schedule VII of the Companies Act, 2013; recommending to the Board, the CSR Policy & amount of expenditure on CSR activities; and to monitor the CSR Policy of the Company from time to time. For Financial Year 2020-21, the Corporation doesn't fall under the criteria of section 135 (1) of the Companies Act, 2013, which mandates thresholds limits for Companies to do CSR activities in a particular financial year. No CSR activity was conducted in financial year FY 2020-21. The composition of CSR Committee and attendance of the Directors at the said meetings was as follows:

| Name/ category | Position in CSR Committee |
|---|---------------------------|
| Ms. Mudita Mishra Managing Director (<i>Additional Charge given to ADC -Handicrafts</i>) | Chairperson |
| Shri Dipankar Dutta Government Director | Member |
| Shri Anil Kumar Sood Non official Independent Director | Member |

f. GENERAL BODY MEETING:

The last 03 Annual General Meetings (AGMs) were held as under:

| AGM for the FY 2020-21 | Date & time of AGM | Venue of the AGM |
|------------------------|--|-----------------------------------|
| 2019-20 | 30 th June, 2021, 3.30 pm | Through Video Conferencing mode |
| 2019-20 | 31 st December, 2020-11.30 am (<i>Adjourned by the shareholders because of non-receipt of Statutory Auditors Comments on Annual Accounts of FY 2020-21 and C&AG comments thereon</i>) | Through Video Conferencing mode |
| 2018-19 | 24 th January, 2020/ 3.00 pm | Radisson Blu Hotel, Greater Noida |
| 2017-18 | 25 th September, 2018/ 3.00 P.M. | Registered Office, Greater Noida |

g. DISCLOSURES:

- (i) Details of remuneration paid to the Functional Director are as under:
- No salary is paid to Ms. Mudita Mishra (MD w.e.f. 9th March, 2020) on account of entrustment of additional charge of MD of the Corporation.
 - Shri Sanjeev Dua was suspended vide Order of DCH (Handlooms) No.40/4 (3)/2018-DCH/ NHDC dated 3rd March, 2020 and suspension allowance was paid to him as per the NHDC, CDA rules for the period until his premature termination of tenure w.e.f. 6th August, 2020.
- (ii) During the year, Shri Anil Kumar Sood were paid sitting fees amounting to Rs.55,000/- respectively for attending Board and Committee meetings.

- iii. वर्ष के दौरान, कोई संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं था।
- iv. यह पुष्टि की जाती है कि वर्ष के दौरान किसी भी सांविधिक निकाय द्वारा कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है।
- v. निगम में बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक व्हिसल ब्लोअर नीति है, जिसे निगम के सभी कार्मिकों को परिचालित किया गया है और इसे वेबसाइट www.nhdc-org.in पर भी रखा गया है। इसके अलावा, यह पुष्टि की जाती है कि निगम के किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति तक पहुँचने से वंचित नहीं किया गया है।
- vi. निगम, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रशासनिक मंत्रालय को अनुरोध भेजा गया है, को छोड़कर सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर रहा है। जहां तक पारिश्रमिक समिति का संबंध है, इसका उल्लेख ऊपर किया गया है।
- vii. निगम द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के निर्देशों का अनुपालन वर्ष के दौरान और पिछले 3 वर्षों के दौरान भी किया गया है।
- viii. वर्ष के दौरान, ऐसा कोई खर्च लेखा बही के खाते नामें नहीं लिखा गया है, जो व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए नहीं हैं।
- ix. वर्ष के दौरान, कोई व्यक्तिगत प्रकृति का खर्च नहीं है जो निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया हो।
- x. कार्मिक, प्रशासनिक और व्यापार व्यय सहित उपरिव्यय व्यय 3.40 करोड़ रुपये कम हो गए हैं। इसके अलावा, वित्तीय व्यय नगण्य हैं, क्योंकि निगम एक ऋण मुक्त निगम है।

ज. संप्रेषण माध्यम:

निगम की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी भारत सरकार द्वारा धारित है। निगम के वार्षिक लेखों सहित वार्षिक रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाती है और इसे निगम की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर भी रखा जाता है। वार्षिक लेखाओं को भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में भी दायर किया जाता है।

झ. लेखापरीक्षा योग्यताएं

कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाता है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक और सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियों का विधिवत उत्तर दिया निदेशक मंडल द्वारा दिया गया है और बोर्ड की रिपोर्ट के रूप में संलग्न किया गया है।

ञ. निदेशक मंडल के प्रशिक्षण:

निगम, निदेशकों को उनकी बोर्ड में नियुक्ति पर फ़ोल्डर के रूप में दस्तावेजों का एक सेट प्रस्तुत करता है। इसमें निगम के कामकाज और कार्य निष्पादन, बोर्ड के सदस्यों के लिए व्यावसायिक नीति एवं आचार संहिता, कॉर्पोरेट शासन प्रणाली संबंधी दिशानिर्देश आदि के बारे में महत्वपूर्ण डेटा शामिल हैं।

ट. व्हिसल ब्लोअर नीति:

निगम में बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित एक व्हिसल ब्लोअर नीति की व्यवस्था की गई है। इस नीति को निगम के सभी कार्मिकों को परिचालित किया गया है और निगम की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर भी रखा गया है।

- (iii) During the year, there was no related party transaction
- (iv) During the year, It is reaffirmed that no penalty has been imposed by any of the statutory body.
- (v) The corporation has a Whistle Blower Policy duly approved by the Board, which has been circulated to all the employees of the corporation and also placed on the website www.nhdc.org.in of the corporation. Further, it is affirmed that no personnel has been denied access to the Audit Committee.
- (vi) The corporation is complying with all the requirements of the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs except the appointment of independent Directors, for which a request has been sent to the Administrative Ministry for the needful. As regards, the Remuneration Committee, the same has been explained above.
- (vii) The Presidential directives issued by the Government of India has been complied by the corporation during the year and also during the last 3 years.
- (viii) During the year, no expenditure has been debited in the books of accounts which are not for the purposes of business.
- (ix) During the year, no expenses which are of personal nature have been incurred for the Board of Directors and top management.
- (x) Overhead expenses comprising of Personnel, Administrative and Trade Expenses have gone down by Rs. 3.40 crore. Further, the Financial Expenses are negligible, since corporation is a debt free corporation.

h. MEANS OF COMMUNICATION:

The entire paid up share capital of the corporation is held by the Government of India. The Annual report including annual accounts of the corporation are sent to the Government of India and also placed on the website www.nhdc.org.in of the corporation. The annual accounts are also filed with the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

i. AUDIT QUALIFICATIONS:

The Statutory Auditor of the Company is appointed by the Comptroller & Auditor General of India u/s 139 of the Companies Act, 2013. The Comments of the Secretarial Auditor and Statutory Auditor for FY 2020-21 have been duly replied by the Board of Directors and form annexure to the Board's Report.

j. TRAINING OF BOARD OF DIRECTORS:

The corporation furnishes a set of documents in a folder form to the directors on their joining the Board. This includes important data about the functioning and performance of the corporation, Code of Business Conduct & Ethics for the Board members, Corporate Governance Guidelines etc.

k. WHISTLE BLOWER POLICY:

The corporation has laid down a Whistle Blower Policy duly approved by the Board. The policy has been circulated to all the employees of the corporation and also placed on the website www.nhdc.org.in of the corporation.

ठ. आचार संहिता:

निगम ने बोर्ड के सदस्यों और निगम के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता और व्यावसायिक नीति निर्धारित की है। संहिता की एक प्रति निगम की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर प्रदर्शित की गई है। सभी बोर्ड सदस्यों और प्रमुख अधिकारियों ने संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। इस आशय की एक घोषणा इस रिपोर्ट में संलग्न की गई है।

ड. अनुपालना प्रमाण पत्र:

इस रिपोर्ट में सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं का विधिवत रूप से अनुपालन किया गया है और दिशानिर्देशों के अनुबंध-VII में उल्लिखित सुझाई गई सभी मदों को शामिल किया गया है। डीपीई द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की अपेक्षाओं के अनुपालन संबंधी त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्ट भी नियमित और समय पर प्रशासनिक मंत्रालय को भेजी जाती है। सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट शासन प्रणाली संबंधी दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुपालन के बारे में पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण-पत्र को रिपोर्ट में संलग्न कर दिया गया है।

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./—
(संजय रस्तोगी)
अध्यक्ष
DIN: 07722405

I. CODE OF CONDUCT:

The corporation has laid down the Code of Conduct & Business Ethics for the Board members and senior management of the corporation. A copy of the Code is displayed on the website www.nhdc.org.in of the corporation. All the Board members and key officers have affirmed their compliance to the code. A declaration to this effect is annexed to this report.

m. COMPLIANCE CERTIFICATE:

This report duly complies with the requirements of DPE Guidelines on Corporate Governance for CPSEs and covers all the suggested items mentioned in the Annexure - VII of the Guidelines. The quarterly/ annual reports on the compliance with the Corporate Governance requirements prescribed by the DPE are also sent to the Administrative Ministry regularly and timely. The certificate obtained from the Practicing Company Secretary regarding compliance to the conditions of guidelines on Corporate Governance for CPSEs has been annexed to the report.

For and on behalf of Board of Directors

**Sd/-
Shri Sanjay Rastogi
Chairman
DIN: 07722405**

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा

मैं, मुदिता मिश्रा, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, एतद्वारा घोषणा करती हूँ कि 31 मार्च, 2021 के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और निगम की वरिष्ठ प्रबंधन टीम ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान निगम की व्यापार आचार संहिता और नैतिकता के अनुपालन की पुष्टि की है।

दिनांक: 08.12.2021
स्थान: नई दिल्ली

ह./—
(मुदिता मिश्रा)
प्रबंध निदेशक
DIN: 07302824

Declaration by the Managing Director regarding compliance with the Code of Conduct by the Board Members and Senior Management during the Financial Year 2020-21.

I, Mudita Mishra, Managing Director, National Handloom Development Corporation Limited, do hereby declare that all the Members of the Board of Directors and the Senior Management Team of the Corporation as on 31st March, 2021, have affirmed their compliance to the Code of Business Conduct and Ethics of the Corporation during the FY 2020-21.

Dated: 08.12.2021

Place: New Delhi

**Sd/-
(Mudita Mishra)**

Managing Director

DIN: 07302824

नैगमिक शासन प्रमाण पत्र

सेवा में,

सदस्य

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: चौथी मंजिल, वेगमेंस बिजनेस पार्क,

टावर-1, प्लॉट नं. 03, सेक्टर नॉलेज पार्क-III,

सूरजपुर- कासना मेन रोड, ग्रेटर नोएडा,

गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.- 201306

हमने दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (जिसे इसके पश्चात "निगम" के रूप में संदर्भित किया गया है) के नैगमिक शासन की शर्तों के अनुपालना की जांच की है, जिसका उल्लेख लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए नैगमिक शासन, 2010 के दिशानिर्देशों और उसके अंतर्गत उल्लिखित अनुबंध (जिसे इसके पश्चात "दिशानिर्देश" के रूप में संदर्भित किया गया है) में किया गया है।

नैगमिक शासन की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का होता है। हमारी जांच उपर्युक्त दिशानिर्देशों में उल्लिखित नैगमिक शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगम द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि और उसके क्रियान्वयन तक सीमित थी। यह न तो निगम की लेखा परीक्षा है और न ही उसके वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि निगम ने निम्नलिखित को छोड़कर, उपर्युक्त दिशानिर्देशों में उल्लिखित नैगमिक शासन की शर्तों का पालन किया है:

- संबंधित मंत्रालय और जोखिम प्रबंधन नीति द्वारा पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न करने के कारण बोर्ड, लेखा परीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना से संबंधित प्रावधान। प्रबंधन ने सूचित किया है कि कंपनी एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी होने के कारण, अपने प्रशासनिक मंत्रालय से निगम के बोर्ड में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक की आवश्यक नियुक्ति करने का अनुरोध किया है ताकि बोर्ड, लेखा परीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में अधिकतम संख्या में स्वतंत्र निदेशक का गठन किया जा सके।
- निगम ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने लेखा विवरण को, 31 दिसंबर 2020 को आयोजित वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अपनी 37 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में 31 दिसंबर 2020 तक निर्धारित विस्तारित अवधि के भीतर नहीं अपनाया है, लेकिन 30 जून 2021 को आयोजित अपनी स्थगित एजीएम में अपने लेखाओं के विवरण को अपनाया है। अतएव, निगम ने धारा 96 और धारा 134 के साथ पठित धारा 129 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य लागू प्रावधानों का उल्लंघन किया है। प्रबंधन ने सूचित किया है कि वार्षिक लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, निगम को सांविधिक लेखा परीक्षकों से 4 जनवरी, 2021 को प्राप्त हुई थी और सीएंडएजी की पूरक लेखापरीक्षा के बाद, संशोधित हस्ताक्षरित लेखा-परीक्षा रिपोर्ट 02 जून 2021 को ही निगम को प्राप्त हुई थी।
- जैसा कि पिछले वर्ष के कॉरपोरेट शासन के प्रमाणपत्र में बताया गया है कि 6 जनवरी 2020 को वित्तीय वर्ष 2018-19 के वार्षिक लेखाओं और लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर सी एंड एजी की टिप्पणियों के प्राप्त होने के कारण निगम वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 31 दिसंबर 2019 तक विस्तारित अवधि तक निर्धारित अपनी 36वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित नहीं कर सका और 24 जनवरी 2020 को अपनी 36वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित की थी। इस संबंध में अपराध के शमन के लिए आवेदन अभी आरडी नार्थ नई दिल्ली के कार्यालय के समक्ष अनुमोदन/के लिए लंबित है।

CORPORATE GOVERNANCE CERTIFICATE

To,
 The Members,
National Handloom Development Corporation Limited
 Regd. Office: 4th Floor, Wegmans Business Park,
 Tower-1, Plot No. 03, Sector Knowledge Park-III,
 Surajpur- Kansa Main Road, Greater Noida,
 Gautam Buddha Nagar, UP- 201306

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance of **National Handloom Development Corporation Limited** (hereinafter referred as “Corporation”) for the year ended **31st March, 2021** as stipulated in the guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 of Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Government of India and annexure mentioned there under (hereinafter referred as “Guidelines”).

The compliance to the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedure and implementation thereof, adopted by the corporation for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance as stipulated in above mentioned guidelines. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Corporation.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, we certify that the Corporation has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned guidelines except as under:

- *Provisions regarding composition of Board, Audit Committee and Nomination & Remuneration Committee due to non-appointment of adequate number of Independent Directors by the concerned Ministry & risk management policy. The Management has informed that the Company being a wholly-owned Government Company has requested its administrative ministry for making necessary appointment of Non-Official Independent Director on the Board of the Corporation so as to constitute optimum number of Independent Director in the Board, Audit Committee & Nomination & Remuneration Committee.*
- *The Corporation has not adopted its Statement of Accounts for the financial year ended 31st March 2020 in its 37th AGM for the financial year 2019-20 held on 31st December 2020 within the stipulated extended period up to 31st December 2020, but has adopted its statement of accounts in its adjourned AGM held on 30th June 2021, hence the Corporation had violated the provisions of Section 96 & Section 129 read with 134 and other applicable provisions of the Companies Act 2013. The Management has informed that the Audit Report on the Annual Accounts of the Corporation was received from the Statutory Auditors on 4th January, 2021 and after the supplementary Audit of C&AG, the revised signed Audit Report was received by the Corporation only on 02nd June 2021.*
- *As informed in Corporate Governance Certificate of previous year, due to receipt of C&AG comments on the Annual Accounts and the Audit Report of FY 2018-19, on 6th January, 2020, the Corporation could not hold its 36th AGM for the financial year 2018-19 within the stipulated extended period up to 31st December 2019 and had convened its 36th AGM on 24th January, 2020. In this regard, the application for compounding of offence is still pending for approval/ adjudication before the office of RD North New Delhi.*

- पिछले वर्ष की हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि लखनऊ शाखा कार्यालय में सूत आपूर्ति योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के मामले में, प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय से दिनांक 3 अगस्त 2018 को प्राप्त पत्र संख्या 40/4(3)/2018-डीसीएच/एनएचडीसी के अनुपालन में कंपनी की फोरेंसिक लेखा परीक्षा और सतर्कता जांच प्रगति पर है। प्रबंधन ने सूचित किया है कि मामले पर फोरेंसिक लेखा परीक्षा और सतर्कता जांच की रिपोर्ट 28.09.2021 को आयोजित बोर्ड की 167वीं बैठक में रखी गई थी और दिनांक 5 अक्टूबर, 2021 को आयोजित बोर्ड की 168 वीं बैठक में क्रमशः फोरेंसिक लेखा परीक्षक और सीवीओ टीम द्वारा निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।
- निगम को सीपीएसई 2010 के लिए कॉर्पोरेट शासन के दिशानिर्देशों के अनुपालन में प्रशासनिक मंत्रालय के साथ एमओयू संपन्न करना था, किन्तु वित्तीय वर्ष 2017-18 के बाद एमओयू संपन्न नहीं किया है। प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, निगम ने दिनांक 28 दिसंबर 2018 और 9 दिसंबर 2019 को प्रशासनिक मंत्रालय को पत्र भेजा है जिसमें उन कारणों को स्पष्ट किया गया है जिसके कारण निगम मापदंडों/लक्ष्यों को अंतिम रूप देने में असमर्थ रहा था और वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 20 20-21 और 2021-22 के लिए एमओयू संपन्न करने से छूट की मांग की है।

आगे हम उल्लेख करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता है जिसके साथ प्रबंधन ने निगम के मामलों का संचालन किया है।

कृते नवनीत के. अरोड़ा एंड कंपनी एलएलपी
कंपनी सचिव

ह./-

सीएस नवनीत अरोड़ा
प्रबंधन पार्टनर

दिनांक: 01 नवंबर 2021

स्थान: नई दिल्ली

FCS: 3214, COP: 3005

UDIN : F003214C001347975

- *With reference to our Corporate Governance Certificate of previous year, wherein it was mentioned that Forensic Audit and Vigilance probe of the Company, in the matter of irregularities in the implementation of Yarn Supply Scheme in Lucknow Branch Office in pursuance of the letter No 40/4(3)/2018-DCH/NHDC dated 3rd August 2018 received from Administrative Ministry i.e. Government of India, Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner Handlooms were under progress. The management has informed that the reports of the Forensic Audit and the Vigilance Probe were placed at the 167th Board Meeting held on 28th September 2021 and were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively before the Board of Directors in its 168th Board Meeting held on 5th October 2021.*
- *Corporation was required to enter MOU with the administrative ministry in compliance of Corporate Governance Guidelines for CPSE 2010 but has not entered after financial year 2017-18 onwards. As informed by the management the Corporation has sent communications to the administrative Ministry on dated 28th December 2018 & 09th December 2019 explaining the reasons due to which Corporation was unable to finalize the parameters/targets and seeking exemption from entering MOU for the financial years 2018-19, 2019-20, 2020-21 & 2021-22.*

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Corporation.

**For Navneet K Arora & Co LLP
Company Secretaries**

**Date: 01st November 2021
Place: New Delhi**

**Sd/-
CS Navneet Arora
Managing Partner
FCS: 3214, COP: 3005
UDIN : F003214C001347975**

प्रबंधन विचार—विमर्श और विश्लेषण

1. हथकरघा परिदृश्य:

हथकरघा क्षेत्र कृषि के बाद आर्थिक गतिविधियों वाला सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है और ग्रामीण तथा अर्ध-ग्रामीण आजीविका का एक अभिन्न हिस्सा है जो 35 लाख से अधिक बुनकरों और संबद्ध कामगारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है।

07 अगस्त, 2019 को वस्त्र मंत्रालय द्वारा चौथी हथकरघा संगणना रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें 31 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया जहां हथकरघा बुनाई की कला का कार्य किया जाता है।

हथकरघा क्षेत्र के सुव्यवस्थित एवं सतत विकास और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए भारत सरकार निम्नलिखित योजनाएं एवं कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है:—

क. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)

वर्ष 2021–22 से 2025–26 के दौरान कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) तैयार किया गया है। योजना में हथकरघों के एकीकृत एवं सुव्यवस्थित विकास और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है। यह योजना बुनकरों को स्वयं सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि सहित सहकारी समूह के भीतर और बाहर कच्चे माल, डिजाइन इनपुट, प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रदर्शनियों के माध्यम से विपणन सहायता, शहरी हाट, विपणन परिसरों के रूप में स्थायी बुनियादी ढांचे का निर्माण करने आदि में सहयोग करती है।

एनएचडीपी के संघटक—

- क) क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) (पहले ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर के रूप में जाना जाता था)
- ख) हथकरघा विपणन सहायता जिसमें कवर नहीं किए गए और प्रतिभाशाली बुनकरों पर विशेष बल दिया गया है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईएचटी) से संबंधित परियोजनाओं सहित अवसंरचना और विशेष परियोजनाएं
- ग) मेगा हैंडलूम क्लस्टर (पहले व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) के रूप में जाना जाता था)
- घ) रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा ऋण
- ङ) हथकरघा बुनकर कल्याण {पहले हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस) के रूप में जाना जाता था}
- च) विविध घटक—
 - i. अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं
 - ii. हथकरघा जनगणना
 - iii. प्रचार, विज्ञापन, निगरानी, प्रशिक्षण और योजना का मूल्यांकन
 - iv. बुनकरों/उनके बच्चों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस)/इग्नू के माध्यम से शिक्षा
 - v. परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ,
 - vi. हथकरघा हेल्पलाइन केंद्र
 - vii. एनएचडीपी, एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस, सीएचसीडीएस, एनईआरटीपीएस आदि की पूर्व में प्रतिबद्ध देनदारियां।
- छ) कोई अन्य घटक

ANNEXURE B TO DIRECTORS' REPORT

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

1. HANDLOOM SCENARIO:

The handloom sector is one of the largest unorganized economic activities and constitutes an integral part of the rural and semi-rural livelihood which provides direct and indirect employment to more than 35 Lakh weavers and allied workers.

On August 07, 2019, 4th Handloom Census report was released by the Ministry of Textiles, involving 31 States and Union Territories which have the practice of art of Handloom weaving.

For holistic and sustainable development of handloom sector and welfare of handloom weavers, the Government of India is implementing following schemes and programmes :-

A. National Handloom Development Programme (NHDP)

National Handloom Development Programme (NHDP) has been formulated for its implementation during financial year 2021-22 to 2025-26. The scheme will follow need-based approach for integrated and holistic development of handlooms and welfare of handloom weavers. The scheme will support weavers, both within and outside the cooperative fold including Self Help Groups etc. towards raw material, design inputs, technology up-gradation, marketing support through exhibitions, create permanent infrastructure in the form of Urban Haats, marketing complexes etc.

Components of NHDP –

- a) Cluster Development Programme (CDP) (earlier known as Block Level cluster)
- b) Handloom Marketing Assistance with special emphasis on uncovered & talented weavers. Infrastructure & Special Projects including Indian Institutes of Handloom Technology (IIHT)-related projects
- c) Mega Handloom Cluster [earlier known as Comprehensive Handloom Cluster Development Scheme (CHCDS)]
- d) Concessional Credit/Weavers" MUDRA Loan
- e) Handloom Weavers" Welfare {earlier known as Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme (HWCWS)}
- f) Miscellaneous Components-
 - I. Research & Development projects
 - II. Handloom Census
 - III. Publicity, Advertisement, Monitoring, Training & Evaluation of Scheme
 - IV. Education of weavers/their wards through National Institutes of Open Schooling (NIOS)/IGNOU
 - V. Project Monitoring Cell,
 - VI. Handloom Helpline Centre
 - VII. Earlier committed liabilities of NHDP, HWCWS, CHCDS, NERTPS etc.
- g) Any other component

ख. रॉ मैटेरियल सप्लाई स्कीम (आरएमएसएस)

भारत सरकार ने मार्च, 2020 तक कार्यान्वयन हेतु दिनांक 18 अप्रैल, 2018 से यार्न आपूर्ति योजना संबंधी दिशानिर्देश संशोधित किए हैं।

यह योजना पात्र हथकरघा एजेंसियों के लिए मिल गेट मूल्य पर सभी प्रकार के यार्न के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत, भारत सरकार द्वारा डिपो प्रचालन व्यय तथा परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा, हथकरघा बुनकरों को विद्युतकरघा तथा मिल क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने के उद्देश्य से सब्सिडीयुक्त यार्न मुहैया कराया जाता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रतिपूर्ति आधार पर मात्रात्मक प्रतिबंधों के साथ सूती हैंक यार्न, घरेलू रेशम यार्न, ऊनी यार्न, लिनन तथा प्राकृतिक फाइबरों के मिश्रित यार्न पर 15% मूल्य सब्सिडी उपलब्ध है।

2. ताकत एवं कमजोरी:

निगम का 9 क्षेत्रीय कार्यालयों और 30 शाखा कार्यालयों के माध्यम से 29 राज्यों/सघ राज्य क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय नेटवर्क है। निगम की मौजूदगी बाजार में हस्तक्षेप के एक प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करती है ताकि निजी व्यापारियों के एकाधिकार स्वरूप को प्रतिबंधित किया जा सके, जिससे कि हैंक यार्न दरों को उचित स्तर के भीतर रखा जा सके। निगम, क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए सामाजिक जिम्मेदारी का एक उत्तम कार्य करता है, जिसमें असंगठित क्षेत्र में गरीब कारीगर/हथकरघा बुनकर शामिल हैं, जो उच्च सांस्कृतिक विरासत और भारतीय संस्कृति के पारंपरिक गुणों वाली मर्दों के उत्पादन में लगे हुए हैं।

अगले कुछ वर्षों में विभिन्न स्तरों पर कुछ कार्मिक सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और कुछ कार्मिकों ने वीआरएस भी ले लिया है। विभिन्न स्तरों पर कार्मिकों की सेवा निवृत्ति से हुई रिक्रियों को भरने के लिए, निगम ने अपने मध्यम स्तर के अधिकारियों को आवश्यकताओं के आधार पर उच्च जिम्मेदारियों को लेने के लिए प्रशिक्षित/तैयार करने की योजना बनाई है। पिछले दो वर्षों से वाईएसएस के कार्यान्वयन के एनएचडीसी के मौजूदा व्यवसाय में विभिन्न कारणों से और प्रमुख रूप से विगत में कोविड-19 महामारी की वजह से कमी रही है, इसके अलावा निगम को अनिश्चित मांग का सामना करना पड़ रहा है और राज्य के शीर्ष निकायों से भुगतान में देरी हो रही है।

3. अवसर एवं आशंका:

हांक यार्न उत्पादन का उपभोग करने वाले ऐसे हथकरघा क्षेत्र, जिनमें अभी पहुंच नहीं हुई है, उनमें पहुंच बनाकर व्यापार का विस्तार करने और विविधता लाने की एक बड़ी गुंजाइश है। एनएचडीसी सभी हथकरघा क्षेत्र से संबंधित विकास और हथकरघा बुनकर की उद्योग संबंधी आवश्यकताओं के लिए एक स्थान पर समाधान सुविधाप्रदाता बनने की आकांक्षा रखता है। इस संबंध में मौजूदा एनएचडीसी ढांचे का पुनर्गठन करके मौजूदा संसाधनों और प्रचालन दक्षता को अनुकूलतम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

यार्न बाजार अच्छी तरह से विकसित है और निजी व्यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा है जो पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित हैं और बुनकरों को तुलनात्मक रूप से बेहतर क्रेडिट और अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। उसी से निपटने के लिए, निगम प्रतिस्पर्धी/सबसे कम दरों पर हथकरघा बुनकरों को यार्न प्रदान करने की दृष्टि से भारी मात्रा के लिए यार्न दरों में छूट प्राप्त कर रहा है और बातचीत कर रहा है। हथकरघा बुनकर एजेंसियों द्वारा पहुंच के लिए दरों को निगम की वेबसाइट पर मासिक आधार पर रखा जाता है, जिससे बेहतर पारदर्शिता आती है।

4. संभावना:

निगम का मानना है कि यह साल दर साल नई ऊंचाइयों को हासिल करने के अपने विकास के प्लेटफार्म पर बना रहेगा। निगम अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए अपनी ताकत और कमजोरियों का फिर से आकलन करता है और उसी के अनुसार अपनी व्यावसायिक योजना तैयार करता है, जो निगम को अपने नए विकास क्षेत्र की पहचान करने में सक्षम करेगा।

B. Raw Material Supply Scheme (RMSS)

Government of India has revised the guidelines for raw material supply to Handloom sector namely Raw Material Supply Scheme (RMSS) w.e.f. from 25th October 2021, for its implementation during financial year 2021-22 to 2025-26.

This scheme makes available all types of yarn at Mill Gate Price to the eligible handloom agencies. Under this scheme, depot operating expenses and transportation expenses are being reimbursed by Government of India. Further, to provide the subsidized yarn to handloom weavers in order to compete with power loom and mill sector, 15% price subsidy on cotton hank yarn, domestic silk yarn, woolen yarn, linen yarn and blended yarn of natural fibre is available with quantity restrictions on reimbursement basis through Direct Benefit Transfer (DBT).

2. STRENGTH AND WEAKNESSES:

Corporation has a national network having presence in 29 States/Union Territories through 7 Regional Offices, and 30 Branch Offices. The presence of the Corporation serves as an effective tool to intervene the market so as to restrict the monopolistic character of the private traders, in order to keep the hank yarn rates within a reasonable level. Corporation serves a noble cause of social responsibility by catering to a sector, which consists of poor artisans/ handloom weavers in unorganized sector, engaged in the production of items of high cultural heritage and traditional value of Indian culture.

Few employees are going to superannuate at various levels in the next few years. To fill the vacuum that may be created by the superannuation of the employees at various levels, corporation has planned to train/ gear up its middle level executives to take up the higher responsibilities depending upon the requirements. For the last two years the existing business of NHDC of implementation of YSS has taken a hit because of various reasons and off late majorly because of Covid 19 pandemic, besides corporation is facing uncertain demand and delayed payments from state apex bodies.

3. OPPORTUNITIES AND THREATS:

There is a large scope to expand and diversify the business by reaching the untapped handloom sector consuming the hank yarn production. NHDC aspires to become a one stop solution for all handloom sector related development and industry related requirements of handloom weaver. In this regard the efforts are being made to optimize the existing resources and operational efficiency by restructuring the existing NHDC framework.

The yarn market is well developed and there is a competition with the private traders which are already well established and offer comparatively better credit and other facilities to the weavers. To combat the same, the corporation is obtaining and negotiating the yarn rates for bulk quantity discounts with a view to provide yarn to the handloom weavers at competitive/ lowest rates. Rates are placed on the corporation's website as well on monthly basis for access by the handloom weavers' agencies, resulting in better transparency.

4. OUTLOOK:

The corporation believes that it will continue to be on its growth platform achieving new heights year by year. To further strengthen its position the corporation keep re-assessing its strengths and weaknesses and preparing its business plan accordingly which shall enable the corporation to identify its new growth area.

5. संघटक-वार तथा उत्पाद-वार कार्य निष्पादन:

यार्न, हथकरघा क्षेत्र को आपूर्ति की जाने वाली मुख्य कच्ची सामग्री है, जो निगम के कारोबार में सबसे अधिक योगदान देती है। इसका योगदान वर्ष 2019-20 के दौरान निगम के कुल कारोबार 94.37% से घटकर वर्ष 2020-21 के दौरान 92.07% रह गया है। रंजक और रसायनों का प्रतिशत हिस्सा वर्ष 2019-20 के दौरान 5.63% से बढ़कर वर्ष 2020-21 के दौरान 7.93% हो गया है।

निगम के कार्यों का खंड-वार विश्लेषण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

| क्र. सं. | खंड/उत्पाद | 2020-21 | | 2019-20 | |
|----------|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | कारोबार | प्रतिशत | कारोबार | प्रतिशत |
| 1 | Yarn | 526.68 | 92.07% | 706.53 | 94.37% |
| 2 | Dyes & chemicals | 45.36 | 7.93% | 42.13 | 5.63% |
| कुल | | 572.04 | 100.00% | 748.67 | 100.00% |

6. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी उपयुक्तता:

निगम के पास आंतरिक नियंत्रण की एक प्रणाली है, जो लगातार विकसित हो रही है। आंतरिक नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, व्यापक आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली के अलावा, आंतरिक लेखा परीक्षकों को समय-समय पर आवश्यकता के आधार पर नए चेक पॉइंट की भी सलाह दी जाती है। बोर्ड की मंजूरी के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, निगम के आंतरिक लेखा परीक्षा स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा की गई थी। आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा प्रणालियों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा सावधिक समीक्षा की जाती है और निरंतर सुधार के लिए जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

7. प्रचालनात्मक निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर विचार-विमर्श:

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निगम का कारोबार वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 748.67 करोड़ रुपए की तुलना में 572.04 करोड़ रुपए रहा है एवं कोविड से प्रभावित रहा। असाधारण मदों तथा कर-पूर्व घाटा कम हुआ है जो वित्त वर्ष 2019-20 में 11.13 करोड़ रुपए से घटकर वित्त वर्ष 2020-21 में 9.81 करोड़ रुपए रहा है और कर-पश्चात निवल घाटा वित्त वर्ष 2019-20 में 11.19 करोड़ रुपए से घटकर वित्त वर्ष 2020-21 में 9.63 करोड़ रुपए रहा है। निगम की निवल संपत्ति 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार 88.42 करोड़ रुपए से घटकर 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार 78.59 करोड़ रुपए रही है।

निगम का पूंजीगत ढांचा वित्त वर्ष 2020-21 में 100/- रुपए प्रत्येक के 19 लाख इक्विटी शेयर में विभाजित 19 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी के साथ अपरिवर्तित रहा। वित्त वर्ष 2020-21 में घाटे के कारण, कंपनी के निदेशक मंडल ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए किसी भी राशि को रिजर्व में स्थानांतरित नहीं करने का फैसला किया है। इसके अलावा, निदेशक मंडल द्वारा किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं की गई है।

5. SEGMENT-WISE AND PRODUCT WISE PERFORMANCE:

Yarn, being the main raw material supplied to the handloom sector, continues to be the highest contributor to the turnover of the corporation. Its contribution has decreased from 94.37 % of the total turnover of the corporation during the year 2019-20 to 92.07% during the year 2020-21. The percentage share of the dyes and chemicals has increased from 5.63% during the year 2019-20 to 7.93% during the year 2020-21.

The segment wise analysis of the operations of the corporation is placed herein below:

(Rs. in crore)

| S. No. | Segment/ product | 2020-21 | | 2019-20 | |
|--------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | Turnover | Percentage | Turnover | Percentage |
| 1 | Yarn | 526.68 | 92.07% | 706.53 | 94.37% |
| 2 | Dyes & chemicals | 45.36 | 7.93% | 42.13 | 5.63% |
| Total | | 572.04 | 100.00% | 748.67 | 100.00% |

6. INTERNAL CONTROL SYSTEM AND THEIR ADEQUACY:

The corporation has a system of internal control, which is continuously evolving. In order to make the internal control more effective, besides comprehensive Internal Audit Manual, the new check points are also advised to the internal auditors from time to time on need basis. As per the approval of the Board of Director, for FY 2020-21, the Internal Audit of the Corporation was conducted by outside independent Chartered Accountants. The internal control and audit systems are being reviewed periodically by the Audit Committee and corrective measures are taken, wherever necessary, for continuous improvement.

7. DISCUSSION ON FINANCIAL PERFORMANCE WITH RESPECT TO OPERATIONAL PERFORMANCE:

The turnover of the corporation during the FY 2020-21 is Rs. 572.04 crore as compared to Rs 748.67 crore during FY 2019-20 and has been affected by the Covid-19 pandemic. The loss before extraordinary items and tax has decreased from Rs. 11.13 crore in the FY 2019-20 to loss of Rs. 9.81 crore in the FY 2020-21 and net loss after tax decreased from Rs. 11.19 crore in the FY 2019-20 to a loss of Rs. 9.63 crore in the FY 2020-21. The net worth of the corporation has decreased from Rs. 88.42 crore as on 31st March, 2020 to Rs. 78.59 crore as on 31st March, 2021.

The capital structure of the corporation remained unchanged with the paid-up capital of Rs.19 crore divided into 19 Lakh equity share of Rs.100/- each in the FY 2020-21. Due to losses in FY 2020-21, the Board of Directors of your company, have decided not to transfer any amount to the Reserves for the year under review. Further, no dividend has been recommended by the Board of Directors.

8. नियोजित कार्मिकों की संख्या सहित मानव संसाधन में विकास:

कार्मिकों की दक्षता निगम का मुख्य केंद्र बिंदु रही है। निगम के कार्मिकों के कौशल उन्नयन के लिए तकनीकी, प्रबंधकीय और आईटी क्षेत्रों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, निगम के कार्मिकों की कुल संख्या 130' (पिछले वर्ष 167) है, जिसमें 15 (11.5%) अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के कार्मिक, 07 (5.3%) अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित कार्मिक, 23 (17.6%) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी से संबंधित और 03 (2.30%) दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी से संबंधित कार्मिक शामिल हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण रहे हैं।

9. निगम का सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

निगम ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों और संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी सीएसआर नीति को संशोधित किया है। संशोधित नीति नामतः 'एनएचडीसी सीएसआर एवं स्थिरता नीति 2014' को दिनांक 24 नवंबर, 2014 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा मंजूरी के बाद इसे निगम की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया।

सीएसआर समिति की संरचना और अन्य संबंधित सूचना बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध के अनुसार, निगम से संबंधित शासन प्रणाली की रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

10. अभिरक्षक वक्तव्य:

निगम के उद्देश्यों, अनुमानों और अपेक्षाओं का वर्णन करने वाली प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में वक्तव्य लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ में 'भावी वक्तव्य' हो सकते हैं। हालांकि, वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित से काफी हद तक भिन्न या भौतिक हो सकते हैं। निगम के प्रचालन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में भारत में राजनीतिक और आर्थिक वातावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल हैं जिसमें देश में मुकदमेबाजी और हथकरघा गतिविधि शामिल है।

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./—
(संजय रस्तोगी)
अध्यक्ष

डीआईएन: 07722405

8. DEVELOPMENT IN HUMAN RESOURCE INCLUDING NUMBER OF PERSONS EMPLOYED:

Employees' efficiency has been the key focus of the corporation. Various training programmes in technical, managerial and IT areas are organized for upgrading the skills of the employees of the corporation.

Total number of employees of the Corporation as on 31st March 2021 stands at 130* (Previous year 167) which include 15 (11.5%) employees belonging to Scheduled Castes (SC) category, 07 (5.3%) employees belonging to Scheduled Tribes (ST) category, 23 (17.6%) employees belonging to Other Backward Classes (OBC) category and 03 (2.30%) employees belonging to Persons with Disabilities (PWD) category.

The Industrial relations have been cordial and remained peaceful during the year under review.

9. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR):

Corporation has revised its CSR Policy in accordance with the provisions of Section 135 of the Companies Act 2013 and revised DPE guidelines. The revised policy named 'NHDC CSR & Sustainability Policy 2014' has been uploaded on corporation's website, after its approval by the Board of Directors in its meeting held on 24th November, 2014.

The Composition of the CSR Committee and other related information are provided in the Report of Corporate Governance, as annexures to the Board's Report, which forms part of this Annual report

10. CAUTIONARY STATEMENT:

Statements in the Management Discussion and Analysis Report describing the corporation's objectives, projections and expectations may be 'forward looking statements' within the meaning of applicable laws and regulations. The actual results may, however, differ substantially or materially from those expressed or implied. Important developments that could affect the corporation's operations include significant changes in the political and economic environment in India that involves litigations and handloom activity in the country.

For and on behalf of Board of Directors

**Sd/-
Shri Sanjay Rastogi
Chairman
DIN: 07722405**

निदेशकों की रिपोर्ट का संबंधी अनुलग्नक-ग

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लेखाओं के संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर निदेशक मंडल का उत्तर

| क्र. सं. | सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियां | निदेशक मंडल का उत्तर |
|----------|---|---|
| 1. | <p>(क) ऊपर यथाउल्लिखित एनएचडीसी के 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जहां हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हैंक यार्न की बिक्री/खरीद की जाती है, जिसमें भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय 10% सब्सिडी तथा समय-समय पर घोषित योजना के अनुसार अन्य दावे (जिसमें माल-भाड़ा सब्सिडी तथा डिपो प्रभार शामिल हैं) उपलब्ध कराता है।</p> <p>जैसा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के वित्तीय लेखाओं के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी के लखनऊ शाखा जो वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत है, ने शुरू में पिछले वर्ष 2018-19 के दौरान पिछले वर्ष अर्थात् 2018-19 की प्रथम तिमाही में 385.04 करोड़ रूपए की कुल बिक्री और खरीद की थी। इसमें से 190.82 करोड़ रूपए की बिक्री और खरीद को उक्त लखनऊ कार्यालय द्वारा ईआरपी लेखाकन प्रणाली में रद्द कर दिया गया। मामले को जांच एजेंसी सीबीआई तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेज दिया गया है।</p> <p>शेष 194.22 करोड़ रूपए की बिक्री/खरीद को कुल देनदारों (टिप्पणी संख्या 13 (ii) देखें) तथा लेनदारों (टिप्पणी संख्या 5 (ii) देखें) में दिखाया जा रहा है।</p> <p>(ख) एनएचडीसी यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस) को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। तत्कालीन प्रचलित वाईएसएस योजना के प्रावधानों के अनुसार, एनएचडीसी विभिन्न उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा दिए गए मांगपत्रों की ओर से आपूर्तिकर्ताओं को आदेश देता है। उपयोगकर्ता एजेंसियां लेनदेन मूल्य का 90% भुगतान करती हैं और शेष 10% का भुगतान भारत सरकार द्वारा एनएचडीसी के माध्यम से सब्सिडी के रूप में किया जाता है। बाद, एनएचडीसी, आपूर्तिकर्ता मिलों को लेनदेन मूल्य का 100% जारी करता है, लखनऊ में तत्काल, एनएचडीसी ने उपयोगकर्ता एजेंसियों से केवल 90% हिस्सा प्राप्त किया और आपूर्तिकर्ता मिलों को 100% का भुगतान किया। 1.03.2018 से 31.03.2018 के दौरान 215.79 करोड़ रु. की बिक्री के कारण 22.66 करोड़ रुपये के एनएचडीसी सेवा शुल्क और सब्सिडी घटक कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान वापस कर दिया गया था क्योंकि वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) ने कंपनी को सब्सिडी राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की थी। इस तथ्य के परिणामस्वरूप कि एमओटी से 21.58 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई, कंपनी ने भारत सरकार से बकाया प्राप्तियों से 21.58 करोड़ रुपये कम कर दिए और उसे आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम के रूप में बुक किया (टिप्पणी संख्या 13(ii) देखें)।</p> | <p>वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही के दौरान 190.82 करोड़ रुपये की बिक्री और खरीद को रद्द कर दिया गया है और उपरोक्त मामले को सीबीआई और सीवीसी को भेज दिया गया है। सीबीआई से प्राप्त सूचना के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फॉरेंसिक लेखा परीक्षा और सतर्कता जांच शुरू की गई थी। मामले पर फॉरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट क्रमशः फॉरेंसिक लेखा परीक्षक और सीवीओ टीम द्वारा निदेशक मंडल के समक्ष 05.10.2021 को प्रस्तुत की गई थी। निदेशक मंडल के निर्देश और सीबीआई के पत्र के अनुसार, इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सीबीआई को फॉरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट प्रदान की गई है।</p> <p>एनएचडीसी यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस) को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। वाईएसएस योजना के प्रावधानों के अनुसार, एनएचडीसी विभिन्न उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा दिए गए मांगपत्रों की ओर से आपूर्तिकर्ताओं को आदेश देता है। उपयोगकर्ता एजेंसियां लेन-देन मूल्य का 90% भुगतान करती हैं और शेष 10% का भुगतान भारत सरकार द्वारा एनएचडीसी के माध्यम से सब्सिडी के रूप में किया जाता है और एनएचडीसी आपूर्तिकर्ता मिलों को लेनदेन मूल्य का 100% जारी करता है, लेकिन भारत सरकार द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी। इस मामले के लिए, एनएचडीसी ने उपयोगकर्ता एजेंसियों से केवल 90% हिस्सा प्राप्त किया और आपूर्तिकर्ता मिलों को 100% का भुगतान किया, आपूर्तिकर्ताओं को उनकी खाता-बही में 21.58 करोड़ रुपये की 10% सब्सिडी की राशि (यानी मार्च, 2018 की बिक्री के लिए 215.79 करोड़ रुपये का 10%) को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया गया कि भारत सरकार ने एनएचडीसी को सब्सिडी की उपरोक्त राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की है।</p> |

ANNEXURE C TO THE DIRECTORS REPORT

REPLY OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE COMMENTS OF THE STATUTORY AUDITORS ON THE ACCOUNTS FOR THE FY 2020-21

| S. No | Comments of Statutory Auditors | Reply of the Board of Directors |
|-------|---|---|
| 1. | <p>A) NHDC having “7” Regional offices as mentioned above from where sale/purchase of Hank Yarn is undertaken to promote the Handloom Sector on which Government of India, Ministry of Textile office of the Development Commissioner, Handloom provide 10 % Subsidy and other claims (which includes freight subsidy and depot charges) as per scheme announced time to time.</p> <p>As pointed in our Audit report on the Financial Accounts of FY 2018-19 and 2019-20 the Company’s Lucknow branch Office, which was under Varanasi Regional Office, had initially booked total Sales & Purchase during the Financial year 2018-19 amounting to Rs. 385.04 Crores in the 1st Quarter of Financial year i.e. 2018-19 respectively. Out of this, Sales and Purchase to the tune of Rs. 190.82 Crores have been cancelled by the said Lucknow Office in ERP accounting system. The matter has been referred to investigation agency CBI and Central Vigilance Commission.</p> <p>Remaining Sales/Purchase amounting to Rs. 194.22 Crores is being shown in total debtors (Refer Note No. 13(ii)) as well as Creditors ((Refer Not No. 5 (ii)).</p> <p>B) NHDC is the nodal agency for implementing Yarn Supply Scheme (YSS). As per the provisions of the then prevalent YSS scheme, NHDC places the orders to the suppliers on behalf of the indents given by the various user agencies. The user agencies pay 90% of transaction value and rest 10% is paid by Government of India in form of the subsidy through NHDC. NHDC, then releases 100% of transaction value to the Supplier Mills, In Lucknow instant, NHDC received only 90% share from user agencies and paid 100% to the supplier mills. NHDC Service charge and subsidy component of Rs. 22.66 crore, on account of sales of Rs. 215.79 crore made during 1.03.2018 to 31.03.2018 was reversed by the Company during FY 2018-19 as Ministry of Textiles (MOT) did not reimburse the subsidy amount to the company. Consequent to the fact that subsidy of Rs 21.58 crore was not received from the MOT, the company reduced Rs. 21.58 crore from receivables due from Government of India and booked the same as advances to suppliers (Refer Note No. 13(ii)).</p> | <p>During the 1st Quarter of 2018-19 the sales and purchase to the tune of Rs. 190.82 Crores have been cancelled and the above matter has been referred to CBI and CVC. As per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the CVO. The Forensic Audit Report and the Vigilance Probe report on the matter were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors on 05.10.2021. As per the directions of the Board of Directors and the CBI letter, the Forensic Audit Report and the Vigilance Probe Report has been provided to CBI for further necessary action in this regard.</p> <p>NHDC is the nodal agency for implementing Yarn Supply Scheme (YSS). As per the provisions of the YSS scheme, NHDC places the orders to the suppliers on behalf of the indents given by the various user agencies. The user agencies pay 90% of transaction value and rest of 10% is paid by Government of India in form of the subsidy through NHDC and NHDC releases 100% of transaction value to the Supplier Mills, but the same was not reimbursed by Government of India. For this case, NHDC received only 90% share from user agencies and paid 100% to the supplier mills, amount of 10% subsidy of Rs.21.58 crore (i.e.10% of Rs.215.79 crore for the sales of March,2018) adjusted in their book of accounts by debiting the suppliers considering the fact the Government of India didn’t reimburse the aforesaid amount of subsidy to the NHDC.</p> |

| क्र. सं. | सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियां | निदेशक मंडल का उत्तर |
|----------|---|---|
| | <p>चूंकि इस मामले को हमारे द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 में हमारी रिपोर्ट में पहले ही इंगित किया गया है, सीबीआई से प्राप्त सूचना के अनुसार, प्रबंधन द्वारा फॉरेंसिक लेखा-परीक्षा और सतर्कता जांच शुरू की गई थी और यह 31.03.2021 तक प्रक्रियाधीन थी। दोनों एजेंसियों ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट एनएचडीसी को सौंपी है। तदनुसार, रिपोर्ट के परिणाम के अनुसार मामले को निपटाया जा सकता है।</p> | <p>दिनांक 01.04.2018 से 30.06.2018 तक के लेनदेन को जांच एजेंसियों को भेज दिया गया है। सीबीआई से प्राप्त सूचना के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फॉरेंसिक लेखा परीक्षा और सतर्कता जांच शुरू की गई थी। मामले पर फॉरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट क्रमशः फॉरेंसिक लेखा परीक्षक और सीवीओ टीम द्वारा निदेशक मंडल के समक्ष 05.10.2021 को प्रस्तुत की गई थी। निदेशक मंडल के निर्देश और सीबीआई के पत्र के अनुसार, इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सीबीआई को फॉरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट प्रदान की गई है।</p> |
| 2. | <p>टिप्पणी सं. '4ए' में यथा उल्लिखित, 21,01,33,172 रूपए को कार्पस निधि (विपणन काम्प्लेक्स) में जमा किया गया है और तदनुसार उसे बैलेंस शीट की अनुसूची 11 के अनुसार मियादी जमा में निवेशित किया गया है। 31 मार्च, 2017 तक कार्पस निधि (विपणन काम्प्लेक्स) के मियादी जमा पर अर्जित ब्याज को संबंधित निधि संग्रह में जमा किया गया था लेकिन वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2018-19 में मियादी जमा के ब्याज को कार्पस निधि (विपणन काम्प्लेक्स) में जमा करने की बजाय निगम की ब्याज आय के रूप में माना गया है। परंतु वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान विपणन काम्प्लेक्स के एफडीआर से अर्जित ब्याज आय को कार्पस निधि (विपणन काम्प्लेक्स) में जमा किया गया है।</p> <p>वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए कॉरपस निधि संग्रह (विपणन काम्प्लेक्स) में जमा नहीं किए गए ब्याज के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई वास्तविक गणना के बाद की जानी चाहिए।</p> | <p>यह उल्लेखनीय है कि इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई के लिए विस्तृत विश्लेषण और पिछली ब्याज आय के समाधान की आवश्यकता है, ताकि कंपनी अधिनियम, 2013 और आयकर अधिनियम, 1961 के तहत सबसे उपयुक्त लेखांकन निवारण/सुधारात्मक कार्रवाई का आकलन किया जा सके। इस संबंध में, निदेशक मंडल के निर्देशों के अनुसार विशेषज्ञ राय मांगी गई है और तदनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।</p> |
| 3. | <p>टिप्पण सं. '4(बी)' में उल्लेख किए गए अनुसार 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार 10,60,37,100/-रूपए को कार्पस निधि (मेगा क्लस्टर) में जमा किया गया था। मियादी जमा के ब्याज को कार्पस निधि (मेगा क्लस्टर) में जमा करने की बजाय निगम की ब्याज आय के रूप में माना गया है। परंतु वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान कार्पस निधि (मेगा क्लस्टर) के एफडीआर से अर्जित ब्याज आय को कार्पस निधि (मेगा क्लस्टर) में जमा किया गया है।</p> <p>दिनांक 31.03.2017 तक कार्पस निधि (मेगा क्लस्टर) में जमा नहीं किए गए ब्याज के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई वास्तविक गणना के बाद की जानी चाहिए।</p> | <p>यह उल्लेखनीय है कि इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई के लिए विस्तृत विश्लेषण और पिछली ब्याज आय के समाधान की आवश्यकता है, ताकि कंपनी अधिनियम, 2013 और आयकर अधिनियम, 1961 के तहत सबसे उपयुक्त लेखांकन निवारण/सुधारात्मक कार्रवाई का आकलन किया जा सके। इस संबंध में, निदेशक मंडल के निर्देशों के अनुसार विशेषज्ञ राय मांगी गई है और तदनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।</p> |

एनएचडीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

ह./-

संजय रस्तोगी

अध्यक्ष

DIN: 07722405

| S. No | Comments of Statutory Auditors | Reply of the Board of Directors |
|-------|---|--|
| | <p>As this matter had already been pointed out by us in the FY 2018-19 and 2019-20 in our report, as per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the same were under process till 31.03.2021. Both the agencies have recently submitted their Report to NHDC. The matter may, accordingly, be dealt as per the outcome of the reports.</p> | <p>The transaction from 01.04.2018 to 30.06.2018 has been referred to investigating agencies. As per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the CVO. The Forensic Audit Report and the Vigilance Probe report on the matter were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors on 05.10.2021. As per the directions of the Board of Directors and the CBI letter, the Forensic Audit Report and the Vigilance Probe Report has been provided to CBI for further necessary action in this regard.</p> |
| 2. | <p>As stated in Note No. "4A" Rs. 21,01,33,172/- is Standing to the Credit of Corpus Fund (Marketing Complex) and correspondingly invested in Fixed Deposits as Per Schedule 11 of the Balance Sheet. Interest earned on Fixed Deposits of Corpus Funds (Market Complexes) till 31st March 2017, was credited to respective Corpus Fund, but during the financial year 2017-18 and 2018-19 the interest on fixed deposit has been taken as interest income of the Corporation instead of crediting to the Corpus Fund (Marketing Complex). Though during the financial year 2019-20 and 2020-21, interest income earned on FDR of Corpus Funds (Market Complexes) has been credited to Corpus Funds (Market Complexes).</p> <p>Corrective action with respect to interest not credited to Corpus Funds (Market Complexes) for the year 2017-18 and 2018-19 should be accounted for after actual calculations.</p> | <p>It is submitted that corrective action in this regard requires a detailed analysis and reconciliation of past interest income, so as to assess the most appropriate accounting treatment/ corrective action under the Companies Act, 2013 and the Income Tax Act, 1961. In this regard, as per the directions of the Board of Directors, expert opinion is sought and corrective action shall be taken accordingly.</p> |
| 3. | <p>As Per Note No. "4(B)", As on 31-03-2021 Rs, 10,60,37,100/- was standing to the Credit of Corpus Fund (Mega Cluster), till 31st March 2017. The interest on fixed deposit has been taken as Interest income of the Corporation, instead of crediting to the Corpus Fund (Mega Cluster). Though during the financial year 2019-20 and 2020-21, interest income earned on FDR of Corpus Fund (Mega Cluster) has been credited to Corpus Funds (Mega Cluster).</p> <p>Corrective action with respect to interest not credited to Corpus Funds (Mega Cluster) till 31.03.2017 should be accounted for after actual calculations.</p> | <p>It is submitted that corrective action in this regard requires a detailed analysis and reconciliation of past interest income, so as to assess the most appropriate accounting treatment/ corrective action under the Companies Act, 2013 and the Income Tax Act, 1961. In this regard, as per the directions of the Board of Directors, expert opinion is sought and corrective action shall be taken accordingly.</p> |

For and on behalf of Board of Directors

**Sd/-
Sanjay Rastogi
Chairman
DIN: 07722405**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर निदेशक मंडल का उत्तर

| सं. | सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां | निदेशक मंडल का उत्तर |
|-----|--|--|
| 1. | <p>क) निगम ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने लेखा विवरण को 31 दिसंबर 2020 को आयोजित वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अपनी 37 वीं एजीएम में 31 दिसंबर 2020 तक निर्धारित विस्तारित अवधि के भीतर नहीं अपनाया है, लेकिन 30 जून 2021 को आयोजित अपनी स्थगित एजीएम में अपने लेखाओं के विवरण को अपनाया है, इसलिए निगम ने धारा 96 और धारा 134 के साथ पठित धारा 129 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य लागू प्रावधानों का उल्लंघन किया था। प्रबंधन ने सूचित किया है कि वार्षिक लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, निगम को सांविधिक लेखा परीक्षकों से 4 जनवरी, 2021 को प्राप्त हुई थी और सीएजी की पूरक लेखापरीक्षा के बाद, संशोधित हस्ताक्षरित लेखा-परीक्षा रिपोर्ट 02.06.2021 को ही निगम द्वारा प्राप्त की गई थी।</p> | <p>कोविड-19 के कारण, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 की वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के लिए 3 माह का सामान्य समय विस्तार दिनांक 16.09.2021 को दिया गया।</p> <p>एनएचडीसी के निदेशक मंडल ने 19 नवंबर, 2020 को आयोजित अपनी 163वीं बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखों को मंजूरी दी। तथापि, सांविधिक लेखा परीक्षकों को बार-बार याद दिलाने के बावजूद, निगम को वित्त वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखाओं पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर सीएंडएजी की टिप्पणियां, वित्तीय वर्ष 2019-20 की एजीएम की नियत तारीख तक अर्थात् 31 दिसंबर, 2020 तक प्राप्त नहीं हुई थीं। तदनुसार, 31 दिसंबर, 2020 को आयोजित एनएचडीसी की 37 वीं एजीएम को वित्तीय वर्ष 2019-20 की सांविधिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर सीएजी की टिप्पणियों को प्राप्त करने के बाद की तारीख में आयोजित करने के लिए स्थगित कर दिया गया था। निगम को सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट दिनांक 4 जनवरी, 2021 को प्राप्त हुई थी। सीएजी को सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, सीएजी ने निगम के वार्षिक लेखों पर एक पूरक लेखापरीक्षा की। सीएंडएजी ने सांविधिक लेखा परीक्षकों को निगम के वार्षिक लेखाओं पर अपनी रिपोर्ट दिनांक 30 दिसंबर, 2020 को संशोधित करने का निर्देश दिया। तब सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपनी संशोधित रिपोर्ट सीएण्डएजी को प्रस्तुत की। सीएण्डएजी ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक लेखाओं और संशोधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर शून्य टिप्पणी जारी की। संशोधित सांविधिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट की हस्ताक्षरित प्रति निगम को 02 जून, 2021 को प्राप्त हुई थी। कोविड 19 की दूसरी लहर के प्रभाव के कारण, वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखाओं को अपनाने के लिए एजीएम 30 जून, 2021 को आयोजित की गई थी।</p> |
| | <p>ख) जबकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) और 149(5) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी को कंपनी के बोर्ड में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता थी किन्तु भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के दिनांक 18 अक्टूबर 2019 के आदेश संख्या 11/26/82-डीसीएच/एनएचडीसी/(खंड प्ट) के अनुपालन में केवल एक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक अर्थात् श्री अनिल कुमार सूद को तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, 18 अक्टूबर 2019 को नियुक्त किया गया था।</p> | <p>निगम एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है और निदेशकों की नियुक्ति भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के माननीय राष्ट्रपति ने दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 के जीओ सं.11/26/82-डीसीएच/एनएचडीसी/(खंड प्ट) के तहत, श्री अनिल कुमार सूद को, तीन वर्ष की अवधि, या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, के लिए एक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया था। कंपनी एक अन्य स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को कई बार पत्र लिखा है।</p> |

ANNEXURE D TO THE DIRECTORS REPORT

REPLY ON THE OBSERVATIONS OF THE SECRETARIAL AUDITORS FOR THE FY 2020-21

| | OBSERVATIONS OF SECRETARIAL AUDITORS | REPLY OF THE BOARD OF DIRECTORS |
|----|--|--|
| a) | <p>The Corporation has not adopted its Statement of Accounts for the financial year ended 31st March 2020 in its 37th AGM for the financial year 2019-20 held on 31st December 2020 within the stipulated extended period up to 31st December 2020, but has adopted its statement of accounts in its adjourned AGM held on 30th June 2021, hence the Corporation had violated the provisions of Section 96 & Section 129 read with 134 and other applicable provisions of the Companies Act 2013. The Management has informed that the Audit Report on the Annual Accounts of the Corporation was received from the Statutory Auditors on 4th January, 2021 and after the supplementary Audit of C&AG, the revised signed Audit Report was received by the Corporation only on 02.06.2021.</p> | <p>Due to Covid 19, general extension of time by 3 months, for conduction of Annual General Meeting of FY 2019-20 was given by the Ministry of Corporate Affairs on 16.09.2021.</p> <p>The Board of Directors of NHDC approved the Annual Accounts of FY 2019-20 in its 163rd Board meeting held on 19th November, 2020. However, in spite of repeated reminders to the Statutory Auditors, the Corporation had not received the Auditors Report and C&AG comments thereon on the Annual Accounts of FY 2019-20 till the due date of AGM of FY 2019-20, i.e. 31st December, 2020. Accordingly, the 37th AGM of NHDC held on 31st December, 2020 was adjourned to be held on a later date, after receiving the Statutory Auditor Report of FY 2019-20 and C&AG comments on the Annual Accounts and Auditor's Report for FY 2019-20. The Corporation had received the Statutory Auditors Report on 4th January, 2021 (Dated 30th Dec., 2020. After submission of the Statutory Audit report with C&AG, C&AG conducted a supplementary Audit on the Annual Accounts of the Corporation. C&AG directed the Statutory Auditors to revise their report dated 30th Dec, 2020, on the Annual Accounts of the Corporation. The Statutory Auditors then submitted their revised report with C&AG. C&AG then issued NIL comments on the Annual Accounts and Revised Auditors Report for FY 2019-20. Signed copy of the revised Statutory Auditor Report was received by the Corporation only on 02nd June, 2021. Due to the impact of 2nd wave of Covid-19, the AGM for adoption of Annual Accounts of FY 2019-20 was held on 30th June, 2021.</p> |
| b) | <p>Where as in term of the provisions of Section 149(4) & 149(5) of the Companies Act, 2013 read with rule 4 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, the Company was required to appoint at least two Independent Directors on the Board of the Company but in compliance of Government of India, Ministry of Textiles Order no. 11/26/82-DCH/NHDC/ (VOL. IV) dated 18th October 2019 only one Non-official Independent Director, namely Shri Anil Kumar Sood was appointed for a period of three years or till further orders, whichever is earlier w.e.f 18th October 2019.</p> | <p>The Corporation is a wholly owned Government Company and Directors are appointed by the Hon'ble President of India. Vide GO no. 11/26/82-DCH/NHDC / (Vol. IV) dated 18th October, 2019 w.e.f 18th October, 2019, Hon'ble President of India had appointed Shri Anil Kumar Sood as a Non- Official Independent Director for a period of three years or till further order whichever is earlier. The Company has constantly written to the administrative Ministry for appointing another Independent Director.</p> |

| सं. | सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां | निदेशक मंडल का उत्तर |
|-----|--|---|
| | <p>इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(1) के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के अनुसार, कंपनी को, अधिकांश स्वतंत्र निदेशकों के साथ बोर्ड की एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करने की आवश्यकता थी। कंपनी ने पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक के बिना, तीन निदेशकों वाली बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है। प्रबंधन ने आगे सूचित किया है कि एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी ने अपने प्रशासनिक मंत्रालय से निगम के बोर्ड में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक की आवश्यक नियुक्ति करने का अनुरोध किया है ताकि बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशक की अधिकतम संख्या का गठन किया जा सके।</p> | <p>इसके अलावा, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने, दिनांक 9 नवंबर, 2021 के जीओ संख्या 11/26/82-डीसीएच/एनएचडीसी/(खंड IV) के तहत, श्रीमती योगिता सिंह को, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में, तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया था।</p> |
| 2. | <p>ग) जबकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को जोखिम प्रबंधन नीति की आवश्यकता थी, कंपनी ने कोई औपचारिक जोखिम प्रबंधन नीति नहीं अपनाई है। तथापि, जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, कंपनी ने जोखिम के प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं।</p> | <p>कंपनी ने कोई औपचारिक जोखिम प्रबंधन नीति नहीं अपनाई है। तथापि, कंपनी ने जोखिम के प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं।</p> |
| 3. | <p>घ) हमारे पिछले वर्ष की सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि लखनऊ शाखा कार्यालय में यार्न आपूर्ति योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के मामले में, प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय से दिनांक 3 अगस्त 2018 को प्राप्त पत्र संख्या 40/4(3)/2018-डीसीएच/एनएचडीसी के अनुपालन में कंपनी की फॉरेंसिक लेखा परीक्षा और सतर्कता जांच प्रगति पर है। प्रबंधन ने सूचित किया है कि मामले पर फॉरेंसिक लेखा परीक्षा और सतर्कता जांच की रिपोर्ट 28.09.2021 को आयोजित बोर्ड की 167 वीं बैठक में रखी गई थी और दिनांक 5.10.2021 को आयोजित बोर्ड की 168 वीं बैठक में क्रमशः फॉरेंसिक लेखा परीक्षक और सीवीओ टीम द्वारा निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।</p> | <p>मामले पर फॉरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट दिनांक 28.09.2021 को आयोजित बोर्ड की 167 वीं बैठक में रखी गई थी और दिनांक 5.10.2021 को आयोजित बोर्ड की 168 वीं बैठक में क्रमशः फॉरेंसिक लेखा परीक्षक और सीवीओ टीम द्वारा निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। निगम के दिनांक 03.08.2018 के पत्र संख्या एनएचडीसी/सीएमडी/एलकेओ-/2018-19/1047 और सीबीआई के दिनांक 30.04.2019 के पत्र सं.411/CA0062019।0484/सीबीआई/एसीबी/एलकेओ के अनुसरण में निदेशक मंडल ने निर्देश दिया कि इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए फॉरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट सीबीआई को प्रस्तुत की जाए। तदनुसार, इसे 27 अक्टूबर, 2021 के पत्र के माध्यम से सीबीआई को प्रस्तुत किया गया था।</p> |

एनएचडीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

ह./-
संजय रस्तोगी
अध्यक्ष
DIN: 07722405

| | OBSERVATIONS OF SECRETARIAL AUDITORS | REPLY OF THE BOARD OF DIRECTORS |
|----|--|---|
| | Further, in term of the provisions of Section 177(1) of the Companies Act, 2013 read with rule 6 of the Companies (Meeting of Board and its powers) Rules, 2014, the Company was required to constitute an Audit Committee of the Board with the majority of Independent Directors. The Company has constituted the Audit Committee of the Board consisting of three directors without sufficient number of Independent Director. The Management has further informed that the Company being a Wholly owned Government Company has requested its administrative ministry for making necessary appointment of Non-Official Independent Director on the Board of the Corporation so as to constitute optimum number of Independent Director in the Board/Audit Committee. | Further, vide GO no 11/26/82-DCH/NHDC /(Vol. IV) dated 9 th November, 2021, Hon'ble President of India had appointed Smt. Yogita Singh as a Non- Official Independent Director for a period of three years or till further order whichever is earlier |
| c) | Where as in term of the provisions of Section 134(3) of the Companies Act, 2013 the Company was required to have a Risk Management policy, the Company has not adopted any formal Risk Management policy. However as informed by the Management the Company has adopted all necessary measures for the management of the risk. | The Company has not adopted any formal Risk Management policy. However, the Company has adopted all necessary measures for the management of the risk |
| d) | With reference to our Secretarial Audit Report of previous year, wherein it was mentioned that Forensic Audit and Vigilance probe of the Company, in in the matter of irregularities in the implementation of Yarn Supply Scheme in Lucknow Branch Office in pursuance of the letter No 40/4(3)/2018-DCH/NHDC dated 3 rd August 2018 received from Administrative Ministry i.e., Government of India, Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner Handlooms were under progress. The management has informed that the reports of the Forensic Audit and the Vigilance Probe on the matter were placed at the 167 th Board meeting held on 28.09.2021 and were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors in its 168 th Board meeting held on 5.10. 2021. | The Forensic Audit Report and the Vigilance Probe report on the matter were placed at the 167 th Board meeting held on 28.09.2021 and were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors in its 168 th Board meeting held on 05.10.2021. In pursuance to the Corporation's letter bearing No. NHDC/CMD/LKO-/2018-19/1047 dated. 03.08.2018 and the CBI letter no. 411/CA0062019A0484/ CBI/ACB/LKO dated. 30.04.2019, the Board of Directors directed that the Forensic Audit Report and the Vigilance Probe Report be submitted to CBI for further necessary action in this regard. Accordingly, the same was submitted to CBI vide letter dated 27 th October, 2021. |

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
Sanjay Rastogi
Chairman
DIN: 07722405

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

(31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए)

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में)

सेवा में,

सदस्य,

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय, चौथा तल, वेगमेंस बिजनेस पार्क,
टावर-I, प्लॉट सं. 03, सेक्टर नॉलेज पार्क-III,
सूरजपुर-कासना मेन रोड, ग्रेटर नोएडा,
गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201306

हमने **राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि. (CIN NO U17299UP1983GOI005974)** (जिसे इसके पश्चात् कंपनी कहा गया है) द्वारा, लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट व्यवहार के पालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा-परीक्षा इस तरीके से की गई थी जिसने हमें नैगमिक आचरणों/ सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने तथा उस पर अपने विचार व्यक्त करने का तर्कसंगत आधार प्रदान किया था।

सचिवीय लेखा-परीक्षा के दौरान पुस्तिकाओं, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों और फाइल किए गए रिटर्न (विवरणी) और कंपनी द्वारा रख-रखाव किए गए अन्य दस्तावेजों तथा कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के हमारे सत्यापन के आधार पर हम एतद्वारा यह सूचित करते हैं कि हमारी राय में, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष को शामिल करते हुए लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने इसके अंतर्गत सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और इसके पश्चात् दी गई सूचना की पद्धति और उसके अधीन सीमा तक कंपनी में समुचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र भी हैं:-

हमने **31 मार्च, 2021** को समाप्त अवधि के लिए कंपनी की पुस्तिकाओं, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों और फाइल किए गए रिटर्न (विवरणी) और कंपनी द्वारा रखरखाव किए गए अन्य दस्तावेजों की जांच, निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:-

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (**अधिनियम**) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- (ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम 1956 ('एससीआरए') और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों:-**लागू नहीं क्योंकि** कंपनी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध नहीं थीं;
- (iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और विनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए उप-नियम:-**लागू नहीं क्योंकि** कंपनी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां समाप्त नहीं की गई है और वे समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध नहीं थीं;
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारियों की सीमा तक इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम:-**लागू नहीं क्योंकि** कंपनी ने समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान कोई ऐसा लेन-देन नहीं किया है;

Secretarial Audit Report

[For the Financial Year ended on 31st March, 2021]

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members,

National Handloom Development Corporation Limited

Regd. Office: 4th Floor, Wegmans Business Park,

Tower-1, Plot No. 03, Sector Knowledge Park-III,

Surajpur- Kansa Main Road, Greater Noida,

Gautam Buddha Nagar, UP- 201306

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and adherence to good corporate practices by the **National Handloom Development Corporation Limited (CIN NO U17299UP1983GOI005974)** (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts / statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on **31st March 2021** complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board - Processes and Compliance -Mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the period ended on **31st March 2021** according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (**the Act**) and the Rules made thereunder;
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder; - **not applicable as the securities issued by Company were not listed during the period under review;**
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed there under; - **not applicable as the securities issued by Company are not dematerialized and were not listed during the period under review;**
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings - **Not applicable as the Company has not made any such transaction during the financial year under review;**

- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत उल्लिखित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश कंपनी पर लागू नहीं थे क्योंकि कंपनी की प्रतिभूतियां संगत लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सूचीबद्ध नहीं थी:-
- (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का व्यापक अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;-
- (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;
- (ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (जारी पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम 2009;
- (घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;
- (ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों जारी करना और सूचीबद्ध करना) विनियम, 2008;
- (च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिंग) विनियम, 2009;
- (छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को वापस लेना) विनियम, 2018;
- (ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इश्यू और शेयर अंतरण एजेंट का पंजीयक) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक से संबंधित है; कंपनी, इश्यू के पंजीयक से संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं थी और यह शेयर अंतरण एजेंट के रूप में भी कार्य नहीं कर रही थी, अतएव, ये विनियम लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं थे।
- (iv) कंपनी के अन्य श्रम, पर्यावरण और लागू विशिष्ट अधिनियम/कानून, जिनकी पर्यावलोकन लेखा-परीक्षा के रूप में सचिवीय लेखा-परीक्षा की गई थी और यह सामान्यतः हमको उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों पर और कंपनी के प्रबंधन एवं अन्य लेखा-परीक्षा रिपोर्ट द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रबंधन पुष्टि प्रमाण-पत्र तथा अन्य पेशेवरों द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र पर आधारित/निर्भर था, कंपनी ने लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू निम्नलिखित अधिनियमों/कानूनों का पालन किया है;
- (क) भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग), भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के लिए कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी दिशानिर्देश-मार्च, 2010;
- (ख) कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी जमा-संबद्ध बीमा योजना, 1976 तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952
- (ग) ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970
- (घ) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
- (ङ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
- (च) पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 और अन्य पर्यावरण कानूनों के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

- (v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act') **were not applicable to the company as the securities of the Company was not listed during the relevant audit period:**
- a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011; -
 - b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
 - c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;
 - d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;
 - e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
 - f) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009;
 - g) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018;
 - h) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Shares Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; **The Company was not involved in the activities relating to Registrar to an issue and also not acting as Share Transfer Agent hence the regulations were not applicable to the Company during the audit period;**
- (vi) Other labour, environment and specific applicable Acts / Laws to the Company for which Secretarial Audit was conducted as an overview audit and was generally based/ relied upon the documents provided to us and Management Confirmation Certificate provided by the Management of the Company & other audit report and certificates given by other professionals, the company has complied with the following Acts / Laws applicable to the Company during the audit period;
- (a) Guidelines on Corporate Social Responsibility for Central Public Sector Enterprises-March 2010 issued by the Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises (Department of Public Enterprises), Government of India;
 - (b) The Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act 1952 & The Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 and Employees Provident Fund Scheme, 1952
 - (c) The Contract Labour (Regulations and Abolition) Act 1970.
 - (d) Maternity Benefit Act 1961
 - (e) Minimum Wages Act, 1948
 - (f) Environment (Protection) Act 1986 read with The Environment (Protection) Rules 1986 and other Environment Laws.

- (छ) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियमावली, 2013 के साथ पठित कार्य-स्थल पर महिलाओं का यौन-उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
- (ज) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानदंडों के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है।

हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों की जांच नहीं की है क्योंकि वे सांविधिक वित्तीय लेखा-परीक्षा और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अध्याधीन रहे हैं।

हम सूचित करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानदंडों आदि का अनुपालन निम्नलिखित टिप्पणी के अध्याधीन किया है:-

- क) निगम ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने लेखा विवरण को 31 दिसंबर 2020 को आयोजित वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अपनी 37 वीं एजीएम में 31 दिसंबर 2020 तक निर्धारित विस्तारित अवधि के भीतर नहीं अपनाया है, लेकिन 30 जून 2021 को आयोजित अपनी स्थगित एजीएम में अपने लेखाओं के विवरण को अपनाया है, इसलिए निगम ने धारा 96 और धारा 134 के साथ पठित धारा 129 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य लागू प्रावधानों का उल्लंघन किया था। प्रबंधन ने सूचित किया है कि वार्षिक लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, निगम को सांविधिक लेखा परीक्षकों से 4 जनवरी, 2021 को प्राप्त हुई थी और सीएजी की पूरक लेखापरीक्षा के बाद, संशोधित हस्ताक्षरित लेखा-परीक्षा रिपोर्ट 02.06.2021 को ही निगम द्वारा प्राप्त की गई थी।
- ख) जबकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) और 149(5) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी को कंपनी के बोर्ड में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता थी किन्तु भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के दिनांक 18 अक्टूबर 2019 के आदेश संख्या 11/26/82-डीसीएच/एनएचडीसी/(खंड प्ट) के अनुपालन में केवल एक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक अर्थात् श्री अनिल कुमार सूद को तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, 18 अक्टूबर 2019 को नियुक्त किया गया था।
- इसके अलावा, कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(1) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को अधिकांश स्वतंत्र निदेशकों के साथ बोर्ड की एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करने की आवश्यकता थी। कंपनी ने पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक के बिना, तीन निदेशकों वाली बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है। प्रबंधन ने आगे सूचित किया है कि एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी ने अपने प्रशासनिक मंत्रालय से निगम के बोर्ड में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक की आवश्यक नियुक्ति करने का अनुरोध किया है ताकि बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशक की अधिकतम संख्या का गठन किया जा सके।
- ग) जबकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को जोखिम प्रबंधन नीति की आवश्यकता थी, कंपनी ने कोई औपचारिक जोखिम प्रबंधन नीति नहीं अपनाई है। तथापि, जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, कंपनी ने जोखिम के प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं।

- (g) The Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 read with The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Rules 2013.
- (h) Right to Information Act 2005.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India.

We have not examined the applicable financial laws, like direct and indirect tax laws, since the same have been subject to review by statutory financial audit and other designated professionals.

We report that during the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. as mentioned above subject to the following observation:

- a) *The Corporation has not adopted its Statement of Accounts for the financial year ended 31st March 2020 in its 37th AGM for the financial year 2019-20 held on 31st December 2020 within the stipulated extended period up to 31st December 2020, but has adopted its statement of accounts in its adjourned AGM held on 30th June 2021, hence the Corporation had violated the provisions of Section 96 & Section 129 read with 134 and other applicable provisions of the Companies Act 2013. The Management has informed that the Audit Report on the Annual Accounts of the Corporation was received from the Statutory Auditors on 4th January, 2021 and after the supplementary Audit of C&AG, the revised signed Audit Report was received by the Corporation only on 02.06.2021.*
- b) *Where as in term of the provisions of Section 149(4) & 149(5) of the Companies Act, 2013 read with rule 4 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, the Company was required to appoint at least two Independent Directors on the Board of the Company but in compliance of Government of India, Ministry of Textiles Order no. 11/26/82-DCH/NHDC/ (VOL. IV) dated 18th October 2019 only one Non-official Independent Director, namely Shri Anil Kumar Sood was appointed for a period of three years or till further orders, whichever is earlier w.e.f 18th October 2019.*

Further, in term of the provisions of Section 177(1) of the Companies Act, 2013 read with rule 6 of the Companies (Meeting of Board and its powers) Rules, 2014, the Company was required to constitute an Audit Committee of the Board with the majority of Independent Directors. The Company has constituted the Audit Committee of the Board consisting of three directors without sufficient number of Independent Director. The Management has further informed that the Company being a wholly- owned Government Company has requested its administrative ministry for making necessary appointment of Non-Official Independent Director on the Board of the Corporation so as to constitute optimum number of Independent Director in the Board/Audit Committee.

- c) *Where as in term of the provisions of Section 134(3) of the Companies Act, 2013 the Company was required to have a Risk Management policy, the Company has not adopted any formal Risk Management policy. However as informed by the Management the Company has adopted all necessary measures for the management of the risk.*

घ) पिछले वर्ष की हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि लखनऊ शाखा कार्यालय में सूत आपूर्ति योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के मामले में, प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय से दिनांक 3 अगस्त 2018 को प्राप्त पत्र संख्या 40/4(3)/2018-डीसीएच/एनएचडीसी के अनुपालन में कंपनी की फोरेंसिक लेखा परीक्षा और सतर्कता जांच प्रगति पर है। प्रबंधन ने सूचित किया है कि मामले पर फोरेंसिक लेखा परीक्षा और सतर्कता जांच की रिपोर्ट 28.09.2021 को आयोजित बोर्ड की 167 वीं बैठक में रखी गई थी और दिनांक 5.10.2021 को आयोजित बोर्ड की 168 वीं बैठक में क्रमशः फोरेंसिक लेखा परीक्षक और सीवीओ टीम द्वारा निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।

आगे हम यह सूचित करते हैं कि:

1. जैसा कि पिछले वर्ष की हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है कि 6 जनवरी 2020 को वित्तीय वर्ष 2018-19 के वार्षिक लेखाओं और लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर सी एंड एजी की टिप्पणियों के प्राप्त होने के कारण, निगम वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 31 दिसंबर 2019 तक विस्तारित अवधि तक निर्धारित अपनी 36 वीं एजीएम आयोजित नहीं कर सका और 24 जनवरी 2020 को अपनी 36वीं एजीएम आयोजित की थी। इस संबंध में अपराध शमन के लिए आवेदन, अभी आरडी नार्थ नई दिल्ली के कार्यालय के समक्ष अनुमोदन / निर्णय के लिए लंबित है।
2. हमारे अवलोकन और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार कंपनी को विभिन्न अनिवार्य और अन्य मापदंडों के लिए वस्त्र मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) संपन्न करना होता है। तथापि, 2017-18 के पश्चात् ऐसा कोई एमओयू संपन्न नहीं किया गया है। प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार निगम ने उन कारणों को स्पष्ट करते हुए दिनांक 28 दिसंबर, 2018 और 09 दिसंबर, 2019 को प्रशासनिक मंत्रालय को वह सूचना भेजी है जिनके कारण निगम मापदंडों/लक्ष्यों को अंतिम रूप देने में असमर्थ रहा था और वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20, एवं 2020-21 के लिए एमओयू संपन्न करने की छूट मांगी थी।
3. कंपनी ने उपर्युक्त को छोड़कर, कार्यपालक, गैर-कार्यकारी निदेशकों एवं स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ बोर्ड के गठन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई), के लिए कॉरपोरेट शासन (सीजी) दिशानिर्देश-2010 का अनुपालन किया है।
4. बोर्ड की बैठक निर्धारित करने के लिए कम से कम सात दिन अग्रिम में सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया है और इसके पश्चात् कार्यसूची तथा कार्यसूची संबंधी विस्तृत नोट भी सभी निदेशकों को अग्रिम में भेजा गया था और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर आगे की सूचना तथा स्पष्टीकरण मांगने और उसे प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली विद्यमान है। अल्प नोटिस के मामले में, कंपनी ने आईसीएसआई के सचिवीय मापदंड-1 के खंड 1.3.7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के लागू प्रावधानों का अनुपालन किया है।
5. अधिकांश निर्णयों पर कार्रवाई की जाती है जबकि असंतुष्ट सदस्य के विचार, यदि कोई हों, को नोट किया जाता है और उसे कार्यवृत्त में अभिलेखित किया जाता है।
6. निदेशकों ने नियुक्ति के लिए अपनी पात्रता, अपने स्वतंत्र रहने और निदेशकों तथा प्रबंधन कार्मिकों के व्यवसाय आचार संहिता एवं नैतिकता के अनुपालन के संबंध में प्रकटीकरण अपेक्षाओं का पालन किया है।

- d) *With reference to our Secretarial Audit Report of previous year, wherein it was mentioned that Forensic Audit and Vigilance probe of the Company, in in the matter of irregularities in the implementation of Yarn Supply Scheme in Lucknow Branch Office in pursuance of the letter No 40/4(3)/2018-DCH/NHDC dated 3rd August 2018 received from Administrative Ministry i.e. Government of India, Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner Handlooms were under progress. The management has informed that the reports of the Forensic Audit and the Vigilance Probe were placed at the 167th Board Meeting held on 28th September 2021 and were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively before the Board of Directors in its 168th Board Meeting held on 5th October 2021.*

We further report that:

- 1) As informed in our earlier Secretarial Audit Reports, due to receipt of C&AG comments on the Annual Accounts and the Audit Report of FY 2018-19, on 6th January, 2020, the Corporation could not hold its 36th AGM for the financial year 2018-19 within the stipulated extended period up to 31st December 2019 and had convened its 36th AGM on 24th January, 2020. In this regard, the application for compounding of offence is still pending for approval/ adjudication before the office of RD North New Delhi.
- 2) As observed by us and also informed by the management, that in terms of the DPE guidelines, the Company has to enter into a Memorandum of Understanding (MOU) with Ministry of Textiles for various compulsory and other Parameters, however after 2017-18, no such MOU has been executed. As informed by the management the Corporation has sent communications to the administrative Ministry on dated 28th December 2018 & 09th December 2019 explaining the reasons due to which Corporation was unable to finalize the parameters/targets and seeking exemption from entering MOU for the financial years 2018-19, 2019-20 & 2020-21.
- 3) The Company has complied with Companies Act 2013, Corporate Governance (CG) Guidelines for Central Public Sector Enterprises (CPSE), 2010 issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises, Government of India in respect of constitution of the board with proper balance of Executive, Non-Executive Directors & Independent Directors except as stated above.
- 4) Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings at least seven days in advance and agenda and detailed notes on agenda were also sent in advance to all the Directors subsequently, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting. In case of shorter notice, the Company has complied with the applicable provisions of Section 173 of the Companies Act 2013 read with clause 1.3.7 of the Secretarial Standard -1 of ICSI.
- 5) Majority decision is carried through while the dissenting member's views, if any, are captured and recorded as part of the minutes.
- 6) The Directors have complied with the disclosure requirements in respect of their eligibility of appointment, their being independent and compliance with the Code of Business Conduct & Ethics for Directors and Management Personnel;

आगे हम यह सूचित करते हैं कि प्राप्त सूचना और रखरखाव किए गए अभिलेखों के आधार पर कंपनी में उचित व्यवस्था और प्रक्रियाएं हैं जो अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों और दिशानिर्देशों को मॉनिटर करने तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप हैं।

आगे हम यह सूचित करते हैं कि लेखा-परीक्षा के दौरान निम्नलिखित के कोई दृष्टांत नहीं पाए गए:—

- क) सार्वजनिक/शेयरों का अधिमानी इश्यू/स्वेट इक्विटी
- ख) प्रतिभूतियों का बॉय-बैक
- ग) विलय/आमेलन/पुनर्निर्माण आदि और
- घ) विदेशी तकनीकी सहयोग

कृते नवनीत के.अरोड़ा एण्ड कंपनी एलएलपी
कंपनी सचिव

ह./—

सीएस नवनीत अरोड़ा
प्रबंधन साझेदार

CS: 3214, COP: 3005

दिनांक: 01 नवंबर, 2021

स्थान: नई दिल्ली

[ICSI Firm Unique Identification Code: P2009DE061500]

UDIN : F003214C001344719

(नोट: यह रिपोर्ट समान तारीख के हमारे पत्र के साथ पढ़ी जाए जो 'अनुबंध-क' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है)।

We further report that based on the information received and records maintained there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with other applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period, there were no instances of:

- a) Public / Preferential Issue of Shares / Sweat Equity.
- b) Buy-back of Securities.
- c) Merger / Amalgamation / Reconstruction etc. and
- d) Foreign Technical Collaborations.

**For Navneet K Arora & Co LLP
Company Secretaries**

**Sd/-
CS Navneet Arora
Managing Partner
CS: 3214, COP: 3005**

**Place: New Delhi
Date: 01st November 2021**

**[ICSI Firm Unique Identification Code: P2009DE061500]
UDIN : F003214C001344719**

[Note: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as “**Annexure-A**” and forms an integral part of this report].

सेवा में,

सदस्य,

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय, चौथा तल, वेगमेंस बिजनेस पार्क,
टावर-1, प्लॉट सं. 03, सेक्टर नॉलेज पार्क-III,
सूरजपुर-कासना मैन रोड, ग्रेटर नोएडा,
गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201306

इस पत्र के साथ समान तारीख की हमारी रिपोर्ट निम्नानुसार पढ़ी जाए:-

1. सचिवीय रिकार्ड का रखरखाव करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। लेखा-परीक्षा पर इन सचिवीय रिकार्डों के संबंध में राय व्यक्त करना हमारा दायित्व है।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्रियों की सटीकता के बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की समुचित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सत्यापन परीक्षण आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय रिकार्ड में सही तथ्य प्रदर्शित किए गए हैं। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनायी गई प्रक्रियाएं एवं पद्धतियां हमारी राय के लिए तर्कसंगत आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा-पुस्तिकाओं की सटीकता तथा उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां भी अपेक्षित था, हमने कानूनों, नियमों और विनियमनों तथा घटनाक्रमों आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कारपोरेट के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों मानदंडों का पालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर क्रियाविधियों के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा कंपनी की भावी अर्धक्षमता के लिए न तो आश्वासन है, न ही प्रभावकारिता अथवा प्रभावशीलता का, जिससे प्रबंधन ने कंपनी का कार्य किया है।

कृते नवनीत के.अरोड़ा एण्ड कंपनी एलएलपी
कंपनी सचिव

ह./-

कंपनी सचिव, नवनीत अरोड़ा
प्रबंध साझेदार

FCS: 3214, COP: 3005

दिनांक: 01 नवंबर, 2020

स्थान: नई दिल्ली

[ICSI Firm Unique Identification Code: P2009DE061500]

UDIN : F003214C001344719

Annexure –“A”

To,

The Members,
National Handloom Development Corporation Limited
Regd. Office: 4th Floor, Wegmans Business Park,
Tower-1, Plot No. 03, Sector Knowledge Park-III,
Surajpur- Kansa Main Road, Greater Noida,
Gautam Buddha Nagar, UP- 201306

Our report of even date is to be read along with this letter as under:

- 1) Maintenance of secretarial record is the responsibility of the Management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records on our audit.
- 2) We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial Records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
- 3) We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of accounts of the Company.
- 4) Where ever required, we have obtained the Management Representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
- 5) The Compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of Management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
- 6) The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the company.

For Navneet K Arora & Co LLP
Company Secretaries

Sd/-
CS Navneet Arora
Managing Partner

FCS: 3214, COP: 3005

Date : 01ST November 2021
Place : New Delhi

[ICSI Firm Unique Identification Code: P2009DE061500]
UDIN : F003214C001344719

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनएचडीसी)

सापेक्ष राय

हमने राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ('निगम') के स्टैंड-अलोन वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2021 तक बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन के विवरण और नकद प्रवाह विवरण का सारांश और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट्स सहित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल हैं। उपरोक्त वित्तीय विवरणों में उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों – बेंगलुरु, कोलकाता, वाराणसी, पानीपत, हैदराबाद, कोयंबटूर और गुवाहाटी के शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित रिटर्न शामिल किए गए हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों तथा संबंधित लेखा परीक्षकों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

| क्र.सं. | क्षेत्रीय कार्यालय का नाम | शाखा लेखा परीक्षकों का नाम एवं पता |
|---------|--|--|
| 1 | राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक | मैसर्स उदय शंकर एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नंबर 40, पहली मंजिल, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, के.आर. रोड, वाणीविलास के सामने अस्पताल, फोर्ट, बेंगलुरु। |
| 2 | राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल | मैसर्स ओ पी हरलालका एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, प्रथम तल, 12, बिर्नॉय बादल दिनेश बाग ई, लाल बाजार, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 700001 |
| 3 | राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश | मैसर्स एस.एन. सिंह एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, के-67/111, नई बस्ती, ईश्वरगंज, जिला वाराणसी। |
| 4 | राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, पानीपत, हरियाणा | मैसर्स राकेश नीरज एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, 886/21 कौशिक नगर, जींद, हरियाणा। |
| 5 | राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाणा | मैसर्स पावलुरी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, प्लॉट नंबर 48, प्लैट नंबर 301, मीकासा, फेज-1, कावुरी हिल, हैदराबाद। |
| 6 | राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, कोयंबटूर, तमिलनाडु | मैसर्स पीएमएम एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नं. 20, भारतीदासन नगर, रामनाथ पुरम, कोयंबटूर। |
| 7 | राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, गुवाहाटी, असम | मैसर्स खेतान अग्रवाल एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, संमति प्लाजा, दूसरा तल, आईडीबीआई के सामने, जी.एस. रोड, गुवाहाटी। |

हमारी राय एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, सापेक्ष राय खंड के लिए आधार में उल्लिखित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा अपेक्षित सूचना उसी रूप में दी गई है जैसा कि अपेक्षित है और 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कंपनी के मामले की स्थिति, उसकी हानि, इक्विटी में परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए उसके नकदी प्रवाह के बारे में भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष मत दिया गया है।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

**TO
THE MEMBERS
NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (NHDC)**

Qualified Opinion

We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of **NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED** (“the Corporation”), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2021, the Statement of Profit and Loss, Statement of change in equity and the Cash Flow Statement, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information including notes to the financial statements for the year ended on that date. The aforesaid financial statements incorporate the returns for the year ended on that date audited by the Branch auditors of the Corporation’s Regional Offices at- Bangaluru, Kolkata, Varanasi, Panipat, Hyderabad, Coimbatore and Guwahati. The detail of Regional Offices and the respective Auditors is being indicated as under-

| Sl. No. | Name of the Regional Office | Name & Address of the Branch Auditors |
|---------|--|--|
| 1 | National Handloom Development Corporation Limited, Bangaluru, Karnatka | M/s Udaya Shankar & Co. Chartered Accountants, No 40, 1 st Floor, Lakshmi Complex, K.R. Road, Opp- Vanivilas Hospital, Fort, Bangaluru. |
| 2 | National Handloom Development Corporation Limited, Kolkata, West Bengal | M/s O P Harlalka & Co, Chartered Accountants ,1st Floor, 12, Binoy Badal Dinesh Bag E, Lal Bazar, Kolkata, West Bengal 700001 |
| 3 | National Handloom Development Corporation Limited, Varanasi, Uttar Pradesh | M/s. S N Singh & Co. Chartered Accountants, K-67/111, Nai Basti, Ishwargangi. Dist. Varanasi. |
| 4 | National Handloom Development Corporation Limited, Panipat, Haryana | M/s Rakesh Neeraj & Co, Chartered Accountants,. 886/21 Kaushik Nagar, Jind, Haryana. |
| 5 | National Handloom Development Corporation Limited, Hyderabad, Telangana. | M/s. PAVULURI & Co.,Chartered Accountants,. Plot no 48, Flat no 301, MICASA, Phase – I, Kavuri Hill, Hyderabad. |
| 6 | National Handloom Development Corporation Limited, Coimbatore, Tamilnadu | M/s. PMM Associates, Chartered Accountants, –No. 20, Bharathidasan Nagar, Ramanatha Puram, Coimbatore. |
| 7 | National Handloom Development Corporation Limited, Guwahati, Assam | M/s Khaitan Agarwal & Company Chartered Accountants, SANMATI Plaza, 2nd Floor, Opp – IDBI, G.S. Road, Guwahati. |

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid financial statement give the information required by the Companies Act 2013 in the manner so required and give true and fair view in the conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state of affair of the Company as at 31st March, 2021, its Loss, change in equity and its Cash Flow for the year ended on that date.

सापेक्ष राय का आधार

1. (क) ऊपर यथाउल्लिखित एनएचडीसी के 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जहां हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हैंक यार्न की बिक्री/खरीद की जाती है जिसमें भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय 10% सब्सिडी तथा समय-समय पर घोषित योजना के अनुसार अन्य दावे (जिसमें माल-भाड़ा सब्सिडी तथा डिपो प्रभार शामिल हैं) उपलब्ध कराता है।

जैसा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के वित्तीय लेखाओं के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी के लखनऊ शाखा जो वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत था, ने शुरू में पिछले वर्ष 2018-19 के दौरान पिछले वर्ष अर्थात् 2018-19 की प्रथम तिमाही में 385.04 करोड़ रुपए की कुल बिक्री और खरीद की थी। इसमें से 190.82 करोड़ रुपए की बिक्री और खरीद को उक्त लखनऊ कार्यालय द्वारा ईआरपी लेखाकन प्रणाली में रद्द कर दिया गया। मामले को जांच एजेंसी सीबीआई तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेज दिया गया है।

शेष 194.22 करोड़ रुपए की बिक्री/खरीद को कुल देनदारों (संदर्भ टिप्पणी संख्या 13 (ii)) तथा लेनदारों (संदर्भ टिप्पणी संख्या 5 (ii)) में दिखाया जा रहा है।

- (ख) एनएचडीसी यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस) को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। तत्कालीन प्रचलित वाईएसएस योजना के प्रावधानों के अनुसार, एनएचडीसी विभिन्न उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा दिए गए मांगपत्रों की ओर से आपूर्तिकर्ताओं को आदेश देता है। उपयोगकर्ता एजेंसियां लेनदेन मूल्य का 90% भुगतान करती हैं और शेष 10% का भुगतान भारत सरकार द्वारा एनएचडीसी के माध्यम से सब्सिडी के रूप में किया जाता है। इसके बाद, एनएचडीसी, आपूर्तिकर्ता मिलों को लेनदेन मूल्य का 100% जारी करता है, लखनऊ में तत्काल, एनएचडीसी ने उपयोगकर्ता एजेंसियों से केवल 90% हिस्सा प्राप्त किया और आपूर्तिकर्ता मिलों को 100% का भुगतान किया। 1.03.2018 से 31.03.2018 के दौरान 215.79 करोड़ रु. की बिक्री के कारण 22.66 करोड़ रुपये के एनएचडीसी सेवा शुल्क और सब्सिडी घटक कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान वापस कर दिया गया था क्योंकि वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) ने कंपनी को सब्सिडी राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की थी। इस तथ्य के परिणामस्वरूप कि एमओटी से 21.58 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई, कंपनी ने भारत सरकार से बकाया प्राप्तियों से 21.58 करोड़ रुपये कम कर दिए और उसे आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम के रूप में बुक किया (टिप्पणी संख्या 13(ii) देखें)।

चूंकि इस मामले को हमारे द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 में हमारी रिपोर्ट में पहले ही इंगित किया गया है, सीबीआई से प्राप्त सूचना के अनुसार, प्रबंधन द्वारा फॉरेंसिक लेखा-परीक्षा और सतर्कता जांच शुरू की गई थी और यह 31.03.2021 तक प्रक्रियाधीन थी। दोनों एजेंसियों ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट एनएचडीसी को सौंपी है। तदनुसार, रिपोर्ट के परिणाम के अनुसार मामले को निपटाया जा सकता है।

2. टिप्पणी सं. '4ए' में यथा उल्लिखित, 21,01,33,172 रुपए को कार्पस निधि (विपणन काम्प्लेक्स) में जमा किया गया है और तदनुसार उसे बैलेंस शीट की अनुसूची 11 के अनुसार मियादी जमा में निवेशित किया गया है। 31 मार्च, 2017 तक कार्पस निधि (विपणन काम्प्लेक्स) के मियादी जमा पर अर्जित ब्याज को संबंधित निधि संग्रह में जमा किया गया था लेकिन वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2018-19 में मियादी जमा के ब्याज को कार्पस निधि (विपणन काम्प्लेक्स) में जमा करने की बजाय निगम की ब्याज आय के रूप में माना गया है। परंतु वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान विपणन काम्प्लेक्स के एफडीआर से अर्जित ब्याज आय को कार्पस निधि (विपणन काम्प्लेक्स) में जमा किया गया है।

वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए कॉरपस निधि संग्रह (विपणन काम्प्लेक्स) में जमा नहीं किए गए ब्याज के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई वास्तविक गणना के बाद की जानी चाहिए।

3. टिप्पण सं. '4(बी)' में उल्लेख किए गए अनुसार 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार 10,60,37,100/-रुपए को कार्पस

BASIS OF QUALIFIED OPINION

1. A) NHDC having “7” Regional offices as mentioned above from where sale/purchase of Hank Yarn is undertaken to promote the Handloom Sector on which Government of India,, Ministry of Textile office of the Development Commissioner, Handloom provide 10 % Subsidy and other claims (which includes freight subsidy and depot charges) as per scheme announced time to time.

As pointed in our Audit report on the Financial Accounts of FY 2018-19 and 2019-20 the Company’s Lucknow branch Office, which was under Varanasi Regional Office, had initially booked total Sales & Purchase during the Financial year 2018-19 amounting to Rs. 385.04 Crores in the 1st Quarter of Financial year i.e. 2018-19 respectively. Out of this, Sales and Purchase to the tune of Rs. 190.82 Crores have been cancelled by the said Lucknow Office in ERP accounting system.. The matter has been referred to investigation agency CBI and Central Vigilance Commission.

Remaining Sales/Purchase amounting to Rs. 194.22 Crores is being shown in total debtors (Refer Note No. 13(ii)) as well as Creditors ((Refer Not No. 5 (ii)).

- B) NHDC is the nodal agency for implementing Yarn Supply Scheme (YSS). As per the provisions of the then prevalent YSS scheme, NHDC places the orders to the suppliers on behalf of the indents given by the various user agencies. The user agencies pay 90% of transaction value and rest 10% is paid by Government of India in form of the subsidy through NHDC. NHDC, then releases 100% of transaction value to the Supplier Mills, In Lucknow instant, NHDC received only 90% share from user agencies and paid 100% to the supplier mills. NHDC Service charge and subsidy component of Rs. 22.66 crore, on account of sales of Rs. 215.79 crore made during 1.03.2018 to 31.03.2018 was reversed by the Company during FY 2018-19 as Ministry of Textiles (MOT) did not reimburse the subsidy amount to the company. Consequent to the fact that subsidy of Rs 21.58 crore was not received from the MOT, the company reduced Rs. 21.58 crore from receivables due from Government of India and booked the same as advances to suppliers (Refer Note No. 13(ii)).

As this matter had already been pointed out by us in the FY 2018-19 and 2019-20 in our report, as per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the same were under process till 31.03.2021. **Both the agencies have recently submitted their Report to NHDC. The matter may, accordingly, be dealt as per the outcome of the reports.**

2. As stated in Note No. “4A” Rs. 21,01,33,172/- is Standing to the Credit of Corpus Fund (Marketing Complex) and correspondingly invested in Fixed Deposits as Per Schedule 11 of the Balance Sheet. Interest earned on Fixed Deposits of Corpus Funds (Market Complexes) till 31st March 2017, was credited to respective Corpus Fund, but during the financial year 2017-18 and 2018-19 the interest on fixed deposit has been taken as interest income of the Corporation instead of crediting to the Corpus Fund (Marketing Complex). Though during the financial year 2019-20 and 2020-21, interest income earned on FDR of Corpus Funds (Market Complexes) has been credited to Corpus Funds (Market Complexes).

Corrective action with respect to interest not credited to Corpus Funds (Market Complexes) for the year 2017-18 and 2018-19 should be accounted for after actual calculations.

3. As Per Note No. “4(B)”, As on 31-03-2021 Rs, 10,60,37,100/- was standing to the Credit of Corpus Fund (Mega Cluster), till 31st March 2017, The interest on fixed deposit has been taken as Interest income of the Corporation, instead of crediting to the Corpus Fund (Mega Cluster). Though during

निधि (मेगा क्लस्टर) में जमा किया गया था। मियादी जमा के ब्याज को कार्पस निधि (मेगा क्लस्टर) में जमा करने की बजाय निगम की ब्याज आय के रूप में माना गया है। परंतु वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान कार्पस निधि (मेगा क्लस्टर) के एफडीआर से अर्जित ब्याज आय को कार्पस निधि (मेगा क्लस्टर) में जमा किया गया है।

दिनांक 31.03.2017 तक कार्पस निधि (मेगा क्लस्टर) में जमा नहीं किए गए ब्याज के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई वास्तविक गणना के बाद की जानी चाहिए।

हमने लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानदंडों (एसएस) के अनुसार की है। उन मानदंडों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक के जिम्मेदारियों में विस्तार से परिभाषित किया गया है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के साथ-साथ भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार स्वतंत्र संस्था हैं और हमने इन अपेक्षाओं तथा आईसीएआई आचार संहिता के अनुसार अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी सापेक्ष राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

अन्य विषय:

- हमने कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल किए गए "7" क्षेत्रीय कार्यालयों के वित्तीय विवरणों/सूचना की लेखा परीक्षा नहीं की है जिसके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना में 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार 391.20 करोड़ रूपए की कुल परिसंपत्तियां दर्शाई गई हैं और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल 542.04 करोड़ रूपए का राजस्व स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण माना गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/सूचना की लेखा परीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई हैं और हमारी सापेक्ष राय में अभी तक इन शाखाओं के संबंध में राशि तथा प्रकटीकरण पूरी तरह उन शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर हैं।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारी राय को संशोधित नहीं किया गया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों तथा उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा सूचना

अन्य सूचना तैयार करने हेतु कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य सूचना में प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध सहित बोर्ड की रिपोर्ट, व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस तथा स्टैकहोल्डर सूचना शामिल हैं, परंतु इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तथा उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारे निष्कर्ष में अन्य सूचना शामिल नहीं की जाती है और हम उन पर किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के संबंध में हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना है और ऐसा करने में इस बात पर विचार किया जाता है कि क्या अन्य सूचना वास्तविक रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों या लेखा परीक्षा प्रक्रिया के दौरान हमारी प्राप्त जानकारी के लिए संगत है अथवा अन्यथा वास्तविक रूप से गलत बताई गई प्रतीत होती है।

यदि हमारे कार्य निष्पादन के आधार पर हम यह निष्कर्ष देते हैं कि यह अन्य सूचना वास्तव में गलत है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना अपेक्षित होता है। हमने इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं दी है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है जिसमें अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानदंडों सहित भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन और कंपनी के नकदी प्रवाह के बारे में सही और निष्पक्ष मत दिया गया हो। इस उत्तरदायित्व में कंपनी

the financial year 2019-20 and 2020-21, interest income earned on FDR of Corpus Fund (Mega Cluster) has been credited to Corpus Funds (Mega Cluster).

Corrective action with respect to interest not credited to Corpus Funds (Mega Cluster) till 31.03.2017 should be accounted for after actual calculations.

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the entity in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and ICAI Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.

Other matter:

4. We did not audit the financial statements/information of "7" Regional offices included in the standalone financial statements of the Company whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 391.20 Crores as at 31st March, 2021 and total revenues of Rs. 572.04 Crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements/information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexure to Board's Report, Business Responsibility Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the standalone financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Company Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, changes in equity and cash flows

की परिसंपत्तियों की संरक्षा हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड रखना तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकना एवं उनकी पहचान करना; उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उपयोग; निर्णय लेना एवं अनुमान लगाना कि वे तर्कसंगत तथा न्यायपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रख-रखाव जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन में रहा हो, तथा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं प्रस्तुतिकरण के लिए संगत हो जिनपर सही एवं निष्पक्ष निष्कर्ष दिया गया हो और किसी धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वास्तविक गलत टिप्पणी नहीं की गई हो।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी में निदेशक मंडल वर्तमान कारोबार, प्रकटीकरण, वर्तमान कारोबार से संबंधित मामलों और लेखांकन के आधार पर वर्तमान कारोबार का उपयोग करके कंपनी की योग्यता का आंकलन करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि निदेशक मंडल का या तो परिसमापन या फिर परिचालन को बंद करने का इरादा हो या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए भी उत्तरदायी है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में वास्तव में गलत विवरण दिया गया है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो और एक लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारे निष्कर्ष शामिल हैं। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा मानदंडों के अनुसार की गई मौजूदा लेखा परीक्षा हमेशा वास्तविक से गलत विवरणों का पता लगाएगी। ये गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और यदि व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से किए गए गलत विवरण हैं तो उसे वास्तविक माना जाता है तथा ये इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

लेखा मानदंडों के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम संपूर्ण लेखा परीक्षा में पेशेवर निर्णय लेते हैं और पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। इसके साथ-साथ हम—

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के वास्तविक रूप से किए गए गलत विवरणों के जोखिम की पहचान एवं आकलन करते हैं, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो, उन जोखिमों के अनुकूल लेखा परीक्षा तैयार करते हैं एवं उसे लागू करते हैं और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे निष्कर्ष को आधार देने के लिए पर्याप्त तथा यथोचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाले वास्तविक गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों के उपयुक्त हो। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हम अपने निष्कर्ष देने के प्रति भी उत्तरदायी हैं, चाहे कंपनी की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था हो और ऐसे नियंत्रणों का प्रभावी रूप से प्रचालन हो रहा हो।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन की वर्तमान चिन्ता के आधार पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता के संबंध में निष्कर्ष निकालना, चाहे ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित वस्तुगत अनिश्चितता मौजूद हो, जो वर्तमान कारोबार के रूप में कंपनी की क्षमता को चालू रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वस्तुगत अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करने की अपेक्षा होती है अथवा यदि इस

of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to

प्रकार का प्रकटीकरण अपर्याप्त होता है, तो हम अपने निष्कर्ष को संशोधित करते हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख को प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर होते हैं। तथापि, भावी घटनाक्रम अथवा स्थितियां कंपनी के वर्तमान कारोबार को बंद करने का कारण हो सकती हैं।

- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करना कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रदर्शित करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे तथा समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा परिणामों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषण करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिनकी हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पहचान करते हैं।

हम प्रभारित शासन को यह व्यक्तव्य भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों, जो हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप प्रभाव डाल सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में उन्हें संप्रेषण करते हैं।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और उस आधार पर वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों को हमारी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में तब तक उल्लेख करते हैं जब तक कि मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण की कोई कानूनी अथवा विनियमन बाधा न हो अथवा जब बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करते हैं कि यह मामला हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से निष्कर्ष परिणामों के इस तरह के संप्रेषण से सार्वजनिक हित के लाभों को यथोचित रूप से अधिक होने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य वैधानिक एवं विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

- I. अधिनियम की धारा 143 (11) के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('आदेश') द्वारा यथा अपेक्षित अनुसार हमने स्वीकार्य सीमा तक आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में एक विवरण अनुबंध 'क' में दिया है।
- II. हमने जैसा उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी की बही और अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर हम अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों के संबंध में अपनी रिपोर्ट अनुबंध-'ख' में संलग्न कर रहे हैं।
- III. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं:
 - क. हमने उपरोक्त अर्हता राय के पैराग्राफ के आधार पर उल्लिखित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, सभी जानकारी और स्पष्टीकरण की मांग की है जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
 - ख. उपरोक्त निष्कर्ष पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, हमारे निष्कर्ष अनुसार कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बही बनाए रखी है जैसा कि उन बही की अभी तक हमारी जांच से प्रतीत होता है और हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है।
 - ग. शाखा लेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत लेखा परीक्षित कंपनी के शाखा कार्यालयों के लेखाओं के संबंध में रिपोर्ट हमें भेजी गई है और उपरोक्त अर्हता राय के पैराग्राफ के आधार पर उल्लिखित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, यह रिपोर्ट तैयार करने में हमारे निष्कर्ष में उनका यथोचित रूप से निपटान किया गया है।

the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the qualified, consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- I. As required by the Companies (Auditor's Report) Order 2016 ("the order") issued by the Central Government in the terms of section 143 (11) of the Act, we Give in the Annexure "A" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the order to the extent applicable.
- II. We are enclosing our report in terms of section 143 (5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, in the Annexure-"B" on the directions and sub directions issued by Comptroller and Auditor General of India.
- III. As required by Section 143(3) of the Act, based on our audit we report that:
 - a. We have sought except for the possible effect of the matter described for basis of Qualification Opinion paragraph above, obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - b. Except for the possible effect of the matter described for basis of Qualification Opinion paragraph above, in our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us.
 - c. The reports on the accounts of the branch offices of the Company audited under Section 143(8) of the Act by branch auditors have been sent to us and Except for the possible effect of the matter described for basis of Qualification Opinion paragraph above, in our opinion, have been properly dealt with by us in preparing this report

- घ. उपरोक्त अर्हता राय के पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, इस रिपोर्ट में संचालित बैलेंस शीट, लाभ एवं हानि विवरण, इक्विटी परिवर्तन विवरण और नगद प्रवाह विवरण लेखाओं की संगत बही के अनुसार हैं।
- ड. उपरोक्त अर्हता राय के पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, हमारी सापेक्ष राय में कंपनी (लेखा) नियामावली, 2015 (यथा संशोधित) के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानदंडों (एएस) का अनुपालन किया गया है।
- च. भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) के अनुसार निदेशकों की अनर्हता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।
- छ. उपरोक्त अर्हता राय के पैराग्राफ के आधार पर उल्लिखित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभाविकता के संबंध में अनबंध 'ग' में हमारी अलग से दी गई रिपोर्ट का संदर्भ ग्रहण करें।
- ज. कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 यथा संशोधित के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामले संबंधी हमारी राय हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हैं।
- कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में उसकी वित्तीय स्थिति के संबंध में लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है – लेनदारों के लिए 13(ii) (iii) में लेखाओं संबंधी टिप्पणी, पाद टिप्पणी (फुटनोट) 15 (iv), 15(vii) में लेखाओं संबंधी टिप्पणी, वित्तीय विवरणों के लिए 28 (I)(ए) में लेखाओं के संबंध में टिप्पणी देखें।
 - कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है, इसलिए, लागू नहीं है।
 - यह पाया गया है कि कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिए आवश्यक राशि के हस्तांतरण में देरी से संबंधित खंड लागू नहीं है।

कृते एमएएनवी एंड एसोसिएट्स
(चार्टर्ड अकाउंटेंट)
(एफ.आर. नं.007351एन)

दिनांक: 08 दिसंबर, 2021

स्थान: नई दिल्ली

ह./—
एन.के.गुप्ता
भागीदार
(एम सं. 085713)
यूडीआईएन: 21085713AAAACK3991

- d. Except for the possible effect of the matter described for basis of Qualification Opinion paragraph above , the Balance Sheet, the statement of Profit and Loss ,Statement of Changes in Equity and the statement of Cash Flow dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of accounts.
- e. In our opinion, Except for the possible effect of the matter described for basis of Qualification Opinion paragraph above the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards (AS) prescribed under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules 2015 (as amended)
- f. In terms of Notification No. G.S.R. 463(E) dated 5th June 2015 issued by the Government of India, the provisions of Section 164(2) of the Act regarding disqualification of directors, are not applicable to the Company
- g. Except for the possible effect of the matter described for basis of Qualification Opinion paragraph above, with respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in “Annexure “C”
- h. With respect to the other matters to be included in the Auditor’s Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer Note on account in 13(ii), (iii) for debtors, Refer Note on account in 15(iv) foot note, 15(vii) foot note, Refer Note on account in 28(1)(A) to the financial statements.
- The Company does not have any long-term contracts including derivative contracts, hence, not applicable.
- It is found that clause relating to delay in transferring amount, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company is not applicable.

For MANV & ASSOCIATES
Chartered Accountants
(F. R. No. 007351N)

Dated: 08th December, 2021
Place: New Delhi

Sd/-
N. K.GUPTA
Partner
Membership No. 085713
UDIN: 21085713AAAAGB4244

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से संबंधित अनुबंध 'क'

(राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के सदस्यों के लिए समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अन्य विधि और विनियामक अपेक्षाओं के तहत पैराग्राफ '1' में उल्लिखित)

| क्र.सं. | विवरण | हमारा उत्तर |
|---------|--|---|
| (i) | (क) क्या कंपनी मात्रात्मक विवरण और स्थिर परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकॉर्ड रख रही है? | लेखा परीक्षकों द्वारा 7 क्षेत्रीय कार्यालयों की हमें प्रस्तुत की गई लेखा परीक्षा रिपोर्टों के अनुसार इन कार्यालयों ने मात्रात्मक विवरण और स्थिर परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकॉर्ड रखा है। जबकि निगम के मुख्यालय को मात्रात्मक विवरण और स्थिर परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए अभी तक समुचित रिकॉर्ड का रखरखाव करना है। |
| | (ख) क्या इन स्थिर परिसंपत्तियों को उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा वास्तविक रूप से सत्यापित किया गया है, क्या ऐसे सत्यापन में कोई वस्तुगत विसंगतियां पायी गई हैं और यदि हां, तो क्या उनको लेखा बही में समुचित रूप से निपटाया गया है? | लेखा परीक्षकों द्वारा 7 क्षेत्रीय कार्यालयों की हमें प्रस्तुत की गई लेखा परीक्षा रिपोर्टों के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा नियमित अंतरालों पर इन स्थिर परिसंपत्तियों का वास्तविक रूप से सत्यापन किया गया है। |
| | (ग) क्या अचल संपत्तियां कंपनी के नाम हैं? यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा दीजिए। | लेखा परीक्षा प्रक्रिया के दौरान हमने कंपनी के नाम पंजीकृत फ्री-होल्ड तथा लीज-होल्ड स्वामित्व विलेख का सत्यापन किया है। भूमि विलेख स्पष्ट है और उक्त भूमि पर निगम द्वारा कोई ऋणभार नहीं किया गया है। यह बताया गया है कि मुंबई में 2163293 रूपए की राशि वाला 221.70 वर्ग मीटर कार्यालय भवन क्षेत्र उपयुक्त प्राधिकरण में पंजीकरण के लिए लंबित है। कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय का 152.35 वर्ग मीटर क्षेत्र का हस्तांतरण विलेख रिकॉर्ड में उपलब्ध है परंतु संपत्ति का पंजीकृत दस्तावेज नहीं मिला है। |
| (ii) | क्या प्रबंधन द्वारा उचित अंतरालों पर सामग्री का वास्तविक सत्यापन किया गया है और क्या ऐसे सत्यापन में कोई वस्तुगत विसंगतियां पाई गई हैं और यदि हां, तो क्या उनको लेखा बही में समुचित रूप से निपटाया गया है? | हमें दी गई सूचना के अनुसार प्रबंधन द्वारा नियमित अंतरालों पर सामग्री का वास्तविक सत्यापन किया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालयों के सांविधिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों में सत्यापन की आवृत्ति युक्तिसंगत है। |
| (iii) | क्या कंपनी ने किसी कंपनियों, फर्म, सीमित देयता भागीदारों अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए पंजीकरण में शामिल अन्य पक्षों को कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण दिया गया है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें। | कंपनी ने किसी कंपनियों, फर्म, सीमित देयता भागीदारों अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए पंजीकरण में शामिल अन्य पक्षों को कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। |
| | (क) क्या ऐसे ऋण दिए जाने के नियम एवं शर्तें कंपनी के हित में हानिकारक नहीं हैं। | लागू नहीं। |

ANNEXURE 'A' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph "I" under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements Section of our report to the Members of National Handloom Development Corporation Limited of even date)

| S.No | PARTICULARS | Our Reply |
|-------|--|--|
| (i) | (a) Whether the company is maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets. | As per the audit reports submitted to us by Auditors of 7 Regional Offices, these offices have maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of Fixed Assets. Whereas Head Office of the Corporation has yet to maintain proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets. |
| | (b) Whether these fixed assets have been physically verified by the management at reasonable intervals, whether any material discrepancies were noticed on such verification and if so, whether the same have been properly dealt with in the books of accounts. | As per the audit reports submitted to us by Auditors of 7 Regional Offices, Fixed Assets have been physically verified by the Management during the year at regular intervals. |
| | (c) Whether the title deeds of immovable properties are held in the name of the company. If not, provide the details thereof. | During the course of audit, we have verified the title deeds of free hold and lease hold land registered in the name of NHDC. The title of the land is clear and no encumbrance has been created by the Corporation on the above land. It is to be pointed out that the office building area 221.70 sq. meters, at Mumbai amounting to Rs. 2163293 is pending for registration with the appropriate authority. Conveyance deed of R.O. Kolkata Building area 152.35 sq. meters is available on records but registered documents of property not found. |
| (ii) | Whether physical verification of inventory has been conducted at reasonable intervals by the management and whether any material discrepancies were noticed and if so, whether they have been properly dealt with in the books of account. | As informed to us, physical verification of inventory is conducted by the Management at regular intervals. In the opinion of Statutory Auditors of Regional Offices, the frequency of verification is reasonable. |
| (iii) | Whether the company has granted any loans, secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013, if so. | The company has not granted any loans secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnership of other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013. |
| | (a) Whether the terms and conditions of the grant of such loans are not prejudicial to the company's interest. | Not Applicable |

| | | |
|-------|--|---|
| | (ख) क्या मूलधन का पुनर्भुगतान तथा ब्याज का भुगतान की समय-सारणी निर्धारित की गई है और क्या पुनर्भुगतान अथवा प्राप्ति नियमित रूप से हो रही है? | लागू नहीं। |
| | (ग) यदि राशि बकाया है, तो नब्बे दिनों से अधिक कुल बकाया राशि का ब्यौरा दें और क्या कंपनी द्वारा मूलधन एवं ब्याज की वसूली के लिए उचित कदम उठाए गए हैं? | लागू नहीं। |
| (iv) | ऋणों, निवेशों, गारंटी तथा प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 तथा 186 का पालन किया गया है? यदि नहीं, तो उसका ब्यौरा दें। | लागू नहीं। |
| (v) | यदि कंपनी ने कोई जमा स्वीकार किए हैं, तो क्या वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 अथवा किन्हीं अन्य संगत प्रावधानों तथा उसके तहत बनाए गए नियमों, जो भी लागू हो, का अनुपालन किया गया है? यदि नहीं, तो इस प्रकार के उल्लंघन का ब्यौरा दें, यदि कंपनी कानून बोर्ड अथवा राष्ट्रीय कंपनी विधायी न्याधिकरण अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी न्यायालय या किसी अन्य न्याधिकरण द्वारा आदेश पारित किया गया है, तो क्या उसका अनुपालन किया गया है अथवा नहीं? | कंपनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किए हैं। उपर्युक्त को देखते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 अथवा कोई अन्य संगत प्रावधान लागू नहीं होते हैं। |
| (vi) | क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा लागत रिकॉर्ड रख-रखाव निर्धारित किया गया है और क्या ऐसे लेखे तथा रिकॉर्ड बनाए गए हैं एवं उनका रख-रखाव किया गया है? | कंपनी को लागत रिकॉर्ड रखने की अपेक्षा नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड का रख-रखाव निर्धारित नहीं किया है। |
| (vii) | (क) क्या कंपनी नियमित रूप से भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर तथा उपयुक्त प्राधिकरण को कोई अन्य सांविधिक देय सहित निर्विवादित सांविधिक देय राशि को जमा कर रही है और यदि नहीं, तो बकाया सांविधिक देय राशि की बकाया सीमा को, जिस दिन से वे देय हो गई है, छह महीने से अधिक की अवधि के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन की स्थिति के अनुसार उसे दर्शाया जाएगा? | निगम टीडीएस के साथ भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, बिक्री कर, जीएसटी सहित निर्विवादित सांविधिक देय राशि को नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकरण में जमा कर रही है। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और उपकर निगम पर लागू नहीं हैं। |

| | | |
|-------|---|---|
| | (b)Whether the schedule of repayment of principal and payment of interest has been stipulated and whether the repayments or receipts are regular. | Not Applicable |
| | (c)if the amount is overdue, state the total amount overdue for more than ninety days, and whether reasonable steps have been taken by the company for recovery of the principal and interest. | Not Applicable |
| (iv) | In respect of loans, investments, guarantees and security whether provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 have been complied with. If not, provide the details thereof. | Not Applicable |
| (v) | In case, the company has accepted deposits, whether the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of Sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the rules framed there under, where applicable, have been complied with? If not, the nature of such contraventions be stated, if an order has been passed by Company Law Board or National Company Law Tribunal or Reserve Bank of India or any court or any other tribunal, whether the same has been complied with or not? | The Company has not accepted any deposits. In view of this the provisions of section 73 to 76 or any other relevant provision of the Companies Act, 2013 does not apply. |
| (vi) | Whether maintenance of cost records has been specified by the Central Government under sub section (1) of Section 148 of the Companies Act 2013 and whether such accounts and records have been so made and maintained. | The Corporation is not required to maintain the cost records, as the Central Government has not prescribed to maintain cost records under section 148(1) of the Companies Act, 2013. |
| (vii) | (a)Whether the company is regular in depositing undisputed statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income tax sales tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues to the appropriate authorities and if not, the extent of the arrears of outstanding statutory dues as on the last day of the financial year concerned for a period of more than six months from the day they became payable, shall be indicated. | The corporation is regular in depositing undisputed statutory dues including provident fund Income Tax including TDS. Employees' state insurance, Sales Tax & GST with the appropriate authorities. The payments of customs duty, excise duty and cess are not applicable to the Corporation. |

| | | |
|--------|--|---|
| | (ख) जहाँ आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर को किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है तो शामिल राशि तथा जहाँ विवाद लंबित है, उस मंच को उल्लिखित किया जाएगा (संबंधित विभाग को मात्र अभ्यावेदन को, विवाद नहीं समझा जाएगा)। | निगम के रिकॉर्ड के अनुसार बिक्री कर, व्यवसायिक कर के संबंध में कोई अविवादित राशि लंबित नहीं है। तथापि, क्षेत्रीय कार्यालयों के तहत नोट किए गए सांविधिक लेखा परीक्षकों ने बिक्री कर जैसी सांविधिक देय राशि की लंबितता को दर्शाया है। क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी बिक्री कर-वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए लखनऊ कार्यालय बिक्री कर आकलन प्राधिकरण के लिए 95.21 लाख रूपए की उठाई गई मांग के विरुद्ध सहायक आयुक्त बिक्री कर वाराणसी में एक अपील लंबित है। |
| (viii) | क्या कंपनी किसी वित्तीय संस्था, बैंक, सरकार से लिए गए ऋणों अथवा उधारी के पुनर्भुगतान अथवा ऋण-पत्र धारक के बकायों के भुगतान में चूक की है? यदि हां, तो भुगतान नहीं की गई अवधि और राशि की सूचना दी जाए (भुगतान नहीं किए जाने के मामले में बैंक, वित्तीय संस्था, और सरकारी ऋणदाता-वार ब्यौरा दिया जाए)। | लागू नहीं। |
| (ix) | क्या आरंभिक सार्वजनिक पेशकश अथवा अतिरिक्त सार्वजनिक पेशकश (ऋण साधनों सहित) द्वारा राशि जुटाई गई है और जुटाई गई इस राशि के लिए सावधि ऋण के लिए आवेदन किया गया था? यदि नहीं, तो विलंब अथवा चूक दोनों और उसके बाद परिशोधन, यदि कोई है, जैसा भी लागू हो, का ब्यौरा दें। | लागू नहीं। |
| (x) | क्या कंपनी द्वारा किसी धोखाधड़ी अथवा कंपनी के नाम पर इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किसी धोखाधड़ी वर्ष के दौरान ध्यान में आई है अथवा को सूचना दी गई है? यदि हां, तो इसके स्वरूप तथा इसमें शामिल राशि को इंगित किया जाए। | प्रदान की गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2020-21 के दौरान कोई धोखाधड़ी नहीं पाई गई है। |
| (xi) | क्या कंपनी अधिनियम की अनुसूची-V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधानों द्वारा अधिदेशित अपेक्षित अनुमोदनों के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान किया गया अथवा प्रदान किया गया है? यदि नहीं, तो इसमें शामिल राशि और इस राशि को संरक्षित करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा दें। | प्रबंध निदेशक को पारिश्रमिक का भुगतान डीपीई द्वारा अनुमोदित आईडीए स्केलों के अनुसार किया गया है। इसके अलावा, एक सरकारी कंपनी होने के कारण निगम को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 से छूट दी गई है। |

| | | |
|--------|---|---|
| | (b)Where dues or income tax or sales tax or service tax or duty of customs or duty of excise or value added tax have not been deposited on account of any dispute, then the amounts involved and the forum where dispute is pending shall be mentioned (A mere representation to the concerned Department shall not be treated as a dispute). | <p>According to the records of the Corporation, no undisputed amounts payable in respect of Sales Tax, Professional Tax is pending. However, the Statutory auditors of the under noted Regional Offices of the Corporation have indicated the pendency of the statutory dues like Sales Tax.</p> <p><u>Regional Office Varanasi</u></p> <p>Sales Tax- An appeal is pending with Assistant Commissioner Sales Tax Varanasi against demand raised for Rs. 95.21 Lakhs the assessing authority Sales Tax office Lucknow for the financial year 2010-11.</p> |
| (viii) | Whether the company has defaulted in repayment of loans or borrowing to a financial institution, bank, government or dues to debenture holders? If yes, the period and the amount of default to be reported (in case of defaults to banks, financial institutions, and Government lender wise details to be provided). | Not Applicable. |
| (ix) | Whether moneys raised by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) and term loans were applied for the purposes for which those are raised. If not, the details together with delays or default and subsequent rectification, if any, as may be applicable, be reported. | Not Applicable. |
| (x) | Whether any fraud by the company or any fraud on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year; if yes, the nature and the amount involved is to be indicated. | As reported no fraud has been noticed during the year 2020-21. |
| (xi) | Whether managerial remuneration has been paid or provided in accordance with the requisite approvals mandated by the provisions of section 197 read with Schedule V of the Companies Act? If not, state the amount involved and steps taken by the company for securing refund of the same. | Remuneration to Managing Director has been paid as per IDA Scales approved by DPE. Further, the Corporation being a Government Company is exempt from Section 197 of the Companies Act, 2013. |
| (xii) | Whether the Nidhi Company has complied with the Net Owned Funds to Deposits in the ratio of 1:20 to meet out the liability and whether ten percent unencumbered term deposits as specified in the Nidhi Rules, 2014 to meet out the liability. | Not Applicable. |

| | | |
|--------|--|---|
| (xii) | क्या निधि कंपनी देयता को पूरा करने के 1:20 अनुपात में जमा निवल स्वामित्व वाली निधि का अनुपालन करती है और क्या देयता को पूरा करने के निधि नियम, 2014 में विनिर्दिष्ट दस प्रतिशत भारमुक्त जमा शर्त का अनुपालन करती है? | लागू नहीं। |
| (xiii) | क्या संबंधित पक्षों को सभी लेन-देन, जहां भी लागू हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 तथा 188 के अनुपालन में किए गए हैं और उनका ब्यौरा लागू लेखांकन मानदंडों द्वारा अपेक्षित वित्तीय विवरणों आदि में दिया गया है? | निगम द्वारा किसी संबंधित पक्ष के लेन-देन की सूचना नहीं दी गई है। |
| (xiv) | क्या कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों अथवा पूर्ण या आंशिक परिवर्तनीय ऋण-पत्रों का अधिमार्ग आवंटन या निजी नियोजन किया है और यदि हां, तो क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है और जुटाई गई राशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए वह राशि जुटाई गई थी? यदि नहीं, तो शामिल राशि और गैर-अनुपालन का स्वरूप का ब्यौरा दें। | लागू नहीं। |
| (xv) | क्या कंपनी द्वारा निदेशकों या उससे संबंधित किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार गैर-नगदी लेन-देन किया है और यदि हां, तो क्या इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है? | दी गई सूचना के अनुसार निगम द्वारा निदेशकों के साथ किसी प्रकार की गैर-नगदी लेन-देन नहीं किया गया है। |
| (xvi) | क्या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1ए के अंतर्गत कंपनी के पंजीकरण की अपेक्षा है और यदि हां, तो क्या पंजीकरण प्राप्त किया गया है? | लागू नहीं। |

कृते एमएएनवी एंड एसोसिएट्स
(चार्टर्ड अकाउंटेंट)
(एफ.आर. नं.007351एन)

दिनांक: 08 दिसंबर, 2021

स्थान: नई दिल्ली

ह./—
एन.के.गुप्ता
भागीदार
सदस्यता सं. 085713
यूडीआईएन: 21085713एएएजीबी244

| | | |
|--------|--|--|
| (xiii) | Whether all transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of Companies Act, 2013 where applicable and the details have been disclosed in the Financial Statements etc. as required by the applicable accounting standards. | There is no related party's transaction as reported by the Corporation. |
| (xiv) | Whether the company has made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review and if so, as to whether the requirement of section 42 of the Companies Act, 2013 have been complied with and the amount raised have been used for the purposes for which the funds were raised. If not, provide the details in respect of the amount involved and nature of non-compliance. | Not Applicable. |
| (xv) | Whether the company has entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him and if so, whether the provisions of Section 192 of Companies Act, 2013 have been complied with | As reported, there is no non-cash transaction entered by the Corporation with the Directors. |
| (xvi) | Whether the company is required to be registered under Section 45-1A of the Reserve Bank of India Act, 1934 and if so, whether the registration has been obtained. | Not applicable. |

For MANV & ASSOCIATES
Chartered Accountants
(F. R. No. 007351N)

Dated: 08th December, 2021
Place: New Delhi

Sd/-
N. K.GUPTA
Partner
Membership No. 085713
UDIN: 21085713AAAAGB4244

स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट से संबंधित अनुबंध 'ख'

(राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट के अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं के तहत पैराग्राफ "II" में उल्लिखित)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा द्वारा जारी निर्देशों में वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (स्टैंडअलोन) के वार्षिक लेखाओं की लेखा परीक्षा प्रक्रिया के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जांच किए जाने वाले क्षेत्रों को दर्शाया गया है

| | | |
|----|--|---|
| 1. | क्या कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन-देन की प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो वित्तीय निहितार्थ सहित लेखाओं की सत्यनिष्ठा के संबंध में आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन-देन की प्रक्रियाओं के निहितार्थ, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाए। | हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी में यह व्यवस्था है और निगम सभी लेखांकन लेन-देन प्रक्रिया ईआरपी के माध्यम से करता है। ईआरपी व्यवस्था में वित्तीय लेखांकन (एफआई), नियंत्रक (सीओ), बिक्री तथा वाणिज्यिक बिलिंग आदि जैसी सभी प्रक्रियाएं कार्यान्वित की गई हैं। |
| 2. | क्या ऋण के भुगतान न किए जाने की कंपनी की असमर्थता के कारण लेनदार द्वारा मौजूदा ऋण अथवा माफी/ऋण को बढ़े खाते में डालने/ऋणों/ब्याज के मामलों की कोई पुनर्संरचना की गयी है? यदि हां, तो उसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख कीजिए। | हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर भुगतान न किए जाने की कंपनी की अक्षमता के कारण लेनदार द्वारा ऋण / माफी/ऋण को बढ़े खाते में डालने/ऋणों/ब्याज की कोई पुनर्संरचना की गयी है। |
| 3. | क्या केंद्र की विशिष्ट योजनाओं/राज्य एजेंसियों से प्राप्त निधि /प्राप्त निधियों की समुचित गणना की गई है/उसके नियम एवं शर्तों के अनुरूप उसका उपयोग किया गया है? विषय परिवर्तन मामलों की सूची उपलब्ध कराएं। | केंद्र की विशिष्ट योजनाओं/राज्य एजेंसियों से प्राप्त निधि /प्राप्तियों का उपयुक्त लेखा-जोखा रखा गया है/उसके नियम एवं शर्तों के अनुरूप उसका उपयोग किया गया है। |

कृते एमएएनवी एंड एसोसिएट्स
(चार्टर्ड अकाउंटेंट)
(एफ.आर. नं.007351एन)

दिनांक 08 दिसंबर, 2021
स्थान: नई दिल्ली

ह./—
एन.के.गुप्ता
भागीदार:
(सदस्यता सं. 085713)
यूडीआईएन: 21085713एएएजीबी244

ANNEXURE “B” TO THE INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

(Referred to in paragraph “II” under ‘Report on Other Legal and Regulatory Requirements section of our report to the Members of **National Handloom Development Corporation Limited** of even date)

Directions issued by the Comptroller & Auditor General of India under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 indicating the areas to be examined by the Statutory Auditors during the course of audit of annual accounts of National handloom development Corporation Limited (Standalone) for the year 2020-21

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system. If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any may be stated. | As per the information and explanations given to us, the company has a system in place and the corporation process all the accounting transactions through ERP. ERP system has been implemented for all the processes like Financial accounting (FI), Controlling (CO), Sale and Commercial billing etc. |
| 2. | Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver / write off of debts / loans / interest etc. made by a lender due to the company’s inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. | According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the company, there has been no restructuring/ waiver/ write off of debts/ loans/ interest etc. made by a lender due to the company’s inability to repay the loan |
| 3. | Whether fund received / receivable for specific schemes from Central / State agencies were properly accounted for /utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation. | Fund received / receivable for specific schemes from Central /State agencies were properly accounted for /utilized as per the provided terms and conditions |

For MANV & ASSOCIATES
Chartered Accountants
(F. R. No. 007351N)

Dated: 08th December, 2021
Place: New Delhi

Sd/-
N. K.GUPTA
Partner
Membership No. 085713
UDIN: 21085713AAAAGB4244

स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट से संबंधित अनुबंध 'ग'

(31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं के संबंध में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों संबंधी हमारी समान तारीख की रिपोर्ट के लिए उल्लिखित अनुबंध)

कंपनी अधिनियम, 2013 ('एक्ट')की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संयोजन में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी प्रबंधन भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटक पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को संस्थापित करने और उनके बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, उसका कार्यान्वयन तथा उसको बनाए रखना शामिल हैं जिनका उनके व्यवसाय को विधिपूर्वक तथा दक्षता से संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से संचालन हो रहा हो जिसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटि को रोकना एवं पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं पूर्णता और अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना शामिल हैं।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय देना है। हमने लेखा परीक्षा का संचालन वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों ('मार्गदर्शन टिप्पण') संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण तथा आईसीएआई द्वारा जारी एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित किए गए लेखा परीक्षा मानकों के अनुसरण में किया गया है जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए स्वीकार्य सीमा के अंतर्गत है तथा दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए स्वीकार्य है और दोनों भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों तथा मार्गदर्शन टिप्पण में अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और उनके अनुसार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना एवं कार्य करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए एवं बनाए रखे गए हैं और यदि हां, तो क्या इस प्रकार के नियंत्रणों को सभी वस्तुगत पहलुओं में प्रभावी रूप से संचालित किया गया है।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी प्रचालन प्रभावकारिता के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की सटीकता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वित्तीय रिपोर्टिंग के समय आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, वस्तुगत कमजोरी वाले जोखिम का आंकलन, और आंकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, प्रचालन प्रभाविकता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें वित्तीय विवरणों के वस्तुगत गलत विवरण के जोखिम का आंकलन शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कंपनी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उचित हैं।

ANNEXURE “C” TO THE INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT

ANNEXURE REFERRED TO IN OUR REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED ON THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 (“the Act”)

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **National Handloom Development Corporation Limited** (“the Company”) as of March 31, 2021 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management’s Responsibility for Internal Financial Controls

The Company’s management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company’s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors’ Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company’s internal financial controls over financial reporting of the Company based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the “Guidance Note”) and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143 (10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor’s judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company’s internal financial controls system over financial reporting of the Company

वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करने की प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां एवं प्रक्रियाओं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड रख-रखाव से संबंधित जिसमें कंपनी की परिसंपत्तियों के अंतरण तथा स्थितियों का तर्कसंगत, सटीक एवं निष्पक्ष ब्यौरा प्रकट किया गया हो; (2) तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करना जिसमें लेन-देन को आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए आवश्यक रूप में रिकॉर्ड किये गया हो तथा जिसमें कंपनी की प्राप्तियां एवं खर्च केवल कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्रमाणीकरण के अनुसार किए जा रहे हो; तथा (3) कंपनी की परिसंपत्तियों का प्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, अथवा स्थिति का निवारण अथवा समय पर पता लगाने के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करना जिसका वित्तीय विवरणों पर वस्तुगत प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबंधन, नियंत्रणों की अवहेलना शामिल हैं। त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण वस्तुगत गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं जो कि वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति बिगड़ सकती है।

सापेक्ष राय

हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित वस्तुगत कमियां पाई गईं और उनका उल्लेख हमारी लेखा परीक्षा में किया गया है।

1. वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान वित्तीय लेखाओं के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किए गए उल्लेख के अनुसार, कंपनी का लखनऊ शाखा कार्यालय, जो वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत था, ने शुरू में पिछले वर्ष 2018-19 के दौरान पिछले वर्ष अर्थात् 2018-19 की प्रथम तिमाही में 385.04 करोड़ रुपए की कुल बिक्री और खरीद की थी। इसमें से 190.82 करोड़ रुपए की बिक्री और खरीद को उक्त लखनऊ कार्यालय द्वारा, ईआरपी लेखांकन प्रणाली में रद्द कर दिया गया। इस मामले को जांच एजेंसी सीबीआई तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेज दिया गया। उक्त मामला फोरेंसिक ऑडिट और सतर्कता जांच में लंबित है। इस 194.22 करोड़ रु. की राशि को कुल देनदारों (टिप्पणी संख्या 13 (ii) देखें) तथा लेनदारों (टिप्पणी संख्या 5 (ii) देखें) में दिखाया जा रहा है। चूंकि हमने वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 में अपनी रिपोर्ट में पहले ही इस मामले का उल्लेख किया था, दिनांक 1.03.2018 से 31.03.2018 के दौरान की गई 215.79 करोड़ रुपए की बिक्री के कारण 22.66 करोड़ रुपये की एनएचडीसी सेवा शुल्क और सब्सिडी घटक को कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान वापस कर दिया गया था क्योंकि वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) ने कंपनी को सब्सिडी राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की थी। इस तथ्य के परिणामस्वरूप कि एमओटी से 21.58 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई, कंपनी ने भारत सरकार से देय प्राप्ति से 21.58 करोड़ रुपये कम कर दिए और इसे आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम के रूप में बुक किया गया (टिप्पणी संख्या 13(ii) देखें)। सीबीआई से प्राप्त सूचना के अनुसार, प्रबंधन द्वारा फोरेंसिक लेखा परीक्षा और सतर्कता जांच शुरू की गई थी और यह 31.03.2021 तक प्रक्रियाधीन है। दोनों एजेंसियों ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट एनएचडीसी को सौंप दी है। तदनुसार, मामले को, रिपोर्ट के परिणाम के अनुसार निपटाया जा सकता है।
2. टिप्पणी सं. '4ए' में उल्लेख किए गए अनुसार, 21,01,33,172 रुपए निधि संग्रह (विपणन काम्प्लेक्स) में जमा किया गया है और तदनुसार उसे बैलेंस शीट की अनुसूची 11 के अनुसार मियादी जमा में निवेशित किया गया है। 31 मार्च, 2017 तक निधि संग्रह (विपणन काम्प्लेक्स) के मियादी जमा पर अर्जित ब्याज को संबंधित निधि संग्रह में जमा किया गया था लेकिन वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2018-19 में मियादी जमा के ब्याज को निधि संग्रह (विपणन काम्प्लेक्स) में जमा करने की बजाय निगम की ब्याज आय के रूप में माना गया है। परंतु वित्तीय

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of an unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Qualified Opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the following material weakness has been identified as at March 31, 2021 as also pointed out in our Audit Report.

- As pointed in our Audit report on the Financial Accounts of Financial year 2018-19 and 2019-20 the Company's Lucknow branch Office, which was under Varanasi Regional Office, had initially booked total Sales & Purchase during the Financial year 2018-19 amounting to Rs. 385.04 Crores in the 1st Quarter of Financial year i.e 2018-19 respectively. Out of this, Sales and Purchase to the tune of Rs. 190.82 Crores have been cancelled by the said Lucknow Office in ERP accounting system. the matter has been referred to investigation agency CBI and Central Vigilance Commission. This Rs. 194.22 Crores is being shown in total debtors (Refer Note No. 13(ii)) as well as Creditors ((Refer Not No. 5 (ii)). As this matter had already been pointed out by us in the FY 2018-19 and 2019-20 in our report, NHDC Service charge and subsidy component of Rs. 22.66 crore, on account of sales of Rs. 215.79 crore made during 1.03.2018 to 31.03.2018 was reversed by the Company during FY 2018-19 as Ministry of Textiles (MOT) did not reimburse the subsidy amount to the company. Consequent to the fact that subsidy of Rs 21.58 crore was not received from the MOT, the company reduced Rs. 21.58 crore from receivables due from Government of India and booked the same as advances to suppliers (Refer Note No. 13(ii), as per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the same are under process till 31.03.2021. **Both the agencies have recently submitted their Report to NHDC. The matter may, accordingly, be dealt as per the outcome of the reports.**
- As stated in Note No. "4A" Rs. 21,01,33,172/- is Standing to the Credit of Corpus Fund (Marketing Complex) and correspondingly invested in Fixed Deposits as Per Schedule 11 of the Balance Sheet. Interest earned on Fixed Deposits of Corpus Funds (Market Complexes) till 31st March 2017, was credited to respective Corpus Fund, but during the financial year 2017-18 and 2018-19 the interest

वर्ष 2019–20 और 2020–21 के दौरान विपणन काम्प्लेक्स के एफडीआर से अर्जित ब्याज आय को निधि संग्रह (विपणन काम्प्लेक्स) में जमा किया गया है।

वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए कॉर्पस निधि (विपणन काम्प्लेक्स) में जमा नहीं किए गए ब्याज के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई वास्तविक गणना के बाद की जानी चाहिए।

3. टिप्पण सं. '4(बी)' में उल्लेख किए गए अनुसार 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार 10,60,37,100/—रूपए को कॉर्पस निधि (मेगा क्लस्टर) में जमा किया गया था। मियादी जमा के ब्याज को कॉर्पस निधि (मेगा क्लस्टर) में जमा करने की बजाय निगम की ब्याज आय के रूप में माना गया है। परंतु वित्तीय वर्ष 2019–20 और 2020–21 के दौरान कॉर्पस निधि (मेगा क्लस्टर) के एफडीआर से अर्जित ब्याज आय को कॉर्पस निधि (मेगा क्लस्टर) में जमा किया गया है।

31.03.2017 तक कॉर्पस निधि (मेगा क्लस्टर) में जमा नहीं किए गए ब्याज के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई वास्तविक गणना के बाद की जानी चाहिए।

4. हमने कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल किए गए "7" क्षेत्रीय कार्यालयों के वित्तीय विवरणों/सूचना की लेखा परीक्षा नहीं की है जिसके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना में 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार 391.20 करोड़ रूपए की कुल परिसंपत्तियां दर्शाई गई हैं और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल 542.04 करोड़ रूपए का राजस्व स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण माना गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/सूचना की लेखा परीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारी सापेक्ष राय में अभी तक इन शाखाओं के संबंध में राशि तथा प्रकटीकरण पूरी तरह उन शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर हैं।

कृते एमएएनवी एंड एसोसिएट्स
(चार्टर्ड अकाउंटेंट)
(एफ.आर. नं.007351एन)

दिनांक 08 दिसंबर, 2021

स्थान: नई दिल्ली

ह./—
एन.के.गुप्ता
भागीदार
(सदस्यता सं. 085713)
यूडीआईएन: 21085713एएएएजीबी244

on fixed deposit has been taken as interest income of the Corporation instead of crediting to the Corpus Fund (Marketing Complex). Though during the financial year 2019-20 and 2020-21, interest income earned on FDR of Corpus Funds (Market Complexes) has been credited to Corpus Funds (Market Complexes).

Corrective action with respect to interest not credited to Corpus Funds (Market Complexes) for the year 2017-18 and 2018-19 should be accounted for after actual calculations.

3. As Per Note No. "4(B)", As on 31-03-2021 Rs, 10,60,37,100/- was standing to the Credit of Corpus Fund (Mega Cluster), till 31st March 2017, The interest on fixed deposit has been taken as Interest income of the Corporation, instead of crediting to the Corpus Fund (Mega Cluster). Though during the financial year 2019-20 and 2020-21, interest income earned on FDR of Corpus Fund (Mega Cluster) has been credited to Corpus Funds (Mega Cluster).

Corrective action with respect to interest not credited to Corpus Funds (Mega Cluster) till 31.03.2017 should be accounted for after actual calculations.

4. We did not audit the financial statements/information of "7" Regional offices included in the standalone financial statements of the Company whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 391.20 Crores as at 31st March, 2021 and total revenues of Rs. 572.04 Crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements/information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches, is based solely on the report of such branch auditors.

For MANV & ASSOCIATES
Chartered Accountants
(F. R. No. 007351N)

Dated: 08th December, 2021

Place: New Delhi

Sd/-
N. K.GUPTA
Partner
Membership No. 085713
UDIN: 21085713AAAAGB4244

अनुपालना प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा हमें जारी निर्देशों/उप निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के लेखाओं की लेखापरीक्षा की है और हम प्रमाणित करते हैं कि हमने अपनी रिपोर्ट दिनांक 08/12/2021 प्रस्तुत करके हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उप निर्देशों का पालन किया है।

कृते एमएएनवी एंड एसोसिएट्स
(चार्टर्ड अकाउंटेंट)
(एफ.आर. नं.007351एन)

दिनांक 08 दिसंबर, 2021
स्थान: नई दिल्ली

ह. /—
एन.के.गुप्ता
भागीदार
(सदस्यता सं. 085713)
यूडीआईएन: 21085713एएएएजीबी244

COMPLIANCE CERTIFICATE

We have conducted the audit, of accounts of National Handloom Development Corporation Limited for the year ended 31st March 2021 in accordance with the directions/sub directions issued to us by the C & AG of India under Section 143(5) of the Company Act, 2013 and we certify that we have complied with all the directions/sub directions issued to us by submitting our report dated 08/12/2021.

For MANV & ASSOCIATES
Chartered Accountants
(F. R. No. 007351N)

Dated : 08.12.2021

Place: New Delhi

Sd/-
N. K.GUPTA
Partner
Membership No. 085713
UDIN: 21085713AAAAGB4244

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार, स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह दिनांक 08 दिसंबर 2021 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

ह./—
(विधु सूद)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक
(उद्योग और कॉर्पोरेट मामले)
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 23.12.2021

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2021

The preparation of financial statements of National Handloom Development Corporation for the year ended 31 March 2021 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 08 December 2021.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of National Handloom Development Corporation for the year ended 31 March 2021 under section 143(6)(a) of the Act.

**For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**

**Sd/-
(Vidhu Sood)
Principal Director of Audit
(Industry & Corporate Affairs)
New Delhi**

Place: New Delhi

Date: 23.12.2021

*Glimpses
of
Major Events*

7th National Handloom Day celebration at New Delhi



Inauguration of 7th National Handloom Day by Shri Piyush Goyal, Hon'ble Minister of Commerce & Industry, Consumer Affairs & Food & Public Distribution and Textiles.



Shri Piyush Goyal, Hon'ble Minister of Commerce & Industry, Consumer Affairs & Food & Public Distribution and Textiles.



Shri Piyush Goyal, Hon'ble Minister of Commerce & Industry, Consumer Affairs & Food & Public Distribution and Textiles.



Inauguration of Virtual Buyers Sellers Meet of NHDC



Smt. Darshana Vikram Jardosh,
Hon'ble Minister of State for Textiles and Minister of State Railways



7th National Handloom Day celebration at New Delhi



Shri Piyush Goyal, Hon'ble Minister of Commerce & Industry, Consumer Affairs & Food & Public Distribution and Textiles.



Shri Piyush Goyal, Hon'ble Minister of Commerce & Industry, Consumer Affairs & Food & Public Distribution and Textiles.



Shri Upendra Prasad Singh
Secretary, Ministry of Textiles



Shri Sanjay Rastogi
Development Commissioner
(Handlooms), Chairman-NHDC



Ms. Mudita Mishra
Additional Development Commissioner
(Handicrafts), MD-NHDC (Additional Charge)

Mega Handloom Expo on the occasion of 7th National Handloom Day at Dilli Haat INA, New Delhi



Smt. Darshana Vikram Jardosh,
Hon'ble Minister of State for Textiles and
Minister of State Railways



**Mega Handloom Expo on the occasion of
7th National Handloom Day at Dilli Haat INA, New Delhi**



6th National Handloom Day & other events



Inauguration of the 6th National Handloom Day by Smt. Smriti Zubin Irani, the then Hon'ble Minister of Textiles; Hon'ble Minister of Women & Child Development



Shri Upendra Prasad Singh
Secretary, Ministry of Textiles



Shri Sanjay Rastogi
Development Commissioner
(Handlooms), Chairman-NHDC



Ms. Mudita Mishra, Additional
Development Commissioner (Handicrafts),
MD-NHDC (Additional Charge)

Exhibitions and other events organized by NHDC



Shri Upendra Prasad Singh
Secretary, Ministry of Textiles



Exhibitions and other events organized by NHDC



Shri Upendra Prasad Singh
Secretary, Ministry of Textiles



Ms. Mudita Mishra, Additional
Development Commissioner (Handicrafts),
MD-NHDC (Additional Charge)



महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

लेखाकरण प्रथाएं:

वित्तीय विवरण को आमतौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी उपयुक्त लेखाकरण मानदंडों के अनुसार ऐतिहासिक लागत प्रथाओं के अंतर्गत तैयार किया जाता है।

स्थायी परिसंपत्तियां:

अर्जित की गई/खरीद की गई परिसंपत्तियों को खरीद मूल्य के आधार पर अभिलेखों में रखा जाता है।

परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास एवं क्षति:

स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास सरल रेखा पद्धति से प्रभारित किया जाता है। मूल्यह्रास की गणना यथानुपात आधार पर उस वर्ष के दौरान किए गए सभी परिवर्धन के आधार पर की जाती है जिसमें परिसंपत्तियों को उपयोग के लिए रखा जाता है/शुल्क लगाया जाता है। हालांकि, वर्ष के दौरान अर्जित उस परिसंपत्ति पर 100% मूल्यह्रास का शुल्क लगाया जाता है जहां व्यक्तिगत लागत 5000 रु. से अधिक नहीं होती है। मूल्यह्रास की गणना कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-11 में वर्णित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन कार्यकाल के अनुसार की जाती है।

परिसंपत्तियों की वहन राशि की जांच ह्रास के प्रत्येक तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) की तारीख को की जाती है ताकि ह्रास हानि, यदि कोई हो, उसके लिए अपेक्षित निर्धारण और प्रावधान किया जा सके अथवा पिछली अवधि में अभिज्ञात ह्रास हानि, यदि कोई हो, उसके लिए आवश्यक परिवर्तन किया जा सके।

अनुदान:

सहायता अनुदानों के सापेक्ष व्यय विशिष्ट प्रयोजनों के संबंध में किए गए हैं और उन्हें सरकार से प्राप्त विशिष्ट अनुदान के अनुसार समायोजित किया गया है। सरकार से प्राप्त/प्राप्य होने वाले अनुदान को इसके अंतिम संग्रह की निश्चितता को ध्यान में रखते हुए प्रोद्भूत आधार पर स्वीकार किया जाता है।

माल सूची:

स्टॉक का मूल्य निर्धारण लागत मूल्य पर अथवा निवल वसूली मूल्य पर, जो भी न्यूनतम हो, के आधार पर किया जाता है। विक्रय वापसी के कारण अथवा अन्य किसी कारण मार्गस्थ माल को खरीद मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

बिक्री:

यार्न, रंग एवं रसायनों और वस्त्र की बिक्री ग्राहकों को भेजे गए माल के मूल्य को प्रदर्शित करती है।

व्यय का वर्गीकरण:

सभी व्यय और आय का लेखांकन साधारण लेखा शीर्ष के अंतर्गत किया जाता है। जहां भी आवश्यक हुआ है, वहां कार्यात्मक आधार पर व्यय का आवंटन किया गया है।

अतिदेय बिलों पर ब्याज :

उनके साथ तय की गई क्रेडिट की शर्तों के अनुसार विलंबित भुगतानों के लिए अतिदेय बिलों पर ब्याज प्रदान किया गया है। वसूले नहीं गए अतिदेय ब्याज को आस्थगित उपार्जित ब्याज के रूप में दर्शाया गया है।

वित्त शुल्क

रंग एवं रसायनों के ग्राहकों पर लगाए गए वित्त शुल्क को उसके अंतिम संग्रह में अनिश्चितता को देखते हुए प्राप्ति के आधार पर राजस्व के रूप में स्वीकार किया गया है।

सेवानिवृत्ति के लाभों का लेखाकरण:

(क) लेखा मानदंडों-15 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी के प्रति देयता प्रदान की जाती है।

SIGNIFICANT ACCOUNTS POLICIES

ACCOUNTING CONVENTIONS:

The financial statements have been prepared under historical cost convention in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles, the provisions of Companies Act' 2013 and applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

FIXED ASSETS:

The assets acquired/ purchased are recorded on the basis of purchase value.

DEPRECIATION AND IMPAIRMENT OF ASSETS:

Depreciation on fixed Assets is charged on straight-line method. Depreciation is calculated on pro-rata basis on all additions made during the year in which the assets are put to use/ brought on charges. However, 100% depreciation is charged on the assets acquired during the year where individual cost does not exceed Rs.5000. Depreciation is calculated as per useful life of assets mentioned in Schedule – II of the Companies Act 2013.

The carrying amount of assets is tested at each Balance Sheet date for impairment so as to determine and provide for the impairment loss, if any, required or the reversal, if any, required for impairment loss recognized in previous periods.

GRANTS:

The expenses against Grants-in-aid have been incurred on specific purposes and are adjusted accordingly in specific grant received from Government. Grants/ Receivable from Government are recognized on accrual basis keeping in view the certainty of its ultimate collection.

INVENTORIES:

The valuation of stocks is at cost or net realizable value, whichever is lower. Goods-in-transit due to sales return or otherwise are valued at purchase price.

SALES:

The sales of yarn, dyes & chemicals and fabrics represent the value of goods dispatched to customers.

CLASSIFICATION OF EXPENDITURE:

All expenses and Incomes are accounted for under natural heads of account. Wherever necessary, allocation of expenditure on the functional basis has been made.

INTEREST ON OVERDUE BILLS:

Interest on overdue bills has been provided for delayed payments as per terms of credit decided with them. The unrealized overdue interest is shown as Deferred Accrued Interest.

FINANCE CHARGE

Finance charges levied on customers of Dyes & Chemicals are recognized as revenue on receipt basis in view of uncertainty in its ultimate collection.

ACCOUNTING OF RETIREMENT BENEFITS:

- (a) Liability towards Gratuity is provided based on the actuarial valuation as per AS-15.

- (ख) लेखा मानदंडों-15 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अवकाश नकदीकरण के प्रति देयता प्रदान की जाती है।
(ग) निगम के नियमों के अनुसार अवकाश यात्रा रियायत को अनुमति दी जाती है और उस वर्ष के खातों में प्रविष्टि की जाती है जिसमें कर्मचारियों द्वारा इसका लाभ उठाया जाता है।

पूर्व अवधि संबंधी समायोजन:

पूर्व अवधि संबंधी समायोजन, मूलभूत त्रुटियों और चूक के सुधार किए जाने से पूर्व अवधि के लिए लागू/प्रयोज्य समायोजन हैं।

विकास क्रियाकलापों के लिए आरक्षित:

भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से अतिरिक्त व्यय सहित अपने स्वयं के स्रोतों से निगम द्वारा विकासात्मक क्रियाकलापों पर किए गए व्यय को सीधे विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए आरक्षित (रिजर्व) से प्रभारित किया जाता है, जिन्हें निगम के लाभ से बाहर विनियोजित किया गया है।

खण्ड-वार (सेगमेंट) लेखाकरण नीति:

खण्ड-वार लेखाकरण नीतियां निगम की लेखाकरण नीतियों के अनुरूप हैं। तथापि, खण्ड रिपोर्टिंग के लिए निम्नलिखित विशिष्ट लेखाकरण नीतियों का पालन किया गया है :

- (क) खण्ड राजस्व में अंतर-खण्ड राजस्व सहित सेगमेंट के लिए निर्धारित/आवंटित किए जाने योग्य बिक्री और अन्य आय सम्मिलित है। जो आय पूर्णतया निगम से संबंधित है और खण्ड के लिए आवंटित किए जाने योग्य नहीं है, उनको "अन्य गैर-आवंटन योग्य आय" में सम्मिलित किया जाता है।
(ख) जो व्यय सीधे खण्ड के लिए निर्धारित/आवंटित किए जाने योग्य है, उन्हें खण्ड परिणाम के निर्धारण के लिए लिए विचार किया जाता है। जो व्यय पूर्णतया निगम से संबंधित है और खण्ड के लिए आवंटित किए जाने योग्य नहीं है, उनको "अन्य गैर-आवंटन योग्य व्यय" में सम्मिलित किया जाता है।
(ग) खण्ड परिसंपत्तियों और देनदारियों में संबंधित खण्डों के साथ सीधे तौर पर अभिज्ञेय शामिल हैं। गैर-आवंटन योग्य निगमित संपत्ति और देनदारियां उन परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रदर्शित करती हैं जो पूर्णतया निगम से संबंधित हैं और किसी भी खण्ड के लिए आवंटित किए जाने योग्य नहीं हैं।

आय पर कर :

वर्तमान अवधि के लिए आय पर कर का निर्धारण, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार और मूल्यांकनों/अपीलों के संभावित परिणामों के आधार पर परिकलित कर-योग्य आय और जमा कर के आधार पर किया जाता है।

आस्थगित कर का निर्धारण उस वर्ष के लिए लेखाकरण आय और कर-योग्य आय के बीच समय अंतर के आधार पर किया जाता है और लागू की गई कर दरों और कानूनों अथवा तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार लागू दरों का उपयोग करके मात्रा निर्धारित की जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान की जाती है और इस सीमा तक उसे आगे बढ़ाया जाता है कि उचित निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके सापेक्ष ऐसे आस्थगित कर संपत्तियों की वसूली की जा सकती है।

ह/-
अंजलि यादव
कंपनी सचिव

ह/-
जीतेन्द्र वी. पुरोहित
उपमहाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
मुदिता मिश्रा
प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं.-07302824

ह/-
संजय रस्तोगी
अध्यक्ष
डीआईएन सं. - 07722405

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमएएनवी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 08 दिसम्बर 2021

ह/-
साझेदार : एन. के. गुप्ता
सदस्यता सं.: 085713
उफ.आर. सं.: 007351एन

- (b) Liability towards Leave Encashment is provided based on the actuarial valuation as per AS-15.
- (c) Leave travel concession is allowed as per rules of the corporation and booked in accounts in the year in which it is availed by the employees.

PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS:

Prior Period Adjustments are those adjustments applicable to prior periods arising from correction of fundamental errors & omissions.

RESERVE FOR DEVELOPMENTAL ACTIVITIES:

Expenditure incurred by the Corporation on developmental activities from its own sources including expenditure incurred over and above the grant-in-aid received from Government of India are charged to Reserve for Developmental Activities directly which have been appropriated out of profits of the Corporation.

SEGMENT ACCOUNTING POLICY:

Segment Accounting policies are in line with the accounting policies of the corporation. However, the following specific accounting policies have been followed for segment reporting:

- a) Segment Revenue includes sales and other income directly identifiable with/ allocable to the segments including inter-segment revenue. The income, which relate to the corporation as a whole and not allocable to the segments is included in "Other Un-allocable Income".
- b) Expenses that are directly identifiable with/ allocable to the segments are considered for determining the segments result. The expenses, which relate to the corporation as a whole and not allocable to the segments are included under "Other Un-allocable Expenditure".
- c) Segment assets and liabilities include those directly identifiable with the respective segments. Un-allocable corporate assets and liabilities represent the assets and liabilities that relate to the corporation as a whole and not allocable to any segment.

TAXES ON INCOME:

Tax income for the current period is determined on the basis of taxable income and tax credits computed in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961 and based on the expected outcome of assessments/ appeals.

Deferred tax is recognized on timing difference between the accounting income and the taxable income for the year and quantified using the tax rates and laws enacted or substantively enacted as on the Balance Sheet date.

Deferred tax assets are recognized and carried forward to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.

Sd/-
Anjali Yadav
Co. Secretary

Sd/-
Jitendra V Purohit
DGM(F&A)/CFO

Sd/-
Mudita Mishra
Managing Director
DIN No. - 07302824

Sd/-
Sanjay Rastogi
Chairman
DIN No. - 07722405
As per our Report of even date
For MANV & Associates
Chartered Accountants

Place: New Delhi
Date: 08th December 2021

Sd/-
Partner : N. K. Gupta
M.No. : 085713
F.R.No.: 007351N

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
31 मार्च 2021 के अनुसार बैलेंस शीट का मसौदा

| | विवरण | नोट सं. | 31.03.2021 के अनुसार (रु.) | 31.03.2020 के अनुसार (रु.) |
|------------|--|---------|----------------------------|----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | इक्विटी और देयताएं | | | |
| 1 | शेयरधारक की निधियां | | | |
| क) | शेयर पूंजी | 1 | 19,00,00,000 | 19,00,00,000 |
| ख) | रिजर्व और अधिशेष | 2 | 59,58,75,252 | 69,41,77,024 |
| 2 | गैर-चालू देयताएं | | | |
| क) | अन्य दीर्घकालिक देनदारियां समग्र (कॉर्पस) | 4 | 82,37,64,147 | 73,48,22,688 |
| 3 | वर्तमान देनदारियां | | | |
| क) | व्यापार देनदारियां | 5 | 3,33,48,88,552 | 3,33,50,67,770 |
| ख) | अन्य चालू देनदारियां | 6 | 67,45,26,579 | 64,03,67,906 |
| ग) | अल्पकालिक प्रावधान | 7 | 17,32,38,176 | 18,98,97,877 |
| | कुल | | 5,79,22,92,706 | 5,78,43,33,265 |
| II. | परिसंपत्तियां | | | |
| | गैर चालू संपत्तियां | | | |
| 1क) | अचल परिसंपत्तियां | | | |
| i) | मूर्त परिसंपत्तियां | 8 | 11,76,13,104 | 12,21,88,403 |
| ii) | अमूर्त संपत्तियां | 9 | 57,74,718 | 1,04,24,384 |
| ख) | आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध) | 3 | 2,38,70,996 | 2,20,58,794 |
| ग) | लंबी अवधि के ऋण और अग्रिम | 10 | 3,07,778 | 3,44,278 |
| घ) | अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां समग्र (कॉर्पस) | 11 | 82,37,64,147 | 73,48,22,688 |
| 2 | वर्तमान संपत्ति | | | |
| क) | माल सूची | 12 | 1,77,25,319 | 1,49,87,384 |
| ख) | व्यापार प्राप्य | 13 | 3,01,33,05,121 | 2,93,90,53,708 |
| ग) | नकद और नकदी के समतुल्य | 14 | 1,33,90,77,409 | 1,39,45,50,702 |
| घ) | अल्पावधि ऋण और अग्रिम | 15 | 41,62,09,041 | 50,64,94,986 |
| ङ) | अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां | 16 | 3,46,45,073 | 3,94,07,937 |
| | कुल | | 5,79,22,92,706 | 5,78,43,33,265 |

नोट 1 से 28 और वर्तमान समीक्षावधि के अंत में तुलन-पत्र के साथ संलग्न महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का विवरण खातों का एक अभिन्न अंग है।

ह/-
अंजलि यादव
कंपनी सचिव

ह/-
जीतेन्द्र वी. पुरोहित
उपमहाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
मुदिता मिश्रा
प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं.-07302824

ह/-
संजय रस्तोगी
अध्यक्ष
डीआईएन सं. - 07722405

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमएएनवी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 08 दिसम्बर 2021

ह/-
साझेदार : एन. के. गुप्ता
सदस्यता सं.: 085713
एफ.आर. सं.: 007351एन

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2021

| | PARTICULARS | NOTE NO. | As on 31-03-2021 (Rs.) | As on 31-03-2020 (Rs.) |
|------------|--------------------------------------|----------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | EQUITY AND LIABILITIES | | | |
| 1 | Shareholder's funds | | | |
| a) | Share Capital | 1 | 19,00,00,000 | 19,00,00,000 |
| b) | Reserves and Surplus | 2 | 59,58,75,252 | 69,41,77,024 |
| 2 | Non- current liabilities | | | |
| a) | Other long term liabilities (Corpus) | 4 | 82,37,64,147 | 73,48,22,688 |
| 3 | Current liabilities | | | |
| a) | Trade payables | 5 | 3,33,48,88,552 | 3,33,50,67,770 |
| b) | Other current liabilities | 6 | 67,45,26,579 | 64,03,67,906 |
| c) | Short term provisions | 7 | 17,32,38,176 | 18,98,97,877 |
| | TOTAL | | 5,79,22,92,706 | 5,78,43,33,265 |
| II. | ASSETS | | | |
| | Non current assets | | | |
| 1(a) | Fixed Assets | | | |
| i) | Tangible assets | 8 | 11,76,13,104 | 12,21,88,403 |
| ii) | Intangible assets | 9 | 57,74,718 | 1,04,24,384 |
| b) | Deferred tax Assets (Net) | 3 | 2,38,70,996 | 2,20,58,794 |
| c) | Long term loans and advances | 10 | 3,07,778 | 3,44,278 |
| d) | Other non current assets(Corpus) | 11 | 82,37,64,147 | 73,48,22,688 |
| 2 | Current assets | | | |
| a) | Inventories | 12 | 1,77,25,319 | 1,49,87,384 |
| b) | Trade receivable | 13 | 3,01,33,05,121 | 2,93,90,53,708 |
| c) | Cash and cash equivalents | 14 | 1,33,90,77,409 | 1,39,45,50,702 |
| d) | Short term loans and advances | 15 | 41,62,09,041 | 50,64,94,986 |
| e) | Other current assets | 16 | 3,46,45,073 | 3,94,07,937 |
| | TOTAL | | 5,79,22,92,706 | 5,78,43,33,265 |

Note 1 to 28 and significant Accounting Policies annexed to Balance sheet as at the end of current reporting period and Statement of Profit and Loss, Change in Equity and Cash Flow for the year ended on that date form an integral part of Accounts.

Sd/-
Anjali Yadav
Co. Secretary

Sd/-
Jitendra V Purohit
DGM(F&A)/CFO

Sd/-
Mudita Mishra
Managing Director
DIN No. - 07302824

Sd/-
Sanjay Rastogi
Chairman
DIN No. - 07722405
As per our Report of even date
For MANV & Associates
Chartered Accountants

Place: New Delhi
Date: 08th December 2021

Sd/-
Partner : N. K. Gupta
M.No. : 085713
F.R.No.: 007351N

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

| | विवरण | नोट सं. | वित्त वर्ष 2020-21 के लिए (01.04.2020 से 31.03.2021) (रु. में) | वित्त वर्ष 2019-20 के लिए (01.04.2019 से 31.03.2020) (रु. में) |
|-------|---|---------|--|--|
| I. | (क) कार्य संचालनों से प्राप्त राजस्व | 17 | 5,72,03,62,718 | 7,48,66,73,790 |
| | (ख) सूत आपूर्ति योजना के अंतर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति के विरुद्ध सहायता अनुदान | 17 | 21,49,37,720 | 35,88,88,516 |
| II. | अन्य आय | 18 | 7,93,75,154 | 9,57,42,566 |
| III. | कुल राजस्व (I+II) | | 6,01,46,75,592 | 7,94,13,04,872 |
| IV. | व्यय: | | | |
| | व्यापार में स्टॉक की खरीद | 19 | 5,70,02,32,859 | 7,45,82,45,800 |
| | परिवहन/डिपो प्रभारों की प्रतिपूर्ति | 20 | 14,71,75,288 | 26,86,83,211 |
| | व्यापार में सूची/स्टॉक में परिवर्तन | 21 | (27,13,935) | 77,77,049 |
| | कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय | 22 | 20,15,97,076 | 21,17,34,934 |
| | वित्तीय लागत | 23 | - | - |
| | मूल्यहास और परिशोधन व्यय | 8 & 9 | 98,02,057 | 93,15,177 |
| | अन्य व्यय | 24 | 5,44,18,752 | 7,81,83,442 |
| | कुल व्यय | | 6,11,05,12,097 | 8,03,39,39,614 |
| V. | आपवादिक और असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ (III-IV) | | (9,58,36,505) | (9,26,34,741) |
| VI. | आपवादिक मदें | 25 | 22,90,557 | 1,71,83,551 |
| VII. | कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय | 26 | - | 15,00,000 |
| VIII. | असाधारण मदों और कर से पहले लाभ (V-VI-VII) | | (9,81,27,062) | (11,13,18,292) |
| IX. | असाधारण मदें | | | |
| X. | कर पूर्व लाभ (VIII-IX) | | (9,81,27,062) | (11,13,18,292) |
| XI. | कर व्यय: | | | |
| | 1 वर्तमान कर (प्रावधान) | 27 | - | - |
| | 2 आस्थगित कर | 3 | (18,12,202) | 6,04,189 |
| XII. | निरंतर संचालन से अवधि के दौरान लाभ (हानि) (X-XI) | | (9,63,14,860) | (11,19,22,481) |
| XIII. | परिचालन बंद करने से लाभ/हानि | | - | - |
| XIV. | परिचालन बंद करने का कर व्यय | | - | - |
| XV. | परिचालन बंद करने से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (XIII-XIV) | | - | - |
| XVI. | उक्त अवधि के लिए लाभ (हानि) (XII + XV) | | (9,63,14,860) | (11,19,22,481) |
| XVII. | प्रति इक्विटी शेयर आय (असाधारण मदों से पूर्व) | | | |
| | (1) मूलभूत | | (50.69) | (58.91) |
| | (2) मिश्रित | | (50.69) | (58.91) |
| | (ii) प्रति इक्विटी शेयर आय (असाधारण मदों के पश्चात) | | | |
| | (1) मूलभूत | | (50.69) | (58.91) |
| | (2) मिश्रित | | (50.69) | (58.91) |

नोट 1 से 28 और वर्तमान समीक्षावधि के अंत में बैलेंस शीट के साथ संलग्न महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का विवरण खातों का एक अभिन्न अंग है।

ह/-
अंजलि यादव
कंपनी सचिव

ह/-
जीतेन्द्र वी. पुरोहित
उपमहाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
मुदिता मिश्रा
प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं.-07302824

ह/-
संजय रस्तोगी
अध्यक्ष
डीआईएन सं. - 07722405

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमएएनवी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 08 दिसम्बर 2021

ह/-
साझेदार : एन. के. गुप्ता
सदस्यता सं.: 085713
एफ.आर. सं.: 007351एन

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2021

| | PARTICULARS | NOTE NO. | For FY 2020-21 (01-04-2020 to 31-03-2021) (Rs.) | For FY 2019-20 (01-04-2019 to 31-03-2020) (Rs.) |
|-------------|---|-----------------|--|--|
| I. | (a) Revenue from operations | 17 | 5,72,03,62,718 | 7,48,66,73,790 |
| | (b) Grant in-aid against reimbursement of expenditure under Yarn Supply Scheme | 17 | 21,49,37,720 | 35,88,88,516 |
| II. | Other Income | 18 | 7,93,75,154 | 9,57,42,566 |
| III. | Total Revenue (I+II) | | 6,01,46,75,592 | 7,94,13,04,872 |
| IV. | Expenses: | | | |
| | Purchases of stock in trade | 19 | 5,70,02,32,859 | 7,45,82,45,800 |
| | Reimbursement of Transportation/depot charges | 20 | 14,71,75,288 | 26,86,83,211 |
| | Changes in inventories/stock in trade | 21 | (27,13,935) | 77,77,049 |
| | Employee benefits expenses | 22 | 20,15,97,076 | 21,17,34,934 |
| | Finance costs | 23 | - | - |
| | Depreciation and amortization expenses | 8 & 9 | 98,02,057 | 93,15,177 |
| | Other expenses | 24 | 5,44,18,752 | 7,81,83,442 |
| | Total Expenses | | 6,11,05,12,097 | 8,03,39,39,614 |
| V. | Profit before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV) | | (9,58,36,505) | (9,26,34,741) |
| VI. | Exceptional items | 25 | 22,90,557 | 1,71,83,551 |
| VII. | Corporate social responsibility (CSR) Expenses | 26 | - | 15,00,000 |
| VIII. | Profit before extraordinary items and tax (V-VI-VII) | | (9,81,27,062) | (11,13,18,292) |
| IX. | Extraordinary Items | | | |
| X. | Profit before tax (VIII- IX) | | (9,81,27,062) | (11,13,18,292) |
| XI. | Tax expense: | | | |
| | 1 Current Tax (Provision) | 27 | - | - |
| | 2 Deferred Tax | 3 | (18,12,202) | 6,04,189 |
| XII. | Profit (Loss) for the period from continuing operations (X-XI) | | (9,63,14,860) | (11,19,22,481) |
| XIII. | Profit/loss from discontinuing operations | | - | - |
| XIV. | Tax expenses of discontinuing operations | | - | - |
| XV. | Profit/(loss) from discontinuing operations (after tax) (XIII-XIV) | | - | - |
| XVI. | Profit(Loss) for the period (XII + XV) | | (9,63,14,860) | (11,19,22,481) |
| XVII. | (i) Earnings per equity share (Before extra ordinary items) | | | |
| | (1) Basic | | (50.69) | (58.91) |
| | (2) Diluted | | (50.69) | (58.91) |
| | (ii) Earnings per equity share (After extra ordinary items) | | | |
| | (1) Basic | | (50.69) | (58.91) |
| | (2) Diluted | | (50.69) | (58.91) |

Note 1 to 28 and significant Accounting Policies annexed to Balance sheet as at the end of current reporting period and Statement of Profit and Loss, Change in Equity and Cash Flow for the year ended on that date form an integral part of Accounts.

Sd/-
Anjali Yadav
Co. Secretary

Sd/-
Jitendra V Purohit
DGM(F&A)/CFO

Sd/-
Mudita Mishra
Managing Director
DIN No. - 07302824

Sd/-
Sanjay Rastogi
Chairman
DIN No. - 07722405
As per our Report of even date
For MANV & Associates
Chartered Accountants

Place: New Delhi
Date: 08th December 2021

Sd/-
Partner : N. K. Gupta
M.No. : 085713
F.R.No.: 007351N

लेखाओं पर टिप्पणी

1 शेयर पूंजी

| विवरण | | 31.03.2021 के अनुसार (रु.) | | 31.03.2020 के अनुसार (रु.) |
|--|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
| प्राधिकृत | | | | |
| 20,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 20,00,000 इक्विटी शेयर) प्रत्येक 100/-रु. | | 20,00,00,000 | | 20,00,00,000 |
| निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त | | | | |
| प्रत्येक 100/- रुपये के 18,98,465 इक्विटी शेयर को वि. आ.हथकरघा का कार्यालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा धारित नकद में पूरी तरह से भुगतान किया गया (पिछले वर्ष: प्रत्येक 100/- रुपये के 18,98,465 के इक्विटी शेयर) | 18,98,46,500 | | 18,98,46,500 | |
| प्रत्येक 100/- रुपये के 1,535 इक्विटी शेयर पूरी तरह से भुगतान के बिना नकद में प्राप्त किया जा रहा है (कंपनी के निगमन व्यय के बदले डीसीएच कार्यालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को आवंटित शेयर (पिछले वर्ष 1,535 इक्विटी शेयर 100/- रुपये के प्रत्येक) | 1,53,500 | 19,00,00,000 | 1,53,500 | 19,00,00,000 |
| कुल | | 19,00,00,000 | | 19,00,00,000 |

2 रिजर्व एवं अधिशेष

| | विवरण | 31.03.2021 के अनुसार (रु.) | 31.03.2020 के अनुसार (रु.) |
|-------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| (A) रिजर्व | | | |
| (I) | पिछली तुलन-पत्र के अनुसार विकासात्मक कार्यों के लिए रिजर्व जोड़ें : राशि लाभ एवं हानि के विवरण से अंतरित की गई घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग | 24,61,630 | 24,61,630 |
| | कुल(i) | 24,61,630 | 24,61,630 |
| (II) | सेवानिवृत्ति के बाद अंतरित की गयी चिकित्सा निधि जोड़ें : लाभ और हानि के विवरण से हस्तांतरित राशि जोड़ें : वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग | 76,07,526 | 87,65,626 |
| | कुल(ii) | 56,20,614 | 76,07,526 |
| | कुल(i+ii) | 80,82,244 | 1,00,69,156 |
| (B) अधिशेष | | | |
| | पिछली तुलन-पत्र के अनुसार जोड़ें: लाभ और हानि के विवरण से हस्तांतरित राशि - वर्तमान वर्ष का लाभ घटाएं:- | 68,41,07,868 | 79,60,30,349 |
| | प्रस्तावित लाभांश | - | - |
| | लाभांश पर नैगमिक कर | - | - |
| | विकासात्मक गतिविधियों के लिए आरक्षित निधि में अंतरित राशि | - | - |
| | सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा कोष में स्थानांतरित राशि | - | - |
| | अधिशेष (बी) | 58,77,93,008 | 68,41,07,868 |
| | कुल (ए+बी) | 59,58,75,252 | 69,41,77,024 |
| | प्रस्तावित लाभांश प्रति इक्विटी शेयर | 0.00 | 0.00 |

NOTES ON ACCOUNTS

1 SHARE CAPITAL

| Particulars | | As on 31-03-2021 (Rs.) | | As on 31-03-2020 (Rs.) |
|---|--------------|------------------------------|--------------|------------------------------|
| Authorized | | | | |
| 20,00,000 Equity shares (Previous year 20,00,000 Equity shares) of Rs. 100/- each | | 20,00,00,000 | | 20,00,00,000 |
| Issued, Subscribed & Paid-up | | | | |
| 18,98,465 Equity shares of Rs. 100/- each fully paid in cash held by Government of India through DCH office (Previous year: '18,98,465 Equity shares of Rs. 100/- each) | 18,98,46,500 | | 18,98,46,500 | |
| 1,535 Equity shares of Rs. 100/- each fully paid up without payment being received in cash (Shares allotted to The President of India through DCH Office against company's incorporation expenses (Previous year 1,535 equity shares of Rs. 100/- each) | 1,53,500 | 19,00,00,000 | 1,53,500 | 19,00,00,000 |
| TOTAL | | 19,00,00,000 | | 19,00,00,000 |

2 RESERVES & SURPLUS

| Particulars | As on 31-03-2021 (Rs.) | As on 31-03-2020 (Rs.) |
|---|------------------------------|------------------------------|
| (A) RESERVES: | | |
| (I) Reserve for developmental Activities as per last Balance sheet | 24,61,630 | 24,61,630 |
| Add : Amount transferred from Statement of Profit & Loss | - | - |
| Less : Utilization during the year | - | - |
| Total(i) | 24,61,630 | 24,61,630 |
| (II) Post Retirement Medical Corpus As per last Balance sheet | 76,07,526 | 87,65,626 |
| Add : Amount transferred from Statement of Profit & Loss | - | - |
| Add : Interest Earned during the year | 3,49,976 | 4,80,474 |
| Less: Utilization during the year | 23,36,888 | 16,38,574 |
| Total(ii) | 56,20,614 | 76,07,526 |
| Total(i+ii) | 80,82,244 | 1,00,69,156 |
| (B) SURPLUS | | |
| As per last Balance sheet | 68,41,07,868 | 79,60,30,349 |
| Add: Amount transferred from Statement of Profit & Loss-Current year profit | (9,63,14,860) | (11,19,22,481) |
| Less:- | | |
| Proposed Dividend | - | - |
| Corporate Tax on Dividend | - | - |
| Amount transferred to reserve for developmental activity | - | - |
| Transferred to post retirement medical corpus | - | - |
| SURPLUS(B) | 58,77,93,008 | 68,41,07,868 |
| TOTAL (A+B) | 59,58,75,252 | 69,41,77,024 |
| Proposed Dividend per Equity Share | 0.00 | 0.00 |

3. आस्थगित कर देयता (निवल)

वर्तमान समीक्षावधि के अंत में निवल आस्थगित कर देयता का विवरण निम्नानुसार है:

| आस्थगित कर देयता और आस्थगित कर देयता के घटक | 31-03-2021 के अनुसार | |
|--|-------------------------------|------------------------|
| | आस्थगित कर परिसंपत्तियां(रु.) | आस्थगित कर देयता (रु.) |
| विलंबित कर की देनदारियां | | |
| खाता बही के अनुसार मूल्यहास योग्य संपत्ति और कर मूल्यहास के अनुसार बड़े खाते डाले गए मूल्य के बीच अंतर | | 53,33,232 |
| अन्य आस्थगित कर देयता समय में अंतर उत्पन्न कर रही है | | 55,95,624 |
| आस्थगित कर आस्तियां | | |
| आयकर दर प्रावधान के आधार पर संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों आदि के लिए प्रावधान | 1,87,84,129 | |
| अवकाश वेतन का प्रावधान | 97,72,901 | |
| मृत कर्मचारी योजना के लिए प्रावधान | 1,84,190 | |
| समय संबंधी अंतर के लिए अन्य आस्थगित कर परिसंपत्ति | 60,58,632 | |
| कुल | 3,47,99,852 | 1,09,28,856 |
| वर्तमान समीक्षावधि के अंत में निवल आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्ति) | | (2,38,70,996) |
| पिछली समीक्षावधि के अंत में निवल आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्ति) | | (2,20,58,794) |
| वर्तमान समीक्षावधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण पर प्रभारित निवल देयता/(परिसंपत्ति) | | (18,12,202) |

4 गैर मौजूदा देयताएं—अन्य गैर मौजूदा देयताएं

i) गैर मौजूदा देयता (संग्रह)

| (क) संग्रह निधि (विपणन परिसर) | विवरण | 31.03.2021 के अनुसार (रु.) | | 31.03.2020 के अनुसार (रु.) | |
|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | | | |
| | क) भारत सरकार से आज तक प्राप्ति | 8,25,80,850 | | 8,25,80,850 | |
| | ख) घटाएं:समायोजित/आज तक सरकार को लौटाई गई राशि | 4,81,58,949 | | 4,81,58,949 | |
| | ग) सरकार को लाटाए जाने योग्य मूल धन(क-ख) | 3,44,21,901 | | 3,44,21,901 | |
| | घ) आज तक के समायोजन सहित एजेंसियों से वसूल की गई राशि | 9,82,84,621 | | 9,82,84,621 | |
| | ड) घटाएं: एजेंसियों की ओर से परिसरों के लिए जगह/अन्य खर्च आदि के अधिग्रहण के लिए भुगतान की गई राशि | 9,67,59,550 | | 9,67,59,550 | |
| | च) एजेंसियों को लौटाए जाने योग्य (घ-ड) | 15,25,071 | | 15,25,071 | |
| | छ) शेष राशि (ए-बीडी-ई) या (सीएफ) | | 3,59,46,972 | | 3,59,46,972 |
| | ज) आज तक के विविध व्यय को घटाकर अर्जित ब्याज की राशि | | 17,41,86,200 | | 16,36,09,697 |
| | कुल (छ+ज) | | 21,01,33,172 | | 19,95,56,669 |

i) उपयोगकर्ता एजेंसियों की ओर से मुंबई, इंदौर, जयपुर और नई दिल्ली में मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स की एकमुश्त खरीद के लिए कुल 8,25,80,850 रुपये (पिछले वर्ष 8,25,80,850 रुपये) की राशि भारत की सरकार द्वारा प्रदान की गई थी। शुरु में उन्हें संग्रह राशि (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) खाते में जमा करने के बाद, फंड का उपयोग मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स की खरीद के लिए किया गया है। उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त 9,82,84,621 रुपये (पिछले वर्ष 9,82,84,621) की राशि को संग्रह राशि में जमा कर दिया गया है और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स की स्थापना पर खर्च किए गए 9,67,59,550 रुपये (पिछले वर्ष 9,67,59,550 रुपये) को संग्रह राशि में चार्ज किया गया है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, विविध को समायोजित करने के बाद, अव्ययित कॉर्पस फंड से सृजित सावधि जमा पर अर्जित ब्याज। 1,05,76,503 रुपये (पिछले वर्ष 1,12,95,661 रुपये) की राशि का व्यय, यदि कोई हो, को कॉर्पस फंड (विपणन परिसर) में जमा किया गया है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स कॉर्पस में जमा नहीं किए गए ब्याज के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई बोर्ड के अनुमोदन के बाद की जाएगी।

3. DEFERRED TAX ASSETS (Net)

The break up of net deferred tax assets as at the end of current reporting period is as under:

| Components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liability | As on 31-03-2021 | |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| | Deferred Tax Assets (Rs.) | Deferred Tax Liability (Rs.) |
| Deferred Tax Liabilities | | |
| Difference between book value of depreciable assets as per books of accounts and written down value as per tax depreciation | | 53,33,232 |
| Other deferred tax liability giving rise to timing difference | | 55,95,624 |
| Deferred Tax Assets | | |
| Provision for doubtful debts and advances etc. based on Income Tax Rate of Provision | 1,87,84,129 | |
| Provision for leave salary | 97,72,901 | |
| Provision for Deceased Employee Scheme | 1,84,190 | |
| Other deferred tax asset giving rise to timing difference- (VRS) | 60,58,632 | |
| Total | 3,47,99,852 | 1,09,28,856 |
| Net Deferred Tax Liability/ (Asset) as at the end of current reporting period | | (2,38,70,996) |
| Net Deferred Tax Liability/ (Asset) as at the end of previous reporting period | | (2,20,58,794) |
| Net Liability / (Asset) charged to Statement of Profit and Loss during the current reporting period | | (18,12,202) |

4 NON CURRENT LIABILITIES – OTHER LONG TERM LIABILITIES

I) Other Long Term Liability (Corpus)

| | As on 31-03-2021 (Rs.) | | As on 31-03-2020 (Rs.) | |
|--|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| (A) Corpus Fund (Marketing Complex) | | | | |
| a) Receipt from Govt. of India upto date | 8,25,80,850 | | 8,25,80,850 | |
| b) Less: Amount adjusted/ refunded to Govt. upto date | 4,81,58,949 | | 4,81,58,949 | |
| c) Principle amount refundable to Govt. (a-b) | 3,44,21,901 | | 3,44,21,901 | |
| d) Amount realized from agencies including adjustments upto date | 9,82,84,621 | | 9,82,84,621 | |
| e) Less: Amount paid for acquisition of space/ other expenses etc. for complexes on behalf of agencies upto date | 9,67,59,550 | | 9,67,59,550 | |
| f) Refundable to agencies (d-e) | 15,25,071 | | 15,25,071 | |
| g) Balance (a-b+d-e) or (c+f) | | 3,59,46,972 | | 3,59,46,972 |
| h) Amount of Interest earned less miscellaneous expenditure upto date | | 17,41,86,200 | | 16,36,09,697 |
| Total (g+h) | | 21,01,33,172 | | 19,95,56,669 |

- i) Total Funds amounting to Rs. 8,25,80,850 (Previous Year Rs. 8,25,80,850) for outright purchases of Marketing Complexes at Mumbai, Indore, Jaipur, and New Delhi on behalf of user agencies were provided by the Govt. of India. After initially crediting them to Corpus Fund (Marketing Complex) Account, the funds have been utilized for purchase of Marketing Complexes. The amount of Rs 9,82,84,621 (Previous Year Rs 9,82,84,621) received from user agencies has been credited to the corpus fund and expenditure incurred on setting up of marketing complexes amounting to Rs 9,67,59,550 (Previous Year Rs 9,67,59,550) has been charged to the corpus fund.

During the year 2020-21, interest earned on fixed deposits created from unspent corpus fund, after adjusting the Misc. expenditure if any, amounting to Rs 1,05,76,503 (Previous Year Rs. 1,12,95,661) has been credited to the Corpus Funds (Marketing Complex). Further, corrective action with respect to interest not credited to Marketing Complex Corpus for the financial year 2017-18 and 2018-19 shall be taken after approval of the Board.

| | विवरण | 31.03.2021 के अनुसार (रु.) | 31.03.2020 के अनुसार (रु.) |
|-----|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (ख) | कार्पस निधि (मेगा क्लस्टर) | | |
| | क) आज तक भारत सरकार से प्राप्ति | 9,50,00,000 | 9,50,00,000 |
| | ख) अर्जित ब्याज की राशि | 1,10,37,100 | 57,00,000 |
| | ग) घटाएं :आय के लिए हस्तांतरण | - | - |
| | कुल | 10,60,37,100 | 10,07,00,000 |

- l) सरकार के निर्देशों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी कुल 9,50,00,000 की राशि (पिछले वर्ष 9,50,00,000 रुपये) का उपयोग मेगा क्लस्टर में हथकरघा बुनकरों को यार्न आपूर्ति की व्यवस्था के लिए वाराणसी, शिवसागर, गोड्डा, मुर्शिदाबाद और प्रकाशम मेगा क्लस्टर में हथकरघा बुनकरों को यार्न की आपूर्ति के लिए किया गया है। वर्ष 2020-21 के दौरान 53,37,100 रुपये (पिछले वर्ष- 57,00,000 रुपये) का ब्याज कॉर्पस फंड (मेगा क्लस्टर) में जमा किया गया है। इसके अलावा, मेगा क्लस्टर कॉर्पस में जमा नहीं किए गए ब्याज के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई बोर्ड के अनुमोदन के बाद की जाएगी।

| | विवरण | 31.03.2021 के अनुसार (रु.) | 31.03.2020 के अनुसार (रु.) |
|-----|--|----------------------------|----------------------------|
| (ग) | संग्रह निधि (व्यापार सुविधा केंद्र) | | |
| | क) आज तक भारत सरकार से प्राप्ति | 2,68,69,16,952 | 2,68,69,16,952 |
| | ख) आज तक किए गए समायोजन/प्रस्तुत की गई यूसी की राशि और अन्य खर्च | 4,41,55,546 | 4,41,55,546 |
| | ग) अनुदान खाते में अंतरित राशि | 72,36,208 | 72,36,208 |
| | घ) कुल (क-ख+ग) | 2,64,99,97,614 | 2,64,99,97,614 |
| | ङ) घटाएं: आजतक परियोजना प्रबंधन एजेंसी को हस्तांतरित राशि (एनबीसीसी) | 2,60,31,08,724 | 2,60,31,08,724 |
| | च) घटाएं : आज तक की आर्किटेक्ट शुल्क (सिक्का) | 3,71,94,772 | 3,71,94,772 |
| | शेष (घ-ङ-च) | 96,94,118 | 96,94,118 |

- i) किए गए समायोजन/प्रस्तुत की गई यूसी की राशि और अन्य व्यय रु. 3,69,19,338 (पिछले वर्ष रु. 3,69,19,338) 72,36,208 रु. के उपयोगिता प्रमाणपत्र को अनुदान खाते में अंतरित कर दिया गया है,

| | विवरण | 31.03.2021 के अनुसार (रु.) | 31.03.2020 के अनुसार (रु.) |
|----|--|----------------------------|----------------------------|
| घ) | हथकरघा पार्क पोचमपल्ली | | |
| | क) केंद्र/राज्य से प्राप्ति | 29,00,00,000 | 29,00,00,000 |
| | ख) वर्ष के दौरान प्राप्ति | - | - |
| | ग) अर्जित ब्याज की राशि/व्यय घटाएं | 6,00,56,535 | 4,19,93,400 |
| | घ) भुगतान की गई ब्याज की राशि | 5,44,93,432 | 3,64,47,939 |
| | ङ) कुल (क+ख+ग-घ) | 29,55,63,103 | 29,55,45,461 |
| | च) घटाएं: पोचमपल्ली को हस्तांतरित राशि (अग्रिम भुगतान) | 1,00,00,000 | 1,00,00,000 |
| | छ) घटाएं: कच्चे माल के लिए हस्तांतरित राशि | 1,00,00,000 | 1,00,00,000 |
| | शेष राशि (ङ-च-छ) | 27,55,63,103 | 27,55,45,461 |

| | Particulars | As on 31-03-2021 (Rs.) | As on 31-03-2020 (Rs.) |
|------------|--|---------------------------|---------------------------|
| (B) | Corpus Fund (Mega Cluster) | | |
| | a) Receipt from Govt. of India upto date | 9,50,00,000 | 9,50,00,000 |
| | b) Amount of interest earned | 1,10,37,100 | 57,00,000 |
| | c) Less : transfer to income | - | - |
| | Total | 10,60,37,100 | 10,07,00,000 |

- i) As per Government directives, the total fund released by Govt. of India amounting to Rs. 9,50,00,000 (Previous Year Rs. 9,50,00,000) for supply of yarn to the handloom weavers in Varanasi, Sivsagar, Godda, Murshidabad and Prakasham Mega cluster have been utilized for arranging the yarn supply to handloom weavers in Mega Cluster. During the year 2020-21 interest of Rs 53,37,100 (Previous Year- Rs. 57,00,000) has been credited to the Corpus Funds (Mega Cluster). Further, corrective action with respect to interest not credited to Mega Cluster Corpus shall be taken after approval of the Board.

| | Particulars | As on 31-03-2021 (Rs.) | As on 31-03-2020 (Rs.) |
|------------|--|---------------------------|---------------------------|
| (C) | Corpus Fund (Trade Facilitation Centre) | | |
| | a) Receipt from Govt. of India upto date | 2,68,69,16,952 | 2,68,69,16,952 |
| | b) Amount of Adjusment/UC Submitted & Other expenses up to date | 4,41,55,546 | 4,41,55,546 |
| | c) Amount transferred to Grant account | 72,36,208 | 72,36,208 |
| | d) Total (a-b+c) | 2,64,99,97,614 | 2,64,99,97,614 |
| | e) Less: Amount transferred to Project Management Agency upto date(NBCC) | 2,60,31,08,724 | 2,60,31,08,724 |
| | f) Less : Architect fee upto date (SIKKA) | 3,71,94,772 | 3,71,94,772 |
| | Balance (d-e-f) | 96,94,118 | 96,94,118 |

- i) Amount of Adjusment/UC Submitted & Other expenses Rs 3,69,19,338 (Previous Year Rs.3,69,19,338) Utilisation certificate for Rs.72,36,208 has been transferred to grant account.

| | Particulars | As on 31-03-2021 (Rs.) | As on 31-03-2020 (Rs.) |
|------------|---|---------------------------|---------------------------|
| (D) | Pochampally for Handloom Park | | |
| | a) Receipt from Central / State | 29,00,00,000 | 29,00,00,000 |
| | b) Receipt during the year | - | - |
| | c) Amount of Interest earned/ Less Expenses | 6,00,56,535 | 4,19,93,400 |
| | d) Amount of Interest paid | 5,44,93,432 | 3,64,47,939 |
| | e) Total (a+b+c-d) | 29,55,63,103 | 29,55,45,461 |
| | f) Less: Amount transferred to Pochampally (Advance paid) | 1,00,00,000 | 1,00,00,000 |
| | g) Less: Amount transferred for Raw Metrial | 1,00,00,000 | 1,00,00,000 |
| | Balance (e-f-g) | 27,55,63,103 | 27,55,45,461 |

| | विवरण | 31.03.2021 के अनुसार (रु.) | 31.03.2020 के अनुसार (रु.) |
|------|---|----------------------------|----------------------------|
| (ड़) | संग्रह निधि (हथकरघा संवर्धन सहायता योजना) | | |
| | क) आज तक भारत सरकार से प्राप्ति | 12,06,72,180 | 12,06,72,180 |
| | ख) आज तक नोडल एजेंसियों से प्राप्ति | 18,01,33,915 | 18,01,33,915 |
| | ग) अर्जित ब्याज की राशि | 3,97,83,088 | 3,41,91,377 |
| | घ) घटाएं : जारी की गई राशि | 26,70,24,784 | 23,33,05,032 |
| | कुल | 7,35,64,399 | 10,16,92,440 |

| | विवरण | 31.03.2021 के अनुसार (रु.) | 31.03.2020 के अनुसार (रु.) |
|-----|---|----------------------------|----------------------------|
| (च) | समर्थ-वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना | | |
| | क) आज तक भारत सरकार से प्राप्ति | 22,02,23,255 | 7,14,51,000 |
| | ख) घटाएं : जारी की गई राशि | 7,14,51,000 | 2,38,17,000 |
| | कुल | 14,87,72,255 | 4,76,34,000 |
| | कुल योग (क+ख+ग+घ+ड़+च) | 82,37,64,147 | 73,48,22,688 |

5 वर्तमान देयताएं – व्यापारिक देनदारियां

| विवरण | 31.03.2021 के अनुसार (रु.) | 31.03.2020 के अनुसार (रु.) |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| विविध ऋणदाता | 3,15,63,82,430 | 3,16,03,52,747 |
| ग्राहकों/अन्य से अग्रिम | 17,85,06,122 | 17,47,15,023 |
| कुल | 3,33,48,88,552 | 3,33,50,67,770 |

- i) शेष राशि की पुष्टि एक सतत प्रक्रिया है। वर्तमान समीक्षावधि के अंत में वर्ष के अंत में शेष राशि सभी लेनदारों और अन्य पार्टियों को पुष्टि के लिए भेज दी गई है, हालांकि, पुष्टि निम्नानुसार प्राप्त हुई है: –

| विवरण | कुल | | के अनुसार प्राप्त पुष्टि 31-03-2021 | | 31-03-2021 शेष राशि की पुष्टि का % | |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|
| | एजेंसियों की संख्या | बकाया राशि (रु.) | एजेंसियों की संख्या | बकाया राशि (रु.) | एजेंसियों की संख्या (%) | बकाया राशि (रु.) (%) |
| Creditors | 499 | 3,15,63,82,430 | 82 | 17,50,49,748 | 16.43% | 5.55% |
| Advance from customers/ others. | 1,847 | 17,85,06,122 | 333 | 2,55,81,741 | 18.03% | 14.33% |

- i) ऊपर दिखाए गए पुष्टि किए गए शेष में वे शामिल नहीं हैं, जहां कोई विवाद है, लेकिन केवल वे शेष राशि जहां अंतर/समाधान के कारण प्रविष्टियां दोनों पक्षों को स्वीकार्य हैं। पुष्टि के लिए लंबित शेष राशि की समीक्षा की जाएगी और नियत समय में इसका समाधान किया जाएगा और इन मामलों में समायोजन, यदि कोई हो, का समाधान होते ही किया जाएगा।
- ii) 315,63,82,429 रुपये के लिए देय व्यापार (पिछले वर्ष रु 316,03,53,747) में लखनऊ शाखा कार्यालय से संबंधित 254,05,91,159 रु. (पिछले वर्ष – रु. 254,05,91,159) शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, उपरोक्त मामले की फॉरेंसिक ऑडिटर और सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही थी। फॉरेंसिक ऑडिटर और सतर्कता जांच की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और इसे इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सीबीआई को भेजा गया है, जो बोर्ड के निर्देशों के अनुसार है।

| | Particulars | As on 31-03-2021 (Rs.) | As on 31-03-2020 (Rs.) |
|------------|--|---------------------------|---------------------------|
| (E) | Corpus Fund (Hathkargha Samverdhan Sahayata Yojana) | | |
| | a) Receipt from Govt. of India upto date | 12,06,72,180 | 12,06,72,180 |
| | b) Receipt from Nodal agencies upto date | 18,01,33,915 | 18,01,33,915 |
| | c) Amount of interest earned | 3,97,83,088 | 3,41,91,377 |
| | d) Less : Amount Released | 26,70,24,784 | 23,33,05,032 |
| | Total | 7,35,64,399 | 10,16,92,440 |

| | Particulars | As on 31-03-2021 (Rs.) | As on 31-03-2020 (Rs.) |
|------------|--|---------------------------|---------------------------|
| (F) | Samarth - Scheme Capacity Building in Textiles Sector | | |
| | a) Receipt from Govt. of India upto date | 22,02,23,255 | 7,14,51,000 |
| | b) Less : Amount Released | 7,14,51,000 | 2,38,17,000 |
| | Total | 14,87,72,255 | 4,76,34,000 |
| | GRAND TOTAL (A+B+C+D+E+F) | 82,37,64,147 | 73,48,22,688 |

5 CURRENT LIABILITIES – TRADE PAYABLES

| Particulars | As on 31-03-2021 (Rs.) | As on 31-03-2020 (Rs.) |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Sundry creditors | 3,15,63,82,430 | 3,16,03,52,747 |
| Advance from customers/ others | 17,85,06,122 | 17,47,15,023 |
| Total | 3,33,48,88,552 | 3,33,50,67,770 |

- i) The balance confirmation is a continuous process. The year end balances as at the end of current reporting period has been sent to all the creditors and other parties for confirmation, however, confirmation has been received as follows:-

| Particulars | Total | | Confirmation received as on 31-03-2021 | | % of Confirmation of balances as on 31-03-2021 | |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|--|------------------------------|
| | No. of agencies | Amount outstanding (Rs.) | No. of agencies | Amount outstanding (Rs.) | No. of agencies (%) | Amount outstanding (%) |
| Creditors | 499 | 3,15,63,82,430 | 82 | 17,50,49,748 | 16.43% | 5.55% |
| Advance from customers/ others. | 1,847 | 17,85,06,122 | 333 | 2,55,81,741 | 18.03% | 14.33% |

- i) The confirmed balances shown above do not include those, where there is any dispute, but only those balances where the entries on account of difference/ reconciliation are acceptable to both the parties. The balances which are pending for confirmation will be reviewed and reconciled in due course and the adjustment, if any, required in these cases will be made as soon as reconciled.
- ii) Trade Payable for Rs. 315,63,82,429 (Previous year Rs 316,03,53,747) include a sum of Rs 254,05,91,159 (Previous year - Rs.254,05,91,159) relating to Lucknow branch office. During FY 2020-21, the aforementioned matter was under investigation by Forensic Auditor & Vigilance department. Reports of the Forensic Auditor and Vigilance probe have been recently received and the same have been sent to CBI for further necessary action in this regard is as per directions of the Board

- iii) विविध लेनदारों में 2,45,07,055 रुपये की (पिछले वर्ष रु. 3,46,85,460) लघु उद्योगों को देय राशि शामिल है। वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में 30 दिनों से अधिक के लिए बकाया। उपरोक्तानुसार लेनदारों के लघु उद्योग होने के कारण राशि उनके साथ की गई व्यवस्था पर आधारित है, जिसमें संबंधित देनदारों से भुगतान की वसूली के बाद उन्हें भुगतान जारी किया जाएगा।
- iv) उपरोक्त के अलावा, कोई सूक्ष्म और लघु उद्यम नहीं हैं, जिन पर कंपनी का बकाया है जो वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में 45 दिनों से अधिक के लिए बकाया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत इस जानकारी का खुलासा करना आवश्यक होता है और निगम के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस तरह की पार्टियों की पहचान की गई है। लेखा परीक्षकों द्वारा इसका भरोसा किया गया है।

6 वर्तमान देयताएं – अन्य वर्तमान देयताएं

| विवरण | 31.03.2021 के अनुसार (रु.) | 31.03.2020 के अनुसार (रु.) |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| जमा –अन्य | 1,00,00,000 | 1,00,00,000 |
| सुरक्षा जमा | 12,13,722 | 6,13,722 |
| सरकार अनुदान/भागीदारी राशि | 8,84,67,818 | 3,96,76,021 |
| प्रतिधारण धन | 3,41,649 | 3,41,649 |
| अग्रिम धन | 22,29,713 | 15,79,763 |
| संग्रह राशि (क्लस्टर विकास) | 16,59,09,697 | 16,56,09,697 |
| परिवहन और डिपो को देय | 32,95,82,164 | 35,99,27,495 |
| सांविधिक देयताएं | 96,19,450 | 37,71,968 |
| अन्य देयताएं | 6,71,62,365 | 5,88,47,592 |
| कुल | 67,45,26,579 | 64,03,67,906 |

| विवरण | 31-03-2020 तक शेष राशि | वर्ष के दौरान/ हस्तांतरण | शेष |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| सरकारी अनुदान/भागीदारी राशि | 3,96,76,021 | (4,87,91,797) | 8,84,67,818 |

7 वर्तमान देयताएं – अल्पकालिक प्रावधान

| | 31.03.2020 के अनुसार शेष 31.03.2020 | वर्ष के दौरान वृद्धि | कुल | भुगतान/ उपयोग/ शुल्क लिया गया | वर्ष के दौरान वापस लिखा गया | 31.03.2020 को शेष राशि |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| आय कर | - | - | - | - | - | - |
| उपार्जित अवकाश | 6,01,97,877 | 62,15,189 | 6,64,13,066 | 2,28,74,890 | - | 4,35,38,176 |
| उपदान देयता के लिए प्रावधान | - | - | - | - | - | - |
| अनुग्रह राशि का प्रावधान | 1,50,00,000 | - | 1,50,00,000 | - | - | 1,50,00,000 |
| प्रस्तावित लाभांश | - | - | - | - | - | - |
| प्रस्तावित लाभांश पर कॉर्पोरेट कर | - | - | - | - | - | - |
| वेतन बकाया का प्रावधान (वेतन संशोधन) | 11,47,00,000 | - | 11,47,00,000 | - | - | 11,47,00,000 |
| | 18,98,97,877 | 62,15,189 | 19,61,13,066 | 2,28,74,890 | - | 17,32,38,176 |

- iii) Sundry Creditors includes a sum of Rs. 2,45,07,055 (Previous year Rs. 3,46,85,460) payable to Small Scale Industries, outstanding for more than 30 days as at the end of current reporting period. The amount due to creditors being small scale industries as above is based on the arrangement with them, wherein, the payment will be released to them after realization of the payment from the corresponding debtors.
- iv) Besides above, there are no micro and small enterprises, to whom the company owes dues which are outstanding for more than 45 days as at the end of current reporting period. This information is required to be disclosed under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and has been determined to the extent such parties had been identified on the basis of information available with the corporation. This has been relied upon by the auditors.

6 CURRENT LIABILITIES – OTHER CURRENT LIABILITIES

| Particulars | As on 31-03-2021 (Rs.) | As on 31-03-2020 (Rs.) |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Deposits - Others | 1,00,00,000 | 1,00,00,000 |
| Security deposits | 12,13,722 | 6,13,722 |
| Govt. grants/participation money | 8,84,67,818 | 3,96,76,021 |
| Retention money | 3,41,649 | 3,41,649 |
| Earnest money | 22,29,713 | 15,79,763 |
| Corpus fund (Cluster development) | 16,59,09,697 | 16,56,09,697 |
| Transportation and depot payable | 32,95,82,164 | 35,99,27,495 |
| Statutory Liabilities | 96,19,450 | 37,71,968 |
| Other Liabilities | 6,71,62,365 | 5,88,47,592 |
| Total | 67,45,26,579 | 64,03,67,906 |

| Particulars | Balance as on 31-03-2020 | Adjustment/Transfer during the year | Balance as on 31-03-2021 |
|----------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Govt. grants/participation money | 3,96,76,021 | (4,87,91,797) | 8,84,67,818 |

7 CURRENT LIABILITIES – SHORT TERM PROVISIONS

| | Balance as on 31-03-2020 | Addition during the year | Total | Payment/ utilization/ charged off | Written back /Adjustment during the year | Balance as on 31-03-2021 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---|---|--------------------------------|
| Income tax | - | - | - | - | - | - |
| Accrued leave | 6,01,97,877 | 62,15,189 | 6,64,13,066 | 2,28,74,890 | - | 4,35,38,176 |
| Provision for gratuity liability | - | - | - | - | - | - |
| Provision for ex-gratia | 1,50,00,000 | - | 1,50,00,000 | - | - | 1,50,00,000 |
| Proposed dividend | - | - | - | - | - | - |
| Corporate tax on proposed dividend | - | - | - | - | - | - |
| Provision for Salary Arrears (pay revision) | 11,47,00,000 | - | 11,47,00,000 | - | - | 11,47,00,000 |
| | 18,98,97,877 | 62,15,189 | 19,61,13,066 | 2,28,74,890 | - | 17,32,38,176 |

i) वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए प्रस्तावित लाभान्श प्रति इक्विटी शेयर शून्य (पिछले वर्ष शून्य रु.) है।

ii) परिभाषित लाभ योजना

संशोधित एएस-15 के अनुसार अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित दायित्व के वर्तमान मूल्य के आधार पर अवकाश नकदीकरण और उपदान के दायित्व को मान्यता दी गई है।

अवकाश नकदीकरण और उपदान के संबंध में परिभाषित लाभ दायित्व के आरंभ और समापन शेष का समाधान निम्नानुसार है: -

(राशि रु में)

| विवरण | अवकाश नकदीकरण | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए | वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए |
| बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार वर्ष की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व | 6,01,97,877 | 7,24,22,861 |
| जोड़ें: अन्य पीएसयू से नए ज्वाइनी आदि से प्राप्त राशि। | - | 11,59,972 |
| जोड़ें: मौजूदा वर्ष के खर्चों के लिए चार्ज करके प्रदान की गई राशि | 62,15,189 | 46,42,851 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान बड़े खाते डाला गया अतिरिक्त प्रावधान | - | - |
| घटाएं: भुगतान किए गए लाभ/नकदीकरण किए गए अवकाश | 2,28,74,890 | 1,80,27,807 |
| वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व | 4,35,38,176 | 6,01,97,877 |

(राशि रु में)

| विवरण | उपदान | |
|---|--------------------|--------------------|
| | वित्त वर्ष 2020-21 | वित्त वर्ष 2019-20 |
| एलआईसी के साथ वर्ष की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व | 11,73,82,774 | 13,93,96,172 |
| जोड़ें : योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक प्रतिलाभ | 65,93,997 | 90,11,948 |
| जोड़ें : वर्ष के दौरान एलआईसी को भुगतान किया गया अंशदान। | 18,05,747 | 1,37,436 |
| घटाएं : एलआईसी द्वारा भुगतान किए गए लाभध्दावे का निपटान | 4,45,53,941 | 3,11,62,782 |
| एलआईसी के साथ वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व। | 8,12,28,577 | 11,73,82,774 |
| जोड़ें : ग्रेच्युटी फंड में योगदान के लिए आगे प्रावधान। | - | - |
| घटाएं : भविष्य के समायोजन के लिए एलआईसी के पास पड़े ग्रेच्युटी ट्रस्ट के पास जमा। | - | - |
| घटाएं : उपदान निधि के प्रति अंशदान के प्रति किए गए अतिरिक्त प्रावधान को वापस लिखा गया | - | - |
| प्रावधान के बाद वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व। | 8,12,28,577 | 11,73,82,774 |

i) The Proposed dividend per equity share for the current reporting period is Rs Nil (Previous year Rs. Nil).

ii) Defined Benefit Plan

The obligation for leave encashment and gratuity is recognized based on the present value of obligation determined by actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method as per revised AS-15.

The reconciliation of opening and closing balances of defined benefit obligation in respect of leave encashment and gratuity is as below:-

(Amount in Rs.)

| Particulars | LEAVE ENCASHMENT | |
|--|------------------|----------------|
| | For FY 2020-21 | For FY 2019-20 |
| Defined benefit obligation at the beginning of the year as per actuarial valuation | 6,01,97,877 | 7,24,22,861 |
| Add: Amount received from new joinee etc. from other PSU. | - | 11,59,972 |
| Add: Amount provided by charging to current year's expenses | 62,15,189 | 46,42,851 |
| Less: Excess Provision written back during the year | - | - |
| Less : Benefit paid/ leaves en-cashed | 2,28,74,890 | 1,80,27,807 |
| Defined benefit obligation at year end | 4,35,38,176 | 6,01,97,877 |

(Amount in Rs.)

| Particulars | GRATUITY | |
|--|----------------|----------------|
| | For FY 2020-21 | For FY 2019-20 |
| Defined benefit obligation at the beginning of the year with LIC | 11,73,82,774 | 13,93,96,172 |
| Add : Actual Return on Plan Asset | 65,93,997 | 90,11,948 |
| Add : Contribution paid to LIC during the year. | 18,05,747 | 1,37,436 |
| Less : Benefit paid/ claim settled by LIC | 4,45,53,941 | 3,11,62,782 |
| Defined benefit obligation at year end with LIC. | 8,12,28,577 | 11,73,82,774 |
| Add : Further provision made against contribution towards Gratuity fund. | - | - |
| Less : Deposit with Gratuity Trust lying with LIC for future adjustment. | - | - |
| Less : Excess provision made against contribution towards Gratuity fund written back | - | - |
| Defined benefit obligation at year end after provision. | 8,12,28,577 | 11,73,82,774 |

8 गैर मौजूदा परिसंपत्तियां—वास्तविक परिसंपत्तियां

(राशि: रु में)

| विवरण | मौजूदा समीक्षा अवधि के लिए | | | | | | | | | | | पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए | |
|---|----------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|--|
| | भूमि | भवन | फर्नीचर एवं फिक्सर | कार्यालय एवं विद्युत उपकरण | विद्युत उपकरण और स्थापना | कार्यालय उपकरण | प्रयोगशाला उपकरण | वाहन | कम्प्यूटर | | कुल | | |
| | | | | | | | | | कम्प्यूटर एवं डाटा प्रोसेसिंग यूनिट | सर्वर एवं नेटवर्क | | | |
| सकल ब्लॉक | | | | | | | | | | | | | |
| वर्ष की शुरुआत के अनुसार | 7,59,09,184 | 3,56,00,692 | 1,32,59,747 | 2,73,467 | 2,26,44,295 | 91,01,021 | 4,20,840 | 43,75,458 | 1,06,14,981 | 24,52,719 | 17,46,52,404 | 17,46,88,376 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | - | - | 47,039 | - | 16,711 | - | - | - | 5,13,343 | - | 5,77,093 | 4,06,990 | |
| वर्ष के दौरान स्थानांतरण/ बिक्री/ समायोजन | - | (33,58,320) | (36,24,147) | - | (24,48,974) | (10,54,301) | (8,385) | - | (20,27,768) | (2,87,872) | (1,28,09,767) | (4,42,962) | |
| वर्ष के दौरान स्थानांतरण | - | 33,58,320 | 36,24,147 | - | 24,48,974 | 10,54,301 | 8,385 | - | 20,27,768 | 2,87,872 | 1,28,09,767 | - | |
| वर्ष के अंत तक | 7,59,09,184 | 3,56,00,692 | 1,33,06,786 | 2,73,467 | 2,26,61,006 | 91,01,021 | 4,20,840 | 43,75,458 | 1,11,28,324 | 24,52,719 | 17,52,29,497 | 17,46,52,404 | |
| अवमूल्यन | | | | | | | | | | | | | |
| वर्ष की शुरुआत के अनुसार | - | 1,13,76,827 | 78,01,579 | 2,63,416 | 1,11,25,648 | 68,65,716 | 2,89,171 | 25,05,607 | 95,37,055 | 26,98,983 | 5,24,64,002 | 4,70,86,505 | |
| वर्ष के दौरान स्थानांतरण/ बिक्री/ समायोजन | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (3,24,657) | (3,24,657) | - | |
| वर्ष के दौरान स्थानांतरण | - | (12,79,408) | (17,80,560) | - | (13,17,525) | (8,63,004) | (3,622) | - | (19,37,702) | (2,73,834) | (74,55,655) | (1,85,953) | |
| वर्ष के दौरान मूल्यहास (आरक्षित और अधिशेष में स्थानांतरण) | - | 12,79,408 | 17,80,561 | - | 13,17,526 | 8,63,004 | 3,622 | - | 19,37,702 | 2,73,834 | 74,55,657 | - | |
| वर्ष के दौरान मूल्यहास (लाभ और हानि खाते में स्थानांतरण) | - | 5,25,177 | 8,75,152 | - | 18,76,173 | 8,57,990 | 47,487 | 8,15,231 | 4,78,526 | 1,311 | 54,77,048 | 55,63,449 | |
| वर्ष के अंत तक | - | 1,19,02,004 | 86,76,731 | 2,63,416 | 1,30,01,822 | 77,23,706 | 3,36,658 | 33,20,838 | 1,00,15,581 | 23,75,637 | 5,76,16,394 | 5,24,64,001 | |
| निवल ब्लॉक | | | | | | | | | | | | | |
| वर्ष की शुरुआत के अनुसार | 7,59,09,184 | 2,42,23,865 | 54,58,168 | 10,051 | 1,15,18,647 | 22,35,305 | 1,31,669 | 18,69,851 | 10,77,926 | (2,46,264) | 12,21,88,403 | 12,76,01,871 | |
| वर्ष के अंत तक | 7,59,09,184 | 2,36,98,688 | 46,30,055 | 10,051 | 96,59,184 | 13,77,315 | 84,182 | 10,54,620 | 11,12,743 | 77,082 | 11,76,13,104 | 12,21,88,403 | |

(i) अचल संपत्तियों में कार्यालय भवन, संपत्ति की लंबित हस्तांतरण औपचारिकता और उपयुक्त अधिकारियों के साथ पंजीकरण, मुंबई में रु. 2163293 (पिछले वर्ष 2163293 रुपये) की राशि शामिल है, जिसके लिए कच्चा ले लिया गया है, लेकिन जब खर्च किया जाएगा तो इसके लिए पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा।

(ii) किसी परिसंपत्ति को तब खराब हुआ माना जाता है जब परिसंपत्ति की वहन लागत उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है। उस परिसंपत्ति की खराब संबंधी हानि को उस वर्ष में लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है जिसमें परिसंपत्ति को खराब हुआ के रूप में पहचाना जाता है। वर्ष के अंत में निगम के बही खातों में प्रदर्शित होने वाली संपत्ति का मूल्य वह है जिस पर वे उसमें दिखाई दे रहे हैं और हानि, यदि कोई हो, को टिप्पणी 25 में बैलेंस शीट में दिखाया गया है।

8 NON CURRENT ASSETS- TANGIBLE ASSETS

(Amount in Rs.)

| Items | For the current reporting period | | | | | | | | | | For the previous reporting period | |
|--|----------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| | Land | Building | Furniture & Fixture | Office And Electrical Equipments | Electrical Equipment And Installation | Office Equipment | Laboratory Equipments | Vehicle | COMPUTERS | | | TOTAL |
| | | | | | | | | | Computer & Data processing Units | Servers & Networks | | |
| GROSS BLOCK | | | | | | | | | | | | |
| As at beginning of the year | 7,59,09,184 | 3,56,00,692 | 1,32,59,747 | 2,73,467 | 2,26,44,295 | 91,01,021 | 4,20,840 | 43,75,458 | 1,06,14,981 | 24,52,719 | 17,46,52,404 | 17,46,88,376 |
| Addition during the year | - | - | 47,039 | - | 16,711 | - | - | - | 5,13,343 | - | 5,77,093 | 4,06,990 |
| Transfer/ Sale/ Adjustments during the year | - | (33,58,320) | (36,24,147) | - | (24,48,974) | (10,54,301) | (8,385) | - | (20,27,768) | (2,87,872) | (1,28,09,767) | (4,42,962) |
| Transfer to during the year | - | 33,58,320 | 36,24,147 | - | 24,48,974 | 10,54,301 | 8,385 | - | 20,27,768 | 2,87,872 | 1,28,09,767 | - |
| As at end of the year | 7,59,09,184 | 3,56,00,692 | 1,33,06,786 | 2,73,467 | 2,26,61,006 | 91,01,021 | 4,20,840 | 43,75,458 | 1,11,28,324 | 24,52,719 | 17,52,29,497 | 17,46,52,404 |
| DEPRECIATION | | | | | | | | | | | | |
| As at beginning of the year | - | 1,13,76,827 | 78,01,579 | 2,63,416 | 1,11,25,648 | 68,65,716 | 2,89,171 | 25,05,607 | 95,37,055 | 26,98,983 | 5,24,64,002 | 4,70,86,505 |
| Transfer/ Sale/ Adjustments during the year | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (3,24,657) | (3,24,657) | - |
| Transfer to during the year | - | (12,79,408) | (17,80,560) | - | (13,17,525) | (8,63,004) | (3,622) | - | (19,37,702) | (2,73,834) | (74,55,655) | (1,85,953) |
| Depreciation during the year (Transfer to Reserve and Surplus) | - | 12,79,408 | 17,80,561 | - | 13,17,526 | 8,63,004 | 3,622 | - | 19,37,702 | 2,73,834 | 74,55,657 | - |
| Depreciation during the year (Transfer to Profit and Loss account) | - | 5,25,177 | 8,75,152 | - | 18,76,173 | 8,57,990 | 47,487 | 8,15,231 | 4,78,526 | 1,311 | 54,77,048 | 55,63,449 |
| As at end of the year | - | 1,19,02,004 | 86,76,731 | 2,63,416 | 1,30,01,822 | 77,23,706 | 3,36,658 | 33,20,838 | 1,00,15,581 | 23,75,637 | 5,76,16,394 | 5,24,64,001 |
| NET BLOCK | | | | | | | | | | | | |
| As at beginning of the year | 7,59,09,184 | 2,42,23,865 | 54,58,168 | 10,051 | 1,15,18,647 | 22,35,305 | 1,31,669 | 18,69,851 | 10,77,926 | (2,46,264) | 12,21,88,403 | 12,76,01,871 |
| As at end of the year | 7,59,09,184 | 2,36,98,688 | 46,30,055 | 10,051 | 96,59,184 | 13,77,315 | 84,182 | 10,54,620 | 11,12,743 | 77,082 | 11,76,13,104 | 12,21,88,403 |

(i) Fixed Assets include office building, pending transfer formality of the property and registration with the Appropriate Authorities, amounting to Rs.2163293 (Previous year Rs.21,63,293) at Mumbai, for which possession has been taken but Registration charges for the same will be capitalized as and when incurred.

(ii) An asset is treated as impaired when the carrying cost of asset exceeds its recoverable value. An impairment loss is charged to the statement of profit and loss in the year in which the asset is identified as impaired. The assets as appearing in the books of accounts of the corporation at year end have the value at which they are appearing therein and the impairment, if any, has been shown in the Note 25 to the balance sheet.

9 गैर मौजूदा परिसंपत्तियां—वास्तविक परिसंपत्तियां

| विवरण | कम्प्यूटर साफ्टवेयर | |
|---|----------------------------|-------------------------|
| | मौजूदा समीक्षा अवधि के लिए | पिछली समीक्षावधि के लिए |
| समग्र ब्लॉक | | |
| वर्ष की शुरुआत के अनुसार | 2,47,07,756 | 2,23,71,867 |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | - | 23,35,889 |
| वर्ष के दौरान स्थानांतरण / बिक्री / समायोजन | (40,500) | - |
| वर्ष के दौरान स्थानांतरण | 40,500 | - |
| वर्ष के अंत तक | 2,47,07,756 | 2,47,07,756 |
| मूल्यहास | | |
| वर्ष की शुरुआत के अनुसार | 1,42,83,372 | 1,05,31,642 |
| वर्ष के दौरान समायोजन | 3,24,657 | - |
| वर्ष के दौरान स्थानांतरण | (38,475) | - |
| सामान्य रिजर्व में हस्तांतरण | 38,475 | - |
| वर्ष के दौरान मूल्यहास | 43,25,009 | 37,51,730 |
| वर्ष के अंत तक | 1,89,33,038 | 1,42,83,372 |
| निवल ब्लॉक (खंड) | | |
| वर्ष की शुरुआत के अनुसार | 1,04,24,384 | 1,18,40,225 |
| वर्ष के अंत तक | 57,74,718 | 1,04,24,384 |

10 गैर मौजूदा परिसंपत्तियां – लंबी अवधि के ऋण और अग्रिम

| विवरण | 31.03.2021 के अनुसार (रु.) | 31.03.2020 के अनुसार (रु.) |
|------------------|----------------------------|----------------------------|
| सुरक्षा जमा राशि | 3,07,778 | 3,44,278 |
| कुल | 3,07,778 | 3,44,278 |

11 अन्य गैर मौजूदा परिसंपत्तियां (संग्रह)

| | विवरण | 31.03.2021 के अनुसार (रु.) | 31.03.2020 के अनुसार (रु.) |
|-----|--|----------------------------|----------------------------|
| (क) | संग्रह निधि का नियोजन (विपणन परिसर) | 21,01,33,172 | 19,95,56,669 |
| (ख) | संग्रह का नियोजन (मेगा कलस्टर) | 10,60,37,100 | 10,07,00,000 |
| (ग) | संग्रह निधि का नियोजन (व्यापार सुविधा केंद्र) | 96,94,118 | 96,94,118 |
| (घ) | संग्रह निधि पोचमपल्ली का नियोजन | 27,55,63,103 | 27,55,45,461 |
| (ङ) | हथकरघा संवर्धन सहायता योजना | 7,35,64,399 | 10,16,92,440 |
| (च) | समर्थ – वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण की योजना | 14,87,72,255 | 4,76,34,000 |
| | कुल | 82,37,64,147 | 73,48,22,688 |

उपरोक्त संग्रह निधि का नियोजन सावधि जमा और मौजूदा खाते में है।

9 NON CURRENT ASSETS- INTANGIBLE ASSETS

| Particulars | COMPUTER SOFTWARE | |
|---|--|---|
| | For the current reporting period (Rs.) | For the previous reporting period (Rs.) |
| GROSS BLOCK | | |
| As at beginning of the year | 2,47,07,756 | 2,23,71,867 |
| Addition during the year | - | 23,35,889 |
| Transfer/ Sale/ Adjustments during the year | (40,500) | - |
| Transfer to during the year | 40,500 | - |
| As at end of the year | 2,47,07,756 | 2,47,07,756 |
| DEPRICIATION | | |
| As at beginning of the year | 1,42,83,372 | 1,05,31,642 |
| Adjustment during the year | 3,24,657 | - |
| Tansfer to during the year | (38,475) | - |
| Transfer to general reserve | 38,475 | - |
| Depriciation during the year | 43,25,009 | 37,51,730 |
| As at end of the year | 1,89,33,038 | 1,42,83,372 |
| NET BLOCK | | |
| As at beginning of the year | 1,04,24,384 | 1,18,40,225 |
| As at end of the year | 57,74,718 | 1,04,24,384 |

10 NON CURRENT ASSETS - LONG TERM LOAN AND ADVANCES

| Particulars | As on 31-03-2021 (Rs.) | As on 31-03-2020 (Rs.) |
|------------------|------------------------|------------------------|
| Security Deposit | 3,07,778 | 3,44,278 |
| TOTAL | 3,07,778 | 3,44,278 |

11 OTHER NON CURRENT ASSETS (CORPUS)

| | Particulars | As on 31-03-2021 (Rs.) | As on 31-03-2020 (Rs.) |
|-----|---|------------------------|------------------------|
| (A) | Deployment of Corpus Fund (Marketing Complexes) | 21,01,33,172 | 19,95,56,669 |
| (B) | Deployment of Corpus Fund (Mega Cluster) | 10,60,37,100 | 10,07,00,000 |
| (C) | Deployment of Corpus Fund (Trade Facilitation Centre) | 96,94,118 | 96,94,118 |
| (D) | Deployment of Corpus Fund Pochampally | 27,55,63,103 | 27,55,45,461 |
| (E) | Hathkargha Samverdhan Sahayeta Yojana | 7,35,64,399 | 10,16,92,440 |
| (F) | Samarth - Scheme for Capacity Building in Textiles Sector | 14,87,72,255 | 4,76,34,000 |
| | TOTAL | 82,37,64,147 | 73,48,22,688 |

The above Deployment of Corpus funds are in fixed deposit and current account.

12 वर्तमान परिसंपत्तियां – सूची

| विवरण | 31.03.2021 के अनुसार (रु.) | 31.03.2020 के अनुसार (रु.) |
|---|----------------------------|----------------------------|
| (जैसा कि प्रबंधन द्वारा लिया गया, मूल्यांकित और प्रमाणित) | | |
| स्टॉक-इन-ट्रेड-लागत पर (अप्रचलन के कारण कम लिखा हुआ) या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो। | 1,77,25,319 | 1,49,87,384 |
| दूसरी जगह ले जाया गया सामान (परिवहन माल) | - | - |
| कुल | 1,77,25,319 | 1,49,87,384 |

13 वर्तमान परिसंपत्तियां- व्यापार प्राप्य

| विवरण | 31.03.2021 के अनुसार (रु.) | | 31.03.2020 के अनुसार (रु.) | |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| विविध देनदार (असुरक्षित) | | | | |
| i) छह महीने से अधिक | | | | |
| – अच्छा माना गया | 2,65,17,78,834 | | 2,70,20,95,661 | |
| – घटाएं: संदिग्ध के लिए प्रावधान | 5,70,71,426 | | 5,62,00,739 | |
| | 2,70,88,50,260 | | 2,75,82,96,400 | |
| कर्ज | (5,70,71,426) | 2,65,17,78,834 | (5,62,00,739) | 2,70,20,95,661 |
| ii) अन्य (अच्छा माना गया) | | 36,15,26,288 | | 23,69,58,048 |
| कुल | | 3,01,33,05,121 | | 2,93,90,53,708 |

- i) शेष राशि की पुष्टि एक सतत प्रक्रिया है। वर्तमान समीक्षावधि के अंत में वर्ष के अंत में शेष सभी व्यापार प्राप्तियों को पुष्टि के लिए भेज दिया गया है, हालांकि, पुष्टि निम्नानुसार प्राप्त हुई है: –

| विवरण | कुल | | 31-03-2021 के अनुसार प्राप्त पुष्टि | | 31-03-2021 के अनुसार शेष की पुष्टि का : | |
|---------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|---|----------------|
| | एजेंसियों की सं. | बकाया राशि (रु) | एजेंसियों की संख्या | बकाया राशि (रु) | एजेंसियों की संख्या (%) | बकाया राशि (%) |
| व्यापार की प्राप्ति | 1,101 | 3,07,03,76,547 | 133 | 20,44,11,065 | 12.08% | 6.66% |

ऊपर दिखाए गए पुष्टि किए गए शेष में वे शामिल नहीं हैं, जहां कोई विवाद है, लेकिन केवल वे शेष राशि शामिल हैं जहां अंतरधसमाधान के कारण प्रविष्टियां दोनों पक्षों को स्वीकार्य हैं। पुष्टि के लिए लंबित शेष राशि की समीक्षा की जाएगी और नियत समय में इसका समाधान किया जाएगा और इन मामलों में समायोजन, यदि कोई हो, का समाधान यथाशीघ्र ही किया जाएगा।

- ii) 307,03,76,548 रुपये के लिए व्यापार प्राप्य (पिछले वर्ष 299,52,54,447 रुपये) में 245,64,75,295 रुपये (पिछले वर्ष – 245,64,75,295 रुपये) की राशि शामिल है। जोकि लखनऊ शाखा कार्यालय द्वारा की गई बिक्री से संबंधित वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, उपरोक्त मामले की फॉरेंसिक ऑडिटर और सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही थी। फॉरेंसिक ऑडिटर और विजिलेंस जांच की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और इसे इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सीबीआई को भेज दिया गया है। तदनुसार, बोर्ड के निर्देशों के अनुसार मामले को निपटारा किया जाएगा।
- iii) 307,03,76,547 रुपये के लिए व्यापार प्राप्य (पिछले वर्ष 299,52,54,447 रुपये) में 1,82,69,089 रुपये (पिछले वर्ष: 1,82,69,089 रुपये) की राशि शामिल है, जिसके लिए निगम द्वारा उपयुक्त अदालतों में मुकदमा दायर किया गया है। इसके अलावा, व्यापार प्राप्तियों में 1,89,23,921 रुपये (पिछले वर्ष 1,89,23,921 रुपये) शामिल हैं, जो वस्त्र की आपूर्ति के सापेक्ष प्राप्य हैं, जिसमें निगम के पास लेनदारों को संबंधित बकाया है, जो कि वसूली के बाद ही देय है। फैंब्रिक क्रेडिटर्स 2,10,11,280 रुपये (पिछले साल 2,10,11,280 रुपये) हैं। व्यापार प्राप्तियों में रुपये की राशि भी शामिल है। 11,63,04,809 (पिछले वर्ष रु. 11,70,62,376) जिसमें निगम द्वारा संग्रह निधि (क्लस्टर डेवलपमेंट) के रूप में प्राप्त रिवाँल्विंग एडवांस के सापेक्ष आपूर्ति की गई है।

12 CURRENT ASSETS - INVENTORIES

| Particulars | As on 31-03-2021 (Rs.) | As on 31-03-2020 (Rs.) |
|--|---------------------------|---------------------------|
| (As taken, valued and certified by the management) | | |
| Stock-in-trade - At cost (less written off for obsolescence) or net realizable value, whichever is less. | 1,77,25,319 | 1,49,87,384 |
| Goods in Transit | - | - |
| TOTAL | 1,77,25,319 | 1,49,87,384 |

13 CURRENT ASSETS- TRADE RECEIVABLE

| Particulars | As on 31-03-2021 (Rs.) | | As on 31-03-2020 (Rs.) | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| SUNDRY DEBTORS (unsecured) | | | | |
| i) Over six months | | | | |
| - Considered good | 2,65,17,78,834 | | 2,70,20,95,661 | |
| - Considered doubtful | 5,70,71,426 | | 5,62,00,739 | |
| | 2,70,88,50,260 | | 2,75,82,96,400 | |
| - Less: Provision for doubtful debts | (5,70,71,426) | 2,65,17,78,834 | (5,62,00,739) | 2,70,20,95,661 |
| ii) Others (Considered good) | | 36,15,26,288 | | 23,69,58,048 |
| TOTAL | | 3,01,33,05,121 | | 2,93,90,53,708 |

- i) The balance confirmation is a continuous process. The year end balances as at the end of current reporting period has been sent to all the Trade Receivables for confirmation, however, confirmation has been received as follows:-

| Particulars | Total | | Confirmation received as on 31-03-2021 | | % of Confirmation of balances as on 31-03-2021 | |
|-------------------|--------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|---------------------------|
| | No. of agencies | Amount outstanding (Rs.) | No. of agencies | Amount outstanding (Rs.) | No. of agencies (%) | Amount outstanding (%) |
| Trade Receivables | 1,101 | 3,07,03,76,547 | 133 | 20,44,11,065 | 12.08% | 6.66% |

The confirmed balances shown above do not include those, where there is any dispute, but only those balances where the entries on account of difference/ reconciliation are acceptable to both the parties. The balances which are pending for confirmation will be reviewed and reconciled in due course and the adjustment, if any, required in these cases will be made as soon as reconciled.

- ii) Trade Receivables for Rs. 307,03,76,548 (Previous year Rs 299,52,54,447) include a sum of Rs 245,64,75,295 (Previous year - Rs.245,64,75,295).relating to sale made by Lucknow branch office. During FY 2020-21, the aforementioned matter was under investigation by Forensic Auditor & Vigilance department. Reports of the Forensic Auditor and Vigilance probe have been recently received and the same have been sent to CBI for further necessary action in this regard. Accordingly, the matter will be dealt as per directions of the Board.
- iii) Trade Receivables for Rs. 307,03,76,547 (Previous year Rs 299,52,54,447) include a sum of Rs 1,82,69,089 (Previous year: Rs 1,82,69,089) for which suits have been filed by the corporation with appropriate courts. Further, Trade Receivables include Rs.1,89,23,921 (Previous year Rs. 1,89,23,921) receivable against supply of fabric wherein the corporation is having corresponding dues to creditors, payable only after realization. The fabric creditors are Rs 2,10,11,280 (Previous year Rs. 2,10,11,280). Trade Receivables also includes a sum of Rs. 11,63,04,809(Previous year Rs.11,70,62,376) wherein supplies have been made against the revolving advance received by the corporation as Corpus Fund (Cluster Development).

iv) संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों के लिए प्रावधान का विवरण नीचे दिया गया है: –

| विवरण | 31-03-2020 के अनुसार शेष | वर्ष के दौरान वृद्धि | कुल | वसूल/समायोजित राशि | वर्ष के दौरान बड़े खाते में डाला गया | 31-03-2021 के अनुसार शेष |
|---|--------------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों के लिए प्रावधान | 5,62,00,739 | 22,90,557 | 5,84,91,296 | 14,19,870 | - | 5,70,71,426 |

14 वर्तमान परिसंपत्तियां – नकद और नकद समकक्ष

| विवरण | 31.03.2021 के अनुसार (रु.) | 31.03.2020 के अनुसार (रु.) |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| अनुसूचित बैंक के साथ शेष राशि | 7,68,22,718 | 18,91,52,215 |
| गैर-अनुसूचित बैंक के पास शेष राशि | 34,829 | 34,838 |
| एफडीआर | 1,26,22,19,861 | 1,20,53,63,649 |
| कुल | 1,33,90,77,409 | 1,39,45,50,702 |

15 मौजूदा परिसंपत्तियां – लघु अवधि के ऋण और अग्रिम

| विवरण | 31.03.2021 के अनुसार (रु.) | 31.03.2020 के अनुसार (रु.) |
|---|----------------------------|----------------------------|
| (i) सुरक्षित ऋण (अच्छा माना गया) | | |
| –वाहनों के हाइपोथेकेशन के खिलाफ कर्मचारियों को वाहन ऋण | 72,012 | 2,95,968 |
| (ii) अग्रिम (अप्रतिभूत) | | |
| (नकद या वस्तु में वसूली योग्य या मूल्य प्राप्त करने के लिए) | | |
| – आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम राशि | | |
| – अच्छा माना गया | 24,35,15,164 | 24,35,33,568 |
| – संदिग्ध माना गया | 11,22,144 | 11,82,419 |
| | 24,46,37,308 | 24,47,15,987 |
| – घटाएं: संदिग्ध के लिए प्रावधान अग्रिम | (11,22,144) | (11,82,419) |
| | 24,35,15,164 | 24,35,33,568 |
| (iii) स्टाफ को अग्रिम | | |
| – अच्छा माना गया | 12,12,139 | 6,56,527 |
| – संदिग्ध माना गया | 1,26,274 | 1,26,274 |
| | 13,38,413 | 7,82,801 |
| – घटाएं: संदिग्ध के लिए प्रावधान अग्रिम | (1,26,274) | (1,26,274) |
| | 12,12,139 | 6,56,527 |
| (iv) अन्य को अग्रिम | | |
| – अच्छा माना गया | 2,86,76,078 | 2,24,43,988 |
| – संदिग्ध माना गया | 1,35,151 | 1,35,151 |
| | 2,88,11,229 | 2,25,79,138 |
| –घटाएं: संदिग्ध के लिए प्रावधान अग्रिम | (1,35,151) | (1,35,151) |
| | 2,86,76,078 | 2,24,43,988 |

iv) The details of provision for doubtful Trade Receivables is placed herein below:-

| Particulars | Balance as on 31-03-2020 | Addition during the year | Total | Amount realized/ adjusted | Written off during the year | Balance as on 31-03-2021 |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Provision for doubtful Trade Receivables. | 5,62,00,739 | 22,90,557 | 5,84,91,296 | 14,19,870 | - | 5,70,71,426 |

14 CURRENT ASSETS - CASH & CASH EQUIVALENTS

| Particulars | As on 31-03-2021 (Rs.) | As on 31-03-2020 (Rs.) |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| Balances with scheduled bank | 7,68,22,718 | 18,91,52,215 |
| Balances with non- scheduled bank | 34,829 | 34,838 |
| FDR | 1,26,22,19,861 | 1,20,53,63,649 |
| TOTAL | 1,33,90,77,409 | 1,39,45,50,702 |

15 CURRENT ASSETS - SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

| Particulars | | As on 31-03-2021 (Rs.) | | As on 31-03-2020 (Rs.) |
|---|--------------|------------------------|--------------|------------------------|
| (i) Secured loans (considered good) | | | | |
| - Vehicle loan to staff against hypothecation of vehicles | | 72,012 | | 2,95,968 |
| (ii) Advances (Unsecured) | | | | |
| (Recoverable in cash or kind or for value to be received) | | | | |
| - Advance to suppliers | | | | |
| - Considered good | 24,35,15,164 | | 24,35,33,568 | |
| - Considered doubtful | 11,22,144 | | 11,82,419 | |
| | 24,46,37,308 | | 24,47,15,987 | |
| - Less: Provision for doubtful advances | (11,22,144) | 24,35,15,164 | (11,82,419) | 24,35,33,568 |
| (iii) Advance to staff | | | | |
| - Considered good | 12,12,139 | | 6,56,527 | |
| - Considered doubtful | 1,26,274 | | 1,26,274 | |
| | 13,38,413 | | 7,82,801 | |
| - Less: Provision for doubtful advances | (1,26,274) | 12,12,139 | (1,26,274) | 6,56,527 |
| (iv) Advance to others | | | | |
| - Considered good | 2,86,76,078 | | 2,24,43,988 | |
| - Considered doubtful | 1,35,151 | | 1,35,151 | |
| | 2,88,11,229 | | 2,25,79,138 | |
| - Less: Provision for doubtful advances | (1,35,151) | 2,86,76,078 | (1,35,151) | 2,24,43,988 |

| | | | | | |
|--------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|
| (v) | पूर्वदात व्यय | | 1,38,543 | | 3,02,157 |
| (vi) | स्रोत पर कर कटौती सहित अग्रिम आयकर | | 28,79,294 | | 12,50,250 |
| (vii) | जमा (असुरक्षित लेकिन अच्छा माना जाता है) | | | | |
| | – सरकारी विभागों के पास | | - | | - |
| | – परिसरों/अन्य के किराए के लिए | | | | |
| | – अच्छा माना गया | 49,53,632 | | 97,06,405 | |
| | – संदिग्ध माना गया | 86,130 | | 86,130 | |
| | | 50,39,762 | | 97,92,535 | |
| | – घटाएं: संदिग्ध के लिए प्रावधान जमा | (86,130) | 49,53,632 | (86,130) | 97,06,405 |
| (viii) | प्राप्य | | | | |
| | – भारत सरकार से सहायता अनुदान के विरुद्ध | | 12,85,51,663 | | 22,20,95,971 |
| | – प्राप्य दावे | | 40,24,761 | | 40,24,761 |
| | – मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स/अन्य के सापेक्ष बकाया | | | | |
| | – अच्छा माना गया | 21,85,754 | | 21,85,392 | |
| | – संदिग्ध माना गया | 16,64,418 | | 16,64,418 | |
| | | 38,50,172 | | 38,49,810 | |
| | – घटाएं: संदिग्ध के लिए प्रावधान प्राप्य | (16,64,418) | 21,85,754 | (16,64,418) | 21,85,392 |
| (ix) | उपयोग कर्ता एजेंसी से प्राप्य ब्याज | | | | |
| | आस्थगित उपार्जित ब्याज | | | | |
| | – अच्छा माना गया | | - | | - |
| | – संदिग्ध माना गया | 1,79,34,693 | | 1,79,34,693 | |
| | | 1,79,34,693 | | 1,79,34,693 | |
| | – घटाएं: संदिग्ध के लिए प्रावधान ब्याज | (1,79,34,693) | | (1,79,34,693) | |
| | कुल | | 41,62,09,041 | | 50,64,94,986 |

i) संदिग्ध परिसंपत्तियों के प्रावधान का विवरण नीचे दिया गया है:-

| | विवरण | 31-03-2020 के अनुसार शेष | वर्ष के दौरान वृद्धि | कुल | वसूली/समायोजित की गई राशि | वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि | 31.03.2021 को शेष राशि |
|----|---|--------------------------|----------------------|-------------|---------------------------|---|------------------------|
| क) | आपूर्तिकर्ताओं को संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान। | 11,82,419 | | 11,82,419 | 60,275 | - | 11,22,144 |
| ख) | कर्मचारियों को संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान। | 1,26,274 | - | 1,26,274 | - | - | 1,26,274 |
| ग) | दूसरों को संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान। | 1,35,151 | - | 1,35,151 | - | - | 1,35,151 |
| घ) | संदिग्ध जमाराशियों के लिए प्रावधान। | 86,130 | - | 86,130 | - | - | 86,130 |
| ङ) | संदिग्ध प्राप्य के लिए प्रावधान। | 16,64,418 | - | 16,64,418 | - | - | 16,64,418 |
| च) | संदिग्ध आस्थगित उपार्जित ब्याज के लिए प्रावधान। | 1,79,34,693 | - | 1,79,34,693 | - | - | 1,79,34,693 |
| | कुल | 2,11,29,085 | - | 2,11,29,085 | 60,275 | - | 2,10,68,810 |

| | | | | | |
|--------|--|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| (v) | Prepaid expenses | | 1,38,543 | | 3,02,157 |
| (vi) | Advance income tax including tax deducted at source | | 28,79,294 | | 12,50,250 |
| (vii) | DEPOSITS (Unsecured but considered good) | | | | |
| | - With Government departments | | - | | - |
| | - For rent of complexes/ others | | | | |
| | - Considered good | 49,53,632 | | 97,06,405 | |
| | - Considered doubtful | 86,130 | | 86,130 | |
| | | 50,39,762 | | 97,92,535 | |
| | - Less: Provision for doubtful deposits | (86,130) | 49,53,632 | (86,130) | 97,06,405 |
| (viii) | RECEIVABLES | | | | |
| | - From the Government of India against grant-in-aid | | 12,85,51,663 | | 22,20,95,971 |
| | - Claims receivable | | 40,24,761 | | 40,24,761 |
| | - Outstanding against marketing Complex/others | | | | |
| | - Considered good | 21,85,754 | | 21,85,392 | |
| | - Considered doubtful | 16,64,418 | | 16,64,418 | |
| | | 38,50,172 | | 38,49,810 | |
| | - Less: Provision for doubtful receivables | (16,64,418) | 21,85,754 | (16,64,418) | 21,85,392 |
| (ix) | Interest outstanding from user Agencies | | | | |
| | Deferred accrued Interest | | | | |
| | - Considered good | - | | - | |
| | - Considered doubtful | 1,79,34,693 | | 1,79,34,693 | |
| | | 1,79,34,693 | | 1,79,34,693 | |
| | - Less: Provision for doubtful interest | (1,79,34,693) | - | (1,79,34,693) | - |
| | TOTAL | | 41,62,09,041 | | 50,64,94,986 |

i) The details of provision for doubtful assets is placed herein below:-

| | Particulars | Balance as on 31-03-2020 | Addition during the year | Total | Amount realized/adjusted | Written off during the year | Balance as on 31-03-2021 |
|----|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| a) | Provision for doubtful advances to suppliers. | 11,82,419 | | 11,82,419 | 60,275 | - | 11,22,144 |
| b) | Provision for doubtful advances to staff. | 1,26,274 | - | 1,26,274 | - | - | 1,26,274 |
| c) | Provision for doubtful advances to others. | 1,35,151 | - | 1,35,151 | - | - | 1,35,151 |
| d) | Provision for doubtful deposits. | 86,130 | - | 86,130 | - | - | 86,130 |
| e) | Provision for doubtful receivables. | 16,64,418 | - | 16,64,418 | - | - | 16,64,418 |
| f) | Provision for doubtful deferred accrued interest. | 1,79,34,693 | - | 1,79,34,693 | - | - | 1,79,34,693 |
| | Total | 2,11,29,085 | - | 2,11,29,085 | 60,275 | - | 2,10,68,810 |

- i) आपूर्तिकर्ताओं को 24,46,37,308 रु. (पिछले वर्ष रु.24,47,15,987) के अग्रिम में वर्ष 2017-2018 के लिए यार्न आपूर्ति योजना के तहत 10% यार्न सब्सिडी घटक के 21,57,93,613 रुपये की राशि शामिल है। 21.58 करोड़ रुपये की 10% सब्सिडी की राशि के संबंध में (अर्थात मार्च, 2018 की बिक्री के लिए 215.79 करोड़ रुपये का 10%) एनएचडीसी ने उपयोगकर्ता एजेंसियों से केवल 90% हिस्सा प्राप्त किया और आपूर्तिकर्ता मिलों को 100% का भुगतान किया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने एनएचडीसी को सब्सिडी की उपरोक्त राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की, निगम ने आपूर्तिकर्ताओं को डेबिट करके सब्सिडी राशि को समायोजित किया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, उपरोक्त मामले की फॉरेंसिक लेखा परीक्षक और सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही थी। फॉरेंसिक ऑडिटर और सतर्कता जांच की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और इसे, इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सीबीआई को भेज दिया गया है। इसके अलावा, इस संबंध में प्राप्त सीएजी की टिप्पणियां इस संबंध में आगे आवश्यक निर्देशों के लिए वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार को पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी हैं। तदनुसार, बोर्ड के निर्देशों के अनुसार मामले को निपटाया जाएगा।
- ii) दूसरों के लिए अग्रिम में निगम के ग्रेच्युटी फंड के सापेक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम के पास पड़े अग्रिम के लिए 13,13,792 रुपये (पिछले वर्ष 29,88,468 रुपये) शामिल हैं।
- iii) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम रु. 24,46,37,308। (पिछले वर्ष 24,47,15,987) रुपये में 7,26,947 रुपये (पिछले वर्ष 7,26,947 रुपये) शामिल हैं, जिसके लिए निगम द्वारा उपयुक्त अदालतों में मुकदमा दायर किया गया है।
- iv) सहायता अनुदान के एवज में भारत सरकार से प्राप्य में 17,22,03,295 रुपये (पिछले वर्ष 19,53,44,292 रुपये) शामिल हैं, उन घटनाओं के संबंध में जिनमें सरकार को दावे प्रस्तुत किए जाने हैं।

| विवरण | 31-03-2020 के अनुसार शेष | अतिरिक्त, वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि और जमा किया गया यूसी | वर्ष के दौरान समायोजन और जमा की जाने वाली शेष राशि, अनुदान शेष | भारत सरकार से वर्ष के दौरान प्राप्त राशि | 31-03-2021 के अनुसार शेष |
|-----------------------------|--------------------------|--|--|--|--------------------------|
| यार्न आपूर्ति सब्सिडी योजना | | | | | |
| 10% हैंक यार्न सब्सिडी | 1,62,20,963 | 30,94,45,652 | | 38,75,00,000 | (6,18,33,385) |
| वाईएसएस दावे (एमजीपीएस) | 1,05,30,715 | 21,49,37,720 | | 20,72,86,682 | 1,81,81,754 |
| कार्पस सहित अन्य अनुदान | 19,53,44,292 | 3,29,72,762 | 4,82,58,794 | 10,43,72,553 | 17,22,03,295 |
| कुल | 22,20,95,970 | 55,73,56,134 | 4,82,58,794 | 69,91,59,235 | 12,85,51,663 |

- v) 40,42,661 रुपये का दावा प्राप्य (पिछले वर्ष 40,42,661 रुपये), जो कि आयकर अधिकारियों द्वारा वापस किया जाना है, जिसमें निगम द्वारा पिछले वर्षों की मांग के आधार पर विरोध के तहत बड़ी राशि जमा की गई है।
- vi) ऊपर दर्शाए अनुसार 1,79,34,693 रु. (पिछले वर्ष रु. 1,79,34,693) के आस्थगित उपाजित ब्याज के संबंध में, निगम द्वारा उपयुक्त न्यायालय में वाद दायर किया गया है।

16 वर्तमान परिसंपत्तियां – अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

| | विवरण | 31-03-2021 के अनुसार शेष (रु.) | 31-03-2020 के अनुसार शेष(रु.) |
|----|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| क) | ब्याज अर्जित किंतु प्राप्त नहीं हुआ | 2,90,24,459 | 3,18,00,412 |
| ख) | सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा संग्रह | | |
| | – चिकित्सा संग्रह के सापेक्ष एफडीआर | 56,20,614 | 76,07,526 |
| | – शेड्यूल बैंक के साथ शेष चालू खाता | - 56,20,614 | - 76,07,526 |
| | कुल (क+ख) | 3,46,45,073 | 3,94,07,937 |

- i) Advances to suppliers amounting to Rs. 24,46,37,308. (Previous year Rs.24,47,15,987) include a sum of Rs 21,57,93,613 of 10% yarn subsidy component under Yarn Supply Scheme for the year 2017-2018. With respect to the amount of 10% subsidy of Rs.21.58 crore (i.e.10% of Rs.215.79 crore for the sales of March,2018) NHDC received only 90% share from user agencies and paid 100% to the supplier mills. Considering, the fact the Ministry of Textiles, Government of India didn't reimburse the aforesaid amount of subsidy to NHDC, the Corporation adjusted the subsidy amount by debiting the suppliers. During FY 2020-21, the aforementioned matter was under investigation by Forensic Auditor & Vigilance department. Reports of the Forensic Auditor and Vigilance probe have been recently received and the same have been sent to CBI for further necessary action in this regard. Further, comments of C&AG received in this regard have already been submitted to the Ministry of Textiles, Government of India, for further necessary directions in this regard. Accordingly, the matter will be dealt as per directions of the Board
- ii) Advance to Others include an amount of Rs 13,13,792 (Previous Year Rs.29,88,468) for advance lying with LIC of India against Gratuity Fund of the corporation.
- iii) Advances to suppliers of Rs. 24,46,37,308. (Previous year Rs. 24,47,15,987) include a sum of Rs 7,26,947 (Previous year Rs7,26,947) for which suit have been filed by the Corporation with appropriate courts.
- iv) Receivable from Government of India against grant-in-aid includes Rs 17,22,03,295 (Previous year Rs 19,53,44,292) in respect of events wherein claims are to be submitted to the Government.

| Particulars | Balance as on 31-03-2020 | Addition, Amount spent during the year & UC submitted | Adjustment during the year & Balance UC to be submitted, Grant Balance | Amount received during the year from Govt.of India | Balance as on 31-03-2021 |
|-------------------------------|--------------------------|---|--|--|--------------------------|
| YARN SUPPLY SUBSIDY SCHEME | | | | | |
| 10% HANK YARN SUBSIDY | 1,62,20,963 | 30,94,45,652 | | 38,75,00,000 | (6,18,33,385) |
| YSS CLAIMS (MGPS) | 1,05,30,715 | 21,49,37,720 | | 20,72,86,682 | 1,81,81,754 |
| OTHER GRANTS INCLUDING CORPUS | 19,53,44,292 | 3,29,72,762 | 4,82,58,794 | 10,43,72,553 | 17,22,03,295 |
| TOTAL | 22,20,95,970 | 55,73,56,134 | 4,82,58,794 | 69,91,59,235 | 12,85,51,663 |

- v) Claims receivables Rs 40,42,661 (Previous year Rs. 40,42,661), which is due to be refunded by the income tax authorities, wherein, the major amount has been deposited by the corporation under protest based on the demand for earlier years.
- vi) In respect of Deferred accrued interest for Rs.1,79,34,693 (Previous year Rs. 1,79,34,693) as shown above, the suit has been filed by the corporation with appropriate court.

16 CURRENT ASSETS - OTHER CURRENT ASSETS

| Particulars | Balance as on 31-03-2021 (Rs.) | Balance as on 31-03-2020 (Rs.) |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| A) Interest accrued but not received | 2,90,24,459 | 3,18,00,412 |
| B) <u>Post Retirement Medical Corpus</u> | | |
| -FDR against Medical Corpus | 56,20,614 | 76,07,526 |
| -Balance with Scheduled Bank in Current Account | - 56,20,614 | - 76,07,526 |
| TOTAL (A+B) | 3,46,45,073 | 3,94,07,937 |

17 परिचालकों से राजस्व

| | विवरण | 31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.) | 31-03-2020 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.) |
|-----|---|--|--|
| (क) | प्राप्तियां घटा बिक्री | | |
| | सूत – सूत आपूर्ति स्कीम | 5,21,43,15,262 | 7,00,61,01,946 |
| | सामान्य योजना | 5,24,85,558 | 5,92,24,862 |
| | रंग और रसायन | 45,35,61,898 | 42,13,46,982 |
| | फैब्रिक्स | - | - |
| | कुल (क) | 5,72,03,62,718 | 7,48,66,73,790 |
| (ख) | यार्न आपूर्ति योजनान्तर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति के सापेक्ष सहायता अनुदान | | |
| | परिवहन शुल्क | 7,64,92,276 | 17,02,87,195 |
| | डिपो शुल्क | 7,06,83,012 | 9,83,96,016 |
| | सेवा शुल्क | 6,77,62,433 | 9,02,05,305 |
| | कुल (ख) | 21,49,37,720 | 35,88,88,516 |
| | कुल(क+ख) | 5,93,53,00,438 | 7,84,55,62,306 |

- i) यार्न आपूर्ति योजना के अंतर्गत सूत की आपूर्ति के मद में व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 21,49,37,720 रु. (पिछले वर्ष 35,88,88,516 रु.) का सहायता अनुदान उपार्जन आधार पर लेखा में रखा गया है। इसमें से, कुल 1,81,81,754 रुपये (पिछले वर्ष 1,05,30,716 रुपये) के दावे वर्तमान समीक्षावधि के अंत तक सरकार को प्रस्तुत करने के लिए लंबित हैं।

18 अन्य योजना

| | विवरण | 31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.) | 31-03-2020 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.) |
|--|---|--|--|
| | परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ | - | 48,923 |
| | विविध प्राप्ति/टेंडर शुल्क | 9,45,850 | 88,19,476 |
| | प्राप्त डिपो शुल्क | - | 87,157 |
| | बैंक/वाहन ऋण/अन्य से ब्याज | 7,28,50,712 | 7,40,22,053 |
| | नकद छूट/कमीशन | 41,34,542 | 59,72,367 |
| | पार्टियों से अतिदेय बिलों पर प्राप्त ब्याज | - | 94,755 |
| | देयताएं/अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखे गए | 60,705 | 37,920 |
| | प्रावधान को अब वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है | 13,83,345 | 66,59,915 |
| | कुल | 7,93,75,154 | 9,57,42,566 |

- i) देनदार प्रावधान के सापेक्ष एजेंसियों से वर्ष के दौरान वसूल किए गए 13,83,345 रुपये (पिछले वर्ष 66,59,915 रुपये) के लिए अब प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।
- ii) देयताएं/अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखे गए 60,705 रुपये (पिछले वर्ष 37,920 रुपये)

17 REVENUE FROM OPERATIONS

| | Particulars | For the year ended 31-03-2021 (Rs.) | For the year ended 31-03-2020 (Rs.) |
|-----|--|--|--|
| (a) | Sales less returns | | |
| | -Yarn Supply Scheme | 5,21,43,15,262 | 7,00,61,01,946 |
| | -General Scheme | 5,24,85,558 | 5,92,24,862 |
| | -Dyes & chemicals | 45,35,61,898 | 42,13,46,982 |
| | -Fabrics | - | - |
| | Total (a) | 5,72,03,62,718 | 7,48,66,73,790 |
| (b) | Grant-in-aid against reimbursement of expenditure under Yarn Supply Scheme | | |
| | Transportation Charges | 7,64,92,276 | 17,02,87,195 |
| | Depot Charges | 7,06,83,012 | 9,83,96,016 |
| | Service charges | 6,77,62,433 | 9,02,05,305 |
| | Total (b) | 21,49,37,720 | 35,88,88,516 |
| | TOTAL (a+b) | 5,93,53,00,438 | 7,84,55,62,306 |

- i) Grant in aid against reimbursement of expenditure under Yarn Supply Scheme amounting to Rs 21,49,37,720 (Previous year Rs. 35,88,88,516) on account of supply of yarn has been accounted for on accrual basis. Out of which, claims totaling Rs.1,81,81,754 (Previous year Rs.1,05,30,716) are pending for submission to the government as at the end of current reporting period.

18 OTHER INCOME

| Particulars | For the year ended 31-03-2021 (Rs.) | For the year ended 31-03-2020 (Rs.) |
|---|--|--|
| Profit on sale of assets | - | 48,923 |
| Miscellaneous receipt/ tender Fees | 9,45,850 | 88,19,476 |
| Depot charges received | - | 87,157 |
| Interest from bank/ vehicle loan/ others | 7,28,50,712 | 7,40,22,053 |
| Cash discount/ commission | 41,34,542 | 59,72,367 |
| Interest received from parties on overdue bills | - | 94,755 |
| Liabilities/ excess provisions written back | 60,705 | 37,920 |
| Provision no longer required written back | 13,83,345 | 66,59,915 |
| TOTAL | 7,93,75,154 | 9,57,42,566 |

- i) Provision no longer required written back for Rs 13,83,345 (Previous year Rs. 66,59,915) realised during the year from agencies against debtors provision.
- ii) Liabilities/ excess provisions written back RS 60,705 (Previous year Rs. 37,920)

19 व्यापारिक में स्टॉक की खरीद

| विवरण | 31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए (₹.) | 01-03-2020 को समाप्त वर्ष के लिए (₹.) |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| खरीद घटाकर लाभ | | |
| सूत | 5,26,51,39,946 | 7,05,68,32,299 |
| रंग एवं रसायन | 43,50,92,913 | 40,14,13,502 |
| फैब्रिक्स | - | - |
| कुल | 5,70,02,32,859 | 7,45,82,45,800 |

- i) वर्ष 2020-21 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) (एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से खरीदे गए यार्न का मूल्य, पिछले वर्ष 2019-20 के दौरान 306,1340,831 (खरीदे गए कुल सूत का 41.05%) रुपये के मुकाबले 245,47,91,012 (कुल खरीदे गए यार्न का 43.07%) है।

20 परिवहन/डिपो शुल्क

| विवरण | 31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए (₹.) | 01-03-2020 को समाप्त वर्ष के लिए (₹.) |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| परिवहन शुल्क | 7,64,92,276 | 17,02,87,195 |
| डिपो शुल्क | 7,06,83,012 | 9,83,96,016 |
| कुल | 14,71,75,288 | 26,86,83,211 |

- i) यार्न आपूर्ति योजना के अन्तर्गत परिवहन एवं डिपो प्रभारों की राशि 14,71,75,288 रुपये (पिछले वर्ष 26,86,83,211 रुपये) सूत की आपूर्ति के मद में प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में ली गई है। जिसमें से, कुल 1,81,81,754 रुपये (पिछले वर्ष 72,19,447 रुपये) के खर्च के दावे वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक सरकार को प्रस्तुत करने के लिए लंबित हैं। प्रयोक्ता एजेंसियों को देय परिवहन एवं डिपो शुल्क का प्रावधान योजना के अनुसार किया गया है।

19 PURCHASES OF STOCK IN TRADE

| Particulars | For the year ended 31-03-2021 (Rs.) | For the year ended 31-03-2020 (Rs.) |
|-------------------------------|--|--|
| Purchases less returns | | |
| -Yarn | 5,26,51,39,946 | 7,05,68,32,299 |
| -Dyes & chemicals | 43,50,92,913 | 40,14,13,502 |
| -Fabrics | - | - |
| TOTAL | 5,70,02,32,859 | 7,45,82,45,800 |

- i) The value of Yarn procured from Micro and Small Enterprises (MSEs) (including MSEs owned by SC/ ST entrepreneurs) during the year 2020-21 is Rs 245,47,91,012 (43.07 % of total yarn procured) as against Rs 306,13,40,831 (41.05 % of total yarn procured) during the previous year 2019-20.

20 TRANSPORTATION/ DEPOT CHARGES

| Particulars | For the year ended 31-03-2021 (Rs.) | For the year ended 31-03-2020 (Rs.) |
|------------------------|--|--|
| Transportation Charges | 7,64,92,276 | 17,02,87,195 |
| Depot Charges | 7,06,83,012 | 9,83,96,016 |
| TOTAL | 14,71,75,288 | 26,86,83,211 |

- i) Transportation and depot charges under Yarn Supply Scheme amounting to Rs. 14,71,75,288 (Previous year Rs. 26,86,83,211) on account of supply of yarn has been accounted for on accrual basis. Out of which, claims for expenses totaling Rs 1,81,81,754 (Previous year Rs.72,19,447) are pending for submission to the government as at the end of current reporting period. Provision for transportation and depot charges payable to the user agencies has been made in accordance with the scheme.

21 तैयार माल की सूची में परिवर्तन प्रगति पर है और व्यापार में स्टॉक है

(राशि रु में)

| विवरण | आरंभिक स्टॉक 01-04-2020 को | अंतिम स्टॉक 31-03-2021 को | वृद्धि (-)/ कमी (+) |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| यार्न | 1,29,53,337 | 1,60,40,684 | (30,87,347) |
| रंग एवं रसायन | 20,58,047 | 16,84,635 | 3,73,412 |
| फैब्रिक्स | - | - | - |
| कुल | 1,49,87,384 | 1,77,25,319 | (27,13,935) |
| विवरण | आरंभिक स्टॉक 01-04-2019 को | अंतिम स्टॉक 31-03-2020 को | वृद्धि (-)/ कमी (+) |
| यार्न | 2,07,28,530 | 1,29,53,337 | 77,75,193 |
| रंग एवं रसायन | 20,59,903 | 20,58,047 | 1,856 |
| फैब्रिक्स | - | - | - |
| कुल | 2,27,88,433 | 1,49,87,384 | 77,77,049 |

22 कर्मचारी लाभ व्यय

| विवरण | 31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.) | 01-03-2020 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.) |
|--|---|---|
| क) वेतन एवं मजदूरी | | |
| वेतन और भत्ता | 14,83,62,359 | 17,89,26,373 |
| वेतन और भत्ता (प्रबंध निदेशक) | - | 7,86,835 |
| अवकाश नकदीकरण – उपार्जित अवकाश के प्रावधान सहित | 65,22,544 | 46,42,851 |
| अनुग्रह राशि | - | - |
| बाल शिक्षा की प्रतिपूर्ति | - | - |
| वाहन प्रतिपूर्ति | 22,000 | - |
| भर्ती पर व्यय | - | 1,270 |
| वीआर एस मुआवजा | 2,36,15,902 | - |
| चिकित्सा व्यय | 22,36,850 | 32,43,437 |
| कार्मिकों को प्रशिक्षण | 1,45,804 | 29,800 |
| उप जोड़ (क) | 18,09,05,459 | 18,76,30,566 |
| ख) पीएफ एवं अन्य निधि में अंशदान | | |
| सीपीएफ और एफपीएफ/ईडीएलआई योजना/एनपीएस में नियोक्ता का योगदान | 1,62,27,543 | 2,08,35,841 |
| ग्रेच्युटी | 18,05,747 | 1,37,436 |
| उप जोड़ (ख) | 1,80,33,290 | 2,09,73,277 |

21 CHANGES IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS WORK IN PROGRESS AND STOCK IN TRADE

(In Rs.)

| Particulars | OPENING STOCK ON 01-04-2020 | CLOSING STOCK ON 31-03-2021 | INCREASE (-)/ DECREASE (+) |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| YARN | 1,29,53,337 | 1,60,40,684 | (30,87,347) |
| DYES & CHEMICALS | 20,58,047 | 16,84,635 | 3,73,412 |
| FABRICS | - | - | - |
| TOTAL | 1,49,87,384 | 1,77,25,319 | (27,13,935) |

| Particulars | OPENING STOCK ON 01-04-2019 | CLOSING STOCK ON 31-03-2020 | INCREASE (-)/ DECREASE (+) |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| YARN | 2,07,28,530 | 1,29,53,337 | 77,75,193 |
| DYES & CHEMICALS | 20,59,903 | 20,58,047 | 1,856 |
| FABRICS | - | - | - |
| TOTAL | 2,27,88,433 | 1,49,87,384 | 77,77,049 |

22 EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES

| | Particulars | For the year ended 31-03-2021 (Rs.) | For the year ended 31-03-2020 (Rs.) |
|-----------|--|--|--|
| a) | Salary & Wages | | |
| | Salary and allowances | 14,83,62,359 | 17,89,26,373 |
| | Salary and allowances (Managing Director) | - | 7,86,835 |
| | Leave encashment-Including provision for accrued leave | 65,22,544 | 46,42,851 |
| | Ex-Gratia | - | - |
| | Children education reimbursement | - | - |
| | Conveyance reimbursement | 22,000 | - |
| | Recruitment Expenses | - | 1,270 |
| | VRS Compensation | 2,36,15,902 | - |
| | Medical expenses | 22,36,850 | 32,43,437 |
| | Training to personnel | 1,45,804 | 29,800 |
| | Sub Total (a) | 18,09,05,459 | 18,76,30,566 |
| b) | Contribution to PF & other Fund | | |
| | Employers contribution to CPF & FPF/ EDLI scheme/NPS | 1,62,27,543 | 2,08,35,841 |
| | Gratuity | 18,05,747 | 1,37,436 |
| | Sub Total (b) | 1,80,33,290 | 2,09,73,277 |

| | | | |
|----|---|---------------------|---------------------|
| ग) | कर्मचारी कल्याण व्यय | | |
| | कर्मचारी कल्याण व्यय (मानदेय, इनाम वर्दी और पोशाक सहित) | 17,53,197 | 19,45,833 |
| | समूह व्यक्तिगत दुर्घटना और ग्रेच्युटी बीमा | - | - |
| | मृतक कर्मचारी को भुगतान योजना | 9,05,130 | 11,85,258 |
| | उप जोड़ (ग) | 26,58,327 | 31,31,091 |
| | जोड़ (क+ख+ग) | 20,15,97,076 | 21,17,34,934 |

क) लेखांकन मानक -15 "कर्मचारी लाभ" के अनुसार, लेखा मानक में परिभाषित कर्मचारी लाभों का प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना में योगदान, जिसे वर्ष के लिए व्यय के रूप में मान्यता दी गई है, निम्नानुसार है:

| विवरण | 31-03-2020 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.) | 31-03-2019 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.) |
|---|--|--|
| सीपीएफ/एफपीएफ/एनपीएस/डीडीई और ईडीएलआई योजनाओं में नियोक्ता का योगदान। | 1,71,32,673 | 2,20,21,099 |

निगम की भविष्य निधि को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत छूट दी गई है। छूट की शर्त यह निर्धारित करती है कि नियोक्ता वैधानिक दर के सापेक्ष ट्रस्ट द्वारा घोषित ब्याज दर में अच्छी कमी, यदि कोई हो, तो करेगा।

ख) वर्ष 2020-21 के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों (केएमपी) को भुगतान किया गया पारिश्रमिक निम्नानुसार है: -

(राशि रु में)

| क्रम सं. | पारिश्रमिक का विवरण | प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक | | | |
|----------|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | प्रबंध निदेशक | सीएफओ | कंपनी सचिव | कुल |
| 01. | कुल वेतन | | 19,16,730 | 11,24,300 | 30,41,030 |
| | (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन | | | | - |
| | (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभों का मूल्य | | | | - |
| | (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ | | | | - |
| 02. | स्टॉक विकल्प | | | | - |
| 03. | स्वेट इक्विटी | | | | - |
| 04. | कमीशन | | | | - |
| | - लाभ के % के रूप में | | | | - |
| | - अन्य, दर्शाएं | | | | - |
| 05. | अन्य, कृपया दर्शाएं | | | | - |
| | कुल | - | 19,16,730 | 11,24,300 | 30,41,030 |

| | | | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| c) | Staff Welfare expenses | | |
| | Staff welfare expenses (including honorarium, reward uniform & liveries) | 17,53,197 | 19,45,833 |
| | Group personal accident and Gratuity insurance | - | - |
| | Payment to Deceased Employee Scheme | 9,05,130 | 11,85,258 |
| | Sub Total (c) | 26,58,327 | 31,31,091 |
| | Total (a+b+c) | 20,15,97,076 | 21,17,34,934 |

- a) As per Accounting Standard -15 “Employee Benefits”, the disclosures of Employee Benefits as defined in the Accounting Standard is given below:-

Defined Contribution Plan

Contribution to Defined Contribution Plan, recognized as expense for the year is as under:

| Particulars | For year ended 31-03-2021 (Rs.) | For year ended 31-03-2020 (Rs.) |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Employer’s contribution to CPF/ FPF/NPS/DDE & EDLI Schemes. | 1,71,32,673 | 2,20,21,099 |

Corporation’s provident fund is exempted u/s 17 of Employee’s Provident Fund Act, 1952. Condition to exemptions stipulates that the employer shall make good deficiency, if any, in the interest rate declared by the trust against the statutory rate.

- b) Remuneration paid to Key Managerial Personnels (KMP) during the year 2020-21 is as below:-

(In Rs.)

| SI No. | Particulars of Remuneration | Key Managerial Personnel | | | |
|--------|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | MD | CFO | Co. Secretary | TOTAL |
| 01. | Gross Salary | | 19,16,730 | 11,24,300 | 30,41,030 |
| | (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961 | | | | - |
| | (b) Value of Perquisites u/s 17(2) of Income Tax Act, 1961 | | | | - |
| | (c) Profits in lieu of salary u/s 17(3) of Income Tax Act, 1961 | | | | - |
| 02. | Stock Option | | | | - |
| 03. | Sweat Equity | | | | - |
| 04. | Commission | | | | - |
| | - as % of Profit | | | | - |
| | - others, specify | | | | - |
| 05. | Others, please specify | | | | - |
| | TOTAL | - | 19,16,730 | 11,24,300 | 30,41,030 |

23 वित्तीय लागत

| विवरण | 31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.) | 31-03-2020 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.) |
|--------------------|--|--|
| बैंक/अन्य को ब्याज | - | - |
| अन्य उधार लागत | - | - |
| कुल | - | - |

24 अन्य व्यय

| | विवरण | 31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.) | 31-03-2020 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.) |
|-----|--|--|--|
| (क) | प्रशासनिक व्यय | | |
| | यात्रा व्यय | 27,53,206 | 46,87,733 |
| | लेखा परीक्षकों को भुगतान | 3,44,400 | 3,96,226 |
| | बोर्ड बैठक खर्च (बैठक शुल्क) | 55,000 | 68,952 |
| | किताबें और पत्रिकाएं | 23,586 | 65,636 |
| | वाहन व्यय | 17,82,657 | 25,58,750 |
| | बिजली/पानी शुल्क | 23,18,119 | 27,35,798 |
| | बीमा | 5,18,066 | 3,83,253 |
| | कानूनी और व्यावसायिक शुल्क | 36,07,649 | 45,82,907 |
| | सदस्यता शुल्क और सब्सक्रिप्शन (अंशदान) | 13,342 | 2,000 |
| | कार्यालय रखरखाव | 11,71,460 | 11,06,989 |
| | प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी | 10,42,970 | 12,93,932 |
| | डाक/टेलीग्राम/टेलीफोन और टेलेक्स | 23,36,817 | 22,68,472 |
| | किराया, दरें और कर (वसूली का शुद्ध) | 1,44,47,101 | 1,48,99,070 |
| | मरम्मत एवं रखरखाव | 6,96,628 | 4,31,203 |
| | सेवा वाहन व्यय | 13,28,706 | 11,31,464 |
| | सुरक्षा व्यय | 58,47,163 | 54,04,324 |
| | विविध व्यय | 12,807 | 35,755 |
| | कुल (क) | 3,82,99,676 | 4,20,52,463 |

| | | | |
|----|---|-----------------|-----------------|
| i) | लेखापरीक्षकों को किया गया भुगतान इस प्रकार है:- | | |
| | लेखा परीक्षा शुल्क | 2,89,400 | 3,04,176 |
| | अन्य क्षमता | 55,000 | 92,050 |
| | कुल | 3,44,400 | 3,96,226 |

23 FINANCE COSTS

| Particulars | For year ended 31-03-2021 (Rs.) | For year ended 31-03-2020 (Rs.) |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Interest to bank/ others | - | - |
| Other Borrowing cost | - | - |
| Total | - | - |

24 OTHER EXPENSES

| | Particulars | For year ended 31-03-2021 (Rs.) | For year ended 31-03-2020 (Rs.) |
|------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| (a) | ADMINISTRATIVE EXPENSES | | |
| | Travelling expenses | 27,53,206 | 46,87,733 |
| | Payment to auditors | 3,44,400 | 3,96,226 |
| | Board meeting expenses (Sitting fees) | 55,000 | 68,952 |
| | Books & periodicals | 23,586 | 65,636 |
| | Conveyance expenses | 17,82,657 | 25,58,750 |
| | Electricity/water charges | 23,18,119 | 27,35,798 |
| | Insurance | 5,18,066 | 3,83,253 |
| | Legal & professional charges | 36,07,649 | 45,82,907 |
| | Membership fees & subscription | 13,342 | 2,000 |
| | Office upkeep | 11,71,460 | 11,06,989 |
| | Printing & stationery | 10,42,970 | 12,93,932 |
| | Postage/telegram/telephone & telex | 23,36,817 | 22,68,472 |
| | Rent, rates & taxes (net of recoveries) | 1,44,47,101 | 1,48,99,070 |
| | Repair & maintenance | 6,96,628 | 4,31,203 |
| | Service vehicle expenses | 13,28,706 | 11,31,464 |
| | Security expenses | 58,47,163 | 54,04,324 |
| | Miscellaneous expenses | 12,807 | 35,755 |
| | TOTAL (a) | 3,82,99,676 | 4,20,52,463 |

| | | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|
| i) | Payment made to auditors is as below:- | | |
| | Audit Fee | 2,89,400 | 3,04,176 |
| | Other Capacity | 55,000 | 92,050 |
| | TOTAL | 3,44,400 | 3,96,226 |

(ख) व्यापार

| | विवरण | 31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.) | 31-03-2020 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.) |
|--|-----------------------------------|---|---|
| | विज्ञापन एवं प्रचार | 2,38,904 | - |
| | व्यवसाय संवर्धन | 26,55,157 | 2,19,01,063 |
| | रियायत, कमीशन एवं छूट | 2,95,041 | 2,21,956 |
| | बैंक शुल्क | 67,935 | 97,129 |
| | भाड़ा एवं अन्य शुल्क | 45,96,419 | 53,83,929 |
| | बैठक व्यय | 1,70,775 | 11,49,429 |
| | सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन/रखरखाव खर्च | 50,12,706 | 46,02,449 |
| | डाटा एंटी शुल्क | 30,82,139 | 27,75,024 |
| | कुल (ख) | 1,61,19,076 | 3,61,30,979 |
| | कुल (क+ख) | 5,44,18,752 | 7,81,83,442 |

- i) व्यावसायिक प्रचार व्यय में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत बजट के अलावा प्रदर्शनी और अन्य आयोजनों/गतिविधियों पर किए गए खर्च शामिल हैं।

25 असाधारण मदें

| | विवरण | 31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.) | 31-03-2020 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.) |
|-----------|--|---|---|
| क) | प्रावधान, बट्टा खाता आदि | | |
| | परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि | - | - |
| | संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान | 22,90,557 | 1,71,83,551 |
| | बट्टा खाता देनदार | - | - |
| | आपूर्तिकर्ता को संदिग्ध अग्रिमों का प्रावधान | - | - |
| | उप जोड़ | 22,90,557 | 1,71,83,551 |
| ख) | पूर्व अवधि समायोजन | | |
| | पूर्व अवधि समायोजन | - | - |
| | कुल (क+ख+ग) | 22,90,557 | 1,71,83,551 |

26 नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय

| | विवरण | 31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.) | 31-03-2020 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.) |
|--|---|---|---|
| | नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय | - | 15,00,000 |
| | कुल | | 15,00,000 |

वर्ष 2020-21 के दौरान की गई सीएसआर गतिविधियों का विवरण इस प्रकार है:-

1. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधि पर खर्च की जाने वाली कुल राशि 2020-21 : शून्य
2. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि 2020-21 (नीचे विवरण के अनुसार) (लाख रु. में)

(b) TRADE

| | Particulars | For year ended 31-03-2021 (Rs.) | For year ended 31-03-2020 (Rs.) |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | Advertisement & publicity | 2,38,904 | - |
| | Business promotion | 26,55,157 | 2,19,01,063 |
| | Discount, commission & rebate | 2,95,041 | 2,21,956 |
| | Bank charges | 67,935 | 97,129 |
| | Freight & other charges | 45,96,419 | 53,83,929 |
| | Meeting expenses | 1,70,775 | 11,49,429 |
| | Software implementation/ maintenance expenses | 50,12,706 | 46,02,449 |
| | Data entry charges | 30,82,139 | 27,75,024 |
| | TOTAL (b) | 1,61,19,076 | 3,61,30,979 |
| | TOTAL (a+b) | 5,44,18,752 | 7,81,83,442 |

- i) Business promotion expenses includes expenses incurred on exhibition and other events/ activities over and above the sanctioned budget during the current financial year .

25 EXCEPTIONAL ITEMS

| | Particulars | For year ended 31-03-2021 (Rs.) | For year ended 31-03-2020 (Rs.) |
|-----------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| a) | PROVISION, WRITE OFF ETC. | | |
| | Loss on sale of assets | - | - |
| | Provision for doubtful debtors | 22,90,557 | 1,71,83,551 |
| | Write off debtors | - | - |
| | Provision for doubtful advances to supplier | - | - |
| | Sub Total | 22,90,557 | 1,71,83,551 |
| b) | Prior Period Adjustments | - | - |
| | Total (a+b+c) | 22,90,557 | 1,71,83,551 |

26 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EXPENSES

| | Particulars | For year ended 31-03-2021 (Rs.) | For year ended 31-03-2020 (Rs.) |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | Expenses on Corporate Social Responsibility | - | 15,00,000 |
| | Total | - | 15,00,000 |

The details of CSR activity undertaken during the year 2020-21 is as below:-

1. Gross amount required to be spent on CSR Activity during the F.Y. 2020-21 Nil
2. Amount spent during the F.Y. 2020-21 (as per details below)

(राशि रु में)

| विवरण | मौजूदा वर्ष के दौरान भुगतान | अभी तक भुगतान किया जाना है | कुल |
|------------|-----------------------------|----------------------------|-------|
| | शून्य | - | शून्य |
| कुल | - | - | - |

27 कर व्यय—वर्तमान कर

| विवरण | 31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.) | 31-03-2020 को समाप्त वर्ष के लिए(रु.) |
|-------------------------|--|---------------------------------------|
| मौजूदा वर्ष के लिए आयकर | - | - |
| पिछले वर्ष के लिए आयकर | - | - |
| कुल | - | - |

वर्ष के दौरान शून्य रुपये (पिछले वर्ष रु. शून्य) का प्रावधान आयकर के लिए खातों में किया गया है।

28 अन्य टिप्पणियां

1 आकस्मिक देनदारियां और प्रतिबद्धताएं:—

(क) प्रतिबद्ध देनदारियां :-

- (क) वित्त वर्ष 2010-11 के लिए निर्धारण प्राधिकारी बिक्री कर कार्यालय लखनऊ द्वारा 95,20,994 रुपये (पिछले वर्ष 95,20,994) की मांग के सापेक्ष सहायक आयुक्त बिक्री कर वाराणसी के पास एक अपील लंबित है।
- (ख) निगम के सापेक्ष दावों/मांगों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया।
 - (i) आपूर्तिकर्ताओं द्वारा 2,93,000 रुपये (पिछले वर्ष 2,93,000 रुपये) दावा किए गए बकाया पर ब्याज
 - (ii) कंपनी के सापेक्ष कोर्ट केस – रु. शून्य (पिछले वर्ष शून्य)
 - (iii) मैसर्स यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में जारी बैंक गारंटी – 2,00,000 रुपये (पिछले वर्ष 2,00,000 रुपये)।
 - (iv) लखनऊ विकास प्राधिकरण सामान्य सेवा शुल्क— रु.45,77,446.(पिछले वर्ष 45,77,446) बहुत लंबी अवधि से बकाया है। 31 मार्च 2021 को अधिक आकस्मिक देयता और भी हो सकती है

(Rs. In lacs)

| Particulars | Paid during current year | Yet to be paid | Total |
|--------------|--------------------------|----------------|-------|
| | Nil | - | Nil |
| Total | - | - | - |

27 TAX EXPENSES - Current Tax

| Particulars | For year ended 31-03-2021 (Rs.) | For year ended 31-03-2020 (Rs.) |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Income Tax for Current year | - | - |
| Income Tax for earlier year | - | - |
| Total | - | - |

During the year provision for income tax of Rs. NIL (Previous year Rs.NIL) has been made in the accounts.

28 OTHER NOTES

1 CONTINGENT LIABILITIES & COMMITMENTS :-

(A) Contingent Liabilities:-

- (a) An appeal is pending with Assistant Commissioner Sales Tax Varanasi against demand raised for Rs 95,20,994 by assessing authority sales tax office Lucknow for the F.Y. 2010-11 (Previous year 95,20,994)
- (b) Claims/ demands against the corporation not acknowledged as debts.
 - (i) Interest on outstanding claimed by the suppliers Rs 2,93,000 (Previous year Rs.2,93,000)
 - (ii) Court cases against the company - Rs. Nil (Previous year Nil)
 - (iii) Bank guarantee issued in favour of M/s U P Pollution Control Board - Rs 200000 (Previous year Rs.2,00,000).
 - (iv) Lucknow Development Authority common service charges- Rs45,77,446.(Previous Year 45,77,446) since this is from long period. There may be more contingent liability as on 31st March 2021

(ख) प्रतिबद्धता:-

- 1 चूंकि संबंधित बिक्री कर प्राधिकारियों द्वारा निर्धारण को अंतिम रूप दिए जाने तक राशि का पता लगाने योग्य नहीं है, इसलिए सूत, रंग और रसायन और फ़ैब्रिक की बिक्री के संबंध में केंद्रीय और विभिन्न राज्य बिक्री कर अधिनियमों के प्रावधान के तहत बिक्री कर देयता और जीएसटी, यदि कोई हो, का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
 - 2 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III भाग II के अनुसार अतिरिक्त जानकारी:-
- क) उत्पादन की लाइसेंस प्राप्त और स्थापित क्षमता – लागू नहीं।
- ख) प्रारंभिक स्टॉक, खरीद, बिक्री और अंतिम स्टॉक के संबंध में मात्रा संबंधी जानकारी निम्नानुसार है: –

| क्रम सं. | विवरण | यार्न | | रंग एवं रसायन | | फ़ैब्रिक | |
|----------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-------|
| | | यूनिट लाख में | मूल्य | यूनिट लाख में | मूल्य | यूनिट लाख में | मूल्य |
| 1 | प्रारंभिक स्टॉक – मौजूदा वर्ष | 0.26 | 1,29,53,337 | 0.29 | 20,34,047 | | |
| | – पिछले वर्ष | 0.51 | 2,07,28,531 | 0.05 | 20,35,903 | | |
| 2 | खरीद – मौजूदा वर्ष | 218.14 | 5,26,51,39,946 | 35.15 | 43,50,92,913 | | - |
| | – पिछले वर्ष | 407.68 | 7,05,68,32,299 | 33.12 | 40,14,13,502 | | - |
| 3 | बिक्री – मौजूदा वर्ष | 218.09 | 5,26,68,00,820 | 35.16 | 45,35,61,898 | | - |
| | – पिछले वर्ष | 407.93 | 7,06,53,26,808 | 33.07 | 42,13,46,982 | | - |
| 4 | अंतिम स्टॉक – मौजूदा वर्ष | 0.32 | 1,60,40,684 | 0.27 | 16,84,635 | | |
| | – पिछले वर्ष | 0.26 | 1,29,53,337 | 0.10 | 20,34,047 | | |

- ग) सीआईएफ के आधार पर आयात का मूल्य (i) रंगों और रसायनों के संबंध में शून्य रुपये है। (पिछले वर्ष शून्य) और (ii) कच्चे माल (iii) घटकों और स्पेयर पार्ट्स (iv) पूंजीगत सामान के संबंध में रु. शून्य (पिछले वर्ष – रु. शून्य)।
- घ) विदेशी मुद्रा में आय-शून्य (पिछले वर्ष – शून्य रु.)।
- ङ) विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय – शून्य (पिछले वर्ष – शून्य रु.)।
- च) आयातित कच्चे माल, स्पेयर पार्ट्स और खपत किए गए घटकों का मूल्य – शून्य रु. (पिछले वर्ष – शून्य रु.)।

(B) Commitment:-

- 1 Since the amount is not ascertainable pending finalization of assessment by the concerned sales tax authorities, no provision for sales tax liability & GST, if any, under the provision of Central and various State Sales Tax Acts has been made in respect of sales of yarn, dyes & chemicals and fabrics.
- 2 Additional information pursuant to Schedule III Part II to the Companies Act, 2013:-
 - A) Licensed and installed capacity of production - Not applicable.
 - B) Quantitative information in respect of Opening Stock, Purchases, Sales and Closing stock are as under:-

| Sl. No. | PARTICULARS | YARN | | DYES & CHEMICAL | | FABRIC | |
|---------|------------------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|-------|
| | | Unit in Lakhs | Value | Unit in Lakhs | Value | Unit in Lakhs | Value |
| 1 | Opening Stock - Current Year | 0.26 | 1,29,53,337 | 0.29 | 20,34,047 | | |
| | - Previous Year | 0.51 | 2,07,28,531 | 0.05 | 20,35,903 | | |
| 2 | Purchase - Current Year | 218.14 | 5,26,51,39,946 | 35.15 | 43,50,92,913 | | - |
| | - Previous Year | 407.68 | 7,05,68,32,299 | 33.12 | 40,14,13,502 | | - |
| 3 | Sale - Current Year | 218.09 | 5,26,68,00,820 | 35.16 | 45,35,61,898 | | - |
| | - Previous Year | 407.93 | 7,06,53,26,808 | 33.07 | 42,13,46,982 | | - |
| 4 | Closing Stock - Current Year | 0.32 | 1,60,40,684 | 0.27 | 16,84,635 | | |
| | - Previous Year | 0.26 | 1,29,53,337 | 0.10 | 20,34,047 | | |

- C) Value of Import on CIF basis in respect of (i) Dyes & chemicals is Rs. Nil (Previous year Rs.Nil) and in respect of (ii) Raw Material (iii) Components & spare parts (iv) Capital goods is Rs. Nil (Previous year – Rs. Nil).
- D) Earnings in Foreign Currency – Rs. Nil (Previous Year- Rs.Nil).
- E) Expenditure incurred in foreign Currency - NIL (Previous year - Rs. Nil).
- F) Value of imported raw material, spare parts and components consumed - Rs. Nil (Previous year - Rs. Nil).

- 4 लेखा मापदंड-17 की आवश्यकताओं के अनुसार, अर्थात् आईसीएआई द्वारा जारी किए गए सेगमेंट रिपोर्टिंग, यार्न, डाई और केमिकल्स और फ़ैब्रिक से युक्त रिपोर्टिंग सेगमेंट के रूप में गतिविधिवार वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है:-

(राशि रु. में)

| | विवरण | यार्न | रंग एवं रसायन | फ़ैब्रिक्स | कुल |
|----|--|----------------|---------------|-------------|----------------|
| क) | प्राथमिक सूचना | | | | |
| 1 | खंड-वार राजस्व | 5,26,68,00,820 | 45,35,61,898 | - | 5,72,03,62,718 |
| 2 | खंड-वार परिणाम | (4,17,23,606) | 85,85,735 | - | (3,31,37,871) |
| 3 | अनाबंटित ओवरहेड | - | - | - | 11,88,42,139 |
| 4 | बैंक एवं अन्य से ब्याज | - | - | - | 5,28,44,664 |
| 5 | अन्य आय | - | - | - | 10,08,284 |
| 6 | अवधि पूर्व समायोजन | - | - | - | - |
| 7 | सीएसआर व्यय | - | - | - | - |
| 8 | कर पूर्व लाभ | - | - | - | (9,81,27,062) |
| 9 | पिछले वर्ष के समायोजन सहित कर का प्रावधान | - | - | - | - |
| 10 | आस्थगित कर | - | - | - | 18,12,202 |
| 11 | कर पश्चात लाभ | - | - | - | (9,63,14,860) |
| 12 | खंड-वार परिसंपत्तियां | 3,45,08,79,230 | 13,32,23,342 | 1,89,23,921 | 3,60,30,26,493 |
| 13 | गैर-आवंटित नैगमिक परिसंपत्तियां (वित्तीय परिसंपत्ति सहित)। | - | - | - | 2,18,92,66,213 |
| 14 | कुल परिसंपत्तियां | - | - | - | 5,79,22,92,706 |
| 15 | खंड-वार देनदारियों में बैंक से उधार लेना शामिल है | 3,47,54,33,761 | 11,58,39,488 | 2,04,68,635 | 3,61,17,41,883 |
| 16 | गैर-आवंटित नैगमिक देनदारियां (बैंक उधार सहित) | - | - | - | 2,18,05,50,823 |
| 17 | कुल देनदारियां | - | - | - | 5,79,22,92,706 |
| 18 | खंड-वार अवमूल्यन | 23,08,941 | 18,479 | - | 23,27,420 |

टिप्पणी:-

- खंड-वार राजस्व में कोई अंतर सेगमेंट लेनदेन नहीं है।
- खंड-वार परिणाम में 1383345 रुपये (क्रेडिट) के लिए वापस लिखी गई देनदारियां/प्रावधान, और शून्य (डेबिट) के लिए किए गए प्रावधान और बट्टे खाते में डालना आदि शामिल हैं।

- 4 In accordance with the requirements of AS-17, i.e. Segment Reporting as issued by ICAI, Activity wise financial information as reporting segments consisting of Yarn, Dyes & Chemicals and Fabric is as under:-

(Amount in Rs.)

| | PARTICULARS | Yarn | Dyes & Chemicals | Fabrics | Total |
|-----------|---|----------------|------------------|-------------|----------------|
| A) | Primary information | | | | |
| 1 | Segment wise Revenue | 5,26,68,00,820 | 45,35,61,898 | - | 5,72,03,62,718 |
| 2 | Segment wise Results | (4,17,23,606) | 85,85,735 | - | (3,31,37,871) |
| 3 | Unallocated overheads | - | - | - | 11,88,42,139 |
| 4 | Interest from Bank & others | - | - | - | 5,28,44,664 |
| 5 | Other Income | - | - | - | 10,08,284 |
| 6 | Prior period adjustments | - | - | - | - |
| 7 | CSR Expenditure | | | | - |
| 8 | Profit before tax | - | - | - | (9,81,27,062) |
| 9 | Provision for Tax including earlier year adjustments | - | - | - | |
| 10 | Deferred tax | - | - | - | 18,12,202 |
| 11 | Profit after tax | - | - | - | (9,63,14,860) |
| 12 | Segment-wise assets | 3,45,08,79,230 | 13,32,23,342 | 1,89,23,921 | 3,60,30,26,493 |
| 13 | Unallocable Corporate Assets (Including Financial Assets). | - | - | - | 2,18,92,66,213 |
| 14 | Total Assets | - | - | - | 5,79,22,92,706 |
| 15 | Segment wise liabilities includes Bank Borrowing | 3,47,54,33,761 | 11,58,39,488 | 2,04,68,635 | 3,61,17,41,883 |
| 16 | Unallocable Corporate liabilities (Including Bank Borrowings) | - | - | - | 2,18,05,50,823 |
| 17 | Total liabilities | - | - | - | 5,79,22,92,706 |
| 18 | Depreciation segment-wise | 23,08,941 | 18,479 | - | 23,27,420 |

Notes:-

- There is no inter segment transaction in segment-wise revenue.
- Segment-wise result includes liabilities/ provisions written back for Rs 1383345 (credit), and provisions & write off etc made for Rs NIL (Debit).

(राशि रु. में)

| ख) | द्वितीयक सूचना | क्षेत्र का नाम | सेगमेंट राजस्व |
|----|---|--------------------|--------------------------|
| 1 | उस खंड के लिए भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार खंड राजस्व जिसका राजस्व सभी भौगोलिक क्षेत्रों के कुल राजस्व का 10% या अधिक है। | क्षे. का. कोयंबटूर | 2,17,28,05,796 |
| | | क्षे. का. हैदराबाद | 98,85,45,246 |
| | | क्षे. का. बेंगलुरु | 64,42,66,289 |
| | | क्षे. का. पानीपत | 65,87,18,422 |
| | | क्षेत्र का नाम | संपत्ति |
| 2 | उस खंड की संपत्ति की भौगोलिक स्थिति के आधार पर संपत्ति का सेगमेंट जिसकी संपत्ति सभी भौगोलिक क्षेत्रों की कुल संपत्ति का 10% या अधिक है। | क्षे. का. वाराणसी | 2,63,16,36,963 |
| | | क्षेत्र का नाम | फिक्स संपत्ति में वृद्धि |
| 3 | उस खंड के लिए अचल संपत्तियों में वृद्धि जहां संपत्ति सभी भौगोलिक क्षेत्रों की कुल संपत्ति का 10% या अधिक है। | शून्य | शून्य |

- नोट 1 से 28 और वर्तमान समीक्षावधि के अंत में तुलन-पत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का विवरण खातों का एक अभिन्न अंग है।
- पिछले वर्ष के आँकड़ों को वर्तमान वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुनः कास्ट/पुनः समूहित किया गया है।
- आंकड़े को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

ह/-
अंजलि यादव
कंपनी सचिव

ह/-
जीतेन्द्र वी. पुरोहित
उपमहाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
मुदिता मिश्रा
प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं.-07302824

ह/-
संजय रस्तोगी
अध्यक्ष
डीआईएन सं. - 07722405

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमएएनवी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 08 दिसम्बर 2021

ह/-
साझेदार : एन. के. गुप्ता
सदस्यता सं.: 085713
एफ.आर. सं.: 007351एन

(Amount in Rs.)

| B) | Secondary Information | Name of the Region | Segment Revenue |
|----|---|--------------------|--------------------------|
| 1 | Segment Revenue by geographical area for the segment whose revenue is 10% or more of total revenue of all geographical segments. | RO Coimbatore | 2,17,28,05,796 |
| | | RO Hyderabad | 98,85,45,246 |
| | | RO Bengaluru | 64,42,66,289 |
| | | RO Panipat | 65,87,18,422 |
| | | Name of the Region | Assets |
| 2 | Segment assets by geographical location of assets of the segment whose assets are 10% or more of total assets of all geographical segments. | RO Varanasi | 2,63,16,36,963 |
| | | Name of the Region | Addition to Fixed Assets |
| 3 | Additions to fixed assets for the segment where assets are 10% or more of the total assets of all geographical segments. | NIL | NIL |

- 5 Note 1 to 28 and significant Accounting Policies annexed to Balance sheet as at the end of current reporting period and Statement of Profit and Loss, Change in Equity and Cash Flow for the year ended on that date form an integral part of Accounts.
- 6 The figures of previous year have been re-casted/ re-grouped wherever necessary to render them comparable with the figures of current year.
- 7 Figures have been rounded off to the nearest rupees .

Sd/-
Anjali Yadav
Co. Secretary

Sd/-
Jitendra V Purohit
DGM(F&A)/CFO

Sd/-
Mudita Mishra
Managing Director
DIN No. - 07302824

Sd/-
Sanjay Rastogi
Chairman
DIN No. - 07722405
As per our Report of even date
For MANV & Associates
Chartered Accountants
Sd/-
Partner : N. K. Gupta
M.No. : 085713
F.R.No.: 007351N

Place: New Delhi
Date: 08th December 2021

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण'

(राशि रु. में)

| | विवरण | 2020-21 | 2019-20 |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|
| (A) | प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह | | |
| | कर पूर्व लाभ | (9,81,27,062) | (11,13,18,292) |
| | समायोजन : | | |
| i | मूल्यवृद्धि | 98,02,057 | 93,15,177 |
| ii | विकासात्मक गतिविधियों पर व्यय/संबंधित निधि पर प्रभारित चिकित्सा कोष | (19,86,911) | (11,58,100) |
| iii | वर्ष के दौरान वापस लिखा गया प्रावधान | (14,44,050) | (66,97,835) |
| iv | बैंक/वाहन ऋण/अन्य से ब्याज | (7,28,50,712) | (7,40,22,053) |
| v | संपत्ति की बिक्री से लाभ | - | (48,923) |
| | कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ | (16,46,06,678) | (18,39,30,026) |
| | कार्यशील पूंजी में परिवर्तन (नकद और बैंक शेष को छोड़कर) | | |
| | वृद्धि/कमी: | | |
| i | मालसूची | (27,37,935) | 77,77,049 |
| ii | बुक-ऋण | (7,42,51,413) | 4,51,20,476 |
| iii | ऋण एवं अग्रिम | (17,61,364) | (17,97,433) |
| iv | प्राप्य | 9,98,59,063 | 66,65,46,656 |
| v | व्यापार एवं अन्य देयता | 1,73,80,459 | (8,24,07,989) |
| | प्रचालनों से प्राप्त नकद | (12,61,17,868) | 45,13,08,733 |
| | घटाएं : प्रदत्त आय कर' | (16,29,044) | (2,51,863) |
| | परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (क) | (12,77,46,912) | 45,10,56,870 |
| (B) | निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह | | |
| i | अचल संपत्तियों की बिक्री | - | 3,05,932 |
| ii | अचल संपत्तियों/डब्ल्यूआईपी में वृद्धि | (5,77,093) | (27,42,881) |
| iii | बैंक/वाहन ऋण/अन्य से ब्याज | 7,28,50,712 | 7,40,22,053 |
| | निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ख) | 7,22,73,619 | 7,15,85,104 |
| (C) | वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह | | |
| i | लाभांश का भुगतान | - | - |
| | वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ग) | - | - |
| (D) | नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध परिवर्तन (क+ख+ग) | (5,54,73,293) | 52,26,41,974 |
| (E) | नकद और नकद समकक्ष-प्रारंभिक शेष राशि | 1,39,45,50,702 | 87,19,08,728 |
| (F) | कुल | 1,33,90,77,409 | 1,39,45,50,702 |
| (G) | नकद और नकद समतुल्य- अंतिम शेष | 1,33,90,77,409 | 1,39,45,50,702 |
| | नकद और नकद समकक्ष प्रदर्शित करते हैं: | | |
| 1 | रोकड़ शेष | - | - |
| 2 | चालू और सावधि जमा खाते में बैंकों में शेष राशि | 1,33,90,77,409 | 1,39,45,50,702 |
| | कुल | 1,33,90,77,409 | 1,39,45,50,702 |

टिप्पणी:

- आईसीएआई द्वारा जारी एएस-3 में निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति के तहत नकद प्रवाह विवरण तैयार किया गया है।
- पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं लागू हो पुनर्वर्गीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

ह/-
अंजलि यादव
कंपनी सचिव

ह/-
जीतेन्द्र वी. पुरोहित
उपमहाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
मुदिता मिश्रा
प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं.-07302824

ह/-
संजय रस्तोगी
अध्यक्ष
डीआईएन सं. - 07722405

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमएएनवी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 08 दिसम्बर 2021

ह/-
साझेदार : एन. के. गुप्ता
सदस्यता सं.: 085713
एफ.आर. सं.: 007351एन

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LTD
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2021

(Amount In Rs.)

| | PARTICULARS | 2020-21 | 2019-20 |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|
| (A) | CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES | | |
| | Profit before tax | (9,81,27,062) | (11,13,18,292) |
| | Adjustments : | | |
| i | Depreciation | 98,02,057 | 93,15,177 |
| ii | Expenditure on developmental activities/medical corpus charged to relevant fund | (19,86,911) | (11,58,100) |
| iii | Provision written back during the year | (14,44,050) | (66,97,835) |
| iv | Interest from bank/ vehicle loan/ others | (7,28,50,712) | (7,40,22,053) |
| v | Profit on Sale of Assets | - | (48,923) |
| | OPERATING PROFIT BEFORE WORKING CAPITAL CHANGES | (16,46,06,678) | (18,39,30,026) |
| | CHANGES IN WORKING CAPITAL | | |
| | (Excluding Cash & Bank Balances) | | |
| | Increase/Decrease in: | | |
| i | Inventories | (27,37,935) | 77,77,049 |
| ii | Book-debts | (7,42,51,413) | 4,51,20,476 |
| iii | Loans & Advances | (17,61,364) | (17,97,433) |
| iv | Receivables | 9,98,59,063 | 66,65,46,656 |
| v | Trade & other Payables | 1,73,80,459 | (8,24,07,989) |
| | Cash Generated from Operations | (12,61,17,868) | 45,13,08,733 |
| | Less : Income Tax paid | (16,29,044) | (2,51,863) |
| | NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A) | (12,77,46,912) | 45,10,56,870 |
| (B) | CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES | | |
| i | Sale of Fixed Assets | - | 3,05,932 |
| ii | Addition to Fixed Assets/W.I.P | (5,77,093) | (27,42,881) |
| iii | Interest from bank/ vehicle loan/ others | 7,28,50,712 | 7,40,22,053 |
| | NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B) | 7,22,73,619 | 7,15,85,104 |
| (C) | CASH FLOW FROM FINANCIAL ACTIVITIES | | |
| i | Payment of Dividend | - | - |
| | NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C) | - | - |
| (D) | NET CHANGES IN CASH AND CASH EQUIVALENT (A+B+C) | (5,54,73,293) | 52,26,41,974 |
| (E) | CASH AND CASH EQUIVALENT- OPENING BALANCE | 1,39,45,50,702 | 87,19,08,728 |
| (F) | TOTAL | 1,33,90,77,409 | 1,39,45,50,702 |
| (G) | CASH AND CASH EQUIVALENT- CLOSING BALANCE | 1,33,90,77,409 | 1,39,45,50,702 |
| | Cash & Cash Equivalent represent : | | |
| 1 | Cash in Hand | - | - |
| 2 | Balance with Banks in Current & Fixed deposit Account | 1,33,90,77,409 | 1,39,45,50,702 |
| | Total | 1,33,90,77,409 | 1,39,45,50,702 |

Notes : 1 Cash flow statement has been prepared under the indirect method as set out in the AS-3, issued by the ICAI.

2 Previous year's figures have been regrouped/ re-classified wherever applicable.

Sd/-
Anjali Yadav
Co. Secretary

Sd/-
Jitendra V Purohit
DGM(F&A)/CFO

Sd/-
Mudita Mishra
Managing Director
DIN No. - 07302824

Sd/-
Sanjay Rastogi
Chairman
DIN No. - 07722405
As per our Report of even date
For MANV & Associates
Chartered Accountants

Place: New Delhi
Date: 08th December 2021

Sd/-
Partner : N. K. Gupta
M.No. : 085713
F.R.No.: 007351N

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

| (क) इक्विटी शेयर पूंजी | | (राशि रु. में) | |
|--|---|-------------------------------------|--|
| रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि | वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि | |
| 190000000 | - | 190000000 | |

| (ख) अन्य इक्विटी | | (राशि रु. में) | |
|---|---------------------------------------|---|---------------|
| लंबित आर्टन में शेयर आवेदन की धनराशि | भिक्षित वित्तीय साधनों का इक्विटी घटक | रिजर्व और शेष | कुल |
| | | प्रतिमूर्ति पूंजी रिजर्व | |
| | | विकास क्रियाकलाप और विक्रिसा कार्पस के लिए अन्य रिजर्व (प्रकृति निर्दिष्ट करें) | |
| | | प्रतिधारित आय | |
| | | अन्य व्यापक आय के माध्यम से ऋण साधन | |
| | | कैश प्लो हेजेज पर प्रभावी भाग | |
| | | पुनर्मुल्यांकन अधिशेष | |
| | | विदेशी परिवालन के वित्तीय विवरणों का परिवर्तित करने पर विनिमय मतभेद | |
| | | अन्य व्यापक आय की अन्य मदें (प्रकृति निर्दिष्ट करें) | |
| | | शेयर वारंट के विरुद्ध प्राप्त धन | |
| रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि | | 1,00,69,156 | 68,41,07,868 |
| पूर्व अवधि की त्रुटियों की लेखा नीति में परिवर्तन | | - | - |
| रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि | | - | - |
| वर्ष के लिए कुल व्यापक आय | | - | - |
| लाभांश | | - | - |
| प्रतिधारित आय में स्थानांतरण | | 3,49,976 | (9,63,14,860) |
| कोई अन्य परिवर्तन (निर्दिष्ट किया जाना है) | | 23,36,888 | - |
| रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि | | 80,82,244 | 58,77,93,008 |

ह/-
अंजलि यादव
कंपनी सचिव

ह/-
जीतेन्द्र धी. पुरोहित
उपमहाप्रबंधक (वित्त एवं लेखन)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
मुदिता मिश्रा
प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं.-07302824

ह/-
संजय रस्तोगी
अध्यक्ष
डीआईएन सं.- 07722405

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमएनबी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 08 दिसम्बर 2021

ह/-
साझेदार : एन. क. गुप्ता
सदस्यता सं.: 085713
एफ.आर. सं.: 007351एन

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LTD, LUCKNOW
STATEMENT OF CHANGE IN EQUITY FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2021

(A) Equity Share Capital (Amount in Rs.)

| Balance at the beginning of the reporting period | Balance at the end of the reporting period |
|--|--|
| 190000000 | 190000000 |
| - | - |

(B) Other Equity (Amount in Rs.)

| | Share application money pending allotment | Equity component of compound financial instruments | Reserves and Surplus | | | | Debt instruments through other Comprehensive income | Effective portion on Cash Flow Hedges | Revaluation Surplus | Exchange differences on translating the financial statements of a foreign operation | Other items of other comprehensive Income (specify nature) | Money received against share warrants | Total |
|---|---|--|----------------------|----------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------------|---------------------|---|--|---------------------------------------|-------|
| | | | Capital Reserve | Securities Premium Reserve | Other Reserves (specify nature) Reserve for Development Activity and Medical Corpus | Retained earnings | | | | | | | |
| Balance at the beginning of the reporting period | | | | | 1,00,69,156 | 68,41,07,868 | | | | | | | |
| Changes in accounting policy of prior period errors | | | | | - | - | | | | | | | |
| Restated balance at the beginning of the reporting period | | | | | - | - | | | | | | | |
| Total Comprehensive Income for the year | | | | | - | - | | | | | | | |
| Dividends | | | | | | | | | | | | | |
| Transfer to retained earnings | | | | | 3,49,976 | (9,63,14,860) | | | | | | | |
| Any other change (to be specified) | | | | | 23,36,888 | - | | | | | | | |
| Balance at the end of the reporting period | | | | | 80,82,244 | 58,77,93,008 | | | | | | | |

Sd/-
Anjali Yadav
Co. Secretary

Sd/-
Jitendra V Purohit
DGM(F&A)/CFO

Sd/-
Mudita Mishra
Managing Director
DIN No. - 07302824

Sd/-
Sanjay Rastogi
Chairman
DIN No. - 07722405

As per our Report of even date
For MANV & Associates
Chartered Accountants

Sd/-
Partner : N. K. Gupta
M.No. : 085713
F.R.No. : 007351N

Place: New Delhi
Date: 08th December 2021



i) अनुदान का विवरण

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए सरकारी अनुदान और प्रतिभागियों के पैसे का विवरण

| क्रम सं. | विवरण | 31.03.2020 को शेष | वर्ष के दौरान प्राप्त | | कुल | वर्ष के दौरान लेनदेन | | कुल | 31.03.2021 को शेष |
|----------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------|-------------------|
| | | | सरकार से | प्रतिभागियों/ अन्य से | | व्यय | वापस/ समायोजन/ अंतरण | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3-4-5) | 7 | 8 | 9 (7+8) | 10 (6+9) |
| (क) | विपणन प्रदर्शनी व्यय | | | | | | | | |
| | सिल्क फ़ैब, चेन्नई 2019-20 | 28,67,275 | | | 28,67,275 | | | - | 28,67,275 |
| | सिल्क फ़ैब, मुंबई 2019-20 | 38,85,297 | | | 38,85,297 | | | - | 38,85,297 |
| | सिल्क फ़ैब, एर्नाकुलम 2019-20 | 25,17,862 | | | 25,17,862 | | | - | 25,17,862 |
| | सिल्क फ़ैब, सूरत 2019-20 | 26,40,364 | | | 26,40,364 | | | - | 26,40,364 |
| | एसएचई (सिल्क फ़ैब), देहरादून 2019-20 | 24,62,558 | | | 24,62,558 | | | - | 24,62,558 |
| | एसएचई (सिल्क फ़ैब), भुवनेश्वर 2019-20 | 29,48,196 | | | 29,48,196 | | | - | 29,48,196 |
| | एसएचई (सिल्क फ़ैब), पुणे 2019-20 | 23,23,691 | | | 23,23,691 | | | - | 23,23,691 |
| | एसएचई (सिल्क फ़ैब), चंडीगढ़ 2019-20 | 17,17,396 | | | 17,17,396 | | | - | 17,17,396 |
| | एसएचई (सिल्क फ़ैब), कोलकाता 2019-20 | 20,11,658 | | | 20,11,658 | | | - | 20,11,658 |
| | एसएचई (सिल्क फ़ैब), भोपाल 2019-20 | 1,69,958 | | | 1,69,958 | 1,322 | | 1,322 | 1,71,280 |
| | एसएचई (सिल्क फ़ैब), जम्मू 2019-20 | 23,41,265 | | | 23,41,265 | | (629) | (629) | 23,40,636 |
| | एसएचई (सिल्क फ़ैब), कोयम्बटूर 2019-20 | 13,49,018 | | | 13,49,018 | 7,808 | | 7,808 | 13,56,826 |
| | एसएचई (सिल्क फ़ैब), अमृतसर 2019-20 | 9,38,848 | | | 9,38,848 | | (2,126) | (2,126) | 9,36,722 |
| | एसएचई (सिल्क फ़ैब), विशाखापत्तनम 2019-20 | 8,14,992 | | | 8,14,992 | 1,987 | | 1,987 | 8,16,979 |
| | एसएचई (सिल्क फ़ैब), रायपुर 2019-20 | 3,99,301 | | | 3,99,301 | 10,489 | | 10,489 | 4,09,790 |
| | एसएचई (सिल्क फ़ैब), नागपुर 2019-20 | 5,48,109 | | | 5,48,109 | 22,504 | | 22,504 | 5,70,613 |
| | एसएचई (सिल्क फ़ैब), पटना 2019-20 | 14,33,419 | | 9,80,000 | 4,53,419 | | (856) | (856) | 4,52,563 |
| | एसएचई (सिल्क फ़ैब), बेंगलुरु 2019-20 | 9,78,575 | | | 9,78,575 | | (1,976) | (1,976) | 9,76,599 |
| | एसएचई (सिल्क फ़ैब), गुवाहाटी 2019-20 | 37,370 | | | 37,370 | 68,560 | | 68,560 | 1,05,930 |
| | एसएचई (सिल्क फ़ैब), हैदराबाद 2019-20 | (14,00,000) | | | (14,00,000) | | | - | (14,00,000) |
| | एसएचई (सिल्क फ़ैब), दिल्ली 2019-20 | 22,22,016 | | | 22,22,016 | | (383) | (383) | 22,21,633 |
| | एसएचई (भारतीय हथकरघा), ग्रेटर नोएडा 2019-20 | 24,16,363 | | | 24,16,363 | | (801) | (801) | 24,15,562 |
| | एसएचई (भारतीय हथकरघा), जोधपुर 2019-20 | 18,67,370 | | | 18,67,370 | 5,000 | | 5,000 | 18,72,370 |
| | एसएचई (भारतीय हथकरघा), वाराणसी 2019-20 | 16,66,796 | | | 16,66,796 | | | - | 16,66,796 |
| | एसएचई (वूल फ़ैब), लखनऊ 2019-20 | 7,57,208 | | | 7,57,208 | | (1,549) | (1,549) | 7,55,659 |
| | एसएचई (वूल फ़ैब), इलाहाबाद 2019-20 | 6,38,395 | | | 6,38,395 | 1,605 | | 1,605 | 6,40,000 |
| | एसएचई (वूल फ़ैब), भोपाल 2019-20 | 24,93,997 | | | 24,93,997 | 702 | | 702 | 24,94,699 |

i) Grant Statement

DETAILS OF GOVERNMENT GRANTS & PARTICIPANTS MONEY FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD

| Sl. No. | Particulars | Balance As On 31.03.2020 | Received During The Year | | Total | Transactions During The Year | | Total | Balance As On 31.03.2021 |
|---------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------|---------|--------------------------|
| | | | From Govt. | From Participants/ Others | | Expenses | Refund/ Adjustment/ Transfer | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3-4-5) | 7 | 8 | 9 (7+8) | 10 (6+9) |
| (A) | MARKETING EXHIBITION EXPENSES | | | | | | | | |
| | SILK FAB , CHENNAI 2019-20 | 28,67,275 | | | 28,67,275 | | | - | 28,67,275 |
| | SILK FAB , MUMBAI 2019-20 | 38,85,297 | | | 38,85,297 | | | - | 38,85,297 |
| | SILK FAB , ERNAKULAM 2019-20 | 25,17,862 | | | 25,17,862 | | | - | 25,17,862 |
| | SILK FAB , SURAT 2019-20 | 26,40,364 | | | 26,40,364 | | | - | 26,40,364 |
| | SHE (Silk Fab), Dehradun 2019-20 | 24,62,558 | | | 24,62,558 | | | - | 24,62,558 |
| | SHE (Silk Fab), Bhubaneswar 2019-20 | 29,48,196 | | | 29,48,196 | | | - | 29,48,196 |
| | SHE (Silk Fab), Pune 2019-20 | 23,23,691 | | | 23,23,691 | | | - | 23,23,691 |
| | SHE (Silk Fab), Chandigarh 2019-20 | 17,17,396 | | | 17,17,396 | | | - | 17,17,396 |
| | SHE (Silk Fab), Kolkata 2019-20 | 20,11,658 | | | 20,11,658 | | | - | 20,11,658 |
| | SHE (Silk Fab), Bhopal 2019-20 | 1,69,958 | | | 1,69,958 | 1,322 | | 1,322 | 1,71,280 |
| | SHE (Silk Fab), Jammu 2019-20 | 23,41,265 | | | 23,41,265 | | (629) | (629) | 23,40,636 |
| | SHE (Silk Fab), Coimbatore 2019-20 | 13,49,018 | | | 13,49,018 | 7,808 | | 7,808 | 13,56,826 |
| | SHE (Silk Fab), Amritsar 2019-20 | 9,38,848 | | | 9,38,848 | | (2,126) | (2,126) | 9,36,722 |
| | SHE (Silk Fab), Vishakhapatnam 2019-20 | 8,14,992 | | | 8,14,992 | 1,987 | | 1,987 | 8,16,979 |
| | SHE (Silk Fab), Raipur 2019-20 | 3,99,301 | | | 3,99,301 | 10,489 | | 10,489 | 4,09,790 |
| | SHE (Silk Fab), Nagpur 2019-20 | 5,48,109 | | | 5,48,109 | 22,504 | | 22,504 | 5,70,613 |
| | SHE (Silk Fab), Patna 2019-20 | 14,33,419 | | 9,80,000 | 4,53,419 | | (856) | (856) | 4,52,563 |
| | SHE (Silk Fab), Bengaluru 2019-20 | 9,78,575 | | | 9,78,575 | | (1,976) | (1,976) | 9,76,599 |
| | SHE (Silk Fab), Guwahati 2019-20 | 37,370 | | | 37,370 | 68,560 | | 68,560 | 1,05,930 |
| | SHE (Silk Fab), Hyderabad 2019-20 | (14,00,000) | | | (14,00,000) | | | - | (14,00,000) |
| | SHE (Silk Fab), Delhi 2019-20 | 22,22,016 | | | 22,22,016 | | (383) | (383) | 22,21,633 |
| | SHE (Handloom of India), Greater Noida 2019-20 | 24,16,363 | | | 24,16,363 | | (801) | (801) | 24,15,562 |
| | SHE (Handloom of India), Jodhpur 2019-20 | 18,67,370 | | | 18,67,370 | 5,000 | | 5,000 | 18,72,370 |
| | SHE (Handloom of India), Varanasi 2019-20 | 16,66,796 | | | 16,66,796 | | | - | 16,66,796 |
| | SHE (Wool Fab), Lucknow 2019-20 | 7,57,208 | | | 7,57,208 | | (1,549) | (1,549) | 7,55,659 |
| | SHE (Wool Fab), Allahabad 2019-20 | 6,38,395 | | | 6,38,395 | 1,605 | | 1,605 | 6,40,000 |
| | SHE (Wool Fab), Bhopal 2019-20 | 24,93,997 | | | 24,93,997 | 702 | | 702 | 24,94,699 |
| | National Handloom Expo, Lucknow 2019-20 | 30,22,768 | | | 30,22,768 | | (436) | (436) | 30,22,332 |
| | National Handloom Expo, Indore 2019-20 | 4,62,578 | | | 4,62,578 | | (836) | (836) | 4,61,742 |
| | NLSHE JABALPUR (2019-2020) | 8,25,015 | | | 8,25,015 | 4,998 | | 4,998 | 8,30,013 |
| | NLSHE AGRA (2019-2020) | (14,00,000) | | | (14,00,000) | | | - | (14,00,000) |



| क्रम सं. | विवरण | 31.03.2020 को शेष | वर्ष के दौरान प्राप्त | | कुल | वर्ष के दौरान लेनदेन | | कुल | 31.03.2021 को शेष |
|----------|---|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------|----------------------|------------------------|---------|-------------------|
| | | | सरकार से | प्रतिभागियों / अन्य से | | व्यय | वापस / समायोजन / अंतरण | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3+4+5) | 7 | 8 | 9 (7+8) | 10 (6+9) |
| | राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो, लखनऊ 2019-20 | 30,22,768 | | | 30,22,768 | | (436) | (436) | 30,22,332 |
| | राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो, इन्दौर 2019-20 | 4,62,578 | | | 4,62,578 | | (836) | (836) | 4,61,742 |
| | एनएल एसएचई (2019-2020) | 8,25,015 | | | 8,25,015 | 4,998 | | 4,998 | 8,30,013 |
| | एनएल एसएचई आगरा (2019-2020) | (14,00,000) | | | (14,00,000) | | | - | (14,00,000) |
| | एनएल एसएचई जोधपुर (2019-2020) | 1,24,448 | | | 1,24,448 | 8,670 | | 8,670 | 1,33,118 |
| | एनएल एसएचई जमशेदपुर (2019-2020) | 6,14,573 | | | 6,14,573 | | (1,244) | (1,244) | 6,13,329 |
| | एनएल एसएचई नागपुर (2019-2020) | 4,54,142 | | | 4,54,142 | 22,754 | | 22,754 | 4,76,896 |
| | राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो, नई दिल्ली (2019-2020) | 46,51,555 | | | 46,51,555 | 7,853 | | 7,853 | 46,59,408 |
| | हथकरघा विपणन सहायता के तहत विशेष हथकरघा एक्सपो (एसएचई) (आगा खान केंद्र) | (5,00,000) | | | (5,00,000) | | | - | (5,00,000) |
| | सिल्क फेब प्रदर्शनी ईटानगर 2017-2018 | 9,26,631 | | | 9,26,631 | | | - | 9,26,631 |
| | सिल्क फेब बड़ौदा 2017-18 | 6,62,793 | | | 6,62,793 | | | - | 6,62,793 |
| | सिल्क फेब वाराणसी (एनएचई) 2017-2018 | 1,80,085 | | | 1,80,085 | | | - | 1,80,085 |
| | सिल्क फेब प्रदर्शनी गंगटोक 2017-2018 | 8,88,722 | | | 8,88,722 | | | - | 8,88,722 |
| | सिल्क फेब प्रदर्शनी चेन्नई एनएचई 2018-2019 | 14,73,293 | 5,30,701 | | 9,42,592 | | | - | 9,42,592 |
| | सिल्क फेब प्रदर्शनी मुंबई 2018-2019 | 9,50,145 | 9,50,145 | | - | | | - | - |
| | सिल्क फेब प्रदर्शनी एर्नाकुलम 2018-2019 | 9,83,650 | 9,83,650 | | - | | | - | - |
| | सिल्क फेब प्रदर्शनी अहमदाबाद 2018-2019 | 9,76,772 | 9,76,772 | | - | | | - | - |
| | सिल्क फेब प्रदर्शनी जबलपुर 2018-2019 | 9,33,150 | 9,33,150 | | - | | | - | - |
| | सिल्क फेब प्रदर्शनी जमशेदपुर 2018-2019 | 8,04,022 | 8,04,022 | | - | | | - | - |
| | सिल्क फेब प्रदर्शनी कोलकाता 2018-2019 | 8,32,782 | 8,32,782 | | - | | | - | - |
| | सिल्क फेब प्रदर्शनी भुवनेश्वर 2018-2019 | 7,53,233 | 7,53,233 | | - | | | - | - |
| | सिल्क फेब प्रदर्शनी देहरादून 2018-2019 | 8,65,641 | 8,65,641 | | - | | | - | - |
| | सिल्क फेब प्रदर्शनी लखनऊ 2018-2019 | 8,96,402 | 8,96,402 | | - | | | - | - |
| | सिल्क फेब प्रदर्शनी दिल्ली सिल्क फेब 2018-2019 | 9,97,524 | 9,97,524 | | - | | | - | - |
| | सिल्क फेब प्रदर्शनी चंडीगढ़ 2018-2019 | 8,89,631 | 8,89,631 | | - | | | - | - |
| | सिल्क फेब प्रदर्शनी पुणे 2018-2019 | 9,09,819 | 9,09,819 | | - | | | - | - |
| | सिल्क फेब प्रदर्शनी बंगलुरु 2018-2019 | 9,97,972 | 9,97,972 | | - | | | - | - |
| | सिल्क फेब प्रदर्शनी जेएण्डके 2018-2019 | 8,16,028 | 8,16,028 | | - | | | - | - |
| | सिल्क फेब प्रदर्शनी सिल्क लखनऊ 2018-2019 | 8,97,518 | 8,97,518 | | - | | | - | - |
| | सिल्क फेब प्रदर्शनी हुबली 2018-2019 | 9,96,674 | 9,96,674 | | - | | | - | - |

| Sl. No. | Particulars | Balance As On 31.03.2020 | Received During The Year | | Total | Transactions During The Year | | Total | Balance As On 31.03.2021 |
|---------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|---------|--------------------------|
| | | | From Govt. | From Participants/ Others | | Expenses | Refund/ Adjustment/ Transfer | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3+4+5) | 7 | 8 | 9 (7+8) | 10 (6+9) |
| | NLSHE JODHPUR (2019-2020) | 1,24,448 | | | 1,24,448 | 8,670 | | 8,670 | 1,33,118 |
| | NLSHE JAMSHEDPUR (2019-2020) | 6,14,573 | | | 6,14,573 | | (1,244) | (1,244) | 6,13,329 |
| | NLSHE NAGPUR (2019-2020) | 4,54,142 | | | 4,54,142 | 22,754 | | 22,754 | 4,76,896 |
| | National Handloom Expo New Delhi (2019-2020) | 46,51,555 | | | 46,51,555 | 7,853 | | 7,853 | 46,59,408 |
| | SPECIAL HANDLOOM EXPO (SHE) UNDER HANDLOOM MARKETING ASSISTANCE (AGA KHAN CENTRE) | (5,00,000) | | | (5,00,000) | | | - | (5,00,000) |
| | SILK FAB EXHIBITION ITANAGAR 2017-2018 | 9,26,631 | | | 9,26,631 | | | - | 9,26,631 |
| | Silk Fab Baroda 2017-18 | 6,62,793 | | | 6,62,793 | | | - | 6,62,793 |
| | SILK FAB VARANASI (NHE) 2017-2018 | 1,80,085 | | | 1,80,085 | | | - | 1,80,085 |
| | SILK FAB EXHIBITION GANGTOK 2017-2018 | 8,88,722 | | | 8,88,722 | | | - | 8,88,722 |
| | SILK FAB EXHIBITION CHENNAI NHE 2018-2019 | 14,73,293 | 5,30,701 | | 9,42,592 | | | - | 9,42,592 |
| | SILK FAB EXHIBITION MUMBAI 2018-2019 | 9,50,145 | 9,50,145 | | - | | | - | - |
| | SILK FAB EXHIBITION ERNAKULAM 2018-2019 | 9,83,650 | 9,83,650 | | - | | | - | - |
| | SILK FAB EXHIBITION AHMEDABAD 2018-2019 | 9,76,772 | 9,76,772 | | - | | | - | - |
| | SILK FAB EXHIBITION JABALPUR 2018-2019 | 9,33,150 | 9,33,150 | | - | | | - | - |
| | SILK FAB EXHIBITION JAMSHEDPUR 2018-2019 | 8,04,022 | 8,04,022 | | - | | | - | - |
| | SILK FAB EXHIBITION KOLKATA 2018-2019 | 8,32,782 | 8,32,782 | | - | | | - | - |
| | SILK FAB EXHIBITION BHUBANESWAR 2018-2019 | 7,53,233 | 7,53,233 | | - | | | - | - |
| | SILK FAB EXHIBITION DEHRADUN 2018-2019 | 8,65,641 | 8,65,641 | | - | | | - | - |
| | WOOL FAB EXHIBITION LUCKNOW 2018-2019 | 8,96,402 | 8,96,402 | | - | | | - | - |
| | SILK FAB EXHIBITION DELHI SILK FAB 2018-2019 | 9,97,524 | 9,97,524 | | - | | | - | - |
| | SILK FAB EXHIBITION CHANDIGRADH 2018-2019 | 8,89,631 | 8,89,631 | | - | | | - | - |
| | SILK FAB EXHIBITION PUNE 2018-2019 | 9,09,819 | 9,09,819 | | - | | | - | - |
| | SILK FAB EXHIBITION BENGALURU 2018-2019 | 9,97,972 | 9,97,972 | | - | | | - | - |
| | SILK FAB EXHIBITION J & K 2018-2019 | 8,16,028 | 8,16,028 | | - | | | - | - |
| | SILK FAB EXHIBITION SILK LUCKNOW 2018-2019 | 8,97,518 | 8,97,518 | | - | | | - | - |
| | SILK FAB EXHIBITION HUBLI 2018-2019 | 9,96,674 | 9,96,674 | | - | | | - | - |
| | SILK FAB EXHIBITION HYDERABAD 2018-2019 | 23,97,299 | 23,97,299 | | - | | | - | - |



| क्रम सं. | विवरण | 31.03.2020 को शेष | वर्ष के दौरान प्राप्त | | कुल | वर्ष के दौरान लेनदेन | | कुल | 31.03.2021 को शेष |
|----------|---|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-----------|-------------------|
| | | | सरकार से | प्रतिभागियों / अन्य से | | व्यय | वापस / समायोजन / अंतरण | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3+4-5) | 7 | 8 | 9 (7+8) | 10 (6+9) |
| | सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी हैदराबाद 2018-2019 | 23,97,299 | 23,97,299 | | - | | | - | - |
| | सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी इलाहाबाद 2018-2019 | 23,66,947 | 23,66,947 | | - | | | - | - |
| | सिल्क फ़ैब अहमदाबाद 2019-2020 | 39,74,420 | | | 39,74,420 | | | - | 39,74,420 |
| | सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी 2019-2020 जमशेदपुर | 23,47,175 | | | 23,47,175 | 2,579 | | 2,579 | 23,49,754 |
| | सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी 2019-2020 लेह-लद्दाख | 19,43,007 | | | 19,43,007 | | | - | 19,43,007 |
| | सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी 2019-2020 जबलपुर | 30,91,998 | | | 30,91,998 | | | - | 30,91,998 |
| | सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी इन्दौर 2017-2018 | 6,04,999 | | | 6,04,999 | | | - | 6,04,999 |
| | सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी गुवाहाटी 2017-2018 | 9,06,790 | | | 9,06,790 | | | - | 9,06,790 |
| | वूल फ़ैब प्रदर्शनी 2017-2018 | 1,46,897 | | | 1,46,897 | | | - | 1,46,897 |
| | सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी रायपुर 2018-2019 | 22,28,924 | 19,40,924 | | 2,88,000 | | | - | 2,88,000 |
| | सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी नागपुर एनएचई 2018-2019 | 4,87,646 | 4,36,831 | | 50,815 | | | - | 50,815 |
| | सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी सूरत 2018-2019 | 8,46,275 | 8,46,275 | | - | | | - | - |
| | थीमैटिक हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी (आसनसोल) | 25,800 | 25,800 | | - | 21,000 | | 21,000 | 21,000 |
| | नेशनल हैंडलूम एक्सपो दिल्ली हाट (2019-2020) | (18,62,002) | | | (18,62,002) | | | - | (18,62,002) |
| | सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी इन्दौर एनएचई 2018-2019 | 13,10,015 | 5,46,091 | | 7,63,924 | | | - | 7,63,924 |
| | सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी पटना एनएचई 2018-2019 | 32,66,122 | 25,83,844 | | 6,82,278 | | | - | 6,82,278 |
| | ज्वाइंट एक्सपो इहाबाद 2019-2020 | 11,42,684 | | | 11,42,684 | | | - | 11,42,684 |
| | सिल्क फ़ैब देहरादून 2020-21 | | 14,00,000 | | (14,00,000) | 21,89,243 | | 21,89,243 | 7,89,243 |
| | सिल्क फ़ैब पुणे 2020-21 | | 22,40,000 | | (22,40,000) | | | - | (22,40,000) |
| | सिल्क फ़ैब एर्नाकुलम 2020-21 | | 14,00,000 | | (14,00,000) | | | - | (14,00,000) |
| | सिल्क फ़ैब जम्मू 2020-21 | | 14,00,000 | | (14,00,000) | 19,79,459 | | 19,79,459 | 5,79,459 |
| | सिल्क फ़ैब गुवाहाटी 2020-21 | | 14,00,000 | | (14,00,000) | 19,00,983 | | 19,00,983 | 5,00,983 |
| | सिल्क फ़ैब रायपुर 2020-21 | | 14,00,000 | | (14,00,000) | 19,75,492 | | 19,75,492 | 5,75,492 |
| | सिल्क फ़ैब सूरत 2020-21 | | 14,00,000 | | (14,00,000) | 16,830 | | 16,830 | (13,83,170) |
| | सिल्क फ़ैब हैदराबाद 2020-21 | | 14,00,000 | | (14,00,000) | 13,95,473 | | 13,95,473 | (4,527) |
| | सिल्क फ़ैब पटना 2020-21 | | 14,00,000 | | (14,00,000) | | | - | (14,00,000) |
| | दिल्ली हाट में निर्माता कंपनियों के प्रतिभागियों के लिए टीए/डीए | | | | - | 57,147 | | 57,147 | 57,147 |
| | सिल्क फ़ैब अहमदाबाद 2020-21 | | | | | 32,88,489 | | 32,88,489 | 32,88,489 |
| | सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी लखनऊ 2020-21 | | | | - | 21,72,498 | | 21,72,498 | 21,72,498 |
| | थीमैटिक प्रदर्शनी का आयोजन 2020-21 | | 66,15,000 | | (66,15,000) | | | - | (66,15,000) |

| Sl. No. | Particulars | Balance As On 31.03.2020 | Received During The Year | | Total | Transactions During The Year | | Total | Balance As On 31.03.2021 |
|---------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|
| | | | From Govt. | From Participants/ Others | | Expenses | Refund/ Adjustment/ Transfer | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3+4-5) | 7 | 8 | 9 (7+8) | 10 (6+9) |
| | SILK FAB EXHIBITION ALLAHABAD 2018-2019 | 23,66,947 | 23,66,947 | | - | | | - | - |
| | SILK FAB AHMEDABAD 2019-2020 | 39,74,420 | | | 39,74,420 | | | - | 39,74,420 |
| | SILK FAB EXHIBITION 2019-2020 JAMSHEDPUR | 23,47,175 | | | 23,47,175 | 2,579 | | 2,579 | 23,49,754 |
| | SILK FAB EXHIBITION 2019-2020 LEH-LADDAKH | 19,43,007 | | | 19,43,007 | | | - | 19,43,007 |
| | SILK FAB EXHIBITION 2019-2020 JABALPUR | 30,91,998 | | | 30,91,998 | | | - | 30,91,998 |
| | SILK FAB EXHIBITION INDORE 2017-2018 | 6,04,999 | | | 6,04,999 | | | - | 6,04,999 |
| | SILK FAB EXHIBITION GUWAHATI 2017-2018 | 9,06,790 | | | 9,06,790 | | | - | 9,06,790 |
| | WOOL FAB EXHIBITION VARANASI 2017-2018 | 1,46,897 | | | 1,46,897 | | | - | 1,46,897 |
| | SILK FAB EXHIBITION RAIPUR 2018-2019 | 22,28,924 | 19,40,924 | | 2,88,000 | | | - | 2,88,000 |
| | SILK FAB EXHIBITION NAGPUR NHE 2018-2019 | 4,87,646 | 4,36,831 | | 50,815 | | | - | 50,815 |
| | SILK FAB EXHIBITION SURAT 2018-2019 | 8,46,275 | 8,46,275 | | - | | | - | - |
| | THEMATIC HANDICRAFT EXHIBITION (AASANSOLE) | 25,800 | 25,800 | | - | 21,000 | | 21,000 | 21,000 |
| | NATIONAL HANDLOOM EXPO DELHI HAT (2019-2020) | (18,62,002) | | | (18,62,002) | | | - | (18,62,002) |
| | SILK FAB EXHIBITION INDORE NHE 2018-2019 | 13,10,015 | 5,46,091 | | 7,63,924 | | | - | 7,63,924 |
| | SILK FAB EXHIBITION PATNA NHE 2018-2019 | 32,66,122 | 25,83,844 | | 6,82,278 | | | - | 6,82,278 |
| | JOINT EXPO ALLAHABAD 2019-2020 | 11,42,684 | | | 11,42,684 | | | - | 11,42,684 |
| | Silk Fab Dehradun 2020-21 | | 14,00,000 | | (14,00,000) | 21,89,243 | | 21,89,243 | 7,89,243 |
| | Silk Fab Pune 2020-21 | | 22,40,000 | | (22,40,000) | | | - | (22,40,000) |
| | Silk Fab Ernakulam 2020-21 | | 14,00,000 | | (14,00,000) | | | - | (14,00,000) |
| | Silk Fab Jammu 2020-21 | | 14,00,000 | | (14,00,000) | 19,79,459 | | 19,79,459 | 5,79,459 |
| | Silk Fab Guwahati 2020-21 | | 14,00,000 | | (14,00,000) | 19,00,983 | | 19,00,983 | 5,00,983 |
| | Silk Fab Raipur 2020-21 | | 14,00,000 | | (14,00,000) | 19,75,492 | | 19,75,492 | 5,75,492 |
| | Silk Fab Surat 2020-21 | | 14,00,000 | | (14,00,000) | 16,830 | | 16,830 | (13,83,170) |
| | Silk Fab Hyderabad 2020-21 | | 14,00,000 | | (14,00,000) | 13,95,473 | | 13,95,473 | (4,527) |
| | Silk Fab Patna 2020-21 | | 14,00,000 | | (14,00,000) | | | - | (14,00,000) |
| | TA/DA for Participants of Producer Companies in Dilli Haat | | | | - | 57,147 | | 57,147 | 57,147 |
| | Silk Fab Ahmedabad 2020-21 | | | | | 32,88,489 | | 32,88,489 | 32,88,489 |
| | Silk Fab Exhibition Lucknow 2020-21 | | | | - | 21,72,498 | | 21,72,498 | 21,72,498 |
| | Organizing Thematic Exhibition 2020-21 | | 66,15,000 | | (66,15,000) | | | - | (66,15,000) |



| क्रम सं. | विवरण | 31.03.2020 को शेष | वर्ष के दौरान प्राप्त | | कुल | वर्ष के दौरान लेनदेन | | कुल | 31.03.2021 को शेष |
|----------|---|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------------|
| | | | सरकार से | प्रतिभागियों / अन्य से | | व्यय | वापस / समायोजन / अंतरण | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3-4-5) | 7 | 8 | 9 (7+8) | 10 (6+9) |
| | विविध अनुदान खाला (प्रदर्शनी) | | 3,11,17,865 | | (3,11,17,865) | 3,15,75,700 | | 3,15,75,700 | 4,57,835 |
| (ख) | अन्य अनुदान | - | | | - | | | | - |
| | राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2020-21 | | | | - | 33,39,135 | | 33,39,135 | 33,39,135 |
| | अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (2019-2020) | | | | - | 12,99,248 | | 12,99,248 | 12,99,248 |
| | 6ठा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2020-2021 विकास आयुक्त हस्तशिल्प | | 1,10,04,800 | | (1,10,04,800) | 2,53,700 | | 2,53,700 | (1,07,51,100) |
| | कलस्टर कारीगरों की मैपिंग | | 45,00,000 | | (45,00,000) | | | - | (45,00,000) |
| | चुने हुए क्लस्टर क्षेत्रों के कुशल शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने वाली वीडियो फिल्म | | 45,00,000 | | (45,00,000) | | | - | (45,00,000) |
| | जेम समन्वयकर्ता का टीए/डीए | | | | | 9,919 | | 9,919 | 9,919 |
| | उत्पादक कंपनी का निर्माण | | 27,75,728 | | (27,75,728) | 27,75,728 | | 27,75,728 | - |
| | 24वीं बंग संस्कृति उत्सव 2021 | | | | - | 1,00,000 | | 1,00,000 | 1,00,000 |
| | डिजाइन और तकनीकी विकास कार्यशाला 2020-21 | | 40,48,000 | | (40,48,000) | | | - | (40,48,000) |
| | कलात्मक जनजातीय वस्त्र कढ़ाई शिल्प पर पोशाक सामग्री के अनुसूचित जनजाति शिल्पी | | 1,32,00,000 | | (1,32,00,000) | | | - | (1,32,00,000) |
| | वाराणसी हथकरघा मेगा क्लस्टर 04 एक्सटेंशन कार्टर | (2,87,474) | | | (2,87,474) | | | - | (2,87,474) |
| | आईएचबी प्रमाणन के लिए एनएचडीपी का विपणन सहायता घटक | (2,89,500) | | | (2,89,500) | | | - | (2,89,500) |
| | अबाहोनी -2019 (महात्मा गांधी) का सहयोग और स्पांसरशिप | 1,50,000 | | | 1,50,000 | | | - | 1,50,000 |
| | सूचना शिक्षा और संचार के लिए अनुदान | (48,05,406) | | | (48,05,406) | | | - | (48,05,406) |
| | हथकरघा पुर्जों की आपूर्ति के लिए अनुदान | (9,17,251) | | | (9,17,251) | | | - | (9,17,251) |
| | बैटरी लिंकड 2000 इनवर्टर लाइटिंग यूनिटों के वितरण हेतु अनुदान | (56,33,148) | | | (56,33,148) | | | - | (56,33,148) |
| | बीएलआईएलएस के वितरण के लिए प्रशा. लागत के लिए अनुदान | (2,56,759) | | | (2,56,759) | | | - | (2,56,759) |
| | बीएलआईएलएस के तहत संविदात्मक स्टाफ हायर करने के लिए अनुदान | (4,66,538) | | | (4,66,538) | | | - | (4,66,538) |
| | सीएफसी वाराणसी के लिए अनुदान | 28,03,880 | | | 28,03,880 | | | - | 28,03,880 |
| | 6 आईआईएचटी को इनाम/पुरस्कार वितरण के लिए अनुदान | (6,78,000) | | | (6,78,000) | | | - | (6,78,000) |
| | मल्टीपल बूटी मशीन की शुरुआत करने के लिए व्यय हेतु अनुदान | (5,138) | | | (5,138) | | | - | (5,138) |

| Sl. No. | Particulars | Balance As On 31.03.2020 | Received During The Year | | Total | Transactions During The Year | | Total | Balance As On 31.03.2021 |
|---------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|
| | | | From Govt. | From Participants/ Others | | Expenses | Refund/ Adjustment/ Transfer | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3-4-5) | 7 | 8 | 9 (7+8) | 10 (6+9) |
| | MISCELLANEOUS GRANT ACCOUNT (EXHIBITION) | | 3,11,17,865 | | (3,11,17,865) | 3,15,75,700 | | 3,15,75,700 | 4,57,835 |
| (B) | OTHERS GRANTS | - | | | - | | | | - |
| | National Handloom Day 2020-21 | | | | - | 33,39,135 | | 33,39,135 | 33,39,135 |
| | INTER NATIONAL WOMEN'S DAY (2019-2020) | | | | - | 12,99,248 | | 12,99,248 | 12,99,248 |
| | 6th National Handloom Day 2020-2021 DC Handicraft | | 1,10,04,800 | | (1,10,04,800) | 2,53,700 | | 2,53,700 | (1,07,51,100) |
| | Mapping of Cluster Artisans | | 45,00,000 | | (45,00,000) | | | | (45,00,000) |
| | Video film showcasing the skilful craftsmanship of chosen cluster areas | | 45,00,000 | | (45,00,000) | | | | (45,00,000) |
| | TA/DA of GeM Co-ordinator | | | | | 9,919 | | 9,919 | 9,919 |
| | Formation of Producer Company | | 27,75,728 | | (27,75,728) | 27,75,728 | | 27,75,728 | - |
| | 24th Banga Sanskriti Utsav 2021 | | | | - | 1,00,000 | | 1,00,000 | 1,00,000 |
| | Design and Technical Development Workshop 2020-21 | | 40,48,000 | | (40,48,000) | | | | (40,48,000) |
| | ST Artisans of Dress Material on Artistic Tribal Textile Embroidery Crafts | | 1,32,00,000 | | (1,32,00,000) | | | | (1,32,00,000) |
| | VARANASI H/L MEGA CLUSTER 04 EXTENSION COUNTER | (2,87,474) | | | (2,87,474) | | | | (2,87,474) |
| | MARKETING ASSISTANCE COMPONENT OF NHDP FOR IHB CERTIFICATION | (2,89,500) | | | (2,89,500) | | | | (2,89,500) |
| | COLLABORATION AND SPONSORSHIP OF ABAHONI -2019 (MAHATMA GANDHI) | 1,50,000 | | | 1,50,000 | | | | 1,50,000 |
| | GRANT FOR INFORMATION EDUCATION & COMMUNICATION | (48,05,406) | | | (48,05,406) | | | | (48,05,406) |
| | GRANT FOR SUPPLY OF H/L PARTS | (9,17,251) | | | (9,17,251) | | | | (9,17,251) |
| | GRANT FOR DISTRIBUTION OF 2000 BATTERY LINKED INVERTER LIGHTING UNITS | (56,33,148) | | | (56,33,148) | | | | (56,33,148) |
| | GRANT FOR ADMN. COST FOR DIST. OF BLILUS | (2,56,759) | | | (2,56,759) | | | | (2,56,759) |
| | GRANT FOR HIRING CONTRACTUAL STAFF UNDER BLILU | (4,66,538) | | | (4,66,538) | | | | (4,66,538) |
| | GRANT FOR CFC VARANASI | 28,03,880 | | | 28,03,880 | | | | 28,03,880 |
| | GRANT FOR AWARD/ PRIZE DISTRIBUTION TO 6 IIHTS | (6,78,000) | | | (6,78,000) | | | | (6,78,000) |
| | GRANT FOR EXP. INTRODUCTION OF MULTIPLE BUTI MACHINE | (5,138) | | | (5,138) | | | | (5,138) |
| | GRANT FOR HIRING FOUR WHEELER AND MISC EXP. WSC VARANASI | (96,400) | | | (96,400) | | | | (96,400) |
| | GRANT FOR SUPPLY OF DESKTOP FOR 6 WSCs | (30,000) | | | (30,000) | | | | (30,000) |



| क्रम सं. | विवरण | 31.03.2020 को शेष | वर्ष के दौरान प्राप्त | | कुल | वर्ष के दौरान लेनदेन | | कुल | 31.03.2021 को शेष |
|----------|---|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|-----------|-------------------|
| | | | सरकार से | प्रतिभागियों/ अन्य से | | व्यय | वापस/ समायोजन/ अंतरण | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3-4-5) | 7 | 8 | 9 (7+8) | 10 (6+9) |
| | चौपहिया किराए पर लेने और विविध व्यय के लिए अनुदान, | (96,400) | | | (96,400) | | | - | (96,400) |
| | 6 डब्ल्यूएससी के लिए डेस्कटॉप की आपूर्ति के लिए अनुदान | (30,000) | | | (30,000) | | | - | (30,000) |
| | राष्ट्रीय हथकरघा अभियान (आई एच बी ब्रांड) | 53,11,513 | | | 53,11,513 | | | - | 53,11,513 |
| | बुनकर जागरूकता शिविर | (7,60,175) | | | (7,60,175) | | | - | (7,60,175) |
| | अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत जीआई पंजीकृत हथकरघा उत्पाद 8 मार्च 2017 पर फिल्म | 37,634 | | | 37,634 | | | - | 37,634 |
| | शिल्प संग्रहालय नई दिल्ली में 1 अगस्त 2017 को डिजाइनर चौपाल का आयोजन | 2,64,381 | | | 2,64,381 | | | - | 2,64,381 |
| | 7 अगस्त 2017 को गुवाहाटी में तीसरा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस | 54,13,973 | | | 54,13,973 | | | - | 54,13,973 |
| | अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र मेला- 31 जुलाई से 2 अगस्त तक 2017 | 60,32,737 | | | 60,32,737 | | | - | 60,32,737 |
| | 22.09.2017 को उद्घाटन कार्यक्रम टीएफसी और सीएम | 2,41,005 | | | 2,41,005 | | | - | 2,41,005 |
| | हस्तकला सहयोग शिविर (चरण 1) | 37,65,242 | | | 37,65,242 | | | - | 37,65,242 |
| | हस्तकला सहयोग शिविर (चरण 2) | 10,67,660 | | | 10,67,660 | | | - | 10,67,660 |
| | स्वदेशी मेला चंडीगढ़ 2017-2018 | 5,00,000 | | | 5,00,000 | | | - | 5,00,000 |
| | सीएफसी वाराणसी मेगा हैंडलूम क्लस्टर में 15 बुनकर चौपाल | (2,679) | | | (2,679) | | | - | (2,679) |
| | परियोजना प्रबंधन लेनदेन एडवाइजरी (पीएमटीए जेएलएल) | 1,22,024 | | | 1,22,024 | | | - | 1,22,024 |
| | फ्रांस के राष्ट्रपति का 12/03/2018 को टी एफ सी का दौरा | 8,97,474 | | | 8,97,474 | | | - | 8,97,474 |
| | दीन दयाल हस्तकला संकुल व्यापार और संग्रहालय केंद्र (टीएफसी) | 2,33,81,758 | 27,00,947 | | 2,06,80,811 | 1,00,000 | | 1,00,000 | 2,07,80,811 |
| | कौशाम्बी महोत्सव 2018 (4 अप्रैल 2018 से 5 अप्रैल 2018) | 99,000 | | | 99,000 | | | - | 99,000 |
| | लखनऊ में 05.10.2018 से 08.10.2018 तक एचएसएफ 2018 का चौथा संस्करण | 1,65,700 | | | 1,65,700 | | | - | 1,65,700 |
| | जीआई पंजीकृत हथकरघा/हस्तशिल्प उत्पाद पर 12 फिल्में (2018-2019) | 1,40,373 | | | 1,40,373 | | | - | 1,40,373 |
| | जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने के लिए (एनएचडीपी के तहत) | 77,26,829 | 63,08,125 | | 14,18,704 | | | - | 14,18,704 |
| | दीन दयाल हस्तकला संकुल व्यापार संग्रहालय केंद्र (टीएफसी) रसीद | (1,78,15,548) | | | (1,78,15,548) | | | - | (1,78,15,548) |
| | 5वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (2019-2020) | 1,45,33,508 | | | 1,45,33,508 | 15,00,000 | | 15,00,000 | 1,60,33,508 |
| | 7 सीएफसी के निर्माण के लिए अनुदान | 1,24,96,280 | | | 1,24,96,280 | | | - | 1,24,96,280 |

| Sl. No. | Particulars | Balance As On 31.03.2020 | Received During The Year | | Total | Transactions During The Year | | Total | Balance As On 31.03.2021 |
|---------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|
| | | | From Govt. | From Participants/ Others | | Expenses | Refund/ Adjustment/ Transfer | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3+4+5) | 7 | 8 | 9 (7+8) | 10 (6+9) |
| | NATIONAL HANDLOOM CAMPAIGN (I H B BRAND) | 53,11,513 | | | 53,11,513 | | | - | 53,11,513 |
| | WEAVERS AWARENESS CAMP | (7,60,175) | | | (7,60,175) | | | - | (7,60,175) |
| | FILM ON GI REGISTERED HANDLOOM HANDICRAFT PRODUCT 8TH MARCH 2017 UNDER INTERNATIONAL WOMEN DAY | 37,634 | | | 37,634 | | | - | 37,634 |
| | ORGANIZE DESIGNERS CHAUPAL AT CRAFT MUSEUM NEW DELHI 1ST AUG.2017 | 2,64,381 | | | 2,64,381 | | | - | 2,64,381 |
| | 3RD NATIONAL HANDLOOM DAY ON 7TH AUGUST 2017 AT GUWAHATI | 54,13,973 | | | 54,13,973 | | | - | 54,13,973 |
| | INTERNATIONAL TEXTILE FARE AT AHMEDABAD FROM 31ST JULY TO 2ND AUG. 2017 | 60,32,737 | | | 60,32,737 | | | - | 60,32,737 |
| | INAUGURATION PROGRAMME ON 22.09.2017 TFC AND CM | 2,41,005 | | | 2,41,005 | | | - | 2,41,005 |
| | HASTKALA SAHYOG SHIVIR (PHASE 1) | 37,65,242 | | | 37,65,242 | | | - | 37,65,242 |
| | HASTKALA SAHYOG SHIVIR (PHASE 2) | 10,67,660 | | | 10,67,660 | | | - | 10,67,660 |
| | SWADESHI MELA CHANDHIGARH 2017-2018 | 5,00,000 | | | 5,00,000 | | | - | 5,00,000 |
| | 15 BUNKAR CHOUPALS IN CFC VARANASI MEGA HANDLOOM CLUSTER | (2,679) | | | (2,679) | | | - | (2,679) |
| | PROJECT MANAGEMENT TRANSACTION ADVISORY (PMTA JLL) | 1,22,024 | | | 1,22,024 | | | - | 1,22,024 |
| | VISIT OF FRENCH PRESIDENT TO T F C ON 12/03/2018 | 8,97,474 | | | 8,97,474 | | | - | 8,97,474 |
| | DIN DYAL HASTKALA SANKUL TRADE & MUSEUM CENTRE (TFC) | 2,33,81,758 | 27,00,947 | | 2,06,80,811 | 1,00,000 | | 1,00,000 | 2,07,80,811 |
| | KAUSHAMBI MAHOTSAV 2018 (4TH APRIL 2018 TO 5TH APRIL 2018) | 99,000 | | | 99,000 | | | - | 99,000 |
| | 4TH EDITION OF HSF 2018 AT LUCKNOW FROM 05.10.2018 TO 08.10.2018 | 1,65,700 | | | 1,65,700 | | | - | 1,65,700 |
| | 12 FLIMS ON GI REGISTERED HANDLOOM / HANDICRAFT PRODUCT (2018-2019) | 1,40,373 | | | 1,40,373 | | | - | 1,40,373 |
| | TO ORGANISE DISTRICT LEVEL EVENTS (UNDER NHDP) | 77,26,829 | 63,08,125 | | 14,18,704 | | | - | 14,18,704 |
| | DIN DYAL HASTKALA SANKUL TRADE MUSEUM CENTRE (TFC) RECEIPT | (1,78,15,548) | | | (1,78,15,548) | | | - | (1,78,15,548) |
| | 5th NATIONAL HANDLOOM DAY (2019-2020) | 1,45,33,508 | | | 1,45,33,508 | 15,00,000 | | 15,00,000 | 1,60,33,508 |
| | GRANT FOR CONSTRUCTION OF 7 CFCs | 1,24,96,280 | | | 1,24,96,280 | | | - | 1,24,96,280 |
| | GRANT FOR COMMON SERVICE CENTRES (CSC), VARANASI | (10,81,993) | | | (10,81,993) | | | - | (10,81,993) |
| | DESIGNS DEVELOPMENT & PATTERN MAKING VARANASI | (17,863) | | | (17,863) | | | - | (17,863) |
| | BUNKAR MITRA HANDLOOM HELP LINE CENTRE | 43,70,916 | 77,37,002 | | (33,66,086) | 45,46,211 | | 45,46,211 | 11,80,125 |



| क्रम सं. | विवरण | 31.03.2020 को शेष | वर्ष के दौरान प्राप्त | | कुल | वर्ष के दौरान लेनदेन | | कुल | 31.03.2021 को शेष |
|----------|--|----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | सरकार से | प्रतिभागियों / अन्य से | | व्यय | वापस / समायोजन / अंतरण | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3-4-5) | 7 | 8 | 9 (7+8) | 10 (6+9) |
| | सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी), वाराणसी के लिए अनुदान | (10,81,993) | | | (10,81,993) | | | - | (10,81,993) |
| | डिजाइन विकास और पैटर्न निर्माण वाराणसी | (17,863) | | | (17,863) | | | - | (17,863) |
| | बुनकर मित्र हैंडलूम हेल्प लाइन केंद्र | 43,70,916 | 77,37,002 | | (33,66,086) | 45,46,211 | | 45,46,211 | 11,80,125 |
| | विशिष्ट हथकरघा उत्पादों के खुदरा आउटलेट (प्लेगशिप स्टोर) | 3,78,701 | | | 3,78,701 | 16,01,566 | | 16,01,566 | 19,80,267 |
| | श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति | 1,13,573 | | | 1,13,573 | | | - | 1,13,573 |
| | हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए आउटरीच कार्यक्रम (एनजेबी कोलकाता) 7-01-2019 से 13-01-2019 तक | 2,10,000 | | | 2,10,000 | | | - | 2,10,000 |
| | एमएसएमई का आउटरीच कार्यक्रम (डब्ल्यूएससी जनवरी 2019 से फरवरी 2019) | 13,68,691 | | | 13,68,691 | | | - | 13,68,691 |
| | गंतव्य गुजरात 2019 (18.12.2019 से 20.12.2019) | 1,38,768 | 1,38,768 | | - | | | - | - |
| | उत्तराखंड सृजन 2019 (15.12.2019 से 18.12.2019) | 76,700 | 76,700 | | - | | | - | - |
| | भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव 2019 का 5वां संस्करण (आईआईएसएफ) कोलकाता (05.11.2019 से 8.11.2019 तक) | 1,18,000 | 1,18,000 | | - | | | - | - |
| | 29 फरवरी, 2020 को नई दिल्ली में भारत का 5वां वॉकिंग हैंड-इन-हैंड रॉयल टेक्सटाइल्स | (12,50,000) | 10,33,808 | | (22,83,808) | 22,83,808 | | 22,83,808 | - |
| | हथकरघा संवर्धन सहायता 22.12.2016 वीएनएस | 30,96,110 | | | 30,96,110 | | | - | 30,96,110 |
| | कलस्टर विकास कार्यक्रम (बर्दवान) | (1,20,147) | | | (1,20,147) | | | - | (1,20,147) |
| | कुल | 15,56,68,270 | 10,43,72,553 | | 1,91,97,852 | 3,29,72,762 | (10,836) | 6,45,37,624 | 8,37,35,476 |
| | कुल डेबिट (प्राप्तियों में अंतरण) | 19,53,44,291 | 10,43,72,553 | | | 3,29,72,762 | | 3,29,72,762 | 17,22,03,294 |
| | कुल क्रेडिट (खाते में अंतरण) | (3,96,76,021) | | | | | | | (8,84,67,818) |
| | कुल जोड़ | 15,56,68,270 | 10,43,72,553 | - | - | 3,29,72,762 | - | 3,29,72,762 | 8,37,35,476 |

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए सरकारी अनुदान और प्रतिभागियों के पैसे का विवरण

(राशि ₹ में)

| क्र. सं. | विवरण | 1.4.2020 को आरंभिक शेष | वर्ष के दौरान प्राप्त | | कुल | वर्ष के दौरान प्राप्त | | कुल | 31.03.2021 को शेष |
|----------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| | | | सरकार से | प्रतिभागियों / अन्य से | | सरकार से | प्रतिभागियों / अन्य से | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3-4-5) | 7 | 8 | 9 (7+8) | 10(6+9) |
| | यार्न आपूर्ति योजना सब्सिडी | | | | | | | | |
| 1 | 10% हैंक यार्न सब्सिडी | 1,62,20,963 | 38,75,00,000 | | (37,12,79,037) | 30,94,45,652 | - | 30,94,45,652 | (6,18,33,385) |
| 2 | वाईएसएस दावे (एजजीपीएस) | 1,05,30,716 | 20,72,86,682 | | (19,67,55,966) | 21,49,37,720 | | 21,49,37,720 | 1,81,81,754 |
| | कुल | 2,67,51,679 | 59,47,86,682 | - | (56,80,35,003) | 52,43,83,372 | - | 52,43,83,372 | (4,36,51,631) |
| | कुल अनुदान | 22,20,95,970 | 69,91,59,235 | - | (56,80,35,003) | 55,73,56,134 | 4,82,58,794 | 55,73,56,134 | 12,85,51,663 |

| Sl. No. | Particulars | Balance As On 31.03.2020 | Received During The Year | | Total | Transactions During The Year | | Total | Balance As On 31.03.2021 |
|---------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | From Govt. | From Participants/ Others | | Expenses | Refund/ Adjustment/ Transfer | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3-4-5) | 7 | 8 | 9 (7+8) | 10 (6+9) |
| | RETAIL OUTLET OF EXCLUSIVE HANDLOOM PRODUCTS (FLAGSHIP STORES) | 3,78,701 | | | 3,78,701 | 16,01,566 | | 16,01,566 | 19,80,267 |
| | PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON LABOUR | 1,13,573 | | | 1,13,573 | | | - | 1,13,573 |
| | OUTREACH PROGRAMME FOR PROMOTION OF HANDLOOMS (NJB KOLKOTTA) FROM 7-01-2019 TO 13-01-2019 | 2,10,000 | | | 2,10,000 | | | - | 2,10,000 |
| | OUTREACH PROGRAMME OF MSME (WSC JAN 2019 TO FEB.2019) | 13,68,691 | | | 13,68,691 | | | - | 13,68,691 |
| | DESTINATION GUJRAT 2019 (18.12.2019 TO 20.12.2019) | 1,38,768 | 1,38,768 | | - | | | - | - |
| | UTTARAKHAND SRAJAN 2019 (15.12.2019 TO 18.12.2019) | 76,700 | 76,700 | | - | | | - | - |
| | 5TH EDITION OF INDIA INTERNATIONAL SCIENCE FESTIVAL 2019 (IISF) KOLKOTTA (05.11.2019 TO 8.11.2019) | 1,18,000 | 1,18,000 | | - | | | - | - |
| | 5TH WALKING HAND-IN-HAND ROYAL TEXTILES OF INDIA ON 29TH FEBRUARY 2020 AT NEW DELHI | (12,50,000) | 10,33,808 | | (22,83,808) | 22,83,808 | | 22,83,808 | - |
| | HATKARGHA SAMVARDHAN SAHAYATA 22.12.2016 VNS | 30,96,110 | | | 30,96,110 | | | - | 30,96,110 |
| | CLUSTER DEV. PROGRAMME (BURDWAN) | (1,20,147) | | | (1,20,147) | | | - | (1,20,147) |
| | TOTAL | 15,56,68,270 | 10,43,72,553 | | 1,91,97,852 | 3,29,72,762 | (10,836) | 6,45,37,624 | 8,37,35,476 |
| | TOTAL DEBIT (TRANSFER TO RECEIVABLES) | 19,53,44,291 | 10,43,72,553 | | | 3,29,72,762 | | 3,29,72,762 | 17,22,03,294 |
| | TOTAL CREDIT (TRANSFER TO GRANT ACCOUNT) | (3,96,76,021) | | | | | | - | (8,84,67,818) |
| | GRAND TOTAL | 15,56,68,270 | 10,43,72,553 | - | - | 3,29,72,762 | - | 3,29,72,762 | 8,37,35,476 |

DETAILS OF GOVERNMENT GRANTS & PARTICIPANTS MONEY FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD

(In Rs.)

| Sl. No. | PARTICULARS | OPENING BALANCE 1.4.2020 | RECEIVED DURING THE YEAR | | TOTAL | TRANSACTIONS DURING THE YEAR | | TOTAL | BALANCE AS ON 31.03.2021 |
|---------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | FROM GOVT. | FROM PARTICIPANTS/ OTHERS | | EXPENSES | REFUND/ ADJUSTMENT/ TRANSFER | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3-4-5) | 7 | 8 | 9 (7+8) | 10(6+9) |
| | YARN SUPPLY SUBSIDY SCHEME | | | | | | | | |
| 1 | 10% HANK YARN SUBSIDY | 1,62,20,963 | 38,75,00,000 | | (37,12,79,037) | 30,94,45,652 | - | 30,94,45,652 | (6,18,33,385) |
| 2 | YSS CLAIMS (MGPS) | 1,05,30,716 | 20,72,86,682 | | (19,67,55,966) | 21,49,37,720 | | 21,49,37,720 | 1,81,81,754 |
| | TOTAL | 2,67,51,679 | 59,47,86,682 | - | (56,80,35,003) | 52,43,83,372 | - | 52,43,83,372 | (4,36,51,631) |
| | TOTAL GRANTS | 22,20,95,970 | 69,91,59,235 | - | (56,80,35,003) | 55,73,56,134 | 4,82,58,794 | 55,73,56,134 | 12,85,51,663 |



रा ह वि नि
NHDC

#MyHandloomMyPride

**Handlooms Have Low
Carbon Footprint As They
Consume Less Infrastructre,
Technology & Power**




रा ह वि नि
NHDC

National Handloom Day
August 07, 2021


Follow On  NHDCTextiles |  NHDC_Textiles |  NHDC_Textiles |  www.nhdc.org.in

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

National Handloom Development Corporation Limited
(A Government of India Undertaking)



रा ह वि नि
NHDC



पंजीकृत कार्यालय

चौथी मंजिल, वेगमेन्स बिजनेस पार्क, टावर 1,
प्लॉट नं. III, सेक्टर नॉलेज पार्क-तृतीय,
सूरजपुर-कासना मेन रोड, ग्रेटर नोएडा
गौतमबुद्ध नगर
उत्तर प्रदेश - 201306
फोन नं. 0120-2329600
ईमेल conhdc@nhdc.org.in

Registered Office

4thFloor, Wegmans Business Park, Tower-1,
Plot No. 03, Sector Knowledge Park - III,
Surajpur - Kasna Main Road, Greater Noida,
Gautam Buddh Nagar
Uttar Pradesh - 201306
Phone : 0120-2329600
E-mail : conhdc@nhdc.org.in

www.nhdc.org.in